पंचम माला, खंड 45, अंक 1
Fifth Series, Vol. XLV, No. 1

सोमवार, 11 नवम्बर, 1974/20 कार्तिक, 1896 (शक)
Monday, November 11, 1974/Kartika 20, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/ हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 11 नवम्बर, 1974/20 कार्तिक, 1896 (शक)

No. 1, Monday, November 11, 1974/Kartika 20, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members ..	(xiv-xx)
सभा के अधिकारी	Officers of the House	(xxi)
मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet, Ministers of State and Deputy Ministers	(xxi-xxii)
निधन संबंधी उल्लेख	*OBITUARY REFERENCES*	
मंत्रियों का परिचय	Introduction of Ministers ..	2-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	*ORAL ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1. संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्य सहायता	Food Aid from USA ..	5-9
2. गन्ने का लाभप्रद मूल्य	Remunerative Price of Sugarcane	9-11
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
3. उड़ीसा में नये सेन्ट्रल स्कूल खोलना	Opening of new Central Schools in Orissa	11-12
4. जल शुल्क संबंधी ढांचा	Water Rate Structure ..	12
5. राज्यों को खाद्यान्न का अधिक कोटा	More Foodgrains Quota for States	12-13
6. भारत में अमरीकी शैक्षिक प्रतिष्ठान	United States Educational Foundation in India	13
7. खाद्य वितरण व्यवस्था में परिवर्तन	Changes in Food Distribution system	13
8. गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा को अनाज का आवंटन	Allocation of foodgrains to Gujarat, Rajasthan and Orissa ..	13-14
9. कूच बिहार रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल पर भुखमरी से हुई मौतें	Starvation deaths on Cooch Behar Railway Station, West Bengal ..	14
10. गोलोकगंज (आसाम) में भुखमरी से हुई मौतें	Starvation deaths in Golokganj (Assam)	14-15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

8/Lok Sabha/74—1

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
11.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का कार्यकरण	Working of Indian Institute of Technology, Madras	15
12.	राज्यों में भुखमरी से मौतें	Starvation deaths in States	15
13.	धान का वसूली मूल्य	Procurement Price of Paddy ..	16
14.	वनस्पति की मांग और उत्पादन	Demand and production of Vanaspati	16
15.	गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने की नौकाओं की विदेशों से खरीद	Deep Sea fishing trawlers from foreign countries	17
16.	पंजाब और आन्ध्र प्रदेश से उड़ीसा के लिये चावल	Rice from Punjab and Andhra Pradesh for Orissa	17
17.	विकासशील आदिवासी क्षेत्रों में आदर्श निवास क्षेत्र बनाने हेतु नक्शे तैयार करना	Lay outs for Model habitations in developing Tribal Areas ..	18
18.	उच्च शिक्षा वाले संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reservation for S.C. and S.T. Students in Institutions of Higher Learning	18
19.	गेहूं की बुवाई के लिये बिजली, डीजल और पानी की सप्लाई	Supply of Power, Diesel and Water for wheat sowing	18-19
20.	जवाहरलाल नेहरू इंस्टीच्यूट आफ फिजीकल मेडीसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन के कार्यकरण सम्बन्धी समिति	Committee on working of Jawaharlal Institute of Physical Medicine and Rehabilitation	19

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
1.	खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिये धन राशि	Funds to raise Grain Production ..	19
2.	मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति	Famine conditions in M.P. ..	19-20
3.	विभिन्न जोनों के लिये चीनी के परिवर्तन शुल्क तथा फैक्टरी बाह्य मूल्यों का संशोधन	Revision of conversion charges and ex-works prices of sugar for different zones	20
4.	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध तथा दूध उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Milk and Milk Products of DMS	21
5.	पंजाब सरकार के खर्चे पर राष्ट्रीय हाकी दल का प्रशिक्षण	Training of National Hockey Team at Punjab Government Expenses	21
6.	राजस्थान के सूखे से प्रभावित व्यक्तियों का पाकिस्तान चला जाना	Migration of drought hit people of Rajasthan to Pakistan ..	21
7.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा गैर हिन्दी भाषी राज्यों को पुस्तकों का वितरण	Distribution of books by Central Hindi Directorate amongst non-Hindi States	21-22
8.	राजस्थान में निम्न आय समूह के लोगों के लिये मकान	Houses for Low Income Group people in Rajasthan	22

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
9.	दिल्ली और गुजरात में राशन का वितरण	Distribution of Ration in Delhi and Gujarat	22
10.	पंचायत वित्त निगम	Panchyat Finance Corporation ..	23
11.	सेक्टर डी मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में पार्क बनाना	Development of Park in Sector 'D' Mandir Marg, New Delhi ..	23 24
12.	गुजरात में छोटे किसानों के लिये सिंचाई योजनायें	Irrigation projects for small agriculturists in Gujarat	24
13.	नदी जल पर भारत बंगलादेश वार्ता	Indo-Bangladesh talks on River waters	24
14.	पंजाब में निम्न आय समूह के लोगों के लिये मकान	Houses for Low income Group People in Punjab	25
15.	नेशनल स्कूल आफ ड्रामा और संगीत नाटक अकादमी के बीच संबंध	Relationship between National School of Drama and Sangeet Natak Academy	25-26
16.	केरल हिन्दी प्रचार सभा की वित्तीय कठिनाइयां	Financial difficulties of Kerala Hindi Prachara Sabha	26
17.	उत्तरी क्षेत्र में चीनी का उत्पादन	Production of Sugar in Northern region	26
18.	दिल्ली के अध्यापकों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Delhi School Teachers	25-27
19.	आर० वी० अंध कन्या विद्यालय, दिल्ली में एक छात्रा की मृत्यु	Death of a girl student of R.V. Andh Kanya Vidyalaya, Delhi ..	28
20.	कोसी विद्युत परियोजना	Kosi Power Project	28
21.	जवाहरलाल नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ फिजिकल मेडिकल एण्ड रिहैबिलिटेशन	Jawaharlal Nehru Institute of Physical Medicine and Rehabilitation	28-29
22.	बासमती चावल का निर्यात	Export of Basmati Rice ..	29
23.	राष्ट्रीय वन नीति का पुनर्विलोकन	Review of National Forest Policy	29
24.	व्यवसायिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परिषद का गठन	Setting up of National Council for Vocational Education ..	30
25.	दालों का उत्पादन	Production of pulses	30-31
27.	वर्ष 1973-74 में उड़ीसा को दिया गया नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक	Nitrogenous Fertilisers to Orissa during 1973-74	31
28.	भारत में खाद्य स्थिति	Food Situation in India.. ..	31
29.	उर्वरक की मांग तथा सप्लाई में अन्तर	Gap between Demand and supply of Fertiliser	31-32
30.	उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में प्रति व्यक्ति कृषि मूल्य और आय	Per capita agriculture price and income in Western Districts of U.P.	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
31.	राज्यों द्वारा किसानों पर शुल्क लगाया जाना	Imposition of Levy on Farmers by States	32
32.	मुख्य मंत्री सम्मेलन में खाद्य स्थिति का पुर्नविलोकन	Review of Food Situation at the Chief Ministers Conference	33
33.	दिल्ली में पी० जी० टी० ग्रेड में स्थानापन्न टी० जी० टी० अध्यापकों को चयन ग्रेड न दिया जाना	Denial of Selection Grade to T.G. Ts. Officiating in PGT Grade in Delhi	33
34.	मध्य प्रदेश में उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilisers in Madhya Pradesh	33-34
35.	केन्द्रीय मंत्रियों के निवासों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Residences of Central Ministers	34
36.	बागमती नदी परियोजना	Bagmati River Project	34-35
37.	कृष्णा कावेरी न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय	Award given by the Krishna-Kaveri Tribunal	35
38.	श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में बौद्धिक संस्कृति को प्रोत्साहन	Promotion of Buddhist culture in Sravasti (U.P.)	35
39.	तेहरान में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गये पदक	Medals won by Indian Sportsmen in Games at Teheran	36
40.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल तथा इलेक्ट्रीकल इंजीनियर	C.P.W.D. Civil and Electrical Engineers	37
41.	दिल्ली में संकटग्रस्त कालेजों को अपने हाथ में लेना	Taking over of Sick Colleges in Delhi	37
42.	राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन	Allotment of foodgrains to States	37-38
43.	बिहार में बाढ़ से हुई हानि	Loss due to floods in Bihar	38
44.	खरीफ उत्पादन में कमी का प्रभाव	Impact of Shortfall in Kharif Production	38
45.	अन्न की कमी के बारे में मंत्री का वक्तव्य	Minister's statement on food shortage	39
46.	पश्चिम बंगाल में आपात रबी योजना	Emergency Rabi Plan in West Bengal	39
47.	राज्यों में धान और कच्चे पटसन की उत्पादन लागत	Cost of production of paddy and raw jute in State	39-40
48.	उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Mills in U.P. and Bihar	40
49.	सराय रोहिला ऊपरि पुल दिल्ली का गिर जाना	Collapse of Sarai Rohilla overbridge Delhi	41
50.	अकालग्रस्त पश्चिम बंगाल में राहत के उपाय	Relief measures in famine hit West Bengal	41
51.	तेहरान में भारतीय हाकी टीम का खेल	Performance of Indian Hockey Team in Teheran	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
52.	गेहूं का वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिये भारतीय किसान संघ की ओर से अनुरोध	Request from Bhartiya Kisan Sangh to fix procurement price of wheat	42
53.	संसद सदस्यों के फ्लैटों के सर्वेन्ट क्वाटरों में स्नानघर और शौचालय	Bath room in M.P. Servant Quarters	42
54.	बिहार द्वारा चारे की मांग	Demand of Fodder from Bihar ..	42
55.	फरक्का बांध से पानी का छोड़ा जाना	Release of water from Farakka Barrage	42
56.	भारत आने वाले अमरीकी विद्वान और विशेषज्ञ	U.S. Scholars and Experts coming to India	43
57.	तमिलनाडु सरकार द्वारा धान के अधिक वसूली मूल्य निश्चित करना	Higher procurement price of paddy fixed by Tamil Nadu.. ..	43
58.	दिल्ली के स्कूलों में स्नातकोत्तर अध्यापकों तथा प्रशिक्षत स्नातक अध्यापकों के रिक्त स्थान	Posts of P.G.Ts. and T.G.Ts. lying vacant in Delhi Schools ..	43-44
59.	पश्चिम बंगाल में संकटवश होने पर बच्चों का विक्रय	Distress sale of Children in West Bengal	44
60.	अन्तर्राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस की बैठक का रद्द किया जाना	Cancellation of International Dairy Congress	44-45
61.	दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा प्राध्यापकों की नियुक्ति	Appointment of Lecturers by Delhi Sikh Gurdwara Board ..	45
62.	खाद्यान्न की कमी के संबंध में विदेश मंत्री का अमरीका में वक्तव्य	Statement of External Affairs Minister in U.S.A. on food shortage	45
63.	मेस खर्चों और पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण विद्यार्थियों में अशान्ति और असंतोष	Discontentment among students due to increased Mess charges and prices of text books	46
64.	कर्नातक में पृथक पुरातत्वीय सर्कल	Separate Archaeological circle in Karnataka	46
65.	विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के लिये नये वेतनमानों का कार्यान्वियन	Implementation of New Pay Scales for University and College Teachers	46-47
66.	पालामाऊ जिले को खाद्यान्नों का आवंटन	Allocation of Foodgrains to Palamau District	47
67.	राज्यों में अन्न के अभाव में संकटवश होकर बच्चों का विक्रय	Distress sale of children in States	47
68.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए परिवीक्षा अवधि	Probation period for C.P.W.D. Engineers	47-48
69.	दिल्ली दुग्ध योजना तथा अन्य योजनाओं के दूध की मात्रा और किस्म	Quantity and quality of Milk of D.M.S. and other Schemes ...	48
70.	तेहरान में हुए एशियाई खेल	Teheran Asian Games	49
71.	पुरातन वस्तुओं की देश से तस्करी	Smuggling out of Antiques	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
72.	दिल्ली दुग्ध योजना के लिए सांविधिक निगम	Statutory Corporation for Delhi Milk Scheme	49-50
73.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यम और निम्न आय समूह के अन्तर्गत मकानों का आवंटन	Allotment of Houses by DDA under Middle and Low Income Groups	50
74.	राज्यों में घरेलू उद्यान (किचन गार्डन)	Kitchen gardening in States ..	50
75.	मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न	Additional Foodgrains for Madhya Pradesh	50-51
76.	पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण क्षति	Loss due to devastation of floods in West Bengal	51
77.	प्राचीन पाण्डुलिपियां प्राप्त करने में राष्ट्रीय अभिलेखागार की असफलता	Failure of National Archives in obtaining Ancient Manuscript ..	51-52
78.	दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कार्य	Construction work of Inter State Bus Terminus in Delhi ..	52
79.	दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन	Amendment of Delhi University Act	52
80.	चीनी कारखानों में कार्य दिवस, चीनी की वसूली तथा कारखानों द्वारा गन्ने के दिये गए वास्तविक मूल्य	Working days, recovery and actual price paid for sugarcane ..	52-53
81.	1973–74 के लिए लैवी की चीनी की औसत वसूली तथा मूल्य	Average recovery and price of levy sugar for 1973-74	53
82.	खरीफ ऋतु के लिये आपात कालीन कृषि संबंधी योजना	Emergency Agricultural Operation Plan for Kharif Season ..	53-54
83.	चावल और खरीफ में पैदा होने वाले अन्य खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference regarding fixing of prices of rice and other Kharif Cereals	54
84.	अधिक उपज देने वाले बीजों की सप्लाई	Supply of high yielding seeds ..	54-55
85.	आन्ध्रवरी और राजवलीगढ़ (बिहार) की खुदाई	Excavation of Andhratarhi and Rajbaligarh (Bihar)	55
86.	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रंथालय द्वारा प्राप्त पुस्तकें	Books received in National Library under the Copyright Act ..	55
87.	राजस्थान में आवास हेतु नियतन	Allocation for Housing in Rajasthan	56
88.	राजस्थान के लिये नाईट्रोजन उर्वरक	Nitrogenous fertilisers to Rajasthan	56
89.	मध्य प्रदेश में डेरी विकास के लिए विश्व बैंक सहायता	World Bank Aid for Dairy Development in M.P.	56
90.	मध्य प्रदेश के लिये चीनी का कोटा	Sugar quota for Madhya Pradesh	56-57
91.	मंदिर मार्ग के क्वार्टरों के संबंध में पानी के बिल	Water Bills in respect of Mandir Marg Quarter	57-58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
92.	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के लिये बने आठ मंजिला फ्लैटों के लिये जल प्रदाय व्यवस्था	Provision of water supply for newly constructed eight storeyed flats on Mandir Marg, New Delhi	58
93.	गुजरात राज्य में कपास और कपास के बीज बिनौले का उत्पादन	Production of Cotton and cotton seeds in Gujarat	58
94.	गुजरात में वनस्पति की कमी	Shortage of Vanaspati in Gujarat	58
95.	सौराष्ट्र प्रदेश के अभावग्रस्त जिले	Scarcity hit districts of Saurashtra Region	59
96.	उत्तर प्रदेश के टिहरी पर्वतीय जिले का विकास	Development of hill district of Tehri	59
97.	गुजरात को अनाज	Foodgrains to Gujarat ..	59
98.	वर्ष 1973–74 के दौरान गोआ को नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक का आवंटन	Nitrogenous fertiliser to Goa during 1973-74	60
99.	गोआ में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान	Houses for low income group people in Goa	60
100.	गोआ में आवास योजनाओं के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for Housing in Goa	60
101.	वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान गोआ को सप्लाई की गई चावल और चीनी की मात्रा	Rice and Sugar supplied to Goa during 1972-73 and 1973-74	60
102.	पंजाब में आवास के लिए धनराशि का नियतन	Allocation for housing in Punjab	60-61
103.	स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास का शामिल किया जाना	Inclusion of History of Indian Freedom movement in Curricula	61
104.	केरल को कृषि सहायता	Farm assistance to Kerala	61
105.	दिल्ली में संसद सदस्यों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to M.Ps. in Delhi	62
106.	सलाहकार अधिकारियों की कनिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति	Junior Departmental Promotion Committee of Advisory Officers	62
107.	गेहूं लैवी आदेशों में संशोधन करने के लिये पंजाब सरकार का अनुरोध	Request from Punjab Government to amend Wheat Levy Orders	62
108.	मुर्गे मुर्गियों का आयात	Import of Poultry Stock	63
109.	छिपे जमा खाद्यान्न को बाहर निकालने के लिये अभियान	Drive to dehoard foodgrains ..	63-64
110.	भूमि सुधारों के बारे में विश्व बैंक के विचार	Views of World Bank on Land reform	64
111.	आयातित पशुओं से रोग	Disease from Imported Cattle	64
112.	अगले छह महीनों के दौरान अन्न की आवश्यकता का अनुमान	Assessment of food requirement during next six months ..	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विष	Subject	पृष्ठ/ Pages
113.	उड़ीसा में निम्न आय के व्यक्तियों के लिये निर्मित मकान	Houses built for low income Group people in Orissa	65
114.	पांचवीं योजना के दौरान आवास हेतु उड़ीसा के लिये किया गया आवंटन	Allocation for Honsing in Orissa during Fifth Plan	65
115.	1972–73 तथा 1973–74 के दौरान उड़ीसा को सप्लाई किया गया चावल तथा चीनी	Rice and Sugar Supplied to Orissa during 1972-73 and 1973-74 ..	65-66
116.	तमिलनाडु में समाज कल्याण योजनायें	Social Welfare Schemes in Tamil Nadu	66
117.	निर्माण कार्यों में सीमेंट और इस्पात के प्रयोग पर रोक लगाये जाने के कारण श्रमिकों की कठिनाइयां	Workers facing difficulties due to restrictions on use of Cement and Steel in construction	66
118.	डी०सी०एम० तथा गणेश फ्लोर मिल्ज दिल्ली द्वारा वनस्पति का उत्पादन	Production of vanaspati by DCM and Ganesh Flour Mills ..	66-67
119.	हरित क्रांति	Green Revolution	67
120.	मेघालय में विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के लिए नये वेतनमान	New Pay Scales of University and College Teachers in Meghalaya	67-68
121.	पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा	Education of S.C. & S.T. Children in Punjab	68
122.	जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में भूख से हुई मौतें	Starvation in Jalpaiguri deaths (West Bengal)	68
123.	खाद्यान्नों की आवश्यकता उत्पादन और आयात	Requirement production and Import of Foodgrains	68-69
124.	उर्वरक की आवश्यकता और आयात	Requirement and Import of Fertilisers	69
125.	समूचे देश के लिए एक ही अन्न क्षेत्र	Single Food Zone for entire Country	69-70
126.	दीमापुर रेलवे स्टेशन पर भूख के कारण मौतें	Starvation deaths on Dimapur Railway Station	70
127.	केन्द्रीय मात्स्यकी निगम का कार्यकरण	Working of Central Fisheries Corporation	70
128.	राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यकरण	Working of National Seeds Corporation	70-71
129.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर के कार्यकरण की जांच	Inquiry into the working of Indian Institute of Science, Bangalore	71
130.	आई०आई०टी० खड़गपुर के निदेशक की सेवाकाल में वृद्धि दिया जाना	Extension given to Director of I I T. Kharagpur	71
131	भारत में कार्य करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय राहत संगठन द्वारा बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षत्रों में कार्य	Work in Flood and Drought affected areas by International Relief Organisations ..	72-73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
132.	महात्मा गांधी की प्रतिमा	Statue of Mahatma Gandhi ..	73
133.	सरकार द्वारा गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के बाद से गेहूं की वसूली	Wheat procured since Take over of Wholesale Trade	74-75
134.	कृषि पुर्नवित निगम द्वारा कृषकों को ऋण	Loans to farmers by the Agriculture Refinance Corporation ...	75-76
135.	सामान्य क्षेत्र में आवास योजनाओं से अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ	Benefits to Scheduled Castes and Scheduled Tribes from Housing Schemes in General Sector ..	76
136.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण हेतु दिए जाने वाले ऋण पर लगे आम प्रतिबंध में रियायत	Relaxation in General ban on grant of House Building Loans for S.C. and S.T. Employees	76-77
137.	आवास योजनाओं का समन्वय	Coordination of Housing Schemes	77
138.	जमा कृषि खाद्यान्नों को बाहर निकालना	Dehoarding of Agricultural Produce	77-78
139.	फलाई एश का भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग	Use of Fly Ash as a Building material	78
140.	तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना	Streamlining of Technical Education	78
141.	पानी की भारी कमी	Acute Shortage of water	79
142.	तमिलनाडु में खरीफ की फसल	Prospect of Kharif Crop in Tamil Nadu	79
143.	गृह निर्माण ऋणों पर लगा प्रतिबंध उठाना	Lifting of Ban on House Building Loans	79-80
144.	सितम्बर-अक्तूबर 1974 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में गिरावट	Fall in Wholesale Prices of Essential Articles in September-October, 1974	80
145.	कर्नाटक में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Karnataka ..	80-81
146.	संसद सदस्यों को देय सड़क भत्ता	Road Allowance to M.Ps. ..	81
147.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेची गई चीनी की बोरियों में चीनी की मात्रा कम होने के संबंध में उत्तर प्रदेश से शिकायतें	Complaints from U.P. Regarding under weight of Sugar Bags sold by FCI	81
148.	ग्रिम फूड आउटलुक एहैड फार पंजाब शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News against Grim Food Outlook ahead for Punjab	81-82
149.	पंजाब को खाद्यान्न का नियतन	Allocation of Foodgrains to Punjab	82
150.	दुग्ध चूर्ण का ऊंचा मूल्य और इसका आयात	High Price of Milk Powder and its Import	82
151.	सूखे से प्रभावित गांव	Drought affected villages	82-83
152.	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या	Drinking water problem in Rajasthan Villages..	83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos,	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
153.	जनरल पूल से सरकारी आवास का आवंटन करने हेतु नियम	Allotment Rules for Government Accommodation in General Pool	83
154.	कालीकट विश्वविद्यालय का परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम	Atomic Research Programme of Calicut University	84
155.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल और इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरों को स्थाई करना	Confirmation of C.P.W.D. Civil and Electrical Engineers ..	84
156.	मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनायें	Madhya Pradesh Irrigation Schemes	84
157.	राज्यों में खरीफ की फसल का खराब होना	Damage to Kharif Crop in States	85
158.	धान के वसूली मूल्य के बारे में विचार	Views on procurement price of paddy	85
159.	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों से बरामद किया गया खाद्यान्न	Foodgrains recovered from hoarders under MISA	86
160.	न्यू फ्रेंन्डस हाउसिंग कोपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली	New Friends Housing Cooperative Society, New Delhi	86
161.	बिहार में सूखे तथा बाढ़ के कारण फसलों को क्षति	Damage to crop due to drought and flood in Bihar	86
162.	डेविस कप टूर्नामेंट	Davis Cup Tournament	87
163.	दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना	Regularisation of unapproved colonies in Delhi	87
164.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के लिये भर्ती संबंधी नियम	Recruitment Rules for C.P.W.D. Engineers	87-88
165.	औरंगाबाद में सप्लाई किये गये बाजरा और ज्वार के घटिया बीज	Supply of substandard bajra and jowar seeds in Aurangabad ..	88
166.	केरल के लिये अतिरिक्त अनाज	Additional Foodgrains foı Kerala	88
167.	केरल में बाढ़ से हुई क्षति के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for flood damage in Kerala	88-89
168.	खाद्यान्नों के उत्पादन और वसूली संबंधी नीतियां	Foodgrain production and procurement policies	89-90
169.	व्यवसाय प्रधान शिक्षा	Job oriented education ..	90
170.	दिल्ली में अल्पसंख्यक कालेजों के शिक्षकों की मांगें	Demand of teachers of Minority colleges in Delhi	90
171.	कृषि मूल्य आयोग द्वारा धान, चावल और गेहूं के मूल्य निर्धारण का आधार	Basis for fixing price of paady rice and wheat by the Agricultural prices Commission ..	90-91
172.	खाद्यान्न के मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति	Downward trend in Foodgrain prices	91
173.	खुले बाजार में चीनी का मूल्य	Sugar price in open market	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
174.	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर प्रतिबंध	Restriction on Delhi University Karamcharis	91-92
175.	विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनों तथा कार्य की शर्तों में सुधार	Wages and working conditions of schools, college and university teachers	92-93
176.	बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा	Additional quantity of foodgrains for Bihar and U.P.	93
177.	वनस्पति की कमी	Shortage of Vanaspati	93-94
178.	खली का निर्यात बन्द करना	Stoppage of export of oil Cake ...	94
179.	पौधों के कीड़ों के संबंध में सर्वेक्षण	Survey of Plant Pests –	94-95
180.	इंगलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम के खेल का प्रदर्शन	Performance of Indian Cricket Team in England	95-96
181.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात	Import of Deep Sea Fishing Trawlers	96
182.	पश्चिम बंगाल को अनाज का नियतन और सप्लाई	Allocation and Supply of Foodgrains to West Bengal .. –	96
183.	दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिये निर्धारित अर्हतायें	Qualifications for Principals of Government Schools in Delhi ..	97
184.	यूरोपीय साझा बाजार आदि द्वारा अनाज की सप्लाई	Food Supply from European Common Market etc.	97
185.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के पास पड़ी पुस्तकें	Books lying with NCERT –	98
186.	तमिलनाडु में चीनी के मूल्य के बारे में त्रिपक्षीय बैठक	Tripartite Meeting regarding price of Sugar in Tamil Nadu ..	98-99
187.	दिल्ली में वनस्पति घी के फुटकर लाइसेंसों का रद्द किया जाना तथा राशन कार्डों का रजिस्टर किया जाना	Vegetable Ghee retail licences cancelled in Delhi and registration of cards	99
188.	दिल्ली में रद्द की गई राशन की दुकानें	Ration shops cancelled in Delhi ..	99
189.	खाद्यान्नों के आयात पर पैनल का प्रतिवेदन	Report of the Panel on Import of Foodgrains	100
190.	पंजाब सरकार द्वारा व्यापारियों से गुप्त सौदा	Alleged Secret deal with Traders by Punjab Government	100
191.	कलकत्ता विश्वविद्यालय के एप्लाइड मैथेमैटिक्स विभाग का शोध अध्ययन केन्द्र के रूप में चयन	Selection of Department of Applied Mathematics of Calcutta University as Centre of Advanced Study ..	100-102
192.	कलकत्ता में राशन के कोटे में कमी किया जाना	Reduction in ration quota in Calcutta	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
193.	पश्चिम बंगाल में नलकूप तथा नदियों से उठाऊ सिचाई योजना के संबंध में विश्व बैंक कृषि परामर्शदाता के विचार	Views of World Bank Adviser on Tube wells and River Lifting Scheme in West Bengal ..	103
194.	पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों के आवंटन तथा सप्लाई में वृद्धि करना	Increase in Allotment and Supply Foodgrains to West Bengal ..	103-104
195.	महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में कृषि उद्योग समूह	Agro industrial complex in backward districts of Maharashtra ..	104
196.	नदी घाटी परियोजनाओं में गाद जमा होना	Siltation in River Valley Project	104
197.	खरीफ की वसूली संबंधी नीति के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference regarding policy for Kharif procurement	104-105
198.	अकाल स्थिति को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check famine conditions	105
199.	किसानों को उर्वरक तथा बिजली की सप्लाई	Supply of Fertilisers and Power to Farmers	105
200.	उड़ीसा में सूखा	Drought in Orissa	105-106
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re-Adjournment Motions	106
	पटना में सत्याग्रहियों पर केन्द्रीय पुलिस आदि द्वारा आक्रमण को रोकने में सरकार की कथित असफलता	Alleged Failure of Government to prevent assault by Central Police etc. on Satyagrahis at Patna — — —	106-107
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	107-114
	पंजाब नगरपालिका (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Punjab Municipal (Chandigarh Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha	114
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	114
	वेतन समिति का प्रतिवेदन	Report of Pay Committee ...	115-116
	दिल्ली बिक्री कर विधेयक	Delhi Sales Tax Bill ...	116
	प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for presentation of Report of Select Committee	116
	31 अक्तूबर, 1974 को 14 डाउन अपर इंडिया एक्सप्रैस गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में आग लगने के बार में वक्तव्य	Statement Re. Fire in a Second Class Coach of 14 DN Upper India Express on 31-10-1974 ..	116
	श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	116
	14 नवम्बर, 1974 को लोक सभा की बैठक रद्द किया जाना	Cancellation of Sitting of the House on 14-11-1974	117
	उत्तर प्रदेश में विद्युत की भारी कमी के बारे में	Re. Acute Power Shortage in Uttar Pradesh	117

ग्रता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
नियम 377 के ग्रन्तर्गत मामला		Matter under Rule 377	117
	पंजाब हरियाणा ग्रौर राजस्थान में कपास के मूल्य में भारी कमी	Fall in prices of cotton in Punjab, Haryana and Rajasthan ..	117-118
नौसेना (संशोधन) विधेयक		Navy (Amendment) Bill.. ..	118
	विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	118
	श्री जे०बी० पटनायक	Shri J.B. Patnaik	118
	श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	118-119
	श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan ..	119
	श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	119
खंड 2 से 19		Clauses 2 to 19	
स्थगन प्रस्ताव—ग्रस्वीकृत हुग्रा		Motion for Adjournment—Negatived	120
	पटना में सत्याग्रहियों पर केन्द्रीय पुलिस ग्रादि द्वारा ग्राक्रमण को रोकने में सरकार की कथित ग्रसफलता	Alleged Failure of Government to prevent assault by Central Police, etc. on Satyagrahis at Patna	120
	श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	120-123
	श्री भागवत झा ग्राजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	123
	श्री समर मुकर्जी	Shri Samar Mukherjee	124
	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	126
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta ..	127
	श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey	130
	श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	130
	श्री के० हनुमंतैया	Shri K. Hanumanthaiya	132
	श्री जे० माता गौडर	Shri J. Metha Gowder ..	133
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra ..	134
	श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janashwar Misra ..	135
	श्री एच०के०एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat	136
	श्री एस०ए० शमिम	Shri S.A. Shamim	137
	श्री नवल किशोर सिन्हा	Shri Nawal Kishore Sinha ..	137
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	138
	श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ram Shekhar Prasad Singh	139
	श्री पी०जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar ..	139
	श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy ..	140

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री कृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ०वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथुराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए०के०एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन, श्री के०पी० (बडागरा)
उराव, श्री कार्तिक (लोहाड़गा)
उराव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर०पी० (बेल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

कोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे०जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णीसिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए०एम० (खामगांव)
कादर, श्री एस०ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन०एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी०डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी०आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए०के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैन्ड)
कोत्राशट्टी, श्री ए०के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी०एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)

कृष्णपा, श्री एम०वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्डमान तथा निकोबार) द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी०एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस०वी० (वारंगल)
गिरि, श्री बी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच०आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए०के० (पालकाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोयेन्का, श्री आर०एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी०सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी०डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेती, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी०के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा, बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के०एस० (पाटन)
चिक्कलिंगय्या, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमरनाथ सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी०ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भरत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी०पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलूर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम०एम० (पीरमाडे)
जोआरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)

झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (ग्रन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्ण राव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बासबाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी०एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी०बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री बी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री दी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी०के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी०डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० ग्रार० (शोलापुर)
दास, श्री ग्रनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडका)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दूमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दूराईरासु, श्री ए० (पैराम्बूलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (ग्रमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी०डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरार जी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नगेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री ग्रनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जाम्बूमूबंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गूलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी०वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री ग्रमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी०के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री ग्ररबिन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे०बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पूरी)
पटेल, श्री ग्ररबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच०एम० (ढंढका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभूदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादर तथा नगर हवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाडिया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाम्रोकाई होम्रोकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई०वी० विख (कोपरगाव)
पाटिल, श्री एम०वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी०ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी०ए० (धुलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकारा)
पुरती, श्री एम०एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस०एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधान, श्री के० (नौसरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस०एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह, (भीरबाड़ी)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोर)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बालूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमातारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फ़ाजिल्का)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपूजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भाट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)

महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरन)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगौड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्गे, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ, श्री (सिवान्)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुंटुर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिंधी)
रवि, श्री बायालार (चिरयिंकील)
राउत श्री, भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन्, श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेड़ाऊ, श्री (राम टेक)
रामेशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राम, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्रावलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यानारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)

राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकानाडा)
रछारिया, डा० गोबिंददास (झांसी)
रुद्र प्रतापसिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर० (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बाकां)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नबादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकर, श्री अमरनाथ (चन्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुछूकोटं)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफरत जग, श्री (कराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झूंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपूर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेरसिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एम० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह)
सेक्सैना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेकानाल)
सत्यानारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम्)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)

सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालसौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री पी० ए० (गोबीच टिट्पलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (वेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्रि श्याम, श्रीमती (आवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णूपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सज० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री शिवनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नलान्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम्, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम्, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकारा, श्री इराज्मूद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान (ककीज़ीकांड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसरसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दर, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एस० (मुक्त्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथ, श्री आर० बी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पाल)
स्वैल, श्री जी० के० (स्वायत्तशासी जिला)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदानापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुमर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम श्री, एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हूडा, श्री नूरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० सी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री वसंत साठे

डा० हेनरी ग्रास्टिम

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

श्री नवल किशोर सिंह

मौलाना इसहाक सम्भली

श्री जगन्नाथ राव जोशी

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

मंत्रि-मण्डल के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों की सूची

भारत सरकार

मंत्रि-मण्डल के सदस्य

प्रधानमन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
निर्विभाग मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
रेल मंत्री	श्री एल० एन० मिश्र
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई०
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नगरविमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेडी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मन्त्री

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० सरोजिनी महिषी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री . .	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री वेदव्रत बरूआ
विदेश मंत्रालय में उप मंत्री	श्री विपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री	श्री वी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री . . .	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री जी० वेंकट स्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री .	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 11 नवम्बर, 1974/20 कार्तिक, 1896 (शक)
Monday, November 11, 1974/*Kartika* 20, 1896 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख
Obituary References

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो : मुझे सदन को चार मित्रों, श्री वी० के० कृष्णमेनन, श्री तजामुल हुसैन, श्री भोला नाथ मास्टर और श्री खूब चन्द सोढियां के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री वी० के० कृष्णमेनन जो लोकप्रिय नेता और विश्व प्रसिद्ध राजनयिक थे, वर्तमान लोक सभा के केरल के त्रिवेन्द्रम निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सदस्य थे। उनका निधन 78 वर्ष की आयु में 6 अक्तूबर 1974 को नई दिल्ली में हुआ। वह वर्ष 1957–67 के दौरान दूसरी और तीसरी लोक सभा के तथा वर्ष 1969–70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले 1953–57 में वह राज्य सभा के सदस्य रहे। विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त श्री मेनन में एक अदभुत और दुर्लभ अदम्य राष्ट्रभक्ति और विशिष्ट राजनीति का समन्वय था जिन्होंने आधुनिक कूटनीति को नए चरण दिए। वह बड़े प्रतिभाशाली और कानूनी क्षेत्र में एक चमकते हुए सितारे थे। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वाले श्री कृष्ण मेनन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1927 में शामिल हुए तथा वह इस आन्दोलन को पूरे यूरोप और ब्रिटेन ले गये और इंडिया लीग, लन्दन का गठन किया तथा 1927 से 1947 तक उसके सचिव रहे इस संस्था के द्वारा उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को चलाया और विदेशों में जनता के विचारों में परिवर्तन किया। वह 1947 में इन्डिया लीग के अध्यक्ष बने। बाद में वह 1946–47 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा की लेक सक्सैस में हुई बैठक में भारत के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किये गए। स्वतंत्रता के बाद श्री मेनन लंदन में भारत के पहले हाई कमिश्नर बने और वह इस पद पर 1947–52 के बीच रहे इसके साथ-साथ वह 1942–52 तक आयरलैंड में भी भारत के राजदूत रहे। वे 1953–1962 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता रहे। वहां कश्मीर के संबंध में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने में उनके कार्य को हमेशा याद किया जायेगा। गुट-निरपेक्षता की नीति के जोरदार समर्थन, और जिस खूबी से उन्होंने जातिवाद विरोधी और उपनिवेशवाद-विरोधी हितों को आगे बढ़ाया और अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों को संगठित करने का प्रयास किया इससे बड़ी शक्तियों ने भी स्वयं उनके लिए और हमारे देश के लिए आदर की भावना पैदा की यद्यपि भारत सदस्य भी नहीं था फिर भी जेनेवा सम्मेलन में उन्होंने भारत के विचारों से सबको अवगत कराया। उन्होंने नए स्वतंत्र हुए देशों के हितों की बात को वाणी दी और भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। विश्व के विभिन्न भागों में उनके शान्ति स्थापना के प्रयत्नों ने उन्हें शांति आन्दोलन का एक स्तम्भ बना दिया था।

श्री मेनन 1956 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए तथा 1956–57 तक बिना विभाग के मंत्री रहे तथा 1957–62 के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री का पद संभाला। इस सभा में उनके भाषणों को बड़े आदर और ध्यान से सुना जाता था। सभा पर उन्होंने एक महान संसदविज्ञ का प्रभाव छोड़ा। उनकी मृत्यु से हमने भारत का एक महान सपूत, एक प्राणवान समकालीन नेता को खो दिया है जो हमारे राजनीतिक जीवन और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया है।

श्री तजामुल हुसैन वर्ष 1946–52 के बीच संविधान सभा और अस्थायी संसद के सदस्य थे पहले वह वर्ष 1937–50 के दौरान बिहार विधान सभा के सदस्य थे और उस समय वह विरोधी दल के उप-नेता थे। 1952 में वे राज्य सभा के लिए चुने गये और 1962 तक उसके सदस्य रहे। वह एक प्रसिद्ध वकील, संसदविज्ञ और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे तथा अनेक शिक्षा, धार्मिक और कल्याणकारी संस्थाओं से संबद्ध थे। वह स्टाकहोम में हुए अन्तर्संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। उनका निधन सितम्बर 14, 1974 को अमरीका में हुआ जहां वे इलाज के लिये गये हुए थे।

श्री भोलानाथ मास्टर वर्ष 1967–70 के दौरान चौथी लोक सभा के राजस्थान के अलवर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य। थे इससे पहले वह राजस्थान विधान सभा के 1952 से 1962 तक सदस्य रहे और 1952–54 में राजस्थान सरकार के मंत्री भी रहे। एक कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वह कई सामाजिक संगठनों और सहकारी आन्दोलनों से संबद्ध रहे। उन्होंने रजवाड़ों के विरुद्ध सत्याग्रह किए। श्रमिक जनता के कल्याण में उन्होंने बहुत रुचि ली। उन्होंने हथकरघा के विकास के लिए कार्य किया और खादी के प्रयोग पर बल दिया। उनका निधन 58 वर्ष की आयु में 17 सितम्बर, 1974 को जयपुर में हो गया।

श्री खूब चन्द सोढिया 1952 से 1957 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश में सागर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 30 अक्तूबर 1974 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक कृषक तथा अध्यापक के रूप में उन्होंने किसानों के हित में अत्यधिक रुचि ली और आधुनिक कृषि उपायों को लागू किया।

हमें अपने इन विशिष्ट मित्रों के निधन पर गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि सदन संवेदना संदेश भेजने में मेरे साथ है।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।
The members then stood in silence for a short while.

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० के० कृष्णमेनन की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए इस सदन के सदस्यों को किसी अन्य दिन अवसर दिया जाएगा। समय तथा तिथि के संबंध में आपको बता दिया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, मैंने भारत अमरीका संयुक्त आयोग के गठन से उत्पन्न स्थिति तथा शिलांग की वारदात जिस पर कल की बैठक में चर्चा नहीं की गई, पर चर्चा हेतु प्रश्न काल के निलंबन के लिए नोटिस दिया है।

मंत्रियों का परिचय
Introduction of Ministers

अध्यक्ष महोदय : आप तनिक प्रतीक्षा कीजिये प्रधान मंत्री पहले नए मंत्रियों का परिचय करायेंगी।

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों का नए मंत्रियों से परिचय कराने में प्रसन्नता अनुभव करती हूं। डा० शंकरदयाल शर्मा, केबिनेट स्तर के मंत्री हैं और वह संचार-मंत्री का पद सभालेंगे। श्री चन्द्रजीत यादव, इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर आसीन किए गए हैं। मेरे तीन अन्य सहयोगी जोकि पहले उपमंत्री थे अब

राज्य मंत्री बनाए गए हैं। श्री ए०सी० जार्ज उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में, श्री प्रणब कुमार मुखर्जी वित्त मंत्रालय में तथा श्री मोहम्मद शफी कुरेशी रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। श्री ए०पी० शर्मा भी उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। श्री एच० एम० त्रिवेदी को नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद प्रदान किया गया है। श्री विपिन पाल दास विदेश मंत्रालय में उपमंत्री, श्री ए०के० एम० इस्हाक, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री, श्री सी० पी० मांझी, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री, श्री प्रभुदास पटेल कृषि और सिंचाई मंत्रालय म उपमंत्री, श्री बूटा सिंह रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री बनाए गए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय इससे पहले कि आप प्रश्नों को लें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने नियम 388 के अंतर्गत बिहार में उत्पन्न गंभीर स्थिति के कारण प्रश्न काल के निलंबन हेतु नोटिस दिया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने अनावश्यक हिंसा की कार्रवाई की है और श्री जयप्रकाश नारायण को भी नहीं छोड़ा गया और उन पर भी प्रहार किया गया है। वह दमन की कार्रवाइयों में रत हैं और इस के बारे में लिखित प्रमाण भी हैं कि वह जय प्रकाश नारायण पर प्रहार करना चाहते थे। हम इस मामले पर बहुत उत्तेजित हैं और चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा हेतु प्रश्न काल का निलंबन किया जाये......... **(व्यवधान)**।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका ध्यान अमरीका के साथ किये गए संयुक्त आयोग संबंधी समझौते की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत अमरीका क निजी क्षेत्र के लोग हमारे राष्ट्रीय जीवन के मुख्य क्षेत्रों में प्रभुत्व जमाने जा रहे हैं। श्रीमती गांधी ने देश को अमरीका के हाथों बेच दिया है हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं ..... **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limye : Mr. speaker, Sir : by the promulgation of the ordinance in the wake of the decision of the supreme court regarding election expenses, the Prime Minister has tried to help herself out of the election petition that has been filed against her. It is really shameful. I therefore, submit that the question-hour be suspended and a discussion on my motion regarding this ordinance be taken up forthwith. The Prime Ministe is misusing her powers.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker, Sir I have given a notice to suspend the question-hour because of the serious situation in Bihar. But since you agreed yesterday to have a discussion on the adjournment motion regarding Bihar it was decided that this matter will not be raised. Therefore I am not raising it but if other members are raising this issue, I am also with them.

Shri Madhu Limye : In order to get over the judgment of supreme court, the Government has promulgated an ordinance. This is a shameful example of misuse of power. The Prime Minister has herself admitted in the court that 35 Jeeps were used in connection with her election but the expenses were borne by the congress party. She has promulgated this ordinance to save her own face. I therefore want that question hour be suspended and my motion on this ordinance should taken up forthwith.

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें अपना पद त्याग देना चाहिए। वह औचित्य की बात करती हैं और चुनावों के संबंध में ऐसी बातें सामने आ रही हैं......... **(व्यवधान)**।

....

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को बता दूं कि कल जब हम मिले थे........

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब आपने श्री जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध निंदनीय शब्द कहे थे। आपने कहा था कि "श्री जयप्रकाश ने सभ्रांत और प्रजातंत्रीय व्यवहार के विरुद्ध तरीके अपनाए हैं" हम इस पर अपना रोष प्रकट करते हैं। आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब बातों का उत्तर दूंगा।

कल जब हमने प्रश्न काल के निलंबन बारे में चर्चा की थी तो अधिकांश सदस्यों ने कहा था कि प्रश्न काल रखा जाए आखिर यह आप लोगों का अपना प्रश्न काल ही तो है। इन मामलों को उठाने के लिए आपको पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। मेरे विचार में हमने जो निर्णय कल लिया है उसका हमें पालन करना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने एक-दलीय राज्य के बारे में जो कुछ कहा था उसे देखते हुए हमने निर्णय किया कि हम इस मामले को नहीं उठाएंगे। हम इसे उठा भी नहीं रहे हैं। आपने विशिष्ट रूप से मना किया है कि **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल विरोधी दल के नेताओं को सब बात स्पष्ट कर दी थी। मैंने 6–7 दिनों के दौरान अपने दिए गए भाषणों की छपी हुई प्रतियां भी उन्हें दी। मैंने यही सबक सीखा है कि अध्यक्ष के लिए सामाजिक और क्लब उत्सवों में जाना भी खतरे से खाली नहीं है मुझे केवल सदन में ही नहीं उससे बाहर भी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि संसदीय मामलों या राजनीतिक मामलों के विषय में मैं अपनी पत्नी तक से बात नहीं करूंगा। क्या जाने कोई प्रैस वाला तकिए या चारपाई के नीचे छिपा बैठा हो।. रोटरी क्लब में सामान्यत: प्रैस वालों को नहीं बुलाया जाता। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बन्द कमरे में होता है फिर भी मेरे नाम से ऐसी बातें कही जा रही हैं जो सर्वथा गलत हैं और मैंने विरोधी दल के नेताओं को यह स्पष्ट बता दिया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के संबंध में की गई टिप्पणी के बारे में आप का क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आन्दोलन के बारे में कुछ नहीं कहा था। केवल डराने-धमकाने के संबंध में मैंने यह कहा था यदि यह किसी एक व्यक्ति के मामले में किया जा सकता है तो सामूहिक मामले का क्या होगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस संबंध में मैं आप का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर 1974 के "हिन्दुस्तान टाइम्ज" की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने आपके भाषण का उल्लेख किया है और सचिवालय द्वारा प्रैस को दी आप के भाषण की प्रतिलिपि छापी गई है।

अध्यक्ष : महोदय : मैंने अपने सचिवालय से पूछा है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : समाचारपत्र यह रहा...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रतिलिपि देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब मैं कहता हूं कि नहीं दी गई तो इसका मतलब नहीं दी गई। मैं किसी प्रैस रिपोर्टर से नहीं मिला। न ही मैंने किसी प्रैस बैठक में भाग लिया और न ही मैंने प्रैस को कुछ जारी किया। मेरे भाषण छपे हुए हैं। इस बारे में मैंने कल भी आपको बताया था यदि मैंने किसी क्लब में या अपने घर में कुछ कहा है और वह बाहर फ़ैल जाता है तो मेरा यह कर्तव्य है मैं इसका खण्डन करूं। यही बात मैंने कल भी आपको स्पष्ट की थी। मेरे विचार में इतना पर्याप्त है। मैंने अपने सचिव से सुबह इस बारे में पूछा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानता शायद शिलांग में किसी ने किया होगा पर मेरे सचिवालय ने नहीं किया है।

श्री समर गुह : आपने श्री जयप्रकाश नारायण के संबंध में जो कुछ कहा है उस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। चाहे आपने उदाहरण के तौर पर ही......

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्ट कर ही दिया है।

श्री समर गुह : किन्तु यह निंदनीय था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई निंदनीय बात नहीं कही और न ही एसी मेरी भावना थी। मैं उनका आदर करता हूं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। दो बैठकों में मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे इस बारे में अपने विचार बताने के लिए कहा दुर्भाग्यवश मैंने उनका नाम लिया मैंने सिर्फ यहीं कहा कि यह अच्छा नहीं लगता............. **(व्यवधान)** श्री काकोडकर।

Shri Madhu Limaye : What happened to my motion.

M . Speaker : It is question hour now. We will see to it later.

मुझे कई मित्रों ने सम्मेलन में कहा था कि प्रश्न काल के दौरान अधिकाधिक प्रश्नों को निपटाया जाना चाहिए अत: सत्र के आरंभ में मेरा माननीय सदस्यों से निवदन है कि वह प्रश्न पूछें और भाषण न दें।

श्री काकोडकर :

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्य सहायता

*1 **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री एम० एम०जोजफ :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से भारत को खाद्य सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में संयुक्त राज्य अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य खाद्यान्न अधिशेष निर्यातक देशों की सरकारों से यह बताने के लिए अनुरोध किया गया है कि वे भारत को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा और किन शर्तों पर उपलब्ध कर सकते हैं। इन देशों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम अनुरोध कब किया गया था और क्या उसे दोहराया गया था यदि हां तो उसे दोहराने का क्या कारण था और अंतिम अनुरोध कब किया गया था ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे पास तिथि-वार जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु हाल ही में हमने संयुक्त राज्य अमरीका सरकार से इस बात की संम्भायता का पता लगाने का अनुरोध किया है कि वह भारत को कितनी मात्रा में और किन शर्तों पर खाद्यान्न उपलब्ध कर सकते हैं। जैसाकि मैंने कहा कि अभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर: हमें पहले भी संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं अब क्या शर्तों के संबंध में कुछ कठिनाई है ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह तो संयुक्त राज्य अमरीका प्रशासन पर निर्भर करता है। हमने उन्हें केवल सुझाव दिया है कि हमारी रूचि केवल उनसे खाद्यान्न मंगाने की है और हम यह जानना चाहते हैं कि वह किन शर्तों पर कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं। उनकी तरफ से अभी कोई विशिष्ट उत्तर नहीं मिला है। आज हमारी राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि हमें सभी खाद्यान्न अधिशेष निर्यातक देशों से ऐसी संभावना का पता लगाने की आवश्यकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रियायती दरों पर खाद्यान्न आयात किया जा रहा है और क्या मिस्र के माडल पर स्थगित भुगतान पद्धति पर आधारित पी० एल० 480 टाइटल I को पुनः लागू किया जा रहा है और उनकी श्री किसिंजर के साथ हुई वार्ता का सार क्या है तथा कितना खाद्यान्न संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किया जाएगा और किन शर्तों पर ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में तो मैंने यही बताया है कि उसने हमारे अनुरोध का अभी तक विशिष्ट रूप से कोई उत्तर नहीं दिया है अतः इन पारस्थितियों में उनकी शर्तों के बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कई प्रश्न पूछे हैं : क्या बातचीत के दौरान स्थगित भुगतान के आधार पर मिस्र के अनुरूप ही पी० एल० 480 टाईटल 'एक' जैसी किसी रियायती आयात की बात भी उठाई गई थी और डा० हैनरी किसिंजर के साथ किसी विषय पर बातचीत की गई ? प्रश्नों के अधूरे उत्तर देने का यह प्रयास आप पहले ही दिन से मत आरम्भ कर दीजिए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खाद्यान्न सहायता के लिए हम पहले ही कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और ब्रिटेन से अनुरोध कर चुके हैं। इन चारों देशों ने अपनी अपनी पेशकश की है और हमें कुछ खाद्यान्न भी दिए हैं। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध है, उसने अभी तक इस प्रकार की कोई पेशकश नहीं की है। उनके कुछ अपने

नियम हैं तथा माननीय सदस्य महोदय उनके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वह पी०एल० 480 के टाईटल 'एक' के अन्तर्गत होंगे या टाईटल 'दो' के ? परन्तु जब तक वह पेशकश न करें, तब तक इसके बारे में कुछ कह पाना कठिन है। जो कुछ भी हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा, हम उसी पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : डा० हैनरी किसिंजर के साथ किस विषय पर बातचीत की गई ? मन्त्री महोदय इस प्रश्न को टालने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं ? अमेरिका से आयात किए जाने वाले खाद्यान्नों के बारे में वह हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं ? मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने का निदेश दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। इसे जारी मत रखिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे जारी नहीं रखता, परन्तु उन्हें उत्तर तो देना चाहिए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब हैनरी किसिंजर द्वारा भारत की यात्रा की गई तो उस समय भारत तथा अमेरिका सरकार के बीच होने वाली बातचीत में यह विषय विशिष्ट रूप से नहीं आया था। परन्तु बातचीत के दौरान यह विषय भी बीच में आ गया और हमने अपनी पहले वाली बात दोहरा दी कि हम अमेरिका से खाद्यान्न प्राप्त करने के इच्छुक हैं। परन्तु इसकी कोई विशिष्ट पेशकश नहीं की गई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप संयुक्त राज्य के बहु राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से 10 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। शिन्दे साहिब, आप यह बात हम से छिपा क्यों रहे हैं ?

श्री रामसहाय पांडे : जहां तक खाद्यान्नों के आयात का प्रश्न है, क्या इसके बारे में यह सही नहीं है कि मंत्री महोदय के अनुसार जिन देशों से अनुरोध किया गया, उन देशों ने बताया है कि यह अनुरोध काफी विलम्ब से किया गया और तब तक उनके खाद्यान्न भारी मात्रा में अन्य देशों द्वारा खरीदे जा चुके थे तथा उनके मूल्यों में वृद्धि हो गई थी ? क्या यह भी सच है कि खाद्यान्नों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे हुए देशों ने कहा कि "नहीं, हमारे पास स्टाक नहीं है"। क्या आप इसके बारे में बतायेंगे ?

श्री एस० एस० बनर्जी : यह तो स्वयं जानकारी दे रहे हैं।

श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे : सदन को इसकी पूरी जानकारी है कि सम्पूर्ण विश्व में खाद्यान्नों की स्थिति गंभीर है। परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कनाडा, आस्ट्रेलिया, योरूपीय आर्थिक समुदाय और ब्रिटेन आदि देशों ने मिलकर 10 लाख टन खाद्यान्न देने की पेशकश की है और इस में से 3 लाख टन अनुदान के रूप में दिया जा रहा है और शेष 7 लाख टन के बारे में अभी बातचीत चल रही है। कनाडा ने हमें 1,37,000 टन दिया है, आस्ट्रेलिया ने 20,000 टन और ब्रिटेन ने 30,000 टन। हमें इतनी मात्रा दी जा रही है और यह कहना ठीक नहीं है कि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है।

श्री राम सहाय पांडे : मेरा प्रश्न तो बहुत स्पष्ट था। क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में काफी देर से गया और तब तक अन्य देश भारी मात्रा में खाद्यान्न खरीद चुके थे और उनके मूल्य भी बढ़ चुके थे और यही कारण है कि हमें खाद्यान्नों की इतनी मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाई जितनी कि हम चाहते थे क्योंकि खाद्यान्न काफी कम रह गए थे ?

श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे : यह सच नहीं है।

श्री एस० एस० बनर्जी : उठ खड़े हुए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त जी, इस परिपाटी का विकास मैंने किया है।

श्री एस०एम० बनर्जी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मुझे श्री इन्द्रजीत गुप्त के बाद बुला लीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हाल ही में प्रधान मन्त्री तथा नव-नियुक्त कृषि मन्त्री—जोकि इस समय यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं-दोनों ने ही अपने वक्तव्यों में यह बात कही है कि खाद्यान्नों की भारी मात्रा हमारे देश में ही उपलब्ध है, परन्तु इनकी जमाखोरी की गई है और यदि यह खाद्यान्न उपलब्ध हो जायें तो इनसे भारी संख्या में हो रही भुखमरी को कुछ सीमा तक रोका

जा सकता है। इन वक्तव्यों के सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह विश्व मंडी में से कितने खाद्यान्नों का आयात करने जा रहे हैं, क्या इस आयात की कोई सीमा होगी या क्या उन्होंने इस बात का भी कोई अनुमान लगाया है कि गुप्त संसाधनों से कितना खाद्यान्न उपलब्ध हो जायेगा और फिर क्या इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हमें विदेशों से कम से कम कितने खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा ? दूसरे शब्दों में मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशों से कितने खाद्यान्न की मांग की गई है, क्या इसकी कोई सीमा है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : देश में जमाखोरी के विरुद्ध जिस कड़ाई से अब अभियान चलाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि देश में पहले कभी खाद्यान्नों की जमाखोरी के विरुद्ध ऐसी कड़ाई के साथ अभियान नहीं चलाया गया था। आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है और ऐसे मामलों में राज्य सरकारों द्वारा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग भी किया जाता है। जो कुछ भी देश में उपलब्ध है, उसे हम प्राप्त कर लेंगे तथा जो कुछ भी देश के हित में होगा, उसे भी हम करेंगे। सदन को यह मालूम ही है कि जो कुछ भी देश में उपलब्ध है, उसे प्राप्त करने के लिए हम पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी से जो कुछ प्राप्त करना उपेक्षित है, हमें वह भी प्राप्त करना ही चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि इन्होंने उसके कुछ आंकड़े तो तैयार किये ही होंगे। वह आंकड़े क्या हैं ? इसके बाद ही तो वह अमेरिका, कनाडा या किसी भी अन्य देश से आयात के लिए कह सकते हैं, इसके बाद ही तो हमें यह पता चलेगा कि वह हमें कितना खाद्यान्न दे सकते हैं। यह तो एक अलग प्रश्न है। परन्तु हम मंडी में से कितना खाद्यान्न लेने जा रहे हैं ? विदेशों से कम से कम कितने आयात की मांग की गई है ? इसके बारे में क्या अनुमान है हमें कितना खाद्यान्न चाहिए ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम समय समय पर अनुमान लगाते रहते हैं। माननीय सदस्य तथा सदन इस बात से परिचित है कि इस प्राकर के सभी मामलों में हम राष्ट्रीय हित को दृष्टिगत रखते हैं और उसी के अनुरूप कार्य किया जाता है। उदाहरणार्थ, अगर हमारी रबी की फसल अच्छी है, तो फिर हमें खाद्यान्नों का आयात अधिक मात्रा में नहीं करना पड़ता। अतः माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि हमारा अनुमान फसल पर आधारित होता है। समय समय पर स्थिति का अनुमान लगा कर ही अपेक्षित कार्यवाही की जाती है। अतः इस समय विशिष्ट रूप से यह बताना कठिन है कि हमारी मांग कितनी है क्योंकि इसके बारे में तो समय समय पर जायजा लिया जाता है। प्रथम अप्रैल से लेकर गत 7 महीनों में लगभग 26 लाख टन अनाज का आयात किया गया है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या यह सत्य नहीं है कि हमने गत दो वर्षों में सभी देशों की सरकारों को अपनी विषम खाद्यान्न समस्या से अवगत करवाया है और इनमें से केवल सोवियत संघ ही संकट के समय तत्काल हमारी सहायता के लिए तत्पर हुआ है। क्या डा० हैनरी किसिंजर की यात्रा के समय अमेरिका ने इसके बारे में किसी विशेष व्यवस्था की घोषणा की है ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, कि जब सोवियत संघ से हमारे देश के लिए खाद्यान्नों का आयात किया गया, तो उस समय सोवियत संघ द्वारा इसके लिए क्या शर्तें रखी गई ? अब अमेरिका द्वारा इसके सम्बन्ध में क्या शर्तें रखी गई हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अमेरीका की शर्तें आदि बिल्कुल स्पष्ट नहीं हैं और मैं इनकी तुलना नहीं कर पाऊंगा रूस ने हमें कुछ गेहूं बाद में लौटाने के आधार पर दिया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह सत्य नहीं है कि संसद के पिछले सत्र के दौरान मंत्री महोदय द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था कि भविष्य में हम विदेशों से रियायती दरों पर आयात नहीं करेंगे ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आज की परिस्थितियों में भी यह वक्तव्य ठीक उतरता है या नहीं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निर्णय लेने से पूर्व समूचे देश में खाद्यान्नों की स्थिति, विदेशी मुद्रा की स्थिति और राष्ट्रीय हित को दृष्टिगत रखा जाता है। यदि शर्तें हमारे हितों के अनुरूप हों, तो उन्हें स्वीकार करना ही ठीक होता है।

श्रीमती मुकल बनर्जी : मैं यह जानना चाहती हूं कि सोवियत संघ, कनाडा, इत्यादि देशों द्वारा आयात किये जाने वाले खाद्यान्नों की प्रतिशतता की तुलना में भारत द्वारा कितने प्रतिशत खाद्यान्न आयात किया जाता है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये हम अपनी कुल आवश्यकता का 4 से 6 प्रतिशत तक कुल आयात करते हैं अतः वह कुल आवश्यकता का बहुत थोड़ा भाग बनता है। जहां तक अन्य बड़े देशों द्वारा

खाद्यान्नों के आयात का संबंध है वह काफी बड़ी मात्रा में आयात करते हैं परन्तु वह उतने आयात का मूल्य चुकाने में भी समर्थ हैं ।

श्री पी० के० देव : खाद्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद कि एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरने दिया जाएगा, हमें समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि देश में हजारों लोग भूख से मर रहे हैं विशेषकर मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को भूख से मृत्यु हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कब सुधार करेंगे और वितरण प्रणाली को सुचारू बनाएंगे ? हमारे स्टाक में कब तक विदेशी खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएगा ताकि हजारों भूखे लोगों को यह आश्वासन मिल सके कि उन्हें दो वक्त का प्रति दिन भोजन मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत नहीं है। जब इससे संबद्ध प्रश्न आएगा मैं आपको इसे पूछने की अनुमति दे दूंगा ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : आयात निरंतर जारी है और प्रति माह 5-7 लाख टन गेहूं और अन्य खाद्यान्न देश में आ रहे हैं ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पहले भी कई अवसरों पर इस सदन के सदस्यों ने सरकार से जानना चाहा था कि क्या सरकार की बाहर से खाद्यान्न आयात करने की कोई योजना है। अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि तब उन्होंने उतर दिया था कि इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया खाद्यान्नों के आयात के संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब के परिणाम स्वरूप देश भर से हजारों लोगों के भूख से मरने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के आयात के संबंध में उन्होंने कब निर्णय लिया और उन देशों से, जोकि खाद्यान्न जुटा सकते हैं, बातचीत करने में विलम्ब क्यों किया गया जबकि सोवियत संघ और चीन को अमेरिका और कनाडा से खाद्यान्न प्राप्त हो सकते हैं तो भारत को अमेरिका या विश्व के किसी अन्य देश से खाद्यान्न प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ? निर्णय जल्दी न ले पाने अथवा इतनी देर से लेने के क्या कार। हैं ? मैं सरकार से इसका उत्तर चाहता हूं ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों से अनाज खरीद रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों से खरीदे गए अनाज की मात्रा के बारे में हमने सदन को कई बार विश्वास में लिया है। हम अनाज खरीद रहे हैं यद्यपि हमारी विदेशी विनिमय संबंधी स्थिति बहुत कठिन है। इसके बावजूद भी हमने अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों से अनाज खरीदने पर काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय की है पिछले वर्ष हमने चालीस लाख टन से भी अधिक अनाज खरीदा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय लोगों के मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि देश में भूख से मृत्यु, गैर मित्र देशों, जैसे अमेरिका आदि, से खाद्यान्न आयात न करने के कारण हो सकती है ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए. . . . (**व्यवधान**) वह कोई आपके माता-पिता नहीं हैं ।

श्री समर गुह : वह इस उद्देश्य के लिए कहीं और भी जा सकते हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी बात मत कहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : देश में लोगों की भूख से मृत्यु विदेशों से खाद्यान्न का आयात न कर पाने के कारण ही नहीं हो रही है। देश में जमाखोरों से अनाज निकलवा कर इस समस्या को हल किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भूख से मृत्यु रोकने के लिए क्या उपलब्ध खाद्यान्नों का, चाहे वह स्वदेशी उत्पादन है अथवा विदेशों से आयात किया गया है, उचित वितरण किया गया है ? मुझे डा० किसिंजर अथवा किसी अन्य देश की सलाह नहीं चाहिए। हम उन से खाद्यान्न नहीं लेंगे हम अपने देश के सम्मान की रक्षार्थ भारत में उपलब्ध खाद्यान्नों का ही उपयोग करेंगे ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार थोड़े बहुत आयात तथा देश में उपलब्ध खाद्यान्नों का उपयोग करके वर्तमान स्थिति से निपटने का है और साथ ही जमाखोरों के विरुद्ध तथा उचित वितरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार वर्तमान खाद्य स्थिति का सामना करने में पूर्णतया सक्षम है और क्या आतंक की कोई बात नहीं है ? मंत्री महोदय मुझे इसका विशिष्ट रूप से उत्तर दें।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार में आतंक का कोई कारण नहीं है। हम स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। वास्तव में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी हाल ही में कीमतें गिरी हैं (**व्यवधान**) कोई भी इससे राजनीतिक फायदा नहीं उठा रहा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister says that politics should not be dragged into the matter but he himself is bringing it into this . He has given the reply as Mr. Bhagat had wanted it. The hon. Minister says that there is no cause for panic. If it is so, why reports of starvation deaths are coming. I did not want to raise this issue but since it has been raised I want to submit that the Assam Government has said that due to non-availability of nutritious food, more than 400 persons have died. What has the hon. Minister to say in this matter ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भूख से मृत्यु के संबंध में और कई प्रश्न भी हैं और अगर मैं अब उनका जवाब दे दूं तो मैं इस प्रश्न से हट जाऊंगा। मैंने उन प्रश्नों का लिखित उत्तर दे दिया है। हमने राज्य सरकार से इस बारे में पूछा है। मेरा श्री वाजपेयी जी से अनुरोध है कि वह आतंक फ़ैलाने में सहायता न करें। कई अन्तर्राष्ट्रीय तत्व ऐसे हैं जो इस देश में आतंक की भावना फ़ैलाना चाहते हैं।

श्री समर गुह : यह किस प्रकार का उत्तर है जबकि देश में हजारों लोगों की भूख से मृत्यु हो रही है। अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 700 लोगों की भूख से मृत्यु हुई है इस पर मैं सरकार को ललकार सकता हूं। पश्चिम बंगाल भर में 4000–5000 मौतें हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के अध्यक्ष का यह वक्तव्य है और फिर भी वह इसे आतंक कह रहे हैं जबकि हजारों लोग मर रहे हैं ....।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that the foodgrains received from U.S.S.R. was on loan basis which we have to return. At the time of its receipt lot of propaganda was made in the press and radio that the U.S.S.R. has given 20 lakh tonnes of foodgrains in the form of a gift. I want to know how much foodgrains is being imported from America and other countries and on what terms and by when it will arrive India. I also want to know the requirement of the country how much has been collected and how much we are short of.

श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे : अमरीका की मंडी से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खरीदा गया है और वह भारत पहुंच रहा है। यह भावना नहीं होनी चाहिए कि अमरीका से खाद्यान्न खरीदा नहीं जा रहा है। मंडी में वाणिज्यिक आधार पर उन्हें खरीदा जा रहा है।

श्री पीलू मोदी : कितना ?

श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे : मैं आंकड़े भी दे सकता हूं। हमारी कुल खरीद का दो-तिहाई भाग अमरीका से आयेगा। मेरे विचार में सोवियत संघ का प्रश्न इस संदर्भ में संगत नहीं है। उस संबंध में मैंने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I wanted to know the quantity of foodgrains we require how much is being imported and on what terms ?

श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर वाद-विवाद होगा तब मैं आपको अवसर प्रदान करूंगा।

गन्ने का लाभप्रद मूल्य

***2. श्री इसहाक सम्भली :** क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यद्यपि एक वर्ष में चीनी का मूल्य बढ़कर लगभग दुगुना हो गया है, किन्तु गन्ने का मूल्य घट कर आधा रहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों के लिये गन्ने का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार ने 1974–75 के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 8 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8.5 रु० प्रति क्विंटल और अपेक्षाकृत अधिक वसूलियों के लिए मूल्य में तदनुरूप बढोतरी की है। इसके अलावा, एक सांविधिक आदेश से फ़ैक्ट्रियों के लिए यह लाजमी किया गया है कि वे खुले बाजार में मुक्त चीनी की बिक्री से प्राप्त अधिक राशि का 50 प्रतिशत गन्ना उत्पादकों को गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के रूप में अदा करें ।

Shri Ishaque Sambhli : The hon. Minister must be aware of the rapid hike in the price of sugar. Last year when the price of sugar cane was fixed at Rs. 7.45 per quintal the price of sugar was Rs. 2.80 to Rs. 3 a kilo in the open market. Now the sugar-mill owners have increased the price of sugar from Rs. 5.80 to Rs. 6.15 in the open market. They have doubled the price of sugar. The hon. Minister is himself a farmer. He is aware of the difficulties confronting the cane-growers in relation to irrigation, availability of fertilisers and procurement of seeds etc. In these circumstances, the cane-crushers and the sugar institutions have demanded that the price of sugar cane be fixed at Rs. 12.50 per quintal the Kissan Sabha and the sugercane Growers' federation, whose leader Shri D.K. Panda is present here, has demanded that the price of sugar-cane should be fixed between 17 to 25 rupees per quintal.

Mr. Speaker : Please put the question in brief.

Shri Ishaque Sambhli : When the price of sugar has doubled, why Government has fixed the price of sugarcane at Rs. 8.50 per quintal when the mill-owners have offered to pay more than 12 rupees per quintal ? Is Government going to reconsider the fixation of price ?

Shri Shahnwaz Khan : I may point out to the hon. Member that if the Government fixes minimum statutory price it also supplies 70 per cent of levy sugar. The price of levy sugar is Rs. 2-15 per kg. Therefore, it will not be proper to say that since the price of sugar has gone up by 30 per cent, the price of sugar-cane should also be increased. Whatever price Government has fixed is the minimum statutory price. As the hon. member is aware most of the factories pay much more than the fixed minimum price. In western U.P. to which the hon. Member belongs 13 to 25 rupees per quintal was paid for sugar cane. I hope this year the price will be rather more if not less.

Shri Ishaque Sambhli : Is Government aware that the areas around sugar factories are declared reserve areas and the cane-growers in that area cannot sell their produce in the market and are under obligation to sell their produce to the mills in their area ? The Government has fixed the price at Rs. 8.50 per quintal. Is it not a fact that the cane-growers of the reserved area will be compelled to sell their produce at Rs. 8.50 per quintal only? Will Government consider the abolition of reserved area system and the increase in the price of sugar cane ?

Shri Shahnwaz Khan : As I have already stated, in the western districts of U.P., the farmers are getting from 13 to 25 rupees per quintal instead of the fixed price of Rs. 8.50 which is the statutory minimum price. Actually the farmers get more price for their produce. The hon. member will agree with me that it is in the interest of the country that we should increase the production of sugar for distribution within country as well as for export abroad.

Shri Ishaque Sambhli : My question remains unanswered. I wanted to know if the farmers of the reserved areas are under the obligation to sell their produce to the mills in their areas ? Whether they get full price or not ? Will Government consider the abolition of the system of reserved areas ?

Shri Shahnwaz Khan : The factories will have to pay the price of reserved sugar cane at such rates as are agreed to by Government and the mill-owners. They will have to pay 13 to 25 rupees per quintal.

Shri Bibhuti Mishra : Government have fixed the price of sugarcane at Rs. 8.50 per qunital. Thirty per cent of sugar has been released to the mill-owners which they sell at higher rates in the open market. The Government have advised farmers to settle the price with the mill-owners, but there is no possibility of any agreement between them as the farmers will demand more and the Mill-owners will offer less. This tussle has been going on every year. My hon. friend has said that price of sugar has come down. The price has gone down because Government has released more levy sugar and not because of any other reason. The farmers are demanding Rs. 15 per quintal. I want to know if Government propose to settle the price of sugar cane in a joint meeting of the mill-owners and farmers ? If so, when ?

Shri Shahnwaz Khan : The hon. member is himself a progressive farmer and knows a lot about sugar cane. We have fixed the minimum statutory price only to arrest the price of sugar at Rs. 2.15 per kg. For example if we fix a higher price i.e. if we increase one rupee per quintal the price of sugar will go up by ten rupees per quintal. Therefore the price of 70 per cent levy sugar is fixed at that minimum price. The remaining 30 per cent is sold in the market at a higher rate. Therefore, the mill owners can afford to pay more. They can pay to canegrowers between 13 to 25 rupees per quintal instead of the fixed price at Rs. 8.50 per quintal.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ीसा में नये सेन्ट्रल स्कूल खोलना

*3. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष 1975–76 में कोई नये सेन्ट्रल स्कूल खोले जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उड़ीसा में 1975–76 के दौरान कोई नया केन्द्रीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव फिलहाल केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जलशुल्क संबंधी ढांचा

***4. श्री वसंत साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसलों के जलशुल्क ढांचे को युक्ति-युक्त बनाने का कोई प्रस्ताव है ताकि बन रहे 'वाटर लार्डज' के वर्ग को बढ़ने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य विषय है। अतः जल-दरें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

जल-दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं और वे साधारणतः प्रचालन व्यय एवं ब्याज प्रभारों को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अतः जल-दरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किए गये हैं।

राज्यों को खाद्यान्न का अधिक कोटा

***5. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने अपने यहां सूखे की स्थिति के कारण राज्यों के खाद्यान्न कोटे में वृद्धि के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकारों से केन्द्रीय स्टाक से खाद्यान्नों की सप्लाई बढ़ाने के लिए समय समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्य सरकारों/प्रशासनों को प्रत्येक मास खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष/आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

2. गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की सरकारों से सूखे की स्थिति की दृष्टि में आवंटन बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन सभी राज्यों के मामले में नवम्बर, 1974 मास के लिए अधिक आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्यों को अक्तूबर, 1974 के लिए अधिक आवंटन किया गया था और नवम्बर, 1974 के लिए उसी स्तर पर आवंटन किया गया है।

भारत में अमरीकी शैक्षिक प्रतिष्ठान

***6. श्रीमती विभा घोष गोस्वामीः**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत में अमरीकी शैक्षिक प्रतिष्ठान की भारत सरकार के प्रतिनिधियों सहित नियमित रूप से बैठकें होती रही हैं तथा उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक नोट प्रस्तुत किया है और इस प्रकार उसे पुन: सक्रिय बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नोट की विषय वस्तु क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरूल हसन) : (क से (ग) भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान के कार्यों का प्रबन्ध तथा निर्देशन एक निर्देशन बोर्ड के हाथ में है, जिसमें भारत सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। बोर्ड की वर्ष में चार बैठकें होती हैं जैसी कि उसके उप-नियमों में व्यवस्था है, अत: उसे फिर से सक्रिय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई नोट नहीं भेजा है। तथापि, प्रतिष्ठान ने जुलाई, 1962 में आयोग को यह सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय तथा अमरीकी विद्वानों की एक बैठक का आयोजन किया जाए जिसमें फुलब्राइट कार्यक्रमों के अधीन शैक्षिक आदान-प्रदान के प्रश्न पर विचार किया जाये। आयोग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था और बैठक का आयोजन 7 से 10 जनवरी, 1974 तक नई दिल्ली में किया गया था।

Changes in Food Distribution System

***7. Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the outcome of the changes effected sometime back in the food distribution system; and

(b) whether Government propose to make certain further changes in it and if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) The Public distribution system of foodgrains under the State Governments has been in force for many years. The State Governments exercise control and supervision over the fair price shops located within the States. The scope and the extent of the coverage of the public distribution system is periodically subjected to review by the Government. They have been advised from time to time to adopt measures for improving the functioning of the food distribution system.

गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा को अनाज का आवंटन

***8. श्री अनादि चरण दास:**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों को अक्तूबर और नवम्बर 1974 के लिए केन्द्रीय पूल में से कितना-कितना अनाज आवंटित किया गया; और

(ख) क्या इन राज्यों से अधिक मात्रा के आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी हां ।

विवरण

गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा की सरकारों का अक्तूबर और नवम्बर, 1974 के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन ।

(हजार मीटरी टन में)

राज्य		आवंटन	
		अक्तूबर, 1974	नवम्बर, 1974
गुजरात	चावल	2.0	2.0
	गेहूं	42.0	47.0
	मोटे अनाज	33.0	33.0
राजस्थान	गेहूं	12.0	17.0
	मोटे अनाज	18.3	18.3
उड़ीसा	चावल	3.3	--
	गेहूं	20.0	25.0

कूच बिहार रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल पर भुखमरी से हुई मौतें

***9. श्री सरोज मुखर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार रेलवे स्टेशन पर 16 व्यक्तियों की भुखमरी से हुई मौतों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि नये कूच बिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफाम पर इस क्षेत्र में अभी हाल में आई बाढ़ के बाद कुछ निराश्रितों ने शरण ली थी और इनमें से कुछ लोगों की बीमारियों और अपर्याप्त भोजन की वजह से मृत्यु हो गई थी ।

(ख) राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने, कूच बिहार में 23 डाक्टर, 63 सफाई निरीक्षक, राज्य पोषण अधिकारी, एक संक्रामक रोग विज्ञानी और हैजा अनुसंधान केन्द्र से एक विशिष्टरोग –विज्ञान संबंधी अन्वेषण दल को भेजा था। स्थिति नियंत्रण में है । राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में राहत कार्यो और उपयुक्त स्तर पर निःशुल्क आर्थिक सहायता वितरित करने की भी व्यवस्था की है ।

गोलोकगंज (आसाम) में भुखमरी से हुई मौतें

***10. श्री नूरुल हुडा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में आसाम के गोलोकगंज में सैकड़ों व्यक्ति भूख से मर गये थे और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) इस मामले के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने सूचित किया है कि गोलोकगंज कैम्प में भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थास मद्रास का कार्यकरण

11* श्री एस० एन० मिश्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान हुई किस किस प्रकार की अनियमिततायें सरकार के ध्यान में आयी हैं; और

(ग) संस्थान की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विजिटर की हैसियत से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के कार्य तथा प्रगति की जांच करने के लिये मार्च, 1970 में एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1971 में प्रस्तुत की।

(ख) इस अवधि के दौरान किसी भी अनियमितता की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(ग) पुनरीक्षण समिति ने संस्थान के विकास तथा सुधार के लिए सिफारिशें की। प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् ने पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की पुनरीक्षण समितियों की सिफारिशों पर एक साथ विचार किया। परिषद द्वारा स्वीकृत एक कार्रवाई योजना सभी पांचों संस्थानों के पास सितम्बर, 1974 में भेज दी गई थीं।

राज्यों में भुखमरी से मौतें

***12. श्री समर गुह :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, आसाम-उड़ीसा तथा देश के अन्य राज्यों से भुखमरी के कारण हुई असंख्य मौतों का समाचार मिला है;

(ख) क्या शासक दल के पद-धारियों तथा विधान सभा सदस्यों ने इस आशय के वक्तव्य दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के अन्य भागों में भुखमरी के कारण हुई मौतों के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(घ) इन राज्यों में खाद्य संकट से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) किसी भी राज्य सरकार से भुखमरी के कारण हुई मृत्यु की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) शासक पार्टी के कुछ विधायकों तथा पदाधिकारियों द्वारा दिये गये इस आशय के विवरणों की कुछ प्रेस रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इन राज्यों के लिये केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अलाटमेंट बढ़ा दी गयी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों को अनुमति दी गई है कि वे अधिशेष राज्यों से लेवि मुक्त गेहूं खरीद सकते हैं। मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबंधों को पूर्णतः हटाने से अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को मोटा अनाज बे रोक-टोक ले जाया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकारों ने राहत कार्य भी शुरू किये हैं और प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त राहत देने का कार्य भी शुरू कर दिया है।

धान का वसूली मूल्य

*13. श्री डी० के० पंडा :

श्री मान सिंह भौरा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 74 रुपये प्रति क्विटल धान का निर्धारित मूल्य अलाभप्रद है क्योंकि वर्ष 1971–72 (प्रतिनिधि आंकलन वर्ष) की तुलना में वर्ष 1973–74 में लागत मूल्य 50 प्रतिशत बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मोटी किस्म की धान के अधिप्राप्ति मूल्यों, जोकि 1974–75 मौसम के लिए उत्पादन लागत सहित सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर 74 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए थे, में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Demand and Production of Vanaspati

***14. Shri Jagannathrao Joshi :**

Shri R.V. Bade :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the position of demand and supply of Vanaspati in the country during each of the last three years ;

(b) the total production capacity of Vanaspati in the country and percentage thereof remaining unutilised ;

(c) whether complaints about the deterioration in the quality of Vanaspati have come to the notice of the Government and if so, the measures taken to remove them ; and

(d) the reasons for under-utilization of the production capacity and the action being taken to ensure optimum use thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) (in lakh tonnes)

Year	Production	Approx. demand
1971	5.90	5.90
1972	6.02	6.20
1973	4.66	6.50
1974	2.91 (upto October)	5.50

(b) 12.34 lakh tonnes per year; about 72% in 1974 as against about 50% even in normal years;

(c) Complaints in respect of quality are being received once in a way and corrective action is immediately taken. Samples of vanaspati are also being regularly drawn by Government Inspectors and tested for conformity with the prescribed specifications.

(d) The installed capacity of the vanaspati industry is substantially higher than the demand for the product even in normal years. The position during 1974 was aggravated by the non-availability of raw oils at economic prices. With the progressive arrival of the new groundnut crop in the market, the production is expected to improve in the coming months. Efforts are also being made to augment raw oil supplies to the industry through imports and fuller utilization of available resources like cotton seed and rice bran.

गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने की नौकाओं की विदेशों से खरीद

***15. श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974–75 में और उसके बाद सप्लाई किये जाने के लिए गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने की नौकाओं के क्रयादेश अन्य देशों को दिए गए हैं;

(ख) किन-किन देशों को कितनी कितनी नौकाओं के लिए ऐसे क्रयादेश दिए गिए है; और

(ग) किन क्षेत्रों में ऐसी नौकाओं का प्रयोग किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सरकार ने जून, 1973 में सीमित संख्या में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात के लिए एक योजना अधिसूचित की थी। विभिन्न विदेशी जहाजों कारखानों से प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद पोलैण्ड, मेक्सिको तथा इटली से इन नौकाओं को आयात करने का अन्तिम रूप से निर्णय किया गया था। आयात की जाने वाली नौकाओं की अंतिम संख्या नीचे दी गई है :—

पोलैण्ड	10 (23.25 मीटर लम्बी)
मैक्सिको	20 (23.16 मीटर लम्बी)
इटली	20 (24.30 मीटर लम्बी)
	10 (31.95 मीटर लम्बी)

तदनुसार विभिन्न पात्र आवेदकों को अलाटमेंट कर दी गई थी। अब तक वर्ष 1974–75 के दौरान विदेशी शिपयार्डों और भारतीय खरीददारों (अर्थात् राज्य मीन उद्योग निगमों, कम्पनियों और व्यक्ति विशेष) के मध्य समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जिनके अनुसार इटली से 24.30 मी० लम्बी 11 नौकाएं और 31.95 मी० लम्बी 6 नौकाएं और मैक्सिको से 23.16 मी० लम्बी 9 नौकायें आयात की जायेंगी। अभी पोलैण्ड से नौकायें आयात करने के प्रबन्ध पूरे नहीं हुए हैं। शेष नौकाओं (जिनमें पोलैण्ड से आयात होने वाली नौकायें भी शामिल हैं) के लिए भारतीय पार्टियों और विदेशी शिपयार्डों के प्राधिकारियों के बीच समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जायेंगे।

(ग) ये नौकायें कलकत्ता, पारादीप, विशाखापटनम मद्रास, टूटीकोरिन, कोचीन, मंगलौर और बम्बई आदि—विभिन्न बन्दरगाहों से (छोटी यंत्रीकृत तथा गैर–यंत्रीकृत नौकाओं की परिचालन सीमा से बाहर के समुद्र में) पूर्वी तथा पश्चिम तट पर चलाई जायेंगी।

पंजाब और आन्ध्र प्रदेश से उड़ीसा के लिए चावल

***16. श्री गजाधर माझी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पंजाब से हुए करार के अनुसार 3,360 टन 'लेवी' चावल प्राप्त करने में केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने आन्ध्र प्रदेश से चावल प्राप्त करने के बारे में भी केन्द्र सरकार की सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उड़ीसा सरकार ने पंजाब से 4000 मीटरी टन बासमती चावल लेने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी थी। पंजाब सरकार यह चावल राज्य से राज्य के आधार पर देने के लिये सहमत थी।

(ख) जी हां।

(ग) पंजाब सरकार को राज्य से राज्य के आधार पर उड़ीसा सरकार को पंजाब से 4000 मीटरी टन बासमती चावल सप्लाई करने की इजाजत दी गई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार उड़ीसा सरकार को सप्लाई करने के लिए अतिरिक्त 5 हजार मीटरी टन धान देने के लिए सहमत हो गयी थी और तदनुसार उस सरकार को यह मात्रा आवंटित कर दी गई थी।

8 Lok Sabha/74—6

विकासशील आदिवासी क्षेत्रों में आदर्श निवास क्षेत्र बनाने हेतु नक्शे तैयार करना

***17. श्री पी० एम० सईद :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्रुत गति से हो रहे उद्योगीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण देश के अनेक जन-जाति क्षेत्रों में नये विकास केन्द्र बन रहे हैं ; और

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा अपने 21वें प्रतिवेदन में की गई इस सिफारिश पर, क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है कि यदि इन नये विकास केन्द्रों का उपयुक्त ढंग से विकास किया जाए तो ये आदर्श ग्राम और कस्बे सिद्ध हो सकते हैं और कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन को राज्य आवास विभागों के साथ परामर्श करके ऐसे आदर्श निवास क्षेत्रों के लिये नक्शे तैयार करने चाहिएं जिनमें सामान्य क्षेत्र से मूल सुविधायें उपलब्ध हों ताकि भविष्य में गन्दी बस्तियां न बनें ?

निमार्ण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

उच्च शिक्षा वाले संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण

***18. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पद-मुक्त अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि उच्च शिक्षा वाले संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान आरक्षित करने की वर्तमान पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये और इसके स्थान पर सुधारात्मक पाठ्य-क्रम चालू किए जाने चाहिए जिन के द्वारा उन्हें इन संस्थानों में प्रवेश दिलाने हेतु तैयार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले अध्यक्ष ने अपना कार्यभार त्यागने के बाद अपनी निजी हैसियत से प्रेस को कुछ ध्यान दिया था जिसकी जानकारी सरकार को प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से हुई ।

(ख) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थानों के आरक्षण की नीति में परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गेहूं की बुवाई के लिए बिजली, डीजल और पानी की सप्लाई

***19. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का मंत्रालय अक्तूबर और नवम्बर, 1974 में उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई के लिए डीजल और पानी की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु इन के युक्तिसंगत प्रयोग की कोई योजना चला रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या परिणाम प्राप्त होंगे ; और

(ग) क्या सरकार दक्षिणी राज्यों को भी ऐसी ही सहायता देने पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । गेहूं की बुवाई के लिए उत्तर पश्चिमी राज्यों को बिजली की सप्लाई नियमित रूप से करने और बिजली पैदा करने वाले केन्द्रीय स्टेशनों से अधिकतम विद्युत सप्लाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं । राज्य सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई के प्रयोजनों के लिए बिजली की सप्लाई कर रहे हैं । उत्तरी-पश्चिमी अंचल में गेहूं की बुवाई के लिए समय पर डीजल आयल और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के भी उपाय किए जा रहे हैं ।

(ख) आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप गेहूं के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र तथा गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत क्षेत्रों में भारी बढ़ोतरी हो जायेगी।

(ग) जी हां। दक्षिणी राज्यों में भी कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली, डीजल आयल और सिंचाई-जल की समय पर उपलब्धि सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं।

जवाहर लाल नेहरू इंस्टीच्यूट आफ फिज़ीकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन के कार्यकरण सम्बन्धी समिति

***20. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीच्यूट ऑफ फिजीकल मेडीसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन के कार्यकरण तथा वहां रहने वालों के साथ किये जाने वाले व्यवहार की जांच के संबंध में कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या इंस्टीच्यूट के कुप्रबन्ध तथा वहां रहने वालों के साथ किये जाने वाले कथित निर्दयतापूर्ण व्यवहार के बारे में प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रों में लेखों तथा संपादक के नाम पत्रों द्वारा लगातार किये जा रहे प्रचार को ध्यान में रखते हुए सरकार इंस्टीच्यूट को अपने अधिकार में लेने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार इंस्टीच्यूट में हो रही वर्तमान बुराई को किस प्रकार दूर करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आरोपों तथा प्रति आरोपों के बावजूद सरकार ने सिद्धांत रूप से संस्थानों के इस समूह को अपने अधिकार में लेने का निर्णय ले लिया है। अपंग तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता संबंधी परिषद् जो संस्थायें पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक पंजीकृत संस्था के रूप में इन संस्थानों का नियंत्रण करती है, के साथ ब्यौरे के संबंध में बातचीत की जा रही है।

खाद्यान उत्पादन में वृद्धि करने के लिए धन-राशि

1. श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

श्री प्रबोध चन्द्र:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकारों ने अधिक धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति

2. श्री राम सहाय पांडे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गम्भीर और भारी अकाल की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां स्थिति का मौके पर अनुमान लगाने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है ;

(ग) क्या इस दल ने कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) इस वर्ष देरी से तथा अनियमित मानसून के कारण मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है।

(ख) तथा (ग) जी हां।

(घ) इस दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न जोनों के लिए चीनी क परिवर्तन शुल्क तथा फैक्ट्री बाह्य मूल्यों का संशोधन

3. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969–70 से 1971–72 तक के तीन वर्षों के लिये विभिन्न जोनों के लिए अनुमानित उचित परिवर्तन शुल्क तथा फैक्टरी बाह्य मूल्यों का संशोधन कर लिया गया है जैसा कि चीनी जांच आयोग ने सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो देश में इन सभी जोनों के बारे में, जोन-वार जानकारी क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) 1969–70 से 1971–72 तक के तीन वर्षों हेतु विभिन्न जोनों के लिये चीनी के उचित निकासी मूल्य, टैरिफ आयोग, 1969 की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, न कि चीनी जांच आयोग, 1965 के अनुसार किए गए हैं।

(ख) तीनों वर्षों के दौरान विभिन्न जोनों के लिये सांविधिक रूप से निर्धारित लेवी चीनी के निकासी मूल्य को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जोन/क्षेत्र	के लिए मूल्य		
	1969—70	1970—71	1971–72
1. पंजाब	134.02	134.02	145.71
2. हरियाणा	124.63	124.63	125.74
3. राजस्थान	144.03	144.03	168.23
4. पश्चिमी उ०प्र०	126.92	126.92	133.55
5. मध्य उ० प्र०	125.34	125.34	136.02
6. पूर्वी उ० प्र०	126.40	126.40	146.34
7. उत्तरी बिहार	128.67	128.67	155.55
8. दक्षिणी बिहार	147.86	147.86	—
9. गुजरात	119.16	119.16	123.74
10. मध्य प्रदेश	157.88	157.88	182.92
11. महाराष्ट्र	117.60	117.60	124.95
12. कर्नाटक	129.57	129.57	124.25
13. आन्ध्र प्रदेश	122.30	122.30	121.97
14. तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	135.09	135.09	133.16
15. उड़ीसा	129.67	129.67	152.13
16. असम	129.67	129.67	152.13
17. प० बंगाल	129.67	129.67	152.13
18. केरल	129.67	129.67	152.13
19. नागालैण्ड	—	—	—

नोट :—चीनी पर 25 मई, 71 और 30 जून, 72 के बीच कोई सांविधिक मूल्य नियंत्रण नहीं था।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध तथा दूध-उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

4. श्री धामनकर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जा रहे दूध तथा दूध-उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है और सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जा रहे दूध तथा दूध-उत्पादों के मूल्यों में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और अभी इस संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

पंजाब सरकार के खर्च पर राष्ट्रीय हाकी दल का प्रशिक्षण

5. श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा :

श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेहरान में हाकी के घटिया स्तर को देखते हुए पंजाब सरकार ने आगामी विश्व कप तथा ओलम्पिक के लिए राष्ट्रीय हाकी दल के प्रशिक्षण का दायित्व पूरी तरह राज्य के खर्चे पर करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब सरकार ने विश्व कप हाकी टूर्नामेंट 1975 तथा ओलम्पिक खेल 1976 के लिए राष्ट्रीय हाकी टीम को प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। पंजाब सरकार की तथा कथित पेशकश में इस टीम के प्रशिक्षण तथा भारत तथा विदेशों में भ्रमण का पूरा व्यय वहन करने की जिम्मेदारी शामिल है। यह पेशकश अभी तक भारत सरकार को नहीं भेजी गई है।

(ख) पंजाब सरकार से पेशकश के प्रमाणित ब्यौरे मिलने पर, जिन्हें उनसे भेजने का अनुरोध किया गया है, सरकार उनके निहिताओं की जांच करेगी ।

राजस्थान के सूखे से प्रभावित व्यक्तियों का पाकिस्तान चला जाना

6. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के सूखे से प्रभावित सैकड़ों परिवार भुखमरी से बचने के लिये पाकिस्तान चले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमावर्ती क्षेत्रों के ऐसे इलाकों को इस संदर्भ में अब खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई का आश्वासन दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Distribution of books by Central Hindi Directorate amongst Non-Hindi States

7. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Hindi books are purchased by Central Hindi Directorate for distribution among the non-Hindi speaking States;

(b) if so, the value of the books purchased during the last three years and the names of the States among which they were distributed; and

(c) the names of the Hindi books of non-Hindi speaking authors purchased ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) Hindi Books worth Rs. 6,81,362.00 were purchased during the last three years i.e. 1971-72, 1972-73 and 1973-74. These books were distributed among institutions located in the States of Assam, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujrat, Punjab, Jammu & Kashmir, Manipur, Tripura, Nagaland and Meghalaya.

(c) A list of such Hindi books by authors from non-Hindi Speaking States is attached. **[Placed in Library.** *See* **No. L.T. 8439/74]**

राजस्थान में निम्न आय के समूह के लोगों के लिये मकान

8. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निम्न आय समूह के लोगों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और

(ख) क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मकानों का निर्माण करने के लिए कोई समय सूची बनाई गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राजस्थान सरकार से अब तक प्राप्त प्रगति विवरणों के अनुसार, राज्य सरकार ने निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन 12053 मकान बनाए हैं।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय ने ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम पहले से ही बनाई हुई है जोकि राज्य क्षेत्र में है तथा जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान सरकार ने इस योजना के अधीन अब तक 3125 मकान बनाए हैं।

Distribution of Ration in Delhi and Gujarat

9. Shri B.S. Chowhan : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the places in Delhi and Gujarat where Government have made arrangements for distribution of ration through fair price shops indicating the mode thereof ;

(b) the per unit quantity of ration being supplied to the consumers by these shops in these States separately; and

(c) the reasons for this difference in the per unit quantity of ration being supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Distribution of foodgrains is being made by the State Government through fair price shops at fixed prices in the entire State of Gujarat and Union Territory of Delhi.

(b) the quantum of foodgrains distributed through fair price shops is indicated below :—

Delhi : 4.250 Kgs. per cereal unit per month.

Gujarat : Minimum 2½ Kgs. and maximum 7 kgs. of wheat and coarse grains and 150 grams of rice per head per month being supplied to vulnerable sections while 8 Kgs. of wheat and coarse grains and 150 grams of rice per head being supplied to labourers employed at scarcity works.

(c) Supplies from fair price shops are intended to supplement the availability in the open market. Since the supplies, particularly the per capita availability in the open market vary from State to State and region to region within a State as well as rural and urban areas. it is left to the discretion of the State Governments to determine the quantum of issues depending upon local conditions.

पंचायत वित्त निगम

10. श्री के० मालन्ना : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने कुटीर तथा ग्रामोद्योग का विकास करने और सामान्य रोजगार में वृद्धि करने के लिये पंचायत वित्त निगमों का गठन का सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या यह सुझाव दिया गया है कि हैदराबाद स्थित केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान से अनुरोध किया जाए कि वह विभिन्न राज्यों में ग्रामीण युवा संगठन तथा अन्य ग्रामीण युवा संगठनों के कार्य का अध्ययन करे तथा राज्यों के पंचायत अधिनियम में आदर्श उपबन्ध शामिल करने के बारे में सुझाव दें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने पंचायती राज के कार्य की समीक्षा करने तथा उनको शीघ्र सप्लाई, क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, पंचायती राज सैल की कार्य समिति ने अभी-अभी सितम्बर, 1974 में एक सुझाव दिया है ।

(ख) जी हां । राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान को आवश्यक अध्ययन आरम्भ करने के लिए लिखा जा रहा है ।

(ग) पंचायत राज राज्य का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा इसकी समय-समय पर निरंतर समीक्षा की जाती रहती है । महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे कुछ राज्य अपने यहां पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की उच्चाधिकार-प्राप्त समितियों द्वारा समीक्षा करा चुके हैं ।

केन्द्र में सामुदायिक विकास और पंचायती राज सलाहकार परिषद गठित की गई है । केन्द्रीय कृषि तथा सिंचाई मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और पांच संसद सदस्यों तथा सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज में रुचि रखने वाले कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों के सामुदायिक विकास और पंचायती राज के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं । इस परिषद के प्रमुख कार्य, पर्याप्त संसाधन तथा जन-सहयोग आदि प्राप्त कराने के उपायों के बारे में केन्द्र तथा राज्यों को सलाह देने के अतिरिक्त, सामुदायिक विकास और पंचायती राज के कार्यान्वियन में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और उसमें सुधार करने के लिये उपायों की सिफारिश करना है । सामुदायिक विकास और पंचायती राज सलाहकार परिषद की 6–2–74 को हुई बैठक की सिफारिश के परिणामस्वरूप, सलाहकार परिषद के वर्तमान सदस्यों में से तीन व्यक्तियों की एक छोटी समिति गठित की गई है, जो राज्यों में जाकर यह देखेगी कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज के कार्यक्रमों को किस ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है और एक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके साथ सुधार के लिये अपने सुझाव भी देगी ।

सामुदायिक विकास और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन दिसम्बर, 1974 में किसी समय बुलाने का भी विचार है ।

सेक्टर 'डी' मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में पार्क बनाना

11. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के सैक्टर 'डी' क्षेत्र में एक पेट्रोल पम्प का निर्माण करने की बजाय एक पार्क विकसित करने के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है क्योंकि वहां कोई पार्क नहीं है ;

(ख) क्या दयानंद माडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, मंदिर मार्ग, नयी दिल्ली की प्रिंसिपल तथा इस क्षेत्र के निवासियों ने इस पेट्रोल पम्प का निर्माण करने का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां

(ग) मन्दिर मार्ग के०डी०आई० जेड० क्षेत्र में पेट्रोल पम्प के निर्माण विरुद्ध दयानन्द माडल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा उस क्षेत्र के निवासियों के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था परन्तु उनके अनुरोधों को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया था।

गुजरात में छोटे किसानों के लिए सिंचाई योजनायें

12. श्री डी०डी० देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में गुजरात राज्य में छोटे किसानों की सहायता करने के लिये सिंचाई परियोजनाओं की कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है; और

(ग) इस व्यवस्था से गुजरात राज्य के किस-किन नगरों तथा जिलों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) छोटे किसानों के लिये प्रारम्भ किए गए लघु सिंचाई कार्यक्रम यह है :—

(1) छोटे किसानों के लिए विकास अभिकरण (एस०एफ०डी०ए०) और (2) उपांतिक किसान और कृषि-मजदूर विकास अभिकरण (एम०एफ०ए०एल०)। इन स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों के लिये कोई योजना-वार प्रावधान नहीं किया जाता है।

इन स्कीमों के अन्तर्गत गुजरात के विभिन्न जिलों में 1974–75 वर्ष के लिये रखी गई राशि निम्न प्रकार है :–

जिला	कार्यक्रम	राशि (लाख रुपयों में)
1. साबरकन्ठा	एस०एफ०डी०ए०	16.00
2. सूरत	एस०एफ०डी०ए०	2.00
3. जूनागढ़	एस०एफ०डी०ए०	20.30
4. वलसाद	एम०एफ०ए०एल०	1.95
5. बड़ौदा	एम०एफ०ए०एल०	5.65

गुजरात सरकार के 1974–75 के बजट में सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों को लघु सिंचाई में निवेशों में सहायता देने के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बृहत् मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के सामान्य कार्यक्रम से भी छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होंगे।

नदी जल पर भारत-बंगलादेश वार्ता

13. श्री वेकारिया :

श्री डो०पी० जदेजा ;

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल के उपयोग के बारे में बंगलादेश के साथ हुई हाल की वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) जल के उपयोग के संबंध में बंगलादेश के साथ हाल में कोई वार्ता नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में निम्न आय समूह के लोगों के लिए मकान

14. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में निम्न आय समूह के लोगों के लिए अक्टूबर, 1974 तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से अमृतसर में भी ऐसे मकान बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पंजाब सरकार से अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर, निम्न आय वर्ग आवास योजना, औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना तथा गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत, 33,200 मकानों का निर्माण किया गया है।

(ख) तथा (ग) दो आवास योजनायें पहले ही चल रही हैं :—

(i) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना जिनके अन्तर्गत पंजाब सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संबंधी तथा आवास-स्थल कार्यक्रम आरम्भ कर सकती है। दोनों ही योजनायें राज्य क्षेत्र में हैं। सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए जिस में ग्रामीण आवास शामिल हैं, राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये जिस में ग्रामीण आवास शामिल है, उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के वार्षिक प्लान नियतनों में पृथक तथा विशिष्ट निधियां निर्धारित की जाती हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1974–75 वर्ष के लिये पंजाब के लिये 15 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

2. पंजाब सरकार से अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत, 1258 मकानों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार की तीन परियोजनाएं, जिन में अमृतसर जिले में 12082 आवास स्थलों की व्यवस्था करने की योजना है. निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई थीं, इन में से राज्य सरकार द्वारा 3547 आवास स्थल विकसित कर लिये जाने की सूचना मिली है।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और संगीत नाटक अकादमी के बीच संबंध

15. **श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के साथ काम करने के संबंध में कोई विवाद था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दोनों के आपसी संबंधों के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नाटक स्कूल के निदेशक से, जो रचनात्मक स्वरूप से अपने को संयत अनुभव कर रहे थे, संगीत

नाटक अकादमी द्वारा अपने त्यागपत्र पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया था। फलस्वरूप, उन्होंने अकादमी को सूचित किया कि वह अपने पद पर बने रह सकते हैं बशर्ते कि स्कूल के संबंध में खोसला समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए।

(ग) राष्ट्रीय नाटक स्कूल के निदेशक और सरकार तथा अकादमी के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, अकादमी राष्ट्रीय नाटक स्कूल के संचालन के लिये एक अलग सोसायटी गठित करने की एक योजना पर विचार कर रही है जिसमें अकादमी का अध्यक्ष सोसायटी का पदेन अध्यक्ष तथा अकादमी के चार अन्य सदस्य पदेन सदस्य होंगे, स्कूल को चलायेंगे। अकादमी द्वारा इस संबंध में औपचारिक निर्णय लिये जाने के पश्चात् नई सोसायटी को पंजीकृत करा दिया जाएगा।

केरल हिन्दी प्रचार सभा को वित्तीय कठिनाइयां

16. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल हिन्दी प्रचार सभा को वित्तीय कठिनाइयों तथा इसके विभिन्न कार्यक्रमों के लिये सरकार द्वारा सामान्य सहायता अनुदान की मंजूरी न देने के कारण इस संस्था को बंद होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 के लिए सहायता अनुदान की मंजूरी न देने के क्या कारण हैं और इस संस्था को इसकी वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) सभा के सचिव ने सरकार को सूचित किया है कि सभा के सम्मुख आर्थिक कठिनाइयां हैं। किन्तु सभा को उसके विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय से नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिल रही है और सरकार ने 1974-75 के वर्तमान वित्त वर्ष के लिये उसे 13800 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है जैसा कि 1973-74 के पिछले वित्त वर्ष में किया गया था।

उत्तरी क्षेत्र में चीनी का उत्पादन

17. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम होगा; और

(ख) यदि हां, तो उन चीनी कारखानों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जो निर्यात योग्य चीनी का उत्पादन नहीं कर रही हैं और पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादन कर रही हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाजखान) : (क) उद्योग के मौजूदा अगेती अनुमानों से विदित होता है कि इस वर्ष उत्तरी क्षेत्र में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से कुछ कम हो सकता है।

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1973-74 में अधिक चीनी उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में छूट देने की अधिसूचना निकाली है। राज्य सरकार से भी कई उपाय करने के लिए कहा गया है जैसे कि चीनी फ़ैक्ट्रियों को गन्ने का अधिक मूल्य देने के लिये कहना, गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान करवाना, खंडसारी यूनिटों और शक्ति चालित कोल्हुओं के कार्यचालन पर प्रतिबन्ध लगाना और इससे चीनी का उत्पादन बढ़ाना। मिलों में हमेशा विहित आई०एस०एस०ग्रेड निदिष्टियों के अनुरूप चीनी का उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। इन में निर्यात की जाने वाली चीनी भी सम्मिलित होती है।

दिल्ली के अध्यापकों द्वारा भूख हड़ताल

18. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अध्यापकों ने टाउन हाल, दिल्ली के सामने सितम्बर के महीने में भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी किस मांग को स्वीकार किया गया हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

अध्यापक कल्याण कांग्रेस तथा नगर निगम अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित तारीखों को भूख हड़ताल की थी :—

अध्यापक कल्याण कांग्रेस	19–9–74	से	3–11–74	तक
नगर निगम अध्यापक संघ	23–9–74	से	1–10–74	तक

दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इन संघों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में मांगे पेश की गई थीं । उनके द्वारा की गई मुख्य मुख्य मांगे इस प्रकार हैं :—

1. सीधी भर्ती के लिए पहले से ही तैयार किए गए पैनल को रद्द करके स्कूल निरीक्षक (शारीरिक) के पदों पर, अपेक्षित योग्यतायें रखने वाले नगर निगम के सेवाधीन अध्यापकों को वरीयता के आधार पर पदोन्नत किया जाए ।
2. उन अध्यापकों की सूची, जिन्हें आज तक की तिथि तक सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना है, शीघ्र ही घोषित की जाये ।
3. उन सभी अध्यापकों को स्थायी किया जाये, जिन्हें सेवा में दो साल हो गये हैं ।
4. दिल्ली नगर निगम द्वारा एक ऐसा संकल्प पारित किया जाना चाहिये कि वरिष्ठ मुख्याध्यापकों/मुख्याध्यापिकाओं को उनसे अवर मुख्याध्यापकों/मुख्याध्यापिकाओं की अपेक्षा कम वेतन नहीं मिलेगा ।
5. नगर निगम के अध्यापकों का वेतन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया जाये ।
6. नर्सरी अध्यापकों के लिए सलेक्शन ग्रेड के संबंध में अविलम्ब निर्णय किया जाये ।
7. ऐसे भर्ती नियम बनाए जाने चाहिए कि दिल्ली नगर निगम के सभी नर्सरी स्कूलों के प्रमुखों के रूप में केवल वरिष्ठ नर्सरी अध्यापक ही पदोन्नत किये जायेंगे ।
8. अध्यापकों की काडर वार और विषय वार वरीयता सूची निकाली जाये ।
9. प्रत्येक अध्यापक की सेवा नियुक्ति की तिथि से पूर्व उस की ग्रेच्यूटी तथा जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाये ।
10. अध्यापकों के लिए नगर निगम अध्यापक कल्याण निधि स्थापित की जाये ।
11. दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में दिल्ली नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर सीधी भर्ती के जरिए रोजगार चाहने वाले नगर निगम के अध्यापकों से वेतन की वापसी रोक दी जाये ।
12. अध्यापक के उन पुत्रों तथा पुत्रियों को, जो अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आयें छात्रवृत्तियां प्रदान करने की एक परिपाटी डाली जाये ।
13. प्रधान नर्सरी अध्यापक की अर्हतायें वही होनी चाहिये जो सहायक नर्सरी अध्यापक के लिये निर्धारित हैं और उसका वेतन-मान भी वही होना चाहिए जो प्राथमिक स्कूल मुख्याध्यापिका के लिए निर्धारित है । सभी रिक्त पदों को वरिष्टता क्रम तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए ।
14. अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को योग्यता भत्ता दिया जाना चाहिये ।
15. मुख्याध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने से जो असंगति उत्पन्न हुई है उसकी जांच की जाये ।
16. स्कूल निरीक्षकों (शारीरिक) की भर्ती के लिये भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये ।

दिल्ली नगर निगम ने उपरोक्त मांग संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 13 और 16 को स्वीकार कर लिया है । और मांग सं० 4, 5, 8, 10, 12, 14 और 15 उसके विचाराधीन है । मांग संख्या 9 को दिल्ली नगर निगम ने स्वीकार नहीं किया है । जहां तक मांग संख्या 11 का संबंध है, यदि उस के ध्यान में लाया गया तो गुणावगुणों के आधार पर विशिष्ट मामलों की जांचकी जायेगी ।

आर० वी० अंध कन्या विद्यालय, दिल्ली में एक छात्रा की मृत्यु

19. **श्री विजय पाल सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० वी० अन्ध कन्या विद्यालय, दिल्ली को, जो कि अंधी लड़कियों की एक संस्था है, सरकारी सहायता मिल रही है ?

(ख) क्या हाल में जया नाम की एक लड़की की, न्यु राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में विद्यालय की इमारत की दूसरी मंजिल से गिरने के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई थी ;

(ग) क्या इस मामले की सूचना पुलिस को दी गयी थी और जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जी, हां तथा जांच की जा रही है ।

कोसी विद्युत परियोजना

20. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने कोसी नदी पर बनाई जाने वाली विद्युत परियोजना के निष्पादन और भू-संरक्षण कार्य पूरा करने में विलम्ब किये जाने के बारे में शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) नेपाल ने अपने 8 अक्तूबर, 1974 के एक नोट में कोसी नदी के दक्षिण तट पर भूमि-कटाव को रोकने से संबंधित कार्यों के निर्माण, कोसी जल-विद्युत परियोजना से विद्युत के उत्पादन तथा वितरण, प्राक्कलनों की स्वीकृति, कोसी क्षेत्र में चन्द्रा नहर में सुधार तथा उसके विस्तार और एक लिफ्ट नहर के निर्माण में हुई देरी के विषय में लिखा है ।

2. कोसी के दक्षिण तट पर जलपापुर के निकट कटाव को रोकने के लिये एक व्यापक स्कीम तैयार की है तथा उसका कार्यान्वियन पहले से ही किया जा रहा है । निर्मित किये जाने के लिए प्रस्तावित 22 पुश्तों में से 8 का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष पुश्तों पर कार्य की प्रगति में तेजी लाई जा रही है ।

3. कोसी विद्युत गृह के प्रचालन में कुछ कठिनाइयां आई हैं, परंतु इसका नेपाल को विद्युत सप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि इस संबंध में नेपाल की मांग को उत्तरी बिहार ग्रिड से पूरा किया जा रहा है ।

4. जहां तक सुधार कार्यों, लिफ्ट नहर आदि के लिये प्राक्कलनों को स्वीकृत करने का संबंध है, ये प्राक्कलन नेपाल सरकार से अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं तथा इस समय इनकी जांच की जा रही है ।

जवाहर लाल नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ फिजिकल मेडिसन एण्ड रिहेबिलिटेशन

21. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसन एण्ड रिहेबिलिटेशन, नई दिल्ली को कुल कितनी राशि दी;

(ख) प्रधान मंत्री कोष से इस इन्स्टीट्यूट को इस अवधि के दौरान कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ग) क्या इन वर्षों के लेखों की परीक्षा की गयी है, यदि हां, तो लेखा परीक्षा की प्रतिकूल टिप्पणियां यदि कोई हैं, तो इन प्रत्येक वर्ष के लिए, क्या क्या हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त और प्रधान मंत्री कोष से प्राप्त राशियों के लिये अलग अलग शीर्षों से खाते रखे जाते हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस इंस्टीट्यूट की प्रशासन को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जवाहर लाल नेहरू संस्थाओं के समूह को केन्द्रीय सरकार ने, दिल्ली प्रशासन भी शामिल, कुल 14,49, 477 रुपये की धनराशि दी थी।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) परिषद के चार्टर्ड लेखाकारों ने इन चार संस्थाओं के लेखों की विधिवत् परीक्षा की थी। दिल्ली प्रशासन के स्थानीय निधि लेखों के परीक्षक ने भी दो अनुभागों को 1971–72 तथा 1972–73 से संबंधित लेखों की परीक्षा की थी। मुख्य निष्कर्ष यह हैं : (1) वित्तीय अनुशासन तथा पदों के निर्माण से संबंधों में मानक न होना, जिससे प्रशासनिक खर्च बढ़ गया; (2) समुचित प्राधिकारियों की अनुमति के बिना भविष्य निधि आरम्भ करना; तथा फीसों की प्राप्ति पर अपर्याप्त नियन्त्रण, कोटेशन मांगे बिना वस्तुयें खरीदना तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य प्रक्रियात्मक अनियमिततायें।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अनुदान अलग लेखों में दिखाये गये हैं। प्रधान मंत्री कोष से कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

Export of Basmati Rice

22. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of Basmati rice exported during the last two years ; and

(b) the amount of foreign exchange thus earned ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) The quantities of basmati rice exported during 1972-73 and 1973-74 and value there of are :—

Year	(Quantity (in tonnes)	Value (in lakhs of Rs.)
1972-73	15,189	296.47
1973-74	17,400	844.44

राष्ट्रीय वन नीति का पुनर्विलोकन

23. **श्री बीरभद्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वानिकी के केन्द्रीय बोर्ड सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फारेस्टरी ने राष्ट्रीय वन नीति के पुनर्विलोकन का सुझाव दिया है कि वन अधिनियम 1927 को संशोधित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अपनी 14–15 अक्तूबर, 1974 को हुई बैठक में इस मंत्रालय के द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय वन नीति के प्रारूप पर विचार किया और सिफारिश की कि इस प्रारूप पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए मंत्रियों की एक समिति स्थापित की जानी चाहिए। बोर्ड ने आगे सिफारिश की कि इस समिति को एक आदर्श भारतीय वन अधिनियम भी तैयार करना चाहिये, जिसे राज्यों द्वारा पारित कराया जाये।

(ख) यह मंत्रालय केन्द्रीय वानिकी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये उनकी जांच कर रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद् का गठन

24. **श्री डी०पी० जदेजा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों तथा इनके समन्वय की उचित समीक्षा करने के लिये राज्यों में तदनुरूपी निकायों सहित व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह परिषद कब तक गठित की जायेगी; और

(ग) क्या इस परिषद के कार्यकरण के बारे में राज्यों के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह सिफारिश की थी कि इस प्रकार की एक परिषद स्थापित की जाए। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी 4 और 5 नवम्बर, 1974 को हुई अपनी बैठक में इस प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति प्रकट की है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद स्थापित करने के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

दालों का उत्पादन

25. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों का उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष गिरता जा रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रफल और अवधि सहित, इसके मद-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी पैदावार में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान दालों के उत्पादन में गिरावट आई है परन्तु मौसम और वर्षा की परिस्थितियों की वजह से प्रति वर्ष क्षेत्र में परिवर्तन होता रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रमुख दालों की बुवाई का क्षेत्र और उनका उत्पादन परिशिष्ट में दे दिया गया है।

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरान, खरीफ के मौसम में सूखा पड़ने व सितम्बर और अक्तूबर में पछेती वर्षा के परिणाम-स्वरूप खरीफ के मौसम की दालों के उत्पादन व रबी के मौसम की दालों के बुवाई के क्षेत्र में कमी हो गई थी। 973-74 के दौरान, उत्तरी राज्यों में जनवरी-फरवरी के दौरान सख्त पाला पड़ने की वजह से अरहर (तूर), चना और मटर की फसलों (जिनमें इस समय फूल और फल लग रहे थे) को काफी नुकसान पहुंचा। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम हुआ।

(ग) निम्न कार्यक्रम के माध्यम से दालों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है —(1) मुख्य फसल की कटाई के बाद उड़द, मूंग, लोबिया की अल्पकालीन किस्मों की खेती, अन्त: कृषि, मिश्रित फसलों की खेती करना, इन फसलों की बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करना, और (2) उन्नत बीज, फास्फैटयुक्त उर्वरकों और वनस्पति रक्षण औषधियों आदि के उपयोग द्वारा दालों की खेती के लिये पैकेज प्रणालियों का अपनाना। पांचवीं योजना में उपर्युक्त दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रमश: 15 लाख और 70 लाख हेक्टार क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना खरीफ 1972 से प्रारम्भ की गई थी और इसको पांचवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, किसानों को पैकेज की विधियां अपनाने, दालों की अल्पकालीन/उन्नत किस्मों के बीच उगाने, किसानों को दालों के बीजों की सप्लाई करने और उन्हें वनस्पति रक्षण उपाय अपनाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये, किसानों के खेतों में प्रदर्शन करने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई है।

विवरण

प्रमुख दालों की बुवाई का क्षेत्र, व उनका उत्पादन

ए–क्षेत्र='000 हैक्टारों में
पी–उत्पादन='000 मीटरी टनों में

दालों की फसल	1971–72		1972–73		1973–74	
	ए	पी	ए	पी	ए	पी
(1) चना	7912.4	5080.7	6967.5	4536.8	7690.8	4005.8
(2) तूर	2345.5	1683.0	2424.1	1927.6	2576.1	1364.1
(3) तूर के अतिरिक्त खरीफ की अन्य दालें	6570.5	1653.0	6387.9	1249.2	7227.9	2111.8
(4) चने के अतिरिक्त रबी की अन्य दालें	5322.2	2676.7	5135.7	2193.1	5386.7	2272.0
कुल दालें	22150.6	11093.4	20915.2	9906.7	22881.5	9753.7

वर्ष 1973-74 में उड़ीसा को दिया गया नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक

27. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का कोई आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना उर्वरक दिया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 (फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक) की अवधि में उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय उर्वरक पूल और देशी विनिर्माताओं से वनस्पति पोषक तत्वों के रूप में 48501 मीटरी टन नाईट्रोजन आबंटित किया गया था।

भारत में खाद्य स्थिति

28. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री नोबल पुरस्कार विजेता और कृषि वैज्ञानिक डा० नमिन बोरलाग द्वारा 21 सितम्बर, 1974 के स्थानीय समाचारपत्र में "फूड सिचुएशन ग्रेव इन इंडिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित टिप्पणी के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): अल्पकालीन और दीर्घकालीन दृष्टिकोण से खाद्य स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है ताकि खाद्यान्नों के उत्पादन को अपेक्षित स्तर तक प्राप्त किया जा सके। कथित टिप्पणी डा० बोरलाग के व्यक्तिगत विचार हैं।

उर्वरक की मांग तथा सप्लाई में अन्तर

29. **श्री विनेश सिंह:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक की मांग तथा सप्लाई में अनुमानतः कितना अन्तर है और सरकार का इसको किस प्रकार पूरा करने का विचार है; और

(ख) खाद के परम्परागत प्रयोग का यथासम्भव लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) चालू संकेतों के अनुसार वर्ष 1974-75 के दौरान नाईट्रोजन पूरक उर्वरकों की सप्लाई में लगभग 30 प्रतिशत, फास्फेट पूरक उर्वरकों की सप्लाई में लगभग 32 प्रतिशत और पोटाष पूरक उर्वरकों की सप्लाई में लगभग 7 प्रतिशत कमी रहने की सम्भावना है। कमी को पूरा करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं।

(1) विद्यमान देशी उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिये प्रयास करना।

(2) उर्वरकों की अधिक से अधिक मात्रा का आयात करने के लिये प्रयास करना।

(3) देश में उर्वरकों के वितरण की प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिये प्रयास करना।

(4) उपलब्ध उर्वरकों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों की राज्यों को परिचारित करना।

(ख) ग्रामीण और शहरी कार्बनिक खाद के संसाधनों का उपयोग करने के लिये भारत सरकार ने भी कदम उठाए हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारों से निम्न कार्य करने के लिये कहा गया है :—

(1) कम्पोस्त खाद तैयार करने की तकनीक में किसानों को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ करना।

(2) ग्रामीण कम्पोस्त उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देने के लिए योजना शुरू करना।

(3) शहरी केन्द्रों में कम्पोस्त खाद का उत्पादन करने के लिये समस्त उपलब्ध शहरी कूड़ा करकट का उपयोग करना।

(4) पांचवीं योजना के दौरान एक लाख गोबर गैस सयंत्र लगाना। इससे ईंधन गैस तथा खाद की व्यवस्था हो सकेगी।

(5) कम्पोस्त सप्ताह/अभियानों की व्यवस्था करना और रेडियो, टेलिविजन, प्रेस और अन्य विस्तार माध्यमों से प्रचार करना।

(6) कृषकों को इस बात के लिये प्रेरित करना कि वे फसलों के हेरफेर में फलीदार चारे की फसल को शामिल करें।

Per Capita Agriculture Price and Income in Western Districts of U.P.

30. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether those five districts of Western Uttar Pradesh, where khandasari, sugar and gur industries are concentrated, have the distinction of having the highest per capita agriculture price and income in the entire country ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): It has been ascertained from Government of Uttar Pradesh that, on the basis of the price index for 1960-61, 5 Districts of Western Uttar Pradesh, viz. Meerut, Muzaffar Nagar, Saharanpur, Bijnor and Moradabad where khandasari sugar and gur industries are concentrated, have respectively per capita annual income of Rs. 345, 262, 367, 298 and 265 according to the National Council of Applied Economics Research and Rs. 430, 398, 385. 336 and 298 according to Dr. Baljit Singh's Study Report. It is not known whether these are the highest in the country.

राज्यों द्वारा किसानों पर शुल्क लगाया जाना

31. **श्रीमती रोजा विद्याधर देश पांडे:** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नकद फसलों की काश्त करने वाले किसानों सहित सभी किसानों पर खाद्यान्नशुल्क लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने भी सभी किसानों पर खाद्यान्न-शुल्क लगाया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) : और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सभी सिंचित जोत, जिसमें नकदी फसलों के अन्तर्गत आने वाली जोत भी शामिल है, पर लेवी लगाने का सुझाव दिया है। उन्होंने खाद्यान्न लेवी आदेश के अन्तर्गत लाना उपयुक्त समझा गया है क्योंकि राज्य की अधिकांश उपजाऊ कृषि-भूमि सामान्यतः नकदी फसलों के अन्तर्गत ही है।

(ग) सभी किसानों, जिनमें नकदी फसलों की खेती करने वाले किसान भी शामिल हैं, पर लेवी लगाने के बारे में किसी अन्य राज्य सरकार से अभी तक ऐसा कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य मंत्री सम्मेलन में खाद्य-स्थिति का पुनर्विलोकन

32. **डा० हरि प्रसाद शर्मा:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु सितम्बर, 1974 के मध्य में नई दिल्ली में मुख्य मंत्री सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ मुद्रा-स्फीति विरोधी अभियान और कृषि सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के संदर्भ में कृषि क्षेत्र के लिये ऋण देने पर प्रतिबन्ध के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था, यदि हां, तो ऋण-प्रतिबन्ध में ढील देने के लिये क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उस बैठक में खाद्य स्थिति का क्या ठीक-ठीक मूल्यांकन किया गया और आगामी वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या-क्या निर्णय किए गए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) मुख्यत: 1974-75 मौसम के खरीफ-अनाजों के मूल्य तथा अधिप्राप्ति संबंधी नीति के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिये 14 सितम्बर, 1974 को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कुछ मुख्य मंत्रियों ने ऋण नियंत्रण की नीति और कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए बिजली पैदा करने हेतु "थरमल पावर प्लांट" लगाने के लिए राज्य सरकारों को संस्थागत धनराशि सुलभ करने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। चर्चा के दौरान, कुछ मुख्य मंत्रियों में सामान्य खाद्य-स्थिति और कुछ राज्यों में अनियमित तथा अपर्याप्त वर्षा के कारण खरीफ के अनाजों के उत्पादन ने सम्भावी कमी का उल्लेख किया था। उचित मूल्यों पर किसानों को आवश्यक आदानों को सुलभ कर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करने और उन्हें सिंचाई तथा बिजली की अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

दिल्ली में पी० जी० टी० ग्रेड में स्थानापन्न टी० जी० टी० अध्यापकों को चयन ग्रेड न दिया जाना

33. **श्री भागवत झा आजाद : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली में पी० जी० टी०ग्रेड में स्थानापन्न टी० जी० टी० अध्यापकों को चयन ग्रेड न दिए जाने से संबंधित 22 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस में उल्लिखित उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा दायर की गई अपील पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या अपील के अन्तिम निर्णय की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ख) अन्तिम निर्णय के सदर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां निर्णय की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-8440/74]**

(ख) निर्णय की अनुप्रमाणित प्रति दिल्ली प्रशासन को केवल 29 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुई थी और उस पर वे विचार कर रहे हैं।

Distribution of Fertilisers in Madhya Pradesh

34. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether in eastern areas of Madhya Pradesh the fertilizer producers do not evince any interest in the distribution of nitrogenous fertilisers specially urea fertiliser, and Shriram Chemicals and Gujarat State Fertilizers Corporation which are the main distributors of urea fertilisers there do not evince any interest in the distribution of fertilisers because of transportation difficulties in that area;

(b) whether a request was made in 1973 by the Madhya Pradesh Government to the Fertilizers Corporation of India to take up the distribution of fertilisers in the eastern areas of Madhya Pradesh ;

(c) if so, the reaction of the Government of India thereto; and

(d) whether in the meanwhile Government propose to make available chemical fertilisers from Gorakhpur, Sindri and Kanpur fertilisers factories situated near the eastern areas; and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Complaints were received by the Government of India about the reluctance on the part of the fertilizer manufacturers who have to distribute specified quantities of fertilizers under the Essential Commodities Act in Madhya Pradesh, to move it to the Eastern Districts of the State, because of high transportation costs.

(b) and (c) Government is not aware whether any specific request was made by the State Government of Madhya Pradesh to the Fertilizer Corporation of India to sell fertilizers in the Eastern areas of Madhya Pradesh. However, when the State Government brought to the notice of the Government of India the unwillingness of M/s Indian Explosives Ltd. Kanpur, M/s Gujarat State Fertilizer Co., and M/s Sriram Chemicals, to distribute fertilizers in the Eastern Districts of the State, a meeting of the representatives of these manufacturers and the State Government was called by the Government of India. At the meeting, the manufacturers were persuaded to agree to the distribution of a part of their allocations in the Eastern areas of the State.

(d) The internal distribution of the fertilizers allotted to the States is left to the respective State Governments. As regards the allotments to Madhya Pradesh State, the main demand for fertilizers in the Eastern districts of Madhya Pradesh is during the Kharif season. Therefore, during the Kharif '74 season, fertilizers were allotted to the State from the Fertilizer Corporation of India, Durgapur, Fertilizer Corporation of India, Sindri and Indian Explosives Ltd., Kanpur. No fertilizer was allotted to the State from Fertilizer Corporation of India, Gorakhpur, as the State does not fall within the rationalised distribution zone, finalised in consultation with the Railway Board. During the Rabi season, the State has been allotted fertilizers from M/s Indian Explosives Ltd. and Fertilizer Corporation of India, Sindri.

Expenditure incurred on residences of Central Ministers

35. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the residences of Central Ministers from the 31st March, 1973 to 31st March, 1974 on (i) maintenance of gardens and lawns (ii) furnitures and furnishings (iii) electrical equipments, (iv) maintenance of building, (v) additions and alterations in the residence and (vi) other items; and

(b) the percentage of cut decided to be imposed by Government in each of the above items during the current year, in view of the present economic crisis ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No specific cut has been imposed; but the expenditure is kept to the very minimum; and only essential items of work are done.

बागमती नदी परियोजना

36. श्री हरि किशोर सिंह: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागमती नदी परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक परियोजना पर कितना धन व्यय किया जा चुका है; और

(ग) कब तक इस परियोजना के पूरे होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) बागमती सिंचाई परियोजना निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में है। भारत-नेपाल सीमा से सीतामढ़ी शियोहर मार्ग तक वाम चढ़ाव बंध 9 मील की लम्बाई तक का

निर्माण-कार्य हाथ में लिया गया है, जिसमें से 5.7 मील तक निर्माण पूर्ण हो चुका है। बराज के प्रतिप्रवाह में दक्षिण चढ़ाव-बंध का लगभग 2 मील का कार्य हाथ में लिया गया है, जिसमें से एक मील तक पूर्ण हो चुका है। बराज स्थल और अन्य स्थानों पर भवनों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। सीतामढ़ी से बराज स्थल तक पहुंच-मार्ग भी अधिकांशतः पूर्ण हो गए हैं।

(ख) अगस्त, 1974 के अन्त तक हुआ व्यय लगभग 104.0 लाख रुपये है।

(ग) परियोजना के छठी योजना के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

कृष्णा-कावेरी न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय

37. श्री सी०के० जाफर शरीफ :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार कृष्णा-कावेरी न्यायाधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण की रिपोर्ट भारत सरकार तथा आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों को दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुई थी। अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम 1956 की व्यवस्था के अनुसार, केन्द्रीय सरकार तथा तीनों राज्य सरकारों ने मार्च, 1974 में न्यायाधिकरण से स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन के लिए अनुरोध किये थे।

जबकि न्यायाधिकरण द्वारा इन अनुरोधों पर सुनवाई की जा रही थी, 19 अगस्त, 1974 को कर्नाटक के वकील ने यह वक्तव्य दिया कि कर्नाटक सरकार महसूस करती है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई दलीलों के न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जाने की संभावना नहीं है। उसने यह भी कहा कि राज्य ने इस कार्यवाही से अलग होने का निर्णय लिया है तथा वह आगे की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। न्यायाधिकरण ने 26 अगस्त, 1974 तक और आगे सुनवाई की और उस के बाद सुनवाई बंद कर दी।

भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार से आग्रह किया है कि वह न्यायाधिकरण के कार्य में सहयोग दे और न्यायाधिकरण की आगामी कार्यवाही में भाग ले, क्योंकि अन्तर्राज्यीय जल-विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान में यही एक संस्थागत व्यवस्था है।

श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में बौद्धिक संस्कृति को प्रोत्साहन

38. श्री बी०आर० शुक्ल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहराइच और आंशिक रूप से गौंडा जिले में स्थित श्रावस्ती में बौद्धिक संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा बौद्धिक इतिहास में श्रावस्ती के ऐतिहासिक महत्व को कोई मान्यता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो०एस० नूरूल हसन) : (क) जी, हां। श्रावस्ती तथा जेतावना के प्राचीन नगरों (श्रावस्ती नगर के उपनगर में बौद्ध स्थल) के स्थल तथा अवशेष, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था, पहले से ही केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में है।

(ख) और (ग) जेतावना स्थित बौद्ध अवशेषों को खुदाई करके खोजा जा चुका है तथा आवश्यकतानुसार उचित मरम्मत करके उनकी देखभाल की जा रही है। जेतावना के स्थल का विकास उद्यान संबंधी कार्यों द्वारा भी किया गया है। श्रावस्ती के स्थल का भी बाग और घास लगाकर विकास करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। दोनों स्थलों पर खुदाई संबंधी रिपोर्टें प्रकाशित करने के अलावा, स्थलों के इतिहास और स्मारकों के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए एक मार्गदर्शक-पुस्तिका भी छापी गई है।

Medals won by Indian sportsmen in games at Teheran

39. **Shri M. C. Daga :**

Sardar Swaran Singh Sokhi :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the events in which India's sportsmen won Gold, Silver and Bronze medals respectively in the Asian Games in Teheran ;

(b) whether government are satisfied with these results; and

(c) if not, the effective steps Government propose to take with a view to bringing about improvement in our sports performance ?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) Names of events in which India's sportsmen won Gold, Silver and Bronge medals in the Asian Games in Tehran

(i)	Decathlon (Athletics) Long Jump („) 800 Metres („) 5000 Metres („)	4 Gold Medals
(ii)	Shooting (Trap) Boxing (Heavyweight) Boxing Light (Heavyweight) Boxing (Middleweight) Hockey team Triple Jump (Athletics) Shot put („) Discus Throw („) Hammer Throw („) 3000 metres (Steeple chase) (Athletics) 10000 Metres race („) 4×400 Metres Relay team (Athletics)	12 Silver Medals
(iii)	Shooting (Skeet) Boxing (Lihgt-weight) Boxing (Fly-weight) Wrestling (Greco-roman) Wrestling (Free Style) Wrestling („) Wrestling („) Shot put (Athletics) Long jump („) Decathlon („) 400 Metres („) hurdles Badminton team	12 Bronze Medals

(b) & (c) : The overall medal tally in the Teheran Asian Games is better than in the preceding two Asian Games. Government, however, feels that there is considerable scope for improvement in certain games/sports. The performance of the Indian Contingent for the Asian Games would be placed before the All India Council of Sports at its next meeting for further scrutiny and advice regarding remedial steps that should be taken.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल तथा इलैक्ट्रीकल इंजीनियर

40. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल तथा इलैक्ट्रीकल्ज प्रभाग में अलग-अलग सहायक इंजीनियर से लेकर अधीक्षक इंजीनियर तक के कितने ग्रेडों के पृथक-पृथक अधिकारियों को 1 जुलाई, 1974 तक स्थायी घोषित किया गया, और

(ख) उनको किस किस तारीख को स्थायी बनाया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1-7-74 तक की स्थिति इस प्रकार है :--

	सिविल	विद्युत
अधीक्षक इंजीनियर	18	4
कार्यपालक इंजीनियर	75	16
सहायक कार्यपालक इंजीनियर	93	24
सहायक इंजीनियर	175	47

(ख) उन्हें स्थायी किये जाने की प्रभावी तिथियां व्यक्ति प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं जोकि इनकी पात्रता तथा पदों की उपलब्धता पर आधारित हैं ।

दिल्ली में संकटग्रस्त कालेजों को अपने हाथ में लेना

41. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली में संकटग्रस्त कालेजों को अपने हाथ में लेने के संबंध में 19 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2740 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन करने के बारे में किए गए सुझाव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन

42. श्री रामदेव सिंह :

श्री मधु लिमये :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री जनवरी से जून, 1974 के दौरान राज्यों को खाद्यान्नों की मात्रा आवंटित करने तथा तत्सम्बन्धी मापदण्ड के बारे में 22 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1974 में बिहार, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया; और

(ख) क्या बिहार में चल रहे जनान्दोलन के कारण वहां के खाद्यान्नों के आवंटन के बारे में जनवरी-फरवरी, 1974 से मई-जून, 1974 तक बहुत वृद्धि की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों का आवंटन वास्तव में केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की उपलब्धता, कमी वाले सभी राज्यों की आवश्यकताओं और अन्य संगत पहलुओं जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

बिहार को जनवरी से जून, 1974 तक किए गए आवंटन इस प्रकार हैं :—

माह	मात्रा (हजार मी० टन में)
जनवरी	25.0
फरवरी	30.0
मार्च	35.0
अप्रैल	40.0
मई	40.0
जून	40.0

बिहार में बाढ़ से हुई हानि

43. **श्री भोला मांझी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विभिन्न जिलों में बाढ़ के कारण फसलों को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) केन्द्र द्वारा लोगों को वहां कितनी सहायता दी गई; और

(ग) क्या इस अवधि के दौरान बिहार में काफी संख्या में लोग मरे हैं; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) बिहार सरकार ने सूचना दी है कि 1974 के दौरान फसलों का 15.30 लाख हेकटार क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ था और 202.02 करोड़ रुपये की फसल की हानि का अनुमान लगाया गया है।

(ख) बचाव और राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सेना तथा वायुसेना की सहायता दी गई थी।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बाढ़ों के कारण 61 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

खरीफ उत्पादन में कमी का प्रभाव

44. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खरीफ के खाद्य-उत्पादन में कमी का वसूली और देश में खाद्य की कुल उपलब्धि पर प्रभाव के बारे में अध्ययन किया है, और

(ख) क्या सरकार ने इससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये कोई योजना तैयार की है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) क्योंकि देश के अधिकांश भागों में वर्षा की कमी के कारण खरीफ की फसलों के प्रभावित होने की सूचना मिली थी इस लिये ये विशेष पग उठाए गए थे—(1) हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के प्रयोजनों के लिए बिजली देना, (2) देश के खुले बाजार में उपलब्धता को बढ़ाने और सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई बनाए रखने हेतु अधिप्राप्ति कार्य तेज करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और (3) विदेशों से खाद्यान्नों के आयात करने के लिए भी पग उठाए गए हैं।

अन्न की कमी के बारे में मंत्री का वक्तव्य

45. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 11 अक्तूबर, 1974 को दिये गये अपने एक वक्तव्य में कहा था कि देश में जमाखोरी के कारण खाद्यान्न की कमी है; और

(ख) उनके वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, उनके मंत्रालय ने खाद्य पदार्थों को बाहर निकलवाने और उनकी उचित व्यवस्था के माध्यम से उचित मूल्यों पर वितरित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय कृषि तथा सिंचाई मन्त्री ने यह अनुभव किया कि व्यापारियों और बड़े किसानों द्वारा अपने पास खाद्यान्नों का स्टाक रोक लेना एक मुख्य कारण है जिससे देश में खाद्यान्नों की कमी महसूस की जा रही है। भारत सरकार राज्य सरकारों से बराबर कहती रही है कि विभिन्न नियन्त्रण आदेशों को कड़ाई से लागू करें और जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध भारत सुरक्षा नियमों, आंसुका और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करें। राज्य और केन्द्र सरकारें व्यापारियों और आम व्यक्तियों की जमाखोरी की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।

पश्चिम बंगाल में आपात रबी योजना

46. श्री आर० एन० बर्मन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने आगामी रबी मौसम के लिये कोई आपात योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना किस प्रकार की है; और

(ग) क्या इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है; और यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल की सरकार ने रबी की फसलों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, ताकि बाढ़, तूफान तथा सूखे से खरीफ की फसलों को हुई क्षति को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.35 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को लाया जाएगा, जिसमें से 1.47 लाख एकड़ क्षेत्र में गेंहूं, 0.47 लाख एकड़ क्षेत्र में बोरी धान, 0.21 लाख एकड़ क्षेत्र में दालें, 0.14 लाख एकड़ क्षेत्र तिलहन और 0.052 लाख एकड़ क्षेत्र में आलू बोया जाएगा।

राज्यों में धान और कच्चे पटसन की उत्पादन की लागत

47. श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में धान और पटसन की प्रति एकड़ उत्पादन लागत मद-वार कितनी कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिये इस मन्त्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई बृहत् योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1971-72 तथा उड़ीसा (अन्तिम) में वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान प्रति हैक्टार धान की उत्पादन की लागत के अनुमान तैयार किये गये हैं जो संलग्न विवरण में दिये गये हैं। कई अन्य राज्यों के विषय में वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 की अवधि के लिए धान के उत्पादन की लागत के आंकड़े भी एकत्रित किये गये हैं। ये आंकड़े जांच, संकलन, परिसंस्करण, विश्लेषन, आदि की विभिन्न अवस्थाओं के हैं।

इस योजना के अन्तर्गत 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में अध्ययन करने के लिए कच्ची जूट को प्रमुख फसल के रूप में चुना गया है। वर्ष 1973-74 के दौरान एकत्रित किये गये आंकड़ों की जांच की जा रही है और सम्बन्धित राज्यों में जिन एजेन्सियों को क्षेत्र कार्य सौंपा गया है व आंकड़ों का संकलन कर रही हैं। और जांच करने के लिये ये संकलित आंकड़े अभी इस मंत्रालय में प्राप्त होने हैं। इन आंकड़ों को प्राप्त होने और कच्ची जूट के उत्पादन की लागत के अनुमान तैयार करने में कुछ समय लगेगा। वर्ष 1974-75 की फसल का क्षेत्र कार्य जारी है।

विवरण

धान की खेती की प्रति हैक्टार लागत तथा उपज और प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत। (रुपये प्रति हैक्टार)

क्रम संख्या	लागत	आन्ध्र प्रदेश 1971-72	उड़ीसा † 1971-72	उड़ीसा † 1972-73
1.	मानवीय श्रम	331.23	252.97	260.08
2.	बैलों का श्रम	105.98	145.48	137.36
3.	मशीन का श्रम	22.27	0.19	–
4.	बीज	61.05	52.89	60.76
5.	उर्वरक	158.41	20.53	22.09
6.	खाद	102.33	37.00	41.81
7.	कीटनाशी औषधि	9.69	1.29	2.82
8.	सिंचाई व्यय	18.05	0.40	3.07
9.	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	18.55	9.54	9.97
10.	स्वामित्व वाली भूमि की रेन्टल वैल्यू	454.36	244.86	249.78
11.	पट्टे में दी गई भूमि के लिये अदा किया गया लगान	75.24	29.21	45.79
12.	भूराजस्व, शुल्क तथा कर	31.67	2.30	2.66
13.	उपस्कर तथा फार्म के भवनों पर मूल्य ह्रास	31.33	14.26	15.58
14.	अचल पूंजी पर ब्याज	56.17	27.04	28.70
	कुल लागत	1476.33	837.96	881.47
	प्रति हैक्टार उपज (क्विन्टल)	25.22	16.84	16.72
	उत्पादन की कुल लागत‡ (रुपये प्रति क्विन्टल)	51.53	40.13	44.19

†अनंतिम

‡प्रति हैक्टार उपज की प्रति हैक्टार खेती की लागत से भाग देकर प्रति क्विन्टल उत्पादन की लागत निकाली गई है

टिप्पणी:— विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कृषि विश्व-विद्यालय आदि इस वृहत् योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियां क्षेत्र सम्बन्धी सर्वेक्षणों की व्यवस्था करती हैं और आंकड़ों की जांच तथा उनका संकलन प्रारम्भ करती हैं। कृषि और सिंचाई मंत्रालय में इन आंकड़ों का और परिसंस्करण तथा विश्लेषण एवं उन पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। विभिन्न मुख्य फसलों की खेती की लागत के जोतवार आंकड़े और उन पर आधारित उत्पादन की लागत के राज्य स्तरीय अनुमानों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है और अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय उनके विचारों एवं टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

48. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी नहीं।

(ख) लोक सभा में 26 अगस्त को चीनी उद्योग जांच आयोग की रिपोर्ट के साथ रखे गए कार्यवाही संबंधी ज्ञापन में जैसा उल्लेख किया गया था, सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। भारी मात्रा में वित्तीय परिव्यय और उनके साथ साथ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रश्न जुड़े होने की दृष्टि से सरकार को अन्तिम निर्णय लेने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।

सराय रोहिला उपरि पुल दिल्ली का गिर जाना

49. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्माणाधीन सराय रोहिला उपरि पुल का एक भाग गिर गया था जिसके कारण वहां पर काम करने वाले अनेक श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गए थे;

(ख) क्या सरकार ने उसके गिरने के कारणों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 9 सितम्बर 1974 को, जब कार्य प्रगति पर था, निर्माणाधीन सराय रोहिला उपरि पुल के पहुंच मार्गों के चार मेहराबों में से एक गिर गया था। ढहने के समय कार्य कर रहे मजदूरों में से बारह मजदूरों को चोटें आईं तथा उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी।

(ख) तथा (ग) ढहने के कारणों की जांच हेतु दिल्ली नगर निगम ने एक समिति नियुक्त की है। जांच प्रगति पर है।

अकालग्रस्त पश्चिम बंगाल में राहत के उपाय

50. **श्री रानेन सेन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समस्त पश्चिम बंगाल अकालग्रस्त है और विशेषकर सात जिलों में लोग भूख से मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों को राहत देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ग) राज्य में अकाल के प्रसार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में प्रति दिन 100 व्यक्तियों की मत्यु होती है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (घ) राज्य सरकार को इस विषय पर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इसके प्राप्त होने पर एक विवरण यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

तेहरान में भारतीय हाकी टीम का खेल

51. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेहरान में भारतीय हाकी टीम के घटिया खेल की इस बीच जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय हाकी के स्टैंडर्ड में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क), (ख) और (ग) तेहरान में सितम्बर, 1974 में हुए एशियाई खेलों में दुबारा खेले गए फाईनल मैच में भारतीय हाकी टीम पाकिस्तान की हाकी टीम से हार गई थी। सुविज्ञ व्यक्तियों के मूल्यांकन के अनुसार भारतीय हाकी टीम शायद इससे अच्छा खेल दिखा सकती थी यदि भारतीय हाकी संघ के विवादों के कारण उसके प्रतियोगिता से पहले के प्रशिक्षण पर विपरीत प्रभाव न पड़ता। सरकार ने भारतीय आलिम्पिक संघ से, जो भारतीय हाकी संघ के कार्यों की अस्थायी रूप से देखभाल कर रहा है. कहा है कि भावी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले वह भारतीय हाकी टीम के उपयुक्त प्रशिक्षण तथा भौतिक परिस्थितियों को सुनिश्चित करे। सरकार इस संबंध में आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेगी।

Request from Bhartiya Kisan Sangh to fix procurement price of wheat

52. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Working Committee of the Bhartiya Kisan Sangh has asked the Central Government to fix the minimum procurement price of wheat right now with a view to provide incentive to the farmers for the production of wheat during the coming year *i.e.* 1974-75; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) Representations have been received for fixing procurement price of wheat at the time of sowing. The policy of announcing procurement prices before harvesting is being continued.

Bath-Rooms in M.P. Servant Quarters

53. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether only some servant quarters attached to M. P. flats have bath-rooms and others do not have;

(b) if so, whether Government propose to provide bath-rooms in all the servant quarters attached to M.Ps. flats; and

(c) whether or not the quarter's rent will be enhanced on that account ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia): (a) No servants' quarters attached to any M.P's flat has a bath room meant exclusively for it. Only common bath rooms meant for servants in a block of flats have been provided.

(b) & (c) Does not arise.

Demand of Fodder from Bihar

54. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar had requested tor fodder for cattle during August-September last but the Central Government ignored that demand;

(b) if so, the reasons for ignoring the demand of Bihar Government;

(c) the quantity of fodder, asked for by Bihar Government and the quantity actually supplied to that State; and

(d) whether the quantity supplied was considered in Bihar as ignoring their request ?

Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

फरक्का बांध से पानी का छोड़ा जाना

55. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन के लिए फरक्का बांध से 40,000 क्यूसेक जल कब छोड़ा जायेगा; और

(ख) क्या फरक्का बांध से 20,000 क्यूसेक जल की सप्लाई के लिए बंगलादेश ने भी मांग की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) फरक्का बराज परियोजना की पोषक नहर के इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है और उसके पश्चात् यह परियोजना चालू हो जायेगी । गंगा के गैर-मानसूनी बहाव के आवंटन के बारे में भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच विचार विमर्श किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

भारत आने वाले अमरीकी विद्वान और विशेषज्ञ

56. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान कितने अमरीकी विद्वान और विशेषज्ञ भारत आये ;

(ख) क्या 1971 में भारत आने वाले विद्वानों और विशेषज्ञों पर कोई रोक लगाई गई थी और यदि हां तो क्या इन नियमों में ढील दे दी गई थी; और

(ग) क्या पहले वाली सूची में रखा गया एक अमरीकी सहायता उच्च अधिकारी अमरीका की एक उच्च फाउंडेशन की ओर से दौरा कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति से 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान भारत भ्रमण करने वाले अमरीकी अध्येताओं/छात्रों/विशेषज्ञों की संख्या इस प्रकार है :—

1972–73	81
1973–74	119

उपर्युक्त आंकड़ों में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

(1) भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत भारत आने वाले अध्येता/छात्र;

(2) वे छात्र जिन्होंने विभिन्न संस्थाओं में सीधे ही दाखिला ले लिया है;

(3) युनेस्को तथा ऐसे ही अन्य संगठनों के कुछ कार्यक्रमों के अंतर्गत काम के लिए आने वाले अध्यापक/विशेषज्ञ; तथा

(4) ऐसे अनुसंधान अध्येता जो शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की जानकारी के बिना ही अन्य मंत्रालयों की स्वीकृति से आये हैं।

(ख) विदेशियों के भारत प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, इस बात से आश्वस्त होने के लिये कि विदेशी शैक्षिक गतिविधियों का भारत में उपयोगी ढंग से संचालन किया जाए, जिससे उनका हमारे राष्ट्रीय हितों पर बुरा प्रभाव न पड़े, एक निश्चित रूपरेखा निर्धारित की गयी है। इस तरह से, विदेशी छात्रों को सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों सहित कुछ क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अनुमति नहीं दी जाती। इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उसकी शैक्षिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये उसकी गुणावगुणों के आधार पर जांच की जाती है।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा धान के अधिक वसूली मूल्य निश्चित करना

57. श्री एम० कत्तामुतु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित धान के वसूली मूल्य से अधिक मूल्य निश्चित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) तमिल नाडु सरकार ने धान के लिये अधिक अधिप्राप्ति मूल्य घोषित किया था लेकिन उन्होंने अब, जैसाकि केन्द्रीय सरकार ने कहा था, लेवी के अधीन अधिप्राप्त किये जाने वाले धान का अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करना मान लिया है।

दिल्ली के स्कूलों में स्नातकोत्तर अध्यापकों तथा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के रिक्त स्थान

58. श्री शशि भूषण : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1974 को दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में प्रधानाचार्यों, उप-प्रधानाचार्यों, स्नातकोत्तर अध्यापकों, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त थे;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) प्रधानाचार्य	10
उप-प्रधानाचार्य	108
स्नातकोत्तर-अध्यापक	32
प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	कोई नहीं
अन्य अध्यापक	24

(ख) **प्रधानाचार्य**

1972—73 शैक्षिक वर्ष से 1 पद
फरवरी, 1974 से 1 पद
जुलाई, 1974 से 5 पद
सितम्बर, 1974 से 2 पद
अक्तूबर, 1974 से 1 पद

उप-प्रधानाचार्य

अगस्त, 1972 से 71 पद
अगस्त, 1973 से 21 पद
अगस्त, 1974 से 16 पद

स्नातकोत्तर अध्यापक तथा अन्य वर्ग

अगस्त, 1974 से 56 पद

(ग) संघ लोक सेवा आयोग से नामिकाएं प्राप्त होने के बाद, जिसके पास अपेक्षित मांग पहले ही भेजी जा चुकी है तथा उसने विज्ञापन द्वारा आवेदन-पत्र भी आमंत्रित किये हैं, प्रधानाचार्यों के उक्त पद भरे जायेंगे। भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन के कारण उप-प्रधानाचार्यों के पदों को नहीं भरा जा सका। अध्यापकों के रिक्त पदों को पात्र उम्मीदवारों में से शीघ्र ही भरा जाएगा।

पश्चिम बंगाल में संकट-वश होने पर बच्चों का विक्रय

59. श्री माधुर्य्य हालदर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में अगस्त से अक्टूबर, 1974 के बीच भखों मरते लोगों द्वारा संकट-वश होकर प्रतिमास कितने बच्चों को विक्रय किया गया तथा कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की; और

(ख) उक्त महीनों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा भूखों मरते लोगों को कितनी राहत दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस की बैठक का रद्द किया जाना

60. श्री मधु दण्डवते : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस की नई दिल्ली में दिसम्बर, 1974 में आयोजित होने वाली बैठक को रद्द करने का है;

(ख) 15 अक्तूबर, 1974 तक उक्त डेरी कांग्रेस पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है; और

(ग) उक्त कांग्रेस को एकदम रद्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) 15 अक्तूबर, 1974 तक किए गए व्यय संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 30 सितम्बर, 1974 तक डेरी कांग्रेस के सिलसिले में 13,08,219.81 रु० की धनराशि व्यय की गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा प्राध्यापकों की नियुक्ति

61. श्री झारखंडे राय :

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड ने, जो दिल्ली में दो कालेज चला रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना कला तथा विज्ञान प्राध्यापकों की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई उपाय किए गए हैं कि कालेज प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन न किया जाए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा संचालित एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज द्वारा विश्व-विद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श किये बिना कुछ अध्यापकों की तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गई थी। उक्त कालेज के प्रधानाचार्य को यह सूचित किया गया था कि तदर्थ नियुक्तियां विभागाध्यक्षों की सहमति से की जानी चाहिए क्योंकि अध्यापकों को मान्यता प्रदान करने हेतु उनकी सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अब तक उनसे कोई निश्चित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विश्व विद्यालय, कालेज के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है।

खाद्यान्न की कमी के संबंध में विदेश मंत्री का अमरीका में वक्तव्य

62. श्री बी० के० दास चौधरी :

श्री बीरेन एंगती :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री ने अमरीका में प्रैस को बताया था कि भारत में अकाल के कारण एक भी मौत नहीं हुई तथा खाद्यान्न की कमी केवल पांच प्रतिशत है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने 40 लाख टन गेहूं तुरन्त भेजने के लिए सोवियत संघ से अनुरोध किया है; और

(ग) क्या तत्कालीन विदेश मंत्री का वक्तव्य, सोवियत संघ को भेजे गए इस 'संकट से बचाओ' अनुरोध तथा अत्यधिक कमी तथा बड़ी संख्या में भुखमरी से हुई मौतों के बारे में सरकारी तथा गैर-सरकारी सूत्रों के द्वारा विभिन्न राज्यों से संकटपूर्ण समाचारों से मेल खाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) भारत में बहुत बड़ी संख्या में भूख से मृत्यु होने से संबंधित खबर पर टिप्पणी करते समय, तत्कालीन विदेश मंत्री ने अमेरिकी प्रैस को यह स्पष्ट किया था कि हालांकि भारत में खाद्यान्नों की कमी प्रतिशतता में अपेक्षाकृत कम है तो भी देश की अधिक जनसंख्या होने के कारण यह काफी मात्रा बन जाती है। सूखे और बाढ़ों के कारण देश के कुछ भागों में कमी की स्थिति बनी हुई है और उचित स्तर पर सरकारी वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए खाद्यान्नों की कुछ मात्रा आयात की जा रही है। 40 लाख मीटरी टन गेहूं के लिए सोवियत रूस की सरकार से कोई भी अनुरोध नहीं किया गया है।

मैस खर्चों और पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण विद्यार्थियों में अशान्ति और असंतोष

63. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैस खर्चों तथा पाठ्य पुस्तकों/कापियों की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में अशान्ति और असन्तोष की भावना का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छात्रावासों को राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न देने तथा सस्ती पाठ्य पुस्तकों/कापियों का निर्माण करने के लिये कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क), (ख) और (ग) पाठ्य-पुस्तकों/कापियों के मूल्य तथा छात्रावासों में भोजनालय के खर्चों के संबंध में छात्रों की कठिनाइयों के प्रति सरकार सजग है। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने इस वर्ष के दौरान शैक्षिक क्षेत्र के लिए उचित मूल्य पर छपाई का 1,20,000 टन सफेद कागज आवंटित किया है और शिक्षा मंत्रालय की सलाह पर, जून से लेकर दिसम्बर, 1974 तक की अवधि के लिए लगभग 70,000 टन सफेद कागज का आवंटन सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों को किया जा चुका है।

कृषि मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से छात्रावासों को खाद्यान्न की सप्लाई सुनिश्चित करने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए हैं ।

कर्नाटक में पृथक पुरातत्वीय सर्कल

64. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए एक पृथक पुरातत्वीय सर्कल की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी जिलों अर्थात रायचुर, गुलवर्ग तथा बिहार को छोड़कर शेष पूरे कर्नाटक को मिलाकर 1975-76 के दौरान मध्य-दक्षिण सर्किल के नाम से एक नया सर्किल बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय बंगलौर में होगा ।

Implementation of New Pay Scales for University and College Teachers

65. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether he announced new pay scales for University and College teachers on 29th March, 1974 in Lok Sabha;

(b) if so, the position regarding implementation thereof;

(c) whether the All-India Federation of University and College Teachers Organisation observed 8th October as a "Protest Day"; and

(d) if so, the reasons therefor and the action taken by Government to remove those causes ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have conveyed their sanction to the University Grants Commission for implementation of the revised scales of pay for teachers in Central Universities. A similar sanction has been issued in respect of teachers in Indian Institute of Technology, Indian Institutes of Management and the Indian Institute of Science, Bangalore. The revised scales will be effective from January 1, 1973.

The Government of India have also offered to State Governments financial assistance, if they wish to adopt for teachers in the State Universities and in colleges, in the States, the pay scales approved for teachers in Central Universities. The State Government have also been informed that Central assistance will be available even if they decide, after taking local conditions into consideration, to introduce scales of pay different from, but not higher than those for Central Universities. The new scales may be enforced from January 1, 1973 or a later date.

The Central assistance to States will be to the extent of 80% of the additional expenditure involved and will be available for the period January 1, 1973, or the date of implementation, to March 31, 1979.

The revision of scales of pay will be subject to certain conditions regarding the mode of appointment of teachers in colleges, age of superannuation, renumeration for examination work, etc.

The pay fixation in the revised scales will be according to the formulae suggested by the Third Central Pay Commission and accepted by the Government.

(c) and (d) The All India Federation of University and College Teachers' Organisations had given a call to the college and University teachers of India to observe an All-India Protest Day on October 8, 1974 to protest against the delay in implementation of the new pay scales. The Government of India have communicated to the State Governments details of mechanics of implementation of the scheme of revised scales of pay and have requested them to take necessary action to introduce the revised pay scales in universities and colleges in the State at a very early date and to submit proposals to the Government of India to enable them to release their share of assistance.

पालामऊ जिले को खाद्यान्नों का आवंटन

66. कुमारी कमला कुमारी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्नों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार बिहार के पालामऊ जिले के लिए खाद्यान्न का विशेष आवंटन कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : केन्द्रीय भण्डार से स्टाक की उपलब्धता और कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय भण्डार से आवंटन किए जाते हैं। खाद्यान्नों के आंतरिक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और केन्द्रीय सरकार जिलों को कोई भी सीधा आवंटन नहीं करती है ।

Distress sale of children in States

67. Shri R. R. Sharma :

Shri B. S. Chowhan :

Shri Madhavrao Scindia :

Shri Ramsahai Pandey :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of the children sold or abandoned by their guardians since 1st July, 1974, to date in various states; and

(b) the facts and the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (b) The information has been called for from the State Governments and it will be laid on the Table of the Sabha as and when received.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए परिवीक्षा अवधि

68. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (i) सब डिविजनल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किये गये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों तथा (ii) सब डिविजनल अधिकारियों के रूप में नियुक्त तथा समान कार्य करने वाले द्वितीय श्रेणी के सहायक इंजीनियरों के मामले में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये कितनी परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि उनके मामले में कोई परिवीक्षा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक कार्यकारी इंजीनियरों तथा सहायक इंजीनियरों, चाहे वे उप-मण्डलों में उपमण्डलीय अधिकारियों के रूप में अथवा अन्य रूप में कार्य करने के लिए तैनात किए गए हों, दोनों के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है। तथापि, हाल में कनिष्ठ इंजीनियरों के पदों से सहायक इंजीनियरों के पदों पर कई तदर्थ पदोन्नतियां हुई हैं। इन लोगों को परिवीक्षा पर नहीं रखा गया है क्योंकि उक्त पदोन्नतियों को केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा के ग्रेड-II में जिसमें सहायक इंजीनियरों के ग्रेड को संवर्गित किया गया है, नियमित पदोन्नतियों के रूप में नहीं माना गया है ।

इस मामले में तदर्थ पदोन्नतियां इस लिये आवश्यक हुई क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील का समस्त विवाद यह है कि विभिन्न प्रणालियों के जरिये नियुक्ति के लिये सरकार द्वारा निश्चित किये गये पूर्व कोटे को अन्तिम रूप में निर्धारित नहीं किया गया था तथा ये लागू नहीं थे ।

दिल्ली दुग्ध योजना तथा अन्य योजनाओं के दूध की मात्रा और किस्म

69. श्री मधु लिमये : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अलावा, केन्द्रीय सरकार भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में कोई और दुग्ध योजना भी चला रही है;

(ख) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक में से प्रत्येक के अधीन प्रतिदिन कुल कितना दूध सप्लाई किया जाता है; और

(ग) उक्त योजनाओं द्वारा सप्लाई किये जा रहे दूध में सपरेटा, पाउडर चिकनाई आदि की मात्रा कितनी होती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना ही केवल एक ऐसी परियोजना है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पोंडा, चंढीगढ़ और पांडिचेरी अन्य दुग्ध योजनाये हैं, जिन्हें सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्र चला रहे हैं ।

(ख) इन तीनों दुग्ध योजनाओं द्वारा अगस्त, 1974 में रोजाना औसतन दूध की निम्नलिखित मात्रा सप्लाई की गई थी :—

(1) पोंडा दुग्ध योजना	3,600 लिटर प्रति दिन
(2) चंढीगढ़ दुग्ध योजना	45,600 लिटर प्रति दिन
(3) पांडिचेरी दुग्ध योजना	11,000 लिटर प्रति दिन

(ग) दैनिक आधार पर प्रयुक्त होने वाले स्किम दुग्ध चूर्ण की मात्रा शुद्ध दूध की उपलब्धि पर निर्भर करती है, अतः यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि उपभोक्ताओं को इन तीनों योजनाओं द्वारा कितना कितना स्किम दुग्ध चूर्ण सप्लाई किया गया है। इन तीनों परियोजनाओं द्वारा उपभोक्ताओं को सप्लाई किये गये दूध में एस० एन० एफ० और वसा का विवरण नीचे दे दिया गया है ।

योजना का नाम	दूध की किस्म	प्रोटीन (एस० एन० एफ०) (%)	वसा (%)
(1) पोंडा	टोन्ड	8.5	3.0
	पूर्ण	9.0	5.0
(2) चंढीगढ़	टोन्ड	9.0	5.0
(3) पांडिचेरी	टोन्ड	8.5	4.0

तेहरान में हुए एशियाई खेल

70. श्री एच० एन० मुकर्जी :

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल की तेहरान में हुई एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खेल-कूद दल के प्रशिक्षक, श्री जे० एस० सैनी के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चयन में मुख्यतः बाहरी हस्तक्षेप के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देश को सफलता नहीं मिलती; और

(ख) यदि हां, तो वक्तव्य का ब्यौरा क्या है ; और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के एक वरिष्ठ एथलेटिक प्रशिक्षक श्री जे० एस० सैनी के उस वक्तव्य की प्रैस रिपोर्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि प्रशिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलेटों को बिना किसी बाहरी हस्ताक्षेप के चुनने और प्रशिक्षण देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।

श्री जे० एस० सैनी ने अब यह स्पष्ट किया है कि 24 सितम्बर, 1974 को चन्डीगढ़ में भारतीय अमेचर एथलेटिक संघ के अध्यक्ष द्वारा बुलाए गए एक प्रैस सम्मेलन में उनसे पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह कहा था कि अन्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति की तरह किसी टीम को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक को बाहरी हस्तक्षेप के बिना चयन करने में स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए, विशेषकर उन लोगों से जिनको खेल के बारे में अपेक्षित तकनीकी जानकारी नही होती है ।

श्री सैनी द्वारा व्यक्त किये गये विचार, अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लने के लिये टीमों के चयन और प्रशिक्षण के बारे में, अखिल भारतीय खेल परिषद् की सिफारिशों के अनुरूप हैं ।

पुरातन वस्तुओं की देश से तस्करी

71. श्री बरके जार्ज : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्रों के अनुसार दुर्लभ वस्तुओं अर्थात् धातु, पत्थर अथवा काष्ठ मूर्तियों की देश से तस्करी हो रही है;

(ख) क्या इस देश में बेईमान तस्कर, विशेष रूप से दक्षिण में जहां पर बहुत अधिक मंदिर हैं, बहुत अधिक धन कमा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का प्राचीन मंदिरों विशेषकर ऐसे छोटे छोटे मंदिरों के संरक्षण के लिए क्या उपाय करने का है जिनमें मूल्यवान धातु की मूर्तियां हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) जी, हां । देश से पुरावस्तुओं की तस्करी के कुछ मामले समाचार पत्रों में छपे हैं ।

(ख) हालांकि देश से पुरावस्तुओं की तस्करी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कोई विश्वसनीय साधन नहीं है, दक्षिण भारत से पुरावस्तुओं की कई चोरियों की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ग) सरकार द्वारा उठाये गये कदम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-8441/74]**

दिल्ली दुग्ध योजना के लिए सांविधिक नियम

72. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय ने दिल्ली दुग्ध योजना और मुख्य डेरी चलाने के लिए सांविधिक निगम बनाने के कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के प्रस्ताव पर आलोचनात्मक टिप्पणी की है;

(ख) क्या उक्त टिप्पणी में वित्त मन्त्रालय ने कृषि मन्त्रालय और भारतीय डेरी निगम के किन्हीं सर्वोच्च अधिकारियों के बारे में चौंका देने वाले रहस्योद्घाटन किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं; और उक्त टिप्पणी पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) जी नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना के सांविधिक निगम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह प्रस्ताव अभी वित्त मंत्रालय को नहीं भेजा गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allotment of houses by D. D. A. under middle and low-income groups

73. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of persons who had been registered by Delhi Development Authority for middle and low income group houses but have not so far been allotted houses and the time by which houses are likely to be allotted to them; and

(b) the time by which the fresh registration would be started and the changes being made in the terms and conditions in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia): (a) The information is given below :

Category	*No. of registered persons waiting for allotment*
MIG	5748
LIG	4810

It is difficult to specify the time by which all the registered persons will be allotted flats.

(b) A decision regarding fresh registration and changes in terms and conditions is yet to be taken.

राज्यों में घरेलू उद्यान (किचन गार्डन)

74. श्री राजदेव सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस शरद् ऋतु में घरेलू उद्यान लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को किसी प्रोत्साहन सहित यही अभियान चलाने के निदेश दिए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान, राजकीय क्षेत्र में कार्यों के रूप में सघन वनस्पति विकास कार्यक्रम तथा शाक वाटिका कार्यक्रम शुरू करें।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे तकनीकी मार्ग दर्शन प्रदान करें तथा बीज व उर्वरक आदि आदानों की सप्लाई करें। उनसे वनस्पति रक्षण सम्बन्धी उपाय करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

Additional foodgrains for Madhya Pradesh

75. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have requested the Centre for additional allocations of foodgrains, in view of acute shortage of foodgrains in the State;

(b) if so, the quantity of additional foodgrains asked for by that state; and

(c) the reaction of the Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a), (b) & (c) Madhya Pradesh is surplus in rice and there has been no request for allotment of rice. The State is marginally surplus in wheat also. As against the request of the State Government to increase allocations to 25,000 tonnes, 7,000 tonnes of wheat for October, 1974, and 12,000 tonnes of wheat for November, 1974, were allotted from the Central Stocks.

पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण क्षति

76. **श्री सरदीश राय :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस वर्ष बाढ़ से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1974 की बाढ़ों द्वारा हुई सम्पत्ति तथा जन-जीवन की हानि निम्न प्रकार है :—

जन-जीवन की हानि	33
फसलों को क्षति	2626 लाख रुपये
मकानों को क्षति	15.23 लाख रुपये
जन सुविधाओं को क्षति	41.35 लाख रुपये

(ख) बाढ़ों द्वारा हुई क्षति को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाढ़ सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। 1954 से लेकर चतुर्थ योजना के अन्त तक हुई प्रगति निम्न प्रकार से है :—

निर्मित तटबंधों की लम्बाई	280 किलोमीटर
निर्मित जल-निकास नालियां	449 किलोमीटर
पूर्ण की गई नगर सुरक्षा स्कीमें	27

ये स्कीमें 33.66 करोड़ रुपये के परिव्यय से कार्यान्वित की गई हैं और लगभग 6.8 लाख हैक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचा है।

बाढ़ सुरक्षा उपाय पांचवीं योजना के दौरान जारी रखे जा रहे हैं और इस काम के लिए 47.75 करोड़ रुपये का अनन्तिम प्रावधान रखा गया है ।

तीस्ता में बाढ़ों की पूर्व सूचना देने के लिए 1969 से जलपाइगुडी में केन्द्र द्वारा स्थापित एक बाढ़ पूर्व सूचना यूनिट कार्य कर रही है। बाढ़ों द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को चेतावनी देने तथा बचाव और सहायता कार्यों का प्रबंध करने में भी जिला अधिकारियों द्वारा इन पूर्व-सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है।

Failure of national archives in obtaining ancient manuscript

77. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether the National Archives has not yet acquired

(i) the thumb impression of Gandhiji taken in Africa,

(ii) Quran Sharif written by Aurangjeb, and

(iii) the decree issued by L. K. Davis regarding award of punishment to Bahadur Shah Zafar; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) According to newspaper reports, the fingerprint im-

pression of Mahatama Gandhi as a prisoner in South Africa was offered for sale to the Delhi Archives. No such offer was either made to the National Archives of India or brought to its notice.

The National Archives of India is primarily concerned with documents of the modern period of Indin History and does not normally acquire religious manuscripts of the type mentioned in the question.

The full text of the court proceedings relating to the trial of Bahadur Shah Zafar is available with the National Archives of India.

Construction work of inter-state bus terminus in Delhi

78. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 864 on 29th July, 1974 and state :

(a) whether the construction work of Inter-state Bus Terminus in the Capital has since been completed ;

(b) if so, the date of its completion and the expenditure incurred on the construction thereof *vis-a-vis* that envisaged earlier; and

(c) if the construction work has not so far been completed, the reasons thereof and the time by which it is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The work has been delayed due to the termination of the contract originally awarded, stay orders brought by the Contractor and also because of acute shortage of cement and steel.

Whereas the Departure Block, Shop Complex, incoming and outgoing porch, the local bus station and pedestal bridge have been completed, the link block is likely to be completed by January, 1975. The work as a whole is likely to be completed by March, '75.

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन

79. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने सरकार से दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

चीनी कारखानों में कार्य दिवस, चीनी की वसूली तथा कारखानों द्वारा गन्ने के दिए गए वास्तविक मूल्य

80. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान प्रत्येक राज्य के कारखाने वार कार्य-दिवस (रिकवरी) वसूली की औसत प्रतिशतता, राजसहायता अथवा प्रोत्साहन यदि दिया गया हो, सहित प्रति क्विन्टल दिये गये वास्तविक मूल्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान): 1973-74 के मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में फैक्ट्रीवार अवधि, चीनी की प्रतिशत वसूली और फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का दिया गया मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-8442/74]**

1973-74 के लिए लेवी की चीनी की औसत वसूली तथा मूल्य

81. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में प्रत्येक जोन में 1973-74 वर्ष के लिये चीनी की औसत वसूली कितनी हुई तथा लैवी की चीनी का मूल्य कितना था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : विभिन्न जोनों में वर्ष 1973-74 के लिये चीनी की अनुमानित औसत वसूली और डी-29 ग्रेड की लेवी चीनी के निकासी मूल्य, जोकि उसी संदर्भ में अधिसूचित किए गए थे, का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

जोन	चीनी की अनुमानित औसत वसूली (प्रतिशत)	चीनी का निकासी मूल्य (रु० क्विन्टल)
पंजाब	7.69	194.03
हरियाणा	8.26	170.08
राजस्थान	9.22	175.52
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	9.37	157.83
केन्द्रीय उत्तर प्रदेश	9.46	155.30
पूर्वी उत्तर प्रदेश	8.98	167.95
उत्तरी बिहार	8.95	169.80
दक्षिणी बिहार	9.00	183.07
गुजरात	10.13	150.35
मध्य प्रदेश	9.19	178.65
महाराष्ट्र और गोआ	10.71	156.99
कर्नाटक	9.90	159.14
आन्ध्र प्रदेश	9.24	159.55
तमिल नाडु और पांडिचेरी	8.76	155.19
असम, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	8.76	163.92
केरल	8.54	173.58

खरीफ ऋतु के लिये आपात-कालीन कृषि संबंधी योजना

82. श्री धामनकर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुई व्यापक वर्षा का लाभ उठाते हुए सरकार ने खरीफ ऋतु के शेष भाग तथा आगामी रबी ऋतु के दौरान खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक आपात-कालीन योजना चलाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) तथा (ख) अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में हुई वर्षा का लाभ उठाकर खरीफ के मौसम के शेष भाग तथा आगामी रबी के मौसम के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गये हैं। जिन क्षेत्रों में प्रायः केवल खरीफ की फसलें ही उगाई जाती हैं उनमें अन्य फसलें उगाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। नमी की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए रबी के मौसम के लिए गेहूं, चना तथा तिलहनों

के लिए एक बड़े कार्यक्रम की सिफारिश की गई है। किसानों को सलाह दी गई थी कि वे असिंचित क्षेत्रों में गेहूं तथा चने के खेतों में उर्वरकों की कम मात्रा का उपयोग करें क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में भूमि में नमी मौजूद हो तो उर्वरकों का उपयोग करने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। विशेषकर उत्तरी-पूर्वी राज्यों में (जहां बीजों की कमी है) बीजों की मांग को पूरा करने के लिये भी व्यवस्था की गई थी। सिफारिश की गई पैकेज की विधियों को लोकप्रिय बनाने समय पर बुवाई करने, उर्वरकों का उचित तथा संतुलित उपयोग करने, आदि के संबंध में कृषकों को बड़े पैमाने पर शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिये आकाशवाणी का भी उपयोग किया गया है।

चावल और खरीफ में पैदा होने वाले अन्य खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

83. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल तथा खरीफ में पैदा होने वाले अन्य खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के बारे में हाल ही में दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्ष तथा कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें क्या क्या हैं; और

(ख) क्या कुछ मुख्य मंत्रियों ने वर्तमान वसूली व्यवस्था का विरोध किया और कुछ वैकल्पिक सुझाव दिये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और सितम्बर, 1974 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त किये गए विचारों तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने खरीफ के अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य पहले ही घोषित कर दिये हैं।

जहां तक अधिप्राप्ति की प्रणाली का संबंध है, हालांकि उत्पादकों, मिल मालिकों पर लेवी लगाने, एकाधिकार खरीदारी के हक में विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये गए थे, लेकिन आम राय यह थी कि राज्य सरकारों को इस बात की इजाजत दे देनी चाहिए कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कोई भी प्रणाली अपनायें ताकि अधिप्राप्ति में वृद्धि हो सके।

अधिक उपज देने वाले बीजों की सप्लाई

84. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर किस्म के अधिक उपज देने वाले बीजों की भूमि का तथा उनके उत्पादन के संबंध में मंत्रालय, योजना आयोग और प्रधान मंत्री द्वारा उत्तरोत्तर अधिक बल दिये जाने के संदर्भ में, देश में किसानों को ऐसे बीजों की सप्लाई को सुधारने के लिये कुछ तात्कालिक कार्यवाहियां की गई हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के अपेक्षित स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए कड़े किस्म के नियंत्रण लागू किये गए हैं; और

(ग) क्या बीजों की जितनी भी मात्रा उपलब्ध है, उनकी बिक्री चोर बाजार में की जा रही है और देश भर से छोटे किसानों से इस संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) उन्नत किस्मों के बीजों के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम और भारतीय राज्य र्म निगम आदि जैसे अखिल भारतीय बीज उत्पादक संगठन राज्य सरकारों द्वारा संगठित बीज उत्पादन कार्यक्रमों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। कृषि मंत्रालय बीजों की आवश्यकताओं की समीक्षा करने और उनकी सप्लाई के लिए की जा रही व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों और अखिल भारतीय बीज उत्पादन संगठनों के प्रतिनिधियों से वर्ष में दो बार क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता रहा है। ऐसे विचार-विमर्श के आधार पर राज्य सरकारें इन बीज उत्पादन कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने और संगठन करने के लिए कदम उठाती रही हैं। अखिल भारतीय बीज उत्पादन संगठन भी अपने बीज उत्पादन कार्यक्रमों का विस्तार करते रहे हैं, ताकि बड़ी मात्रा में अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध किये जा सकें। भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया हैं। इसका काम यह देखना है कि मूल/मूलाधार और आधारी बीजों का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि आगामी मौसमों में प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सके।

कुछ राज्य सरकारों ने भी बीज उत्पादन कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए बीज निगमों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(ख) बीज अधिनियम 1966 में बाजार में बेचे जाने वाले बीजों की क्वालिटी के नियमन की व्यवस्था है और राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू कराने के लिए बीज निरीक्षक नियुक्त करें। भारत सरकार ने राज्य सरकारों पर जोर दिया है कि वे यह महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लेने के लिये कारगर मशीनरी स्थापित करें। भारत सरकार एक ऐसी योजना पर भी विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत बीजों और कीटनाशी दवाओं तथा उर्वरकों जैसे कृषि के अन्य साधनों की क्वालिटी पर नियंत्रण रखने के लिये एक स्वतन्त्र मशीनरी स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता की जायेगी।

(ग) बीजों के मूल्य पर सांविधिक या अन्य उपायों से किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय बीज निगम या तराई विकास निगम जैसे बीज उत्पादक संगठन अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करते रहे हैं और यदि उनके द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्यों से अधिक दाम में विक्रेता ये चीजें बेचें तो वे उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं।

आन्ध्रथरी और राजवलीगढ़ (बिहार) की खुदाई

85. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पुरातन सर्वेक्षण विभाग पटना के किसी अधिकारी ने बिहार में मधुबनी जिले के आन्ध्रथर ब्लाक का दौरा किया और वहां स्थित लगभग 80 प्राचीन अवशेषों के चित्र लिये और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या प्राचीन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक का गृह-स्थान भूमि स्थल अभी भी वहां स्थित है और उस स्थान की खुदाई करने और उसे संरक्षण देने की आवश्यकता है; यदि हां, तो इस कार्य के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) बाबू बराही ब्लाक के निकट स्थित आन्ध्रथरी और राजवलीगढ़ की खुदाई के लिये पुरातत्व विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है और अब तक की खुदाई के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) आन्ध्रथरी तथा राजवलीगढ़ में खुदाई करने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कोई योजना नहीं है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग का राजवलीगढ (जो बलीराजगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है) में खुदाई जारी रखने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम को केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड द्वारा हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है। बलीराजगढ़ में की गई पहली खुदाइयों से पता चला था कि यह एक ऐसा स्थान था, जिसकी किलेबंदी की हुई थी और जिसका ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से पाला काल तक, प्रयोग होता रहा था। इस स्थान पर जो महत्वपूर्ण वस्तुयें प्राप्त हुई थी उनमें सिक्के संगा मिट्टी की पट्टियांएं और विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं।

Books Received in National Library under the Copyright Act

86. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the languagewise number of books published in India during the last one year; and

(b) the number of published books received during the year in the National Library in accordance with the relevant Act ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Precise information is not available.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राजस्थान में आवास हेतु नियतन

87. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में राजस्थान में आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) क्या इस राशि से बनाये जाने वाले आवासों की संख्या के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के संबंध में राजस्थान सरकार के साथ हुए विचार विमर्श के दौरान, योजना आयोग ने 'आवास' के लिये 9 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की जिसमें योजना-वार नियतन का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया । राज्य सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्यों की अभी सूचना नहीं दी है ।

राजस्थान के लिए नाइट्रोजन उर्वरक

88. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973–74 के लिये राजस्थान के लिये नाइट्रोजन उर्वरक का कोई नियतन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1973–74 (फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक) की अवधि में राजस्थान सरकार को केन्द्रीय उर्वरक पूल और देशी विनिर्माताओं से, वनस्पति पोषक तत्वों के रूप में 63035 मीटरी टन नाईट्रोजन आवंटित किया गया था ।

Work Bank Aid for Dairy Development in M.P.

89. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 203 on 5th August, 1974 regarding credit from I.D.A. for intensive cattle and poultry development in Madhya Pradesh and state :

(a) whether Dairy Development Programme proposed to be launched in Madhya Pradesh with the assistance from I.D.A. has since been finalised; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Negotiations with the World Bank regarding this project have been completed last month. The agreement for financing the project are expected to be concluded shortly.

(b) The project will provide for upgrading of cows through extensive cross-breedings, collection of milk, processing and marketing through 1200 milk cooperatives to be organised into 3/4 milk unions under the ageis of a public sector corporation to be set up jointly by the GOI and the State Govt. It will cover 9 districts of Western M.P. At the end of ten years, it is estimated that the project will increase milk production in this area to 285,000 tonnes a year and benefit 160,000 farming families or 9 lakh persons. A large number of small and marginal farmers will be able to earn extra income without high investment. The economic rate of return on the total investment is estimated at 34.

Sugar quota for Madhya Pradesh

90. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the quota of sugar for Madhya Pradesh has been curtailed;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the monthly quota of sugar supplied to the said State during the current year and the previous year, separately?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) The basic monthly levy quota of sugar of each State/Union Territory, including Madhya Pradesh, has been fixed on a rational basis, after taking into account the population figures and the past pattern of consumption. Actual monthly allotments are, however, adjusted marginally in relation to the total release of levy sugar for each month. Due to a fall in the production of sugar coupled with the decision taken to export 5 lakh tonnes of sugar to earn the much needed foreign exchange, the total quantum of monthly releases had to be curtailed from June, 1974 resulting in a proportionate reduction in the quotas of the States, including Madhya Pradesh.

(c) A statement showing the monthly quota of levy sugar allotted to the Madhya Pradesh State during the Calendar years 1973 and 1974 (Upto November, 1974) is attached.

Statement

	Monthly quota allotted (in tonnes)
1973	
January, 1973	11598
February, 1973	11598
March, 1973	11598
April, 1973	11598
May, 1973	12848
June, 1973	12848
July, 1973	12519
August, 1973	11874
September, 1973	11874
October, 1973	13124
November, 1973	11874
December, 1973	11874
1974	
January, 1974	12514
February, 1974	12514
March, 1974	12514
April, 1974	12514
May, 1974	12514
June, 1974	11869
July, 1974	11224
August, 1974	11224
September, 1974	11224
October, 1974	11224
November, 1974	11224

मंदिर मार्ग के क्वार्टरों के संबंध में पानी के बिल

91. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो वर्ष पूर्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सैक्टर 'डी' मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के सभी क्वार्टरों में पानी के अलग-अलग मीटर लगाये गये थे;

(ख) क्या वहां के निवासियों को पानी के बिल भेजने में विलम्ब किया जाता है और मामले का निपटान नई दिल्ली नगरपालिका के परामर्श से किया जाता है और बस्ती में जल की सप्लाई के वास्तविक घंटों के अनुसार पानी की समान दरों को निश्चित किया जाता है; और

(ग) क्या पम्पिंग स्टेशन के द्वारा निवासियों को जल की सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सिविल) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (एलैक्ट्रीकल्स) के बीच कोई उचित तालमेल नहीं है जिसके परिणामस्वरूप निश्चित समय में जल की सप्लाई नहीं की जाती है तथा जल की उचित सप्लाई के लिये जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जाती है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :(क) जी हां।

(ख) सामग्री एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल तथा बिजली पक्षों के बीच उचित समन्वय है। जल की सप्लाई भी सामान्यतया निश्चित घंटों के दौरान की जाती है।

मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के नये बने आठ मंजिला फ्लैटों के लिए जल प्रदाय व्यवस्था

92. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दिर मार्ग नई दिल्ली के सैक्टर 'डी' के सरकारी क्वार्टरों के निवासियों को कुछ ही घंटों के लिए जल की सप्लाई की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नये आठ मंजिला क्वार्टरों (टाईप चार के) को इन क्वार्टरों के वास्तविक आवंटन से पूर्व जल की सप्लाई करने हेतु एक पृथक जल कनैक्शन देने तथा एक भूमिगत जल टैंक की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि इस बस्ती में जल की सप्लाई की स्थिति और अधिक न बिगड़े ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका की मुख्य नलों से जल की उपलब्धता सीमित होने के कारण, क्वार्टरों के नये आठ मंजिले ब्लाकों के लिये उन में से अलग कनेक्शन लेना न तो व्यवहार्य है और न ही यह सहायक सिद्ध होगा। जल की सप्लाई बढ़ाने के लिये सरकार नल-कूप खोद रही है। यह शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। इस नलकूप से पानी मौजूदा भूमिगत टैंकों में ले जाया जाएगा तथा उपरि टैंकों में भेजा जाएगा। नये आठ मंजिले ब्लाकों पर अलग से उपरि टैंक बनाये गये हैं। अलग भूमिगत टैंक आवश्यक नहीं समझे गए। नया नल-कूप चालू होने से मौजूदा क्वार्टरों की पानी की सप्लाई में खराबी नहीं आयेगी बल्कि इस में सुधार की संभावना है।

गुजरात राज्य में कपास और कपास के बीज बिनौले का उत्पादन

93. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में कपास के बीज (बिनौले) का कुल उत्पादन क्या था, वहां के कपास-उत्पादकों को कितनी मात्रा का वितरण किया गया;

(ख) गुजरात राज्य में कपास की कौन-कौन सी किस्मों का उत्पादन होता है; और

(ग) इस वर्ष गुजरात में विभिन्न किस्मों की कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) वर्ष 1973–74 के दौरान, गुजरात राज्य ने 870.9 हजार मीटरी टन कपास पैदा की थी जिसमें से 580.6 हजार मीटरी टन बीज और 16.13 लाख गांठें लिन्ट थी। 1974–75 के चालू मौसम के दौरान कपास उगाने वाले किसानों को 109.73 हजार मीटरी टन उन्नत बिनौला वितरित किया गया था।

(ख) वर्ष 1973–74 के कुल कपास के उत्पादन के विषय में किस्मवार अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

गुजरात में वनस्पती की कमी

94. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तिमाही के दौरान गुजरात में वनस्पति की कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार इसकी मांग की पूर्ति करने हेतु गुजरात को वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त मात्रा आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) वनस्पति के कम उत्पादन के कारण देश भर में विभिन्न परिमाण में वनस्पति की कमी महसूस की गयी थी और यह कमी केवल गुजरात तक सीमित न थी।

(ख) और (ग). वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रित नियंत्रण नहीं है। अतः गुजरात को वनस्पति का आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सौराष्ट्र प्रदेश के अभावग्रस्त जिले

95. श्री वेकारिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों को अभाव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) ऐसे जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन जिलों में क्या विशेष सुविधायें प्रदान की गयी हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) उन जिलों के नाम ये हैं :—

कच्छ, जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, भावनगर और जूनागढ़।

(ग) राज्य सरकार ने सहायता कार्यों की व्यवस्था की है। नक़द आर्थिक सहायता प्रदान की है, सहाय प्राप्त दरों पर घास वितरित की है और विभिन्न तरीकों से पीने का पानी सप्लाई किया है।

उत्तर प्रदेश के टिहरी पर्वतीय जिले का विकास

96. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वतीय जिले टिहरी के विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर जर्मन सरकार कितना धन व्यय करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) से (ग) जर्मन सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले टिहरी के गहनविकास हेतु कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। तथापि, पश्चिम जर्मन सरकार द्वारा भारत की ग्राम विकास परियोजनाओं को सहायता देने में रुचि दिखाने पर भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों और पश्चिम जर्मन सरकार के बीच कुछ प्रस्तावों के बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है। पश्चिम जर्मन सरकार के सहायता कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

गुजरात को अनाज

97. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को कमी वाला राज्य घोषित किया गया है ;

(ख) गुजरात सरकार को राज्य में कमी का सामना करने के लिये अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1974 के लिए कितने खाद्यान्न की आवश्यकता थी; और

(ग) उक्त अवधि में आवश्यकता की तुलना में कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात को केन्द्रीय भंडार से खाद्यान्न प्राप्त होता रहा है।

(ख) और (ग) अगस्त से अक्तूबर, 1974 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार की मांग 525 हजार मीटरी टन थी और इसमें से 192 हजार मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किया गया था। नवम्बर, 1974 के लिये आवंटित मात्रा 82 हजार मीटरी टन है जबकि मांग 175 हजार मीटरी टन की थी। खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राज्य को चालू मौसम के व्यापार खाते में लगभग 32 हजार मीटरी टन गेहूं आयात करने की अनुमति दी गई थी। मार्च, 1974 से मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने से राज्य के भीतर मोटे अनाजों का मुक्त संचलन शुरू हुआ है।

वर्ष 1973-74 के दौरान गोग्रा को नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का ग्रावंटन

98. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973–74 के दौरान गोग्रा को नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों का कोई ग्रावंटन किया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का ग्रावंटन किया गया है ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) ग्रौर (ख) वर्ष 1973–74 (फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक) की ग्रवधि में गोवा प्रशासन को केन्द्रीय उर्वरक पूल ग्रौर देशी विनिर्माताग्रों से वनस्पति पोषक तत्वों के रूप में 1512 मीटरी टन नाइट्रोजन ग्रावंटित किया गया था ।

गोग्रा में निम्नग्राय वर्ग के लोगों के लिए मकान

99. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोग्रा में ग्रब तक निम्न ग्राय वर्ग के लोगों के लिये कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : ग्रब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के ग्रनुसार, गोग्रा, दमन तथा दीव सरकार ने निम्न ग्राय वर्ग ग्रावास योजना के ग्रन्तर्गत 52 मकानों का निर्माण किया है ।

गोग्रा में ग्रावास योजनाग्रों के लिए धनराशि का नियतन

100. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना के दौरान गोग्रा में ग्रावास कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के संबंध में गोग्रा सरकार से हुए विचार-विमर्श के दौरान, योजना ग्रायोग ने 'ग्रावास' के लिए 2.25 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है ।

वर्ष 1972-73 ग्रौर 1973-74 के दौरान गोग्रा को सप्लाई की गई चावल ग्रौर चीनी की मात्रा

101. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1972–73 ग्रौर 1973–74 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने गोग्रा सरकार को चावल ग्रौर चीनी की कितनी मात्रा सप्लाई की ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिंदे) : वित्तीय वर्ष 1972–73 ग्रौर 1973-74 के दौरान गोग्रा, दमन ग्रौर दीव के प्रशासन को चावल ग्रौर लेवी चीनी की सप्लाई की गई । ग्रावंटित की गई मात्रा इस प्रकार है :—

(मात्रा हजार मी० टन में)

वर्ष	चावल की सप्लाई की गई मात्रा	लेवी चीनी की ग्रावंटित की गई मात्रा
1972–73 लगभग	20.9	5.948
1973–74 ,,	24.9	6.162

पंजाब में ग्रावास के लिए धनराशि का नियतन

102. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान पंजाब में ग्रावास योजनाग्रों के लिए कुल कितनी धन राशि का नियतन किया गया है ;

(ख) क्या नियत की गयी इस धन राशि से बनाये जाने वाले घरों की संख्या के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के संबंध में पंजाब सरकार के साथ हुए विचार विमर्श के दौरान योजना आयोग ने 'आवास' के लिये 13.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी, जिसमें योजनावार नियतन का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। राज्य सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन वास्तविक लक्ष्यों की सूचना अभी नहीं दी है।

स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का शामिल किया जाना

103. श्री वयालार रवि : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को शामिल करने की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया की मांग के बारे में 5 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1593 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, समाज-शास्त्र अध्ययन, इतिहास आदि की पाठ्यचर्या में सम्मिलित हैं। विद्यार्थियों पर पहले ही भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए, सभी विद्यार्थियों के लिये स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को अध्ययन पाठ्यक्रम का एक अलग और अनिवार्य विषय बनाना वांछनीय नहीं समझा गया है।

केरल को कृषि सहायता

104. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल को दी गई कृषि सहायता की कुल राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त सहायता के अन्तर्गत शामिल की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अन्तर्गत किस प्रकार के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है :

विवरण

क्रम सं०	वर्ष	सहायता की राशि	उद्देश्य
1.	1972–73	135.00 लाख रु०	सामान्य गतिविधियों के आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरकों, बीजों, कीटनाशी औषधियों आदि आदानों की खरीद के लिये स्वीकृत अल्पकालीन ऋण।
		12.017 लाख रु०	फसल विकास के लिये केन्द्रीय आयोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि।
	योग	147.017 लाख रु०	
2.	1973–74	41.52 लाख रु०	उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशी औषधियों आदि आदानों की खरीद के लिए अल्पकालीन ऋण।
		21.101 लाख रु०	फसलों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत रकम।
	योग	62.621 लाख रु०	
3.	1974–75	1,020.00 लाख रु०	उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशी औषधियों आदि आदानों की खरीद के लिये स्वीकृत अल्प कालीन ऋण।
	1972–73 से 1974–75 तक के 3 वर्षों का कुल योग	1,229.638 लाख रु०	

दिल्ली में संसद सदस्यों को भूमि का आवंटन

105. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटित किये जाने के लिए संसद सदस्यों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों की दिनांक सहित सूची क्या है;

(ख) किन-किन संसद सदस्यों को कितनी-कितनी भूमि किस किस तारीख को दी गई;

(ग) किन-किन संसद सदस्यों के आवेदन पत्र अभी तक विचाराधीन पड़े हैं और आवंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे संसद सदस्यों को, जिनके भूमि के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, आवंटन किस तारीख तक कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

जिन संसद सदस्यों के आवेदन अभी निलम्बित पड़े हैं उन्हें प्लाटों के आवंटन में विलम्ब प्लाटों की अनुपलब्धता के कारण हुआ है।

(घ) कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है। जैसे ही निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग योजनाओं के अन्तर्गत संसद सदस्यों को आवंटन के लिये प्लाट उपलब्ध होंगे, आवंटन कर दिये जायेंगे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल०टी०—8443/74]**

सलाहकार अधिकारियों की कनिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति

106. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 5 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1616 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी बैठक मई, 1974 में हुई थी, की सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और उनकी क्रियान्विति के संबंध में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) जूनियर विभागीय पदोन्नति समिति ने सहायक शिक्षा अधिकारियों (सामान्य) के रूप में पदोन्नति हेतु अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से संबंधित आदेश जारी किये जा चुके हैं।

गेहूं लेवी आदेशों में संशोधन करने के लिए पंजाब सरकार का अनुरोध

107. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने विभिन्न गेहूं लेवी आदेशों में संशोधन करने के लिए कोई अनुरोध किया है ताकि राज्य सरकार गेहूं के पूर्णतः राजकीय व्यापार को पुनः लागू कर सके;

(ख) इस प्रकार के अनुरोध के लिए क्या कारण बताये गए हैं; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार ने पंजाब गेहूं व्यापारी लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण आदेश, 1973 में संशोधन किया है ताकि सभी गेहूं व्यापारियों के लिये 100 क्विंटल की स्टाक-सीमा निर्धारित की जा सके। विभिन्न कदाचारों, जोकि व्यापारियों द्वारा किये जा रहे थे, को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी समझा गया था।

मुर्गे-मुर्गियों का आयात

108. श्री वसंत साठे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के स्वदेशी कुक्कुट पालन उद्योग ने सरकार से विदेशों से विदेशी मुद्रा का भुगतान करके अच्छी किस्म के चूजों के निरन्तर आयात के विरुद्ध संरक्षण पाने के लिये अनुरोध किया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) सरकार के विदेशों से गत तीन वर्षों के दौरान मुर्गे-मुर्गियों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की—उसका वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुर्गे-मुर्गियों के बड़े पैमाने पर अन्धाधुन्ध आयात के परिणामस्वरूप रोग भी यहां आ गये हैं जो देश के कुक्कुट उद्योग को किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं; और

(घ) क्या सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय सप्लायरों ने कुक्कुटों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने पास पर्याप्त क्षमता बढ़ा ली है, मुर्गे-मुर्गियों के आयात के लिये नये आयात लाइसेंस देने पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) ऐसे कुक्कुट प्रजनकों से जिनको विशुद्ध नस्लों का आयात करने की इजाजत दी गई है, एक अभिवेदन आया है जो सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं । सरकार ने प्रजनक नस्लों का बिना समझे बूझे आयात करने का अधिकार नहीं दिया है । यह देखने के लिए पूरी सावधानी बरती जाती है कि आयात की गई नस्लों में कोई बीमारी न हो, हालांकि कुछ रोग आ जाने की सम्भावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(घ) एक उच्चतर निर्यात समिति बनाई गई है जिसे विभिन्न कुक्कुट नस्लों का देश में आयात करने के बारे में भावी नीति निर्देशन की सिफारिश करने के लिये कहा गया है ।

विवरण

कुक्कुट नस्लों का आयात करने के लिए कुक्कुट इकाइयों के लिए सिफारिश की गई विदेशी मुद्रा ।

क्र० सं०	देश का नाम	सिफारिश की गई विदेशी मुद्रा (रु० लाखों में)		
		1971-72	1972-73	1973-74
1	अमरीका	6.06	12.36	2.23
2.	कनाडा	शून्य	2.00	2.00
3.	ब्रिटेन	शून्य	7.604	शून्य
4.	इजराइल	शून्य	2.415	शून्य

छिपा जमा खाद्यान्न को बाहर निकालने के लिए अभियान

109. श्री वसंत साठे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की वर्तमान कमी काफी हद तक बड़े तथा मध्यम स्तर के कृषकों तथा व्यापारी समुदाय द्वारा खाद्यान्न के स्टाक जमा करने के कारण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या छिपे खाद्यान्न को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि खाद्यान्नों की मौजूदा कमी अन्य बातों के अलावा, बड़े किसानों और व्यापारी समुदाय द्वारा स्टाक की जमाखोरी करने के कारण हुई है । जमाशुदा स्टाक को बाहर निकलवाने की दिशा में सभी प्रयास किये जा रहे हैं। जमाखोरों और चोर बाजारियों के विरुद्ध भारत सुरक्षा नियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सख्त कार्यवाही की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आयी है और मंडी में उपलब्धता में भी सुधार हुआ है ।

भूमि सुधार के बारे में विश्व बैंक के विचार

110. श्री वसंत साठे :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लैण्ड रिफार्म इन इंडिया इनेफैक्टिव, सेज वर्ड बैंक" शीर्षक से 30 सितम्बर, 1974 को प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित अनेक बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

आयाति ढोरों से रोग

111. श्री वसंत साठे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1974 को "इम्पोर्टेड कैटल सैट आफ सीरियस डिसीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है; और इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने डेनमार्क न्यजीलैंड और अमरीका से भारतीय डेरी निगम के जरिये जर्सी और फ्रीजियन नस्लों के 756 औसरों का सन् 1973 के शुरू में आयात किया था। ये पशु भारतीय डेरी निगम, विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के लिए थे । इन पशुओं में कोई गम्भीर बीमारी लग जाने की कोई खबर नहीं आई है । भारत सरकार के पास इस खबर में बताये गए इन पशुओं की संतति में "बुलडोजिज्म' की कोई शिकायत नहीं आई है ।

अगले छह महीनों के दौरान अन्न की आवश्यकता का अनुमान

112. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले छह महीनों के दौरान देश में गेहूं की आवश्यकता के बारे में सरकार का क्या अनुमान है;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि देश में उपलब्ध अन्न के स्टाक से आवश्यकता पूरी की जा सकेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो विदेशों से खरीद सहित अन्य स्त्रोतों से अन्न प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकारी वितरण प्रणाली के लिये गेहूं समेत खाद्यान्नों की जरूरतों की बराबर समीक्षा की जाती है। सरकार के पास उपलब्ध स्टाक, बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, मूल्य प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखने के बाद विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करने के भी प्रबन्ध किये गये हैं ।

उड़ीसा में निम्न आय के व्यक्तियों के लिए निर्मित मकान

113. श्री अनादि चरण दास : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा में निम्न आय के व्यक्तियों के लिये कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त मकानों के निर्माण का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर, निम्न आय वर्ग आवास योजना, सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के अधीन 6490 मकानों का निर्माण किया गया है।

(ख) तथा (ग) दो आवास योजनायें पहले से ही हैं (i) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना, जिन के अधीन उड़ीसा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास तथा आवास-स्थलों के कार्यक्रम को कर सकती हैं। दोनों ही योजनायें राज्य क्षेत्र में हैं वित्त मंत्रालय ग्रामीण आवास समेत राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों को देता है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार ग्रामीण आवास सहित राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियों का नियतन निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकारों के वार्षिक योजना नियतनों में पृथक तथा विशिष्ट निधियां निश्चित की जाती हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा के लिये वर्ष 1974-75 के लिये 40 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

2 उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अधीन 4350 मकानों का निर्माण किया गया। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अधीन हुई प्रगति की सूचना नहीं दी है।

पांचवीं योजना के दौरान आवास हेतु उड़ीसा के लिए किया गया आवंटन

114. श्री अनादि चरण दास : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना क दौरान—उड़ीसा के लिये आवास योजनाओं हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या इस आवंटन से निर्मित किये जाने वा े मकानों के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पांचवीं-पंच-वर्षीय योजना बनाने के संबंध में उड़ीसा सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान, योजना आयोग ने 'आवास' के लिये 20 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी और योजनावार नियतन करने का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया था। राज्य सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी सूचना अभी नहीं दी है।

1972-73 तथा 1973-74 के दौरान उड़ीसा को सप्लाई किया गया चावल तथा चीनी

115. श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगा देव :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को चावल और चीनी की कितनी मात्रा सप्लाई की; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य ने चावल और चीनी की कितनी मात्रा की मांग की है ?

8/Lok Sabha/74—12

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वित्तीय वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान केन्द्र द्वारा उड़ीसा को आवंटित/सप्लाई की गई चावल और चीनी की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	(हजार मी० टन में) चावल सप्लाई की गई मात्रा	लेवी चीनी आवंटित मात्रा
1972–73	76.0	59.502
1973–74	शून्य	61.552

(ख) वित्तीय वर्ष 1972–73 के दौरान उड़ीसा द्वारा मांगी गई चावल की मात्रा 1.3 लाख मीटरी टन थी। वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये चावल की कोई भी मांग नहीं की गई थी।

जहां तक चीनी का संबंध है, इन दो वित्तीय वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार की ओर से उनके चीनी के मासिक कोटे में कोई वृद्धि करने के बारे में कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

तमिलनाडु में समाज कल्याण योजनाएं

116. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण की योजनाएं अभी तक आरम्भ नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना है;

(ग) उनको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक प्रारम्भ किया जायेगा; और

(घ) इस उद्देश्य के लिये राज्य को कितना धन आवंटित किया गया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क), (ख), (ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

निर्माण कार्यों में सीमेंट और इस्पात के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के कारण श्रमिकों को कठिनाइयां

117. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रिहाइशी और वाणिज्यिक भवनों के निर्माण में सीमेंट और इस्पात पर रोक लगाये जाने के कारण अनेक श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए भवनों के कतिपय वर्गों के निर्माण में सीमेंट के उपयोग पर पाबन्दी लगा दी है। इन भवनों के लिये इस्पात देने पर भी निम्न प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सीमेंट और इस्पात प्राथमिकता दिये जाने वाले क्षेत्रों तथा निर्यात की आवश्यकता पूरी करने के लिये बचाया जा सके तथा देश में चल रही मूल्य वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति रोकी जा सके। सरकार ने जहां तक संभव हो, स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि निर्माण की गतिविधियों तथा मजदूरों को इस से क्षति न हो।

डी० सी० एम० तथा गणेश फ्लोर मिल्ज दिल्ली द्वारा वनस्पति का उत्पादन

118. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री लालजी भाई :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०सी०एम० कैमिकल्स तथा गणेश फ्लोर मिल्स में वनस्पति के उत्पादन में सितम्बर, 1974 के दौरान बहुत गिरावट आई है जिससे राजधानी में इसकी बहुत कमी अनुभव हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन में वृद्धि करके राजधानी की मांग को पूरा करने के लिये क्या आवश्यक कार्यवाही करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी हां। तथापि, सितम्बर, 1974 के दौरान वनस्पति के उत्पादन में भारी गिरावट आयी थी और उसके परिणामस्वरूप यह कमी देश भर में थी और न कि केवल दिल्ली तक सीमित थी।

(ख) यह कमी लाभकारी मूल्यों पर उस महीने के दौरान कच्चे तेल न मिलने के कारण हुई थी। बाजार में मूंगफली की नई फसल की उत्तरोत्तर आमद से अक्तूबर के दौरान वनस्पति के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और नवम्बर के दौरान स्थिति में और नरमी आने की आशा है।

हरित क्रांति

119. श्री दिनेश सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कौंसिल आफ एप्लाईड इकोनोमिक रिसर्च द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार इस देश में हरित क्रांति समाप्त हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे विशेषतः उन राज्यों में जहां भूमि की उत्पादिता घट रही है पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने इस विषय पर विशेष रूप से कोई अध्ययन नहीं किया। तथापि, अक्तूबर 1974 की अपनी त्रैमासिक पत्रिका 'मार्जिन' में उक्त परिषद ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था की 1974–75 के वर्ष के मध्य की समीक्षा की है। इस समीक्षा में ऐसा कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि हरित क्रांति समाप्त हो रही है। केवल सामान्य तौर पर यह बात कही गई है कि खाद्यान्नों के मामले में ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हरित क्रांति समाप्त हो रही हो।

(ख) भारत सरकार स्थिति से अवगत है और विशेष रूप से कम उत्पादिकता वाले क्षेत्रों में इसे बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इस सिलसिले में हाथ में लिये गये विभिन्न कार्यक्रमों में ये शामिल हैं —(1) सिंचित और सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम क्रियान्वित करना; (2) विभिन्न क्षेत्रों की कृषि–जलवायु के अनुसार अधिक उपज देने वाली नई किस्मों का विकास और प्रचलन; (3) सिंचाई क्षेत्रों में समेकित विकास के लिये और अधिक बड़े कार्यक्रम क्रियान्वित करना; (4) उत्तर पूर्वी राज्यों में चावल की फसल की बुवाई अगेती करने के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिये एक सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करना; (5) ठीक समय पर चावल की पौद लगाने के लिये उसकी सप्लाई करने की दृष्टि से सामुदायिक नर्सरियां लगाने का एक विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित करना और (6) उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं का दक्षतापूर्व प्रयोग करना और प्रबन्ध पद्धतियों में सुधार करना। पांचवीं योजना के उत्पादन कार्यक्रम में न केवल सिंचित कृषि शामिल है बल्कि बड़े पैमाने पर बारानी खेती को भी इसमें शामिल किया गया है और इस में बारानी खेती के संबंध में मार्गदर्शी प्रयोजनाओं में अब तक विकसित की गई तकनीकों को अपनाया गया है।

मेघालय में विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के लिए नए वेतन-मान

120. श्री बी० के० दास चौधरी :

श्री बीरेन एंगटी :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न हिल (सेन्ट्रल) यूनिवर्सिटी के मेघालय में कालेजों के अध्यापकों ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया था कि मंत्री महोदय द्वारा सदन में घोषित विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के नये वेतन-मानों को लागू किया जाये; और

(ख) इन नये वेतन मानों को मेघालय में लागू न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय से संबद्ध मेघालय के कालेजों के अध्यापकों द्वारा नये वेतन मान लागू करने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था। तथापि, उनके द्वारा पारित इस आशय का एक संकल्प मेघालय सरकार को मिला था जिसमें अखिल भारतीय शिक्षक संघ की मांग का समर्थन किया गया था।

(ख) भारत सरकार ने मेघालय सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की पेशकश की है यदि वे राज्य में राज्य के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अध्यापकों को वही वेतनमान देना चाहें जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिये स्वीकृत किये गये हैं। यदि राज्य सरकारें, स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से भिन्न वेतनमान लागू करना चाहें, किन्तु जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अधिक न हों, तो भी उन्हें केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। नए वेतमान 1 जनवरी, 1973 अथवा उससे बाद की तारीख से लागू होंगे।

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा

121. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के 85 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में दाखिल नहीं होते और शेष में से 6 प्रतिशत छात्र अपनी आठवीं कक्षा की परीक्षा से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जलपाईगुड़ी तथा पश्चिम बंगाल में भूख से हुई मौतें

122. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी :**

श्री अजित कुमार साहा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में जलपाइगुड़ी जिले में भूख से सैकड़ों व्यक्तियों की मौतों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Requirement Production and Import of Foodgrains

123. **Shr Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prasannabhai Mehta :
Shri C. K. Chandrappan :
Shri Madhu Dandavate :
Shri Arjun Sethi :
Shri Phoo Chand Verma :
Shri Ram Shekhar Prasad Singh :
Shri S. R. Damani :
Shri Bhaoosahaib Dhamankar :
Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of Agriculture & Irrigation be pleased to state :

(a) the estimated requirement of foodgrains in the country upto May, 1975 taking in view the present food situation;

(b) the quantity of foodgrains likely to be produced in the country and the quantity of foodgrains to be imported from abroad country-wise to meet the shortage; and

(c) whether any quantity of foodgrains has been received in the form of aid for which no payment is required to be made ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The level of foodgrains consumption and, therefore, their requirements are elastic to a considerable extent depending on the availability of foodgrains and other substitutable food stuffs, their comparative prices, levels of income, population growth, extent of urbanisation, etc. In view of this, it is not possible to frame a precise quantitative estimate of requirements of foodgrains in the country upto May, 1975.

(b) The production of foodgrains in the country during 1973-74 is placed at 103.6 million tonnes. As the production estimates of foodgrains for 1974-75 are not yet available, it is not possible to give any quantitative idea about the shortfall in the country's requirement of foodgrains.

The Government of India keeps under constant review the position regarding the need for foodgrain imports and since April, 1974 about 2.5 million tonnes of foodgrains have been imported in to the country form U.S.A., Canada, Argentina, Australia, and USSR.

(c) About 2.17 lakh tonnes of foodgrains have been given as aid by Canada, Australia, E.E.C. and U.K.

Requirement and Important of Fertilisers

124. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation be pleased** to state :

(a) the present requirement of Fertilisers in the country;

(b) the extent thereof met from indigenous production and the arrangements being made by Government to meet the remaining demand; and

(c) the amount of foreign exchange estimated to be spent on meeting the remaining demand ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) The fertiliser requirements of the country for the year 1974-75 are estimated to be 42.40 lakh tonnes of nutrients N, P & K.

(b) Indigenous manufacturing units are likely to meet about 33% of the total fertiliser requirements, which the rest of the requirements have to be met through imported fertilisers. The Government of India has so far been able to contract for the import of about 14.88 lakh tonnes of N, P & K from abroad. Import purchases are however still continuing and the import availability is likely to go up a little more by the end of this year.

(c) As the import purchases are still continuing, it would be difficult at this stage to indicate the exact figure of foreign exchange likely to be spent on import of fertilisers, but it would be around US $ 700 million.

Single Food Zone for entire Country

125. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to set up a single food zone for the entire country in order to solve food problem; and

(b) if so, the time by which the proposal would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir. However for the inter-State movement of coarse grains the whole country is treated as a single Zone.

(b) Does not arise.

Starvation Deaths on Dimapur Railway Station

126. **Shri Noorul Huda** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that on an average 15 persons die of starvation every month on the platform of Dimapur railway station which is the rail head for Nagaland and Manipur; and

(b) if so, the reaction of Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) & (b) The relevant information has been called for from the Governments of Manipur and Nagaland and it will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

केन्द्रीय मात्स्यकी निगम का कार्यकरण

127. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय मात्स्यकी निगम लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि के दौरान सरकार की जानकारी में किस प्रकार की अनियमिततायें आई हैं; और

(ग) निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) कोई नहीं

(ग) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम ने गत वर्ष से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। बंगला देश से मछली का आयात केवल यही निगम करता है। प्रतिवर्ष यह लगभग 3 करोड़ रुपये का व्यापार करता है। अगले वर्ष से इसकी गतिविधियों में विविधता लाने का प्रस्ताव है। इनमें ताजे जल में मछली पैदा करना भी शामिल है।

राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यकरण

128. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किस प्रकार की अनियमिततायें सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ग) निगम के कार्यकरण के सुधार हेतु क्या उपाय अपनाए गये हैं अथवा अपनाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकलापों के विषय में कोई विशेष जांच नहीं की है। राष्ट्रीय बीज निगम कर्मचारी संघ ने मई, 1971 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें उसने निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये थे। राज्य सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान भूतपूर्व कृषि मंत्री द्वारा इस संबंध में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिये इन आरोपों की जांच करने के लिए श्री वी० एन० गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई थी। आशा है समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी। बंगला देश को आलू के बीज निर्यात करने

के सौदे के संबंध में भी निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप थे और सरकार ने इस सारे सौदे की जांच करने के लिए कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया था। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर के कार्यकरण की जांच

129. श्री एस० एन० मिश्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर के कार्यकरण की इस बीच जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किस प्रकार की अनियमिततायें सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ग) इन्स्टीट्यूट की कमियों को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरूल हसन) : (क) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की संपतियों और निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत, भारत के राष्ट्रपति ने, संस्थान के विजीटर की हैसियत से संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनरीक्षण करने हेतु सितम्बर, 1969 में एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी।

(ख) किसी अनियमितता की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट अगस्त, 1971 में प्राप्त हुई थी। विजीटर ने, संस्थान की परिषद द्वारा यथासंशोधित समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा संस्थान को इन स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वियन के लिये उपलब्ध धन की अत्यधिक कारगर ढंग से उपयोग करने को सुनिश्चित करने के विचार से अपनी प्राथमिकताओं और विकास की योजना पर पुर्नविचार करने का निदेश दिया। विजीटर के आदेश अगस्त, 1973 में जारी किए गए थे। समिति ने, संस्थान के भावी विकास के लिये सिफारिशें कीं जिनमें विस्तृत रूप-रेखाओं का उल्लेख किया गया था। सिफारिशों में, भौतिक और रसायन विज्ञान संस्थान के छात्र को एक बेहतर पी०एच०डी० छात्र बनाने के उद्देश्य से मास्टर्स डिग्री के बाद एक पूर्व पी०एच०डी० डिग्री कार्यक्रम पर सुनिश्चित बल देना, एकक प्रणाली लागू करना, देश की आवश्यकताओं से संबद्ध अनुसंधान परियोजनायें शुरू करना, पूर्णकालिक छात्रों की संख्या की एक हजार तक सीमित करना, अनुरक्षण के लिये पर्याप्त उत्पादन और उपकरणों का आधुनिकीकरण, अनुसंधान उपकरणों की सरचना, अन्य संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना, आगंतुक वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में तीव्रता लाना और अन्तः संस्थागत सहयोग आदि में वृद्धि करना शामिल है।

आई०आई०टी० खड़गपुर के निदेशक को सेवाकाल में वृद्धि दिया जाना

130. श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आई०टी० खड़गपुर के अस्थायी निदेशक को उनकी अस्थायी नियुक्ति अवधि के बाद सेवाकाल में वृद्धि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा कारण क्या हैं; और

(ग) क्या कारण है कि आई०आई०टी० खड़गपुर के गवर्नरों के बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इस संस्थान को लिखे गये पत्र में विशिष्ट रूप से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार इस पद पर स्थायी रूप से नियुक्त निदेशक को यहां अपना कार्यभार संभालने के लिये नहीं कहा गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) मूलतः नये निदेशक द्वारा 5 अगस्त, 1974 को अपने पद का कार्यभार संभालने की संभावना थी और इसीलिये शुरू में स्थानापन्न निदेशक की नियुक्ति, 31 अगस्त, को नये निदेशक द्वारा कार्यभार संभालने तक, जो भी पहले हो, की गई थी। बाद में, निदेशक के रूप में चुने गए व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय में अल्पकालिक अवधि के लिये नियुक्त करने का प्रस्ताव था, परन्तु अन्त में इस प्रस्ताव को छोड दिया गया और नये निदेशक ने अपने पद का कार्यभार 6 नवम्बर, 1974 को संभाल लिया था तथा तब तक स्थानापन्न निदेशक ही कार्य करते रहे थे।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत में कार्य करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय राहत संगठन द्वारा बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कार्य

131. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा भारत में कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय राहत संगठनों की हाल ही में एक बैठक बुलाई गई थी जिस में उन से देश के बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन अन्तर्राष्ट्रीय राहत संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया और उन्होंने इस संबंध में अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की;

(ग) बैठक से पूर्व या बैठक के दौरान इन संगठनों को राहत उपायों संबंधी जो नोट भेजा गया, उस का पाठ क्या है;

(घ) क्या इन निकायों द्वारा राहत कार्यों के लिए कार्य करने हेतु सरकार से कुछ सुविधाओं की मांग की गई; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन निकायों को किन-किन क्षेत्रों में कार्य करने के लिये कहा गया है और इनके द्वारा किस प्रकार का तथा कितना राहत कार्य किया गया है?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग की 16 सितम्बर, 1974 को 'केयर' के साथ एक बैठक हुई थी। उनकी एक अन्य बैठक युनिसेफ, कैरिटस, कैथोलिक रिलिफ सर्विसिस (सी०आर०एस०) एक्शन फार फ़ूड प्रोग्राम, इंडो-जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी तथा कैथोलिक विशप्स कान्फ्रेंस आफ इंडिया के साथ 1 अक्तूबर, 1974 को बैठक हुई थी। इन संगठनों के वर्तमान कार्यक्रमों तथा सूखा और बाढ़ ग्रस्त इलाकों में उनके कार्यक्रमों को बढ़ाये जाने पर साधारणतया विचार-विमर्श हुआ था। इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श के दौरान कोई निश्चित वचन नहीं दिया था।

बाद में चार विदेशी संगठनों (सी०ए०आर०ई०, सी०ए०एस०ए०, सी०आर०एस० तथा सी०आर०आई०टी०ए०एस०) के साथ औपचारिक सबंध स्थापित किया गया था अब तक की उनकी प्रतिक्रियायें संक्षेप में नीचे दी गई हैं :—

(1) युनिसेफ ने संकेत किया है कि सीमित और सुसंबद्ध क्षेत्रों में पांच महीनों के लिये बच्चों (0 से 6 वर्ष) तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए एकीकृत सेवाओं हेतु 2.25 मिलियन डालर तक की सहायता उपलब्ध होगी।

(2) केयर, भारत ने उनके इस समय चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त और कोई सहायता देने का संकेत नहीं किया है।

(3) सी०ए०आर०आई०टी०ए०एस० ने बताया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार, करनाटक, मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात राज्यों के कुछ इलाकों में राहत के लिए मकानों को फिर से बनाने और उनकी मुरम्मत करने, दवाइयां, कपड़े, खाद्य सामग्री, बर्तन इत्यादि खरीदने के लिये 9.25 लाख रुपये की सहायता दी है।

(4) सी०आर०एस० ने सरकार को निम्नलिखित सूचना दी है :—

(1) रोम में उनके क्षेत्रीय कार्यालय ने 5,000 डालर तक के मूल्य की साड़ियां और धोतियां स्थानीय रूप से तुरन्त खरीदने के लिये प्राधिकृत किया है।

(2) सी०आर०एस० न्यूयार्क, कलकत्ता और बम्बई को तुरन्त भेजने के लिये 55,000 डालर के मूल्य की विशेष खाद्य सामग्री खरीद रही है।

(3) उन्होंने उड़ीसा, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4.47 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिये बम्बई और कलकत्ते में 27 मिलियन पौंडों की और खाद्य सामग्री भेजी है। 3 मिलियन पौड गेहूं सोया ब्लेंड का भी उन्होंने उपयोग कर लिया है।

(4) उक्त राज्यों के पीड़ित इलाकों में कलकत्ता जोन के 1,72,000 लाभ प्राप्तकर्ताओं तथा बम्बई जोन के 2 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं को उनके 'फूड फार वर्क' नामक नियमित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने के लिए उन कार्यक्रमों को ठीक किया जा रहा है।

(5) सी०ए०एस०ए० ने सरकार को बताया है कि उन्होंने विभिन्न पीड़ित इलाकों में निम्नलिखित कार्य शुरू किये हैं :—

(1) पश्चिम बंगाल के दिनापुर और जलपाइगुरी जिलों में अस्थायी उपाय के रूप में 12000 बच्चों को खुराक देना तथा बच्चों के 14,000 कपड़े और बयस्क व्यक्तियों को 6000 कपड़े बांटना।

(2) पश्चिम बंगाल के बंकुरा और पुलिया जिलों के सूखा ग्रस्त इलाकों में 4500 बच्चों के लिये खुराक देना।

(3) रायपुर चर्चिस सूखा राहत समिति के माध्यम से मध्य प्रदेश में रायपुर जिले के सूखा ग्रस्त इलाकों में फूड फार वर्क परियोजनायें। (इन परियोजनाओं के लिये प्रस्तावित बजट 1.80 लाख रुपये का है)।

(4) महाराष्ट्र के सूखा ग्रस्त जिलों में लगभग 40 खाद्य वितरण कार्यक्रम (फ़ूड फार वर्क परियोजनायें तथा पोषाहार विकास), सूखा ग्रस्त इलाकों से बम्बई में आये लगभग 2,000 व्यक्तियों को खाना तथा चिकित्सा सहायता देना, तथा सूखा ग्रस्त इलाकों में स्थित अनेक विकास परियोजनायें चलाना, जिनका उद्देश्य खाद्य उत्पादन है।

(5) कर्नाटक में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये कर्मचारियों, कपड़े, साबुन, रुपया (25,000 रुपये), चावल और सब्जियों के रूप में सहायता प्रदान करना।

(6) केरल के बाढ पीड़ित इलाकों में 180000 पौंड गेहूं दान देना।

(7) वे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले, तटवर्ती और केन्द्रीय उड़ीसा, दक्षिण बिहार, गुजरात के पंचमहल और बड़ोदा जिलों, राजस्थान के अजमेर जिले, केरल के बाढ़ पीड़ित जिलों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र तथा असम के कचार और गोपालपाड़ा जिलों, में पीड़ित इलाकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं तथा/अथवा फूड फार वर्क परियोजनायें तैयार कर रहे हैं।

(ग) इन संगठनों को बैठकों से पूर्व अथवा उनके दौरान राहत उपायों के सम्बन्ध में कोई नोट नहीं भेजा गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) युनिसेफ से 7 नवम्बर, 1974 को असम में गोपालपाड़ा जिले तथा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुरी और कूच बिहार जिलों के लिए राहत का सामान भेजने के लिए कहा गया था। युनिसेफ ने अभी तक सामान भेजना शुरू नहीं किया है। विदेशी स्वयं सेवी संगठनों को राहत कार्य के लिये कोई विशिष्ट इलाके नहीं बताए गए थे। उनके बताए अनुसार उनके द्वारा किए गए राहत कार्य की मात्रा और प्रकार इन प्रश्नों के (क) और (ख) भागों के उत्तर में दिए गए हैं।

Statue of Mahatma Gandhi

132. **Shri Samar Guha :**

Shri Khemchandbhai Chavda :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken about setting up of a statue of Mahatma Gandhi or any other National leader at India Gate, if so, facts thereabout; and

(b) the recommendation of the Committee that was set up for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir.

(b) This item was on the agenda of the erstwhile Committee on installation of statues for its meeting on the 13th September, 1972. The Committee, could not, however, discuss it. The matter has since been referred to the Delhi Urban Arts Commission whose recommendations are awaited.

Wheat procured since take over of wholesale trade

193. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri B.S. Chowhan :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat procured by Government, Statewise consequent on the take over of wholesale trade in wheat and the quantity of wheat procured, State-wise, in the following year as a result of Government decision to procure wheat through traders;

(b) the expenditure incurred in formulating and implementing the said two schemes;

(c) the reasons which prompted the Government to allow private trading in wheat; and

(d) the future wheat policy framed in the context of these experiences and how the production has been affected by such experiments ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The quantity of wheat procured State-wise during the years 1973-74 and 1974-75 (so far) is given in the statement attached. The two procurement figures are not really comparable, as last year practically whatever arrived in the Mandi was procured by public agencies, while this year the procurement is only 50% of the Mandi purchases by the traders.

(b) It is not possible to calculate the expenditure incurred specifically on implementing the schemes as they have been, by and large, implemented in the normal course of food administration.

(c) All relevant factors, including need for giving remunerative price to the cultivator and ensuring increased availability in the market, were taken into consideration while allowing private traders to operate during the current year along with public agencies under a strict system of licensing and control.

(d) It is too early to say anything about the future policy at this stage. The production is affected by a number of factors and it is difficult to assess the effect of the procurement policy on the production.

Statement

I. Procurement of Wheat during Rabi season 1973-74

Sl. No. State	Procurement (in '000 tonnes)
1. Assam	0.9
2. Bihar	49.8
3. Gujarat	Neg.
4. Haryana	585.7
5. Himachal Pradesh	1.8
6. Jammu & Kashmir	18.9
7. Madhya Pradesh	191.6
8. Maharashtra	10.9
9. Orissa	0.3
10. Punjab	2707.8
11. Rajasthan	146.3

Sl. No State	Total Procurement (In '000 tonnes)
12. Uttar Pradesh	799.6 +16.6 +16618 tonnes confiscated under DIR in UP
13. West Bengal	0.4
14. Delhi	0.2
15. Chandigarh	0.3
Total :	4514.5 +16.6
	4531.1

Neg.—Below 50 tonnes.

II. Procurement of Wheat during the Rabi marketing season 1974-75

1. Gujarat	20.7
2. Haryana	348.7
3. Madhya Pradesh	122.0
4. Maharashtra	20.2
5. Punjab	993.3
6. Rajasthan	126.7
7. Uttar Pradesh	267.3 +41.7†
8. Others	10.5
Total :	1851.1

+41672 tonnes of wheat seized by U.P. Government under dehoarding scheme.

Loans to Farmers by the Agricultural Refinance Corporation

134. Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Agricultural Refinance Corporation has undertaken a programme for advancing agricultural loans to the tune of Rs. 900 crores between July, 1973 to June, 1978 for agricultural development;

(b) the progress made so far in this regard indicating the outcome thereof;

(c) the outlines of the plans formulated for the next year for Northern, Western, Southern and Eastern Zones separately in the background of experience gained; and

(d) whether farmers having less than 5 acres of land will be given interest free loans under this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) According to the tentative programme of refinancing of agricultural investment credit dispensed through Land Development Banks and commercial banks, the Agricultural Refinance Corporation expects to be able to achieve a total disbursement of Rs. 900 crores in the period of 5 years.

(b) During the year 1973-74, the A.R.C. had sanctioned 550 schemes involving total financial assistance of Rs. 251 crores of which A.R.C.'s commitment was Rs. 220 crores. The Corporation disbursed in 1973-74 refinance of Rs. 98 crores.

(c) Refinance from the Corporation is available for such programmes as Minor Irrigation, Land Development, plantations and orchards, subsidiary occupations like dairy, poultry and piggery, storage and marketing, forestry, farm mechanisation and fisheries The State Governments and the financing institutions are expected to formulate and present viable schemes acceptable to the Corporation and draw refinance. Efforts are made to specially assist the backward regions to formulate large number of schemes eligible for refinance with a view to correcting regional imbalances.

(d) As the Corporation is only a refinancing agency, the question of giving interest-free loans directly to farmers does not arise.

सामान्य क्षेत्रों में आवास योजनाओं से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ

135. श्री पी० एम० सईद :

श्री एस० एम० सिद्दय्या :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा सामान्य क्षेत्र में चल रही विभिन्न आवास योजनाओं से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त होने वाले लाभों के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका विचार आगे से इस प्रकार के आंकड़े एकत्र करने का है ताकि उन मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके जिनमें इन समुदायों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । निर्माण और आवास मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन सहायता का मानदंड आर्थिक पिछड़ापन है न कि जाति, धर्म तथा समुदाय के आधार पर पिछड़ापन ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूजित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु दिए जाने वाले ऋण पर लगे प्रतिबन्ध में आम रियायत

136. श्री पी० एम० सईद :

श्री एस० एम० सिद्दय्या :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुछ वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कुछ ऐसे कदम उठाये गये हैं जिससे कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए आवास खरीद सकें; और

(ख) क्या सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास निर्माण हेतु दिए जाने वाले ऋण पर लगे सामान्य प्रतिबन्ध में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कुछ ढील देने की वांछनीयता पर विचार किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को चाहे वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं अथवा अन्य फ्लैट के आवंटन के लिये पंजीकरण के समय जनता वर्ग को छोड़कर, निर्धारित राशि का केवल 50% जमा कराना होता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी निर्णय किया है कि निम्न आय तथा जनता वर्गों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवंटियों से आरंभ में 1,500 रुपये प्रति फ्लैट कम लिया जाए । तथा इस राशि को 180 मासिक बराबर किस्तों में वसूल किया जाए ।

(ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों से जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भी शामिल हैं, नये आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय किया है।

आवास योजनाओं का समन्वय

137. श्री पी० एम० सईद :

श्री एस० एम० सिद्दय्या:

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा व्यक्त इस आशय के विचारों के बावजूद कि केन्द्रीय स्तर पर सामान्य आवास योजनाओं तथा पिछड़े वर्गों के क्षेत्र में एक योजना में तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास के ऐसे समेकित कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सहमत नहीं है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति (पांचवीं लोक सभा) ने भी अपने चौथे प्रतिवेदन में एक उचित समन्वय तंत्र का गठन करने की सिफारिश की है जिसमें आवास योजनाओं तथा कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने तथा उनको कार्यान्वियन की निगरानी करने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि हों; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क), (ख) तथा (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की संसदीय समिति द्वारा की गई इस सिफारिश पर विचार किया गया था कि आवास योजनाओं तथा कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने और उनके कार्यान्वयन पर भी दृष्टि रखने के लिए समाज कल्याण विभाग (अब गृह मंत्रालय), योजना आयोग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक उपयुक्त समन्वयकारी मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए। जहां तक केन्द्रीय स्तर पर आवास कार्यक्रमों का संबंध है इन मंत्रालयों के कार्य भिन्न भिन्न थे। जबकि निर्माण और आवास मंत्रालय सामान्य क्षेत्र में आवास योजनाओं की देख रेख करता है, तो पिछड़े वर्ग क्षेत्र में लोगों को आवासीय सुविधाएं देना अवरोक्त का उत्तरदायित्व है। जब कभी सामान्य समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों मंत्रालय अवश्य ही परस्पर मिलते हैं तथा आपस में परामर्श करते हैं। ऐसे विचार विमर्श में, जहां कहीं आवश्यक हो, योजना आयोग को भी शामिल कर लिया जाता है तथा उपर्युक्त समन्वय स्थापित किया जाता है।

जमा कृषि खाद्यान्नों को बाहर निकालना

138. श्री पी० एम० सईद :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि अनाज जमा करने वाले तथा किसान अनाज को मंडी में भेजे;

(ख) ऐसी कार्यवाही का क्या ठोस परिणाम निकला है; और

(ग) क्या मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु एक नियत सीमा के बाद कृषि खाद्यान्न जमा न करने के बारे में कानून के अन्तर्गत कोई व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) सरकार ने व्यापक जमाखोरी निरोधक अभियान शरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमाखोर खुले बाजर में खाद्यान्नों का स्टाक

लाएं। व्यापारियों के पास स्टाक सीमा निर्धारित करने के अलावा, कई एक राज्यों ने उत्पादक जितनी मात्रा में खाद्यान्न अपने पास रख सकते हैं, उसके लिए भी सीमा निर्धारित कर दी है। हांलांकि ऐसी कार्यवाही करने से जो ठीक ठीक परिणाम सामने आए हैं उनका तुरन्त अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इन उपायों से कृषि जिन्सों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सामान्यता मदद मिली है।

फ्लाई-एश का भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग

139. श्री बी० के० दास चौधरी :

श्री बीरेन्द्र एंगती :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय संयंत्रों से प्राप्त होने वाला फ्लाई-एश भवन निर्माण के लिए अच्छी सामग्री है और वह सीमेंट का स्थान ले सकती है;

(ख) क्या उन्होंने इस बारे में कोई परियोजना अध्ययन कराया है; और

(ग) क्या कहीं फ्लाई एश का भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रायोगिक आधार पर प्रयोग किया गया है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। इसे भवन निर्माण में सीमेंट के स्थान पर आंशिक रूप से 20% तक प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) फ्लाई-एश का प्रयोग राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन की प्रयोगात्मक आवास योजना के 7 प्रयोगात्मक निर्माण कार्यों में किया गया है।

तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना

140. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग स्नातक की भारी संख्या में बेरोजगारी होने के कारण स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की संख्या उपलब्ध सीटों की तुलना में कम हो गई है और दूसरी ओर देश में डिप्लोमा/ओवरसीयर स्तर तक के तकनीकी व्यक्तियों का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और तकनीकी शिक्षा में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों की कुल दाखिला क्षमता क्रमशः 25,070 और 48,579 थी। वर्ष 1968 में इंजीनियरों में बेरोजगारी के कारण वास्तविक दाखिलों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी कर दी गई थी। तथापि, पिछले 2-3 वर्षों में दाखिलों में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1969-70 में इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों में क्रमशः 17,853 और 26,588 के वास्तविक दाखिलों के विरुद्ध वर्ष 1973-74 में वास्तविक दाखिलों की संख्या क्रमशः 20,530 और 42,100 थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय डिप्लोमा स्तर के कार्मिकों की कोई कमी नहीं है। 31 दिसम्बर, 1973 को उपलब्ध आंकड़ों की स्थिति के अनुसार रोजगार दफ्तरों में 55,000 से अधिक डिप्लोमाधारी पंजीकृत थे।

तकनीकी संस्थाओं में दाखिले की नीति का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने मई, 1974 में हुई अपनी बैठक में इस बात की सिफारिश की है कि छठी योजना के दौरान तकनीकी जन-साधन की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा पांचवीं योजना में तकनीकी संस्थाओं में दाखिलों को इन आवश्यकताओं के अनुसार नियमित किया जाना चाहिए।

पानी की भारी कमी

141. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री के० लकप्पा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन महीनों से पानी की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो पानी की कमी का अधिक प्रभाव कितने राज्यों पर पड़ा;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या थे; और

(घ) क्या कृषि उत्पादन पर पानी की कमी का भारी कुप्रभाव पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) पिछले मानसून के दौरान सामान्य से बहुत कम वर्षापात के परिणामस्वरूप हुई जल की कमी के कारण देश के निम्नलिखित भाग प्रभावित हुए थे :—

उड़ीसा, बिहार के पठार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तिलंगाना क्षेत्र और कर्नाटक का दक्षिण भीतरी भाग।

(घ) चालू वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन के सही अनुमान का अभी निर्धारण किया जाना है। किसी भी वर्ष में उत्पादन का स्तर विभिन्न तत्वों जैसे मौसम, जल की सप्लाई, उर्वरक आदि जैसे निवेशों पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु में खरीफ की फसल

142. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य से खरीफ की अच्छी फसल होने का समाचार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ है; और

(ग) इसके द्वारा अन्य राज्यों के खाद्यान्नों संबंधी आवश्यकतायें किस सीमा तक पूरी होंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष के खरीफ मौसम में तमिलनाडु में सामान्य और सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से वर्षा हुई। भारत में (तमिलनाडु सहित) खरीफ की विभिन्न फसलों के प्रति हैक्टार उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात् किसी समय जुलाई-अगस्त, 1975 में उपलब्ध होंगे। मौजूदा संकेतों से पता चलता है कि तमिलनाडु में खरीफ की फसलों के उत्पादन की संभावतायें प्रायः अच्छी हैं।

(ग) खुले बाजार की उपलब्धी तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्थानीय रूप से क्रय हुए तथा विदेशों से खरीदे गए अन्न के केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों की मासिक रूप से अलाटमेंट की जाती है।

गृह निर्माण ऋणों पर लगा प्रतिबंध उठाना

143. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कर्मचारी नियत आय समूह वर्ग के अन्तर्गत आते हैं जो कि अपना स्वयं का मकान तब तक नहीं बना सकते जब तक कि उचित व्याज दर पर सरकारी ऋणों से उनकी सहायता न की जाये;

(ख) क्या इन ऋणों के लिये आवेदन पत्रों पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध और भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि से वे अत्यन्त कठिनाई में आ गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिबन्ध हटाने की वांछनीयता पर विचार किया है और यदि हां, तो ऋणों के लिए नए आवेदन-पत्र कब मांगे जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण अग्रिम देने की योजना के अन्तर्गत उचित लागत पर मकान बनवाने में समर्थ हो सकते हैं ।

(ख) तथा (ग) निधियों की कमी तथा साथ ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ सीमित वर्गों से गृह निर्माण अग्रिम देने हेतु नये आवेदन आमन्त्रित करने का निर्णय किया है ।

सितम्बर-अक्तूबर 1974 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यो में गिरावट

144. श्री हरि किशोर सिंह :

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान, जब कुछ आवश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्नों के थोक मूल्यों में काफी कमी आई थी, तो फुटकर मूल्यों पर इस कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं । सितम्बर, 1974 से कुछ आवश्यक वस्तुओं और विशेषकर खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों के थोक मूल्यों में जो गिरावट आई है उसका प्रभाव सामान्यतः इन वस्तुओं के खुदरा मूल्यों पर भी पड़ा है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाएं

145. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक की कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं; और

(ख) कर्नाटक की अरावती, मचनाबेल और कालिन्दी परियोजनाओं के बारे में क्या प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं की नवीनतम अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) कर्नाटक के पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । बहरहाल, आठ बृहत सिंचाई परियोजनायें नामशः तुंगभद्रा, भद्रा, घाटाप्रभा चरण-एक, घाटाप्रभा चरण-दो, तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण एक, तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर चरण दो, माला प्रभा और अपर-कृष्णा जो पहले ही कार्यान्वित की जा रही है, उनका पांचवीं योजना में निर्माण चल रहा है । राज्य सरकार ने चार नई बृहत सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् हिप्पार्गी बराज, घाटाप्रभा चरण-तीन, बेलिथोरे और होस्मापटना लिफ्ट सिंचाई योजना को पांचवीं योजना में प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव किया है ।

(ख) अर्कवती, मनचनबेले और काली नदी परियोजनाओं के निर्माण-कार्यों और अनुमानित लागतों के संबंध में वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

अर्कवती परियोजना

संशोधित परियोजना, जिस पर 4.16 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में मई, 1973 में प्राप्त हुई थी । चूंकि यह परियोजना कावेरी बेसिन में स्थित है, इसलिए इस परियोजना की स्वीकृति के संबंध में आगे कार्यवाही संबंधित राज्यों में कावेरी जल के आवंटन संबंधी निर्णय हो जाने के बाद शुरु की जाएगी ।

मनचनबेले परियोजना।

यह परियोजना योजना-आयोग द्वारा 1969 में 2.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई थी। परियोजना की संशोधित लागत का अनुमान 5.65 करोड़ रुपये लगाया गया है। चौथी योजना के अंत तक परियोजना पर 60 लाख रुपये व्यय हुए थे और 1974-75 के लिए 16 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परियोजना के पांचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

कालीनदी जल-विद्युत परियोजना

यह परियोजना दो चरणों में विकसित की जा रही है, परियोजना के पहले चरण के दो भाग हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार, भाग-एक के अन्तर्गत पहले यूनिट के मार्च, 1977 तक और दूसरे यूनिट के सितम्बर, 1977 तक चालू होने की संभावना है। परियोजना अधिकारियों ने चरण-एक के भाग-दो के अन्तर्गत सुपा बांध, जो कि काम के तीन मौसमों में परियोजना के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है, को पूर्ण करने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है। परियोजना के सभी पहलुओं पर उपयुक्त कार्यवाही की गई है और महत्वपूर्ण सामग्रियों के समयानुसार सप्लाई करने पर, परियोजना के समय पर पूर्ण हो जाने की संभावना है।

समूची परियोजना की योजना आयोग द्वारा 125 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई थी (भाग-एक को मार्च, 1971 में और भाग-दो को जुलाई, 1973 में स्वीकृति दी गई थी)। अब परियोजना पर 175 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। चौथी योजना के अन्त तक परियोजना पर लगभग 28.54 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

संसद सदस्यों को देय सड़क भत्ता

146. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका विचार पैट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संसद सदस्यों को देय सड़क भत्ते में वृद्धि हेतु उचित विधान लाने का है ताकि उसे युक्तिसंगत बनाया जा सके ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): सरकार इस मामले पर तत्परता से विचार कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेची गई चीनी की बोरियों में चीनी की मात्रा कम होने के संबंध में उत्तर प्रदेश से शिकायतें

147. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर के विक्रेताओं ने शिकायत की है कि सितम्बर, 1974 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विक्रेताओं को बेची गई चीनी की बोरियों में चीनी की मात्रा कम है ?

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान): (क) खाद्य विभाग या भारतीय खाद्य निगम के प्रधान कार्यालय या उसके लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय या कानपुर में जिला कार्यालय में अब तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

'ग्रिम फूड आउटलुक एहेड फार पंजाब' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

148. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 के "ग्रिम फूड आउटलुक एहैड फार पंजाब" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

8/Lok Sabha/74—14

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी महीनों में खाद्य उपलब्धता और मूल्यों में गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है; और

(ग) केन्द्र द्वारा इस संबंध में क्या उपाय अपनाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

चावल की पैदावार जून-अक्तूबर, 1974 के महीनों के दौरान कम वर्षा होने के कारण प्रभावित हुई बतायी गयी है। नंगल उर्वरक फैक्ट्री से बिजली मोड़कर नलकूपों को अतिरिक्त बिजली सुलभ करने और दिल्ली और बदरपुर पावर स्टेशनों से पंजाब को बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिये भी विशेष पग उठाये गए थे। पंजाब जैसे प्रमुख रूप से अधिशेष राज्य में खरीफ अनाजों की पैदावार में मामूली गिरावट, यदि कोई हुई, से राज्य की आन्तरिक उपलब्धता पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पंजाब को खाद्यान्न का नियतन

149. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1974 के लिये पंजाब के लिये कितना खाद्यान्न नियत किया गया है;

(ख) क्या पंजाब ने अधिक खाद्यान्न आवंटित करने के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) पंजाब सरकार को अक्तूबर, 1974 के लिये 25.0 हजार मी० टन गेहूं आवंटित किया गया था। अधिक आवंटन करने से संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर, राज्य को नवम्बर, 1974 के लिए 30.0 हजार मी० टन गेहूं आवंटित किया गया है।

दुग्ध चूर्ण का ऊंचा मूल्य और इसका आयात

150. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेब :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में दुग्ध चूर्ण के ऊंचे मूल्य होने के कारण देश को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार दुग्ध चूर्ण का बड़े पैमाने पर आयात करने के संबंध में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Brought affected Villages

151. Shri M.C. Daga :

Dr. H.P. Sharma :

Shri Narain Chand Parashar :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of villages together with the population of each of them affected by drought in different States of the country, State-wise;

(b) whether people in West Bengal and in Chhattisgarh of Madhya Pradesh have become the victims of starvation; and

(c) the names of States which have sought assistance from Government indicating the nature of assistance sought and the States to which assistance has been given so far indicating the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (c) The information has been called for from the States and it will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Drinking water problem in Rajasthan Villages

152. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Works & Housing** be pleased to state :

(a) the total number of villages in Rajasthan which have saline water, the number of those having contaminated water which spread, diseases, and the number of those where drinking water is not available in adequate quantity even today;

(b) the effective steps being taken by the Central Government to solve this human problem; and

(c) the total amount of money spent so far by the Central Government in Rajasthan to solve the problem of drinking water and whether the money had been properly utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

जनरल पूल से सरकारी आवासों का आवंटन करने हेतु नियम

153. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली, बम्बई, शिमला आदि में जनरल पूल में से सरकारी कर्मचारियों को आवासों का आवंटन करने संबंधी वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) किन-किन श्रेणियों के अधिकारियों को अपनी श्रेणी से अगली निचली श्रेणी के आवासों का आवंटन कर दिया जाता है; और

(ग) किन-किन श्रेणियों के अधिकारी अपनी श्रेणी से अगली-निचली श्रेणी के आवासों के आवंटन के पात्र नहीं हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सामान्य पूल वास का आवंटन, सरकारी वास का आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के अनुसार किया जाता है जो कि यथोचित परिवर्तन कर के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, शिमला, आदि जैसे अन्य स्थानों में भी लागू कर दिया गया है। आवंटन, पात्रता के आधार पर किया जाता है जिसका निर्धारण परिलब्धियों तथा वरिष्ठता के संदर्भ में किया जाता है। टाइप IV तथा उस से निचले टाइपों में, वरिष्ठता का हिसाब, अधिकारी द्वारा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन की गई लगातार कुल सेवा के आधार पर किया जाता है। टाइप V तथा उस से ऊपर के टाइप के पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता का हिसाब, उस तारीख से किया जाता है जब से अधिकारी केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन पद पर टाइप विशेष संबंधी में परिलब्धियां लगातार प्राप्त कर रहा हो।

(ख) सामान्य पूल में अगले निचले टाइप में वास का आवंटन उन अधिकारियों के मामले में अनुमेय है जो टाइप V तथा उस से ऊपर के टाइप के पात्र हैं लेकिन मद्रास, नागपुर तथा फरीदाबाद में यह निमय लागू नहीं होता। चिकित्सा के आधार पर, अनुकम्पा के आधार पर किये गये तदर्थ आवंटन तथा जहां अधिकारी को अन्य पूलों में वास खाली करना अपेक्षित होता है वहां भी अगले निचले टाइप में आवंटन किये जाते हैं। दिल्ली में सावधिक अधिकारी पूल तथा महिला अधिकारी पूल में, जहां यह मौजूद हैं, में भी अगले निचले टाइप में आवंटन किये जाते हैं।

(ग) टाइप IV तथा उस से निचले टाइप के पात्र अधिकारियों को अगले निचले टाइप में वास आवंटित नहीं किया जाता, सिवाये चिकित्सा आदि के आधार पर, जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है।

कालीकट विश्वविद्यालय का परमाणु अनुसन्धान कार्यक्रम

154. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालीकट विश्वविद्यालय के परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम के अधिकांश खर्चे को पूरा करने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) कालीकट विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई विशिष्ट परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, (i) अणुविकरण तथा आण्विक संरचना का अध्ययन, (ii) पाजिट्रान विनाश तथा पदार्थों में पाजिट्रनियम के गुणवर्गों के अध्ययन, (iii) चुम्बकीय पदार्थों का मोजाबर अध्ययन और (iv) धातुओं तथा अर्ध-संचालकों में ठोस स्थिति तथा विकीरण पद्धति का अध्ययन करने से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को स्थायी करना

155. श्री आर० वी० बड़े : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक इंजीनियर के ग्रेड में स्थायी करने और अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए सहायक इंजीनियर श्रेणी I (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) की वरीयता के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस तिथि को निर्णय दिया था; और

(ख) उपरोक्त निर्णय के उपरान्त कितने सहायक इंजीनियरों को श्रेणी दो का स्थायी घोषित कर दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) ग्रेड में पुष्टि के लिए या कार्यपालक इंजीनियरों के अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है। सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में नियुक्तियां, विभिन्न तरीकों से की जाती थीं जिस में पदोन्नति, सीधी भर्ती आदि शामिल हैं। यह कोटे के अनुसार किया जाता था। किसी विशेष तरीके के अनुसार अपने कोटे से अधिक नियुक्त किये गए लोगों को स्थायी नहीं किया जाता था। सर्वश्री रामैया तथा अन्य लोगों के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सरकार द्वारा कोटा अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। अतः उन्होंने निदेश दिया कि प्रार्थियों को जिनकी नियुक्ति विभाग के मत के अनुसार कोटे से अधिक हुई थी, स्थायी किया जाए तथा उनकी परस्पर वरिष्ठता का विधि के अनुसार समायोजन किया जाना चाहिये।

कुछ इंजीनियरों ने जिन के हित उपर्युक्त निर्णय द्वारा प्रभावित होते थे, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसने यह निदेश दिया कि कोटे के मुख्य विवाद पर अन्तिम निर्णय होने तक, सभी पदोन्नतियां/पुष्टियां आदि तदर्थ आधार पर की जानी चाहियें। तदनुसार, पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर की जाती हैं; लेकिन पुष्टियां नहीं की जाती। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख 5-11-71 है।

Madhya Pradesh Irrigation Schemes

+**156. Shri R.V. Bade :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of irrigation schemes submitted by Madhya Pradesh Government that are pending consideration of Central Water and Power Commission and the dates on which these schemes were submitted ; and

(b) the reasons for delay in disposing them off ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K.N. Singh): (a) and (b) The information is given in the attached statement. **[Placed in Library, *See* No. L.T.—8444/74].**

राज्यों में खरीफ की फसल का खराब होना

157. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री के० लकप्पा :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री तारकेशवर पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह स्वीकार किया है कि देश में खरीफ की फसल पर संकट आया हुआ है और अनेक राज्यों में मानसून के न आने से स्थिति वर्ष 1972 की तुलना में बहुत बिगड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन ग्यारह राज्यों में खरीफ की फसल को होने वाली हानि का अनुमान लगाया है जहां सूखा पड़ने के समाचार मिले हैं और यदि हां, तो राज्यवार कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और आसाम को बहुत अधिक नुकसान हुआ है; और

(घ) इन राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धान के वसूली मूल्य के बारे में विचार

158 श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री बी० के० दास चौधरी
श्री बीरेन्द्र एंगती :
श्री वी० मायावन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में वर्ष 1974–75 के लिए धान की घटिया किस्म के वसूली मूल्य की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित मूल्य को मुख्य मंत्रियों तथा कृषि मूल्य आयोग ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित मूल्य से अधिक की मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि वसूली मल्य में वृद्धि की गयी तो इसका मूल्य वृद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस वर्ष के लिए धान की वसूली हेतु क्या लक्ष्य निश्चित किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) 1974–75 में खरीफ अनाजों के लिए भारत सरकार की मूल्य नीति का निश्चय कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों, सितम्बर, 1974 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के राज्य सरकारों के अभिव्यक्त विचारों और अन्य संगत तथ्यों जिनमें भारत के रिजर्व बैंक का यह विचार कि अधिप्राप्ति मूल्य में किसी उल्लेखनीय वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को और बल मिलेगा, शामिल है, पर विचार करने के बाद किया गया था। राज्य सरकारों के परामर्श से अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों से बरामद किया गया खाद्यान्न

159. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री एम० कतामुतु :

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों से कितना खाद्यान्न बरामद किया गया;

(ख) क्या उक्त अभियान से देश में खाद्यान्न के मूल्यों में कमी होने पर कोई प्रभाव पड़ा; और

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जमाखोरों के विरुद्ध अभियान चलाना भी एक कारण है जिससे देश में खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट आयी है। आंसुका के अधीन जमाखोरों से पकड़े गये खाद्यान्नों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तथा जिस प्रकार का उनको दण्ड दिया गया है, से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

न्यू फ्रेन्ड्स हाउसिंग कोपरेटिव सोसाइटी, नई दिल्ली

160. श्री भोला मांझी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू फ्रेन्डस हाउसिंग कोपरेटिव सोसाइटी, नई दिल्ली की आवंटन तथा अन्य अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार द्वारा न्यू फ्रेन्ड्स सहकारी गृह निर्माण समिति, नई दिल्ली की अलाटमेंट तथा अन्य अनियमितताओं की जांच कराने का अभी तक कोई आदेश नहीं दिया गया है; मामला न्यायाधीन है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में सूखे तथा बाढ़ के कारण फसलों को क्षति

161. श्री भोला मांझी :

श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री रामशेवर प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में बाढ़ तथा सूख क कारण 139 करोड़ रुपये की फसल नष्ट हो गई थी; और

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिये संकटग्रस्त राज्य को केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बिहार सरकार को कृषि आदानों के क्रय हेतु अल्पकालीन ऋणों के रूप में 825 लाख रु० की राशि स्वीकृत की है।

डेविस कप टूर्नामेंट

162. श्री के० मालन्ना :

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेविस कप टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के साथ टेनिस खेलने के लिये भारत द्वारा मना किये जाने से कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीका सरकार की "रंगभेद" की नीति के पूर्ण विरोध की हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध डेविस कप 1974 के फाइनलस् में न खेलने के अखिल भारतीय लौंग टैनिस एसोसियेशन की भारत तथा विदेश में व्यापक रूप से सराहना की गई है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय लौंग टेनिस संघ के व्यक्तिगत पदाधिकारियों तथा दक्षिण अफ्रीकी लौंग टैनिस यूनियन ने इस निर्णय की आलोचना की है ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

163. श्री के० मालन्ना : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सरकार से राजधानी की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो उनकी मांग की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवस मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) अनधिकृत कालोनियों से संबंधित नीति पर पुनर्विचार करने का एक सुझाव है। सरकार ने एक समिति स्थापित की है जो नीति का निर्णय करने तथा आगे की कार्यवाही करने के संबंध में अनधिकृत कालोनियों के प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार करेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के लिए भर्ती सम्बन्धी नियम

164. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के (1) एसिस्टेन्ट इंजीनियर क्लास II; (2) एकजेटिव इंजीनियर क्लास I तथा (3) सुप्रिडन्डेन्ट इंजीनियरों के लिए भर्ती नियम क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : सहायक इंजीनियर श्रेणी—II

भर्ती नियमों के अनुसार, सहायक इंजीनियरों के पद, निम्नलिखित तरीकों से भरे जाने अपेक्षित हैं :—

(i) संघ लोक सेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती द्वारा ।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अस्थायी सनातक कनिष्ठ इंजीनियरों की सीधी नियुक्ति द्वारा ।

(iii) कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति द्वारा; तथा

(iv) स्थानान्तरण द्वारा ।

सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में सीधी भर्ती को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ।

सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति का विनियमन स्नातक तथा गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों के बीच कोटा पद्धति द्वारा किया जाता है। सर्वश्री रमैया तथा अन्य सहायक इंजीनियरों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में नियुक्ति के लिये कोटे को ठीक ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है तथा सीधी भर्ती द्वारा आये कुछ सहायक इंजीनियरों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है तथा सर्वोच्च न्यायालय के सामने निर्णय देन की बात यह है कि क्या पहले के प्रचलित कोटे वैध तथा लागू होने योग्य हैं। इस बात का अन्तिम निर्णय होने तक जब कभी आवश्यक होता है, सहायक इंजीनियरों के पद सामान्य वरिष्ठता सूची से कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर भरे जाते हैं ।

कार्यपालक इंजीनियर श्रेणी—I

भर्ती नियमों के अनुसार, कार्यपालक इंजीनियरों के पद, सहायक कार्यपालक इंजीनियरों (कनिष्ठ श्रेणी–I) तथा सहायक इंजीनियरों के बीच आधे-आधे कोटे के आधार पर भरे जा रहे हैं।

अधीक्षक इंजीनियर

अधीक्षक इंजीनियरों के पद कार्यपालक इंजीनियरों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

औरंगाबाद में सप्लाई किए गए बाजरा और ज्वार के घटिया बीज

165. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद में किसानों को सरकारी स्रोत से दिये गये ज्वार और बाजरा के घटिया बीजों के कारण 11 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र को सरकारी स्रोतों से सप्लाई किए हुए बाजरे के घटिया किस्म के बीजों के संबंध में भारत सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने विस्तार पूर्वक जांच करके सूचित किया है कि सरकारी स्रोतों द्वारा सप्लाई किये हुए बीजों की उपयुक्त रूप से जांच की गई थी और वे स्टैंडर्ड क्वालिटी के सिद्ध हुए हैं। राज्य सरकार को औरंगाबाद जिले की तीन तहसीलों से संकर बाजरे के बीजों के कम अंकुरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकार ने इस विषय में जांच करवाई थी। जांच से पता चला कि कम अंकुरण का कारण यह था कि शुरू की वर्षा के पश्चात ही बुवाई कर दी गई थी परन्तु बाद में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अंकुरित पौदों पर कीटों का आक्रमण हुआ जिसका कुप्रभाव पड़ा। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जो बीज सप्लाई किये थे वे घटिया किस्म के न थे।

भारत सरकार को ज्वार के घटिया किस्म के बीजों के संबंध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

केरल के लिए अतिरिक्त अनाज

166. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अनाज की भारी कमी की जानकारी है; और

(ख) केरल सरकार से अधिक अनाज की मांग को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य को हाल ही में कितना अतिरिक्त कोटा दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केरल की खाद्य-स्थिति, केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं, स्थानीय उपलब्धता, और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार को यथा सम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्नों के आवंटन किये जा रहे हैं ताकि राज्य की सरकारी वितरण संबंधी उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। केरल को किये जाने वाले खाद्यान्नों के मासिक आवंटन में जुलाई के महीने से वृद्धि कर दी गई है।

केरल में बाढ़ से हुई क्षति के लिए केन्द्रीय सहायता

167. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हाल ही में आई बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार के एक दल ने केरल का दौरा किया है;

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार के दल के प्रतिवेदन में क्या कहा गया है; और

(ग) केरल राज्य को केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राहत सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अगस्त, 1974 में केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को एक केन्द्रीय दल भेजा गया था, जिसमें भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग कृषि मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के विशेषज्ञ सम्मिलित थे :—

(1) भू-स्खलन, बाढ़ों, शिला-विस्फोटों आदि की प्रकृति तथा उनके सम्भाव्य कारण;

(2) सिंचाई संबंधी कार्यों और विद्युत केन्द्रों को क्षति तथा उनको पुनः कार्य निष्पादन में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक उपाय ;

(3) संचार व्यवस्था आदि को हुई क्षति के इद्दिकी परियोजना को पूर्ण करने संबंधी कार्यों पर प्रभाव तथा विद्युत केन्द्र की प्रचालन अनुसूची में किसी प्रकार की कमी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय;

(4) निवेशों की आवश्यकता के निर्धारण सहित कृषि-कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक उपाय; और

(5) स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहायता सहित, अन्य कोई संबद्ध तकनीकी पहलू ।

दल की रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की संभावना है ।

इस दल से बाढ़ों से होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने की अपेक्षा नहीं की गई थी ।

(ग) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वर्तमान वर्ष से प्रभावी, राज्यों को केन्द्रीय राजस्व के हस्तांतरण की स्कीम के अंतर्गत, राहत संबंधी व्यय के लिये आंशिक सहायता के रूप में राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

केन्द्र द्वारा केरल सरकार को एक करोड़ रुपय की धनराशि "उपाय और साधन अग्रिम" के रूप में दी गई थी, ताकि स्थिति पर काबू पाने के लिये आवश्यक राहत उपायों को शीघ्रतापूर्वक करने में राज्य की उपाय और साधन जुटाने की क्षमता पर दबाव न पड़े । कृषि संबंधी निवेशों के लिये राज्य सरकार को 10.20 करोड़ रुपये अल्पावधि ऋण के रूप में भी दिये गये हैं ।

खाद्यान्नों के उत्पादन और वसूली सम्बन्धी नीतियां

168. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री महेन्द्र सिंह गिल :
श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक किसान उत्पादकों को लाभदायक मूल्य दिलाने और ग्रामीण तथा नगरीय उपभोकताओं से सस्ता मूल्य लिए जाने और थोक व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा की जाने वाली काला बाजारी तथा जमाखोरी को समाप्त करने को सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों के उत्पादन और वसूली की नीतियों और सरकार द्वारा की जा रही व्यावहारिक कार्यवाही क्या है; और

(ख) देश के लिये कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) रबी के उत्पादन विशेषयता गेहूं, चना और बोरो धान की पैदावार में वृद्धि करने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं । कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें प्रमुख ये हैं :—

(1) खाद्यान्न के बीजों की सुधरी किस्मों को लोकप्रिय बनाना;

(2) प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों का विकास करना; और

(3) कृषि, सिंचाई, सहकारिता और खाद्य उत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य विभागों के बीच राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अधिक समन्वय लाना ।

धान के बारे में उत्पादकों पर लेवी लगाने और चावल के बारे में मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी लगाने की मिश्रित प्रणाली के अधीन धान/चावल की अधिप्राप्ति में वृद्धि करने का विचार है । उत्पादकों पर लेवी लगाकर और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां व्यापारियों पर लेवी लगाकर मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति कम करने की परिकल्पना की गई है । किसान उत्पादकों और देहाती तथा शहरी उपभोक्ताओं के हितों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किए गए हैं ।

जमाखोरी और चोरबाजारी को समाप्त करने के लिये, व्यापारियों के लिये स्टाक सीमाएं निर्धारित की गई हैं और कई एक राज्यों ने तो किसानों के लिए भी स्टाक सीमा निर्धारित कर दी है । जमाखोरी और चौरबाजारियों के विरुद्ध भारत सुरक्षा नियम, आंसुका और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सख्त कार्यवाही की जा रही है ।

व्यवसाय प्रधान शिक्षा

169. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में छात्रों में व्यापक असंतोष दिखाई दिया है और उनकी प्रमुख मांगों में मुख्यत: व्यवसाय-प्रधान शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करना और सस्ती तथा बेहतर शिक्षा आदि शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) सरकार ने, रोजगारोन्मुख शिक्षा लागू करने के पक्ष में छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नोट कर लिया है । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में भी बतादी गई है जिसमें स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव प्रारम्भ करने तथा माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करने की व्यवस्था है । कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा भी रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जा रहे हैं ।

दिल्ली में 'अल्पसंख्यक' कालेजों के शिक्षकों की मांगें

170. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के 'अल्पसंख्यक' कालेजों के शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मण्डल 7 अक्तूबर, 1974 को उनसे मिला था;

(ख) यदि हां, तो क्या मांगें प्रस्तुत की गई; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रतिनिधि मण्डल की मुख्य मांग यह थी कि अध्यापकों को सांविधिक सुरक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन 'अल्पसंख्यक' कालेजों सहित विश्वविद्यालय के सभी कालेजों पर समान रूप से लागू होना चाहिए । दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधायी प्रस्ताव तैयार करते समय, प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा गया है

कृषि मूल्य आयोग द्वारा धान, चावल और गेहूं के मूल्य निर्धारण का आधार

171. श्री एस०पी० भट्टाचार्य : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मूल्य आयोग धान, चावल और गेहूं के मूल्य किस आधार पर निर्धारित करता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : खाद्यान्नों के मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि मूल्य आयोग फसल की सम्भावनाओं, उत्पादन की लागत, कृषि आदानों के मूल्यों, खुले बाजार में चल रहे मूल्यों, समूची आर्थिक स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखता है।

खाद्यान्न के मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति

172. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 में गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज के मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) छिपे खाद्यान्न को बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क), (ख) और (ग) अनाजों के थोक मूल्यों के सूचकांक में 21 सितम्बर, और 2 नवम्बर, 1974 के बीच 4.1 प्रतिशत की गिरावट आयी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे खाद्य नियंत्रण और जमाखोरी निरोधक विभिन्न आदेशों को सख्ती से लागू करवाएं ताकि जमा-शुदा स्टाक को बाहर निकलवाया जा सके। राज्य सरकारें विभिन्न खाद्यान्न नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में व्यापक कार्यवाही कर रही हैं और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां सख्त कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकारों ने जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए अपनी प्रवर्तन मशीनरी को भी सशक्त किया है।

खुले बाजार में चीनी का मूल्य

173. श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले बाजार में चीनी के मूल्य कम करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) से (ग) चीनी के खुले बाजार के मूल्य समय समय पर बाजार मनोभावना द्वारा प्रभावित होते हैं। मांग और सप्लाई स्थिति में प्रत्येक मिनट परिवर्तन से बाजार प्रभावित होता है और विश्व की मंडी में चीनी के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने से, तथा इसके परिणामस्वरूप इस प्रत्याशा में कि सरकार चीनी का और अधिक निर्यात करेगी और उससे आन्तरिक खपत के लिये कम चीनी उपलब्ध होगी, इन बातों का बाजार पर और भी अधिक असर पड़ता है। सरकार ने हाल ही में सितम्बर, 1974 में 50,000 मीटरी टन अतिरिक्त मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की है और इसका खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में कमी लाने में बहुत उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। हालांकि चीनी के खुले बाजार में मूल्यों में सभी समय कमी लाने के बारे में, लागू करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है, फिर भी सरकार से यह आशा की जा सकती है कि वह यथा व्यवहार्य और समय की मांग के अनुसार कोई भी कार्यवाही करे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध

174. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाए गए हैं;

(ख) क्या ये प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन, अर्थात् दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है ;

(ग) क्या इस मामले में कर्मचारी अत्यन्त उत्तेजित हैं; और

(घ) यदि हां, तो बातचीत द्वारा फ़ैसला कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर कोई अनुचित प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। तथापि नियोक्ता के रूप में विश्वविद्यालय और उस के कालिजों तथा विश्वविद्यालय और कालिज कर्मचारी संघ के बीच सामान्य हित के मामलों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने तथा अधिकतम सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से तथा साथ ही नियुक्त कर्मचारियों की सद्भावना से कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने, संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद, संघ की मान्यता से सम्बन्धित नियम बनाएं। संघ ने अनुरोध किया कि इन नियमों में संशोधन की आवश्यकता है और उसका विचार था कि उसे बिना शर्त मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अब उस पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाना है।

विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनों तथा कार्य की शर्तों में सुधार

175. श्री एस० एम० बनर्जी क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनों तथा कार्य की शर्तों में सुधार करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या त्रि-लाभ योजना सभी राज्यों में क्रियान्वित कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय रोजगार में स्कूल-अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने का विषय विचाराधीन है।

भारत सरकार ने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने के वास्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी स्वीकृति भेज दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबन्ध संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के अध्यापकों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्वीकृति जारी कर दी गई है। संशोधित वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से लागू होंगे।

भारत सरकार ने राज्यों को यदि वे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए स्वीकृत वेतनमान को राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के लिए अपनाना चाहे तो वित्तीय सहायता देने की भी पेशकश की है। राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से भिन्न वेतनमान लागू करना चाहें, किन्तु जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अधिक न हों, तो उन्हें केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। नये वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से अथवा उसकी बाद की तारीख से लागू किए जा सकते हैं।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता, होने वाले अतिरिक्त खर्च के 80% तक और 1 जनवरी, 1973 अथवा लागू करने की तारीख से 31 मार्च, 1979 तक उपलब्ध होगी।

वेतनमानों में संशोधन, कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति की पद्धति, अधिवार्षिकी आयु, परीक्षा कार्य के लिये पारिश्रमिक आदि से सम्बन्धित कुछ शर्तों पर आधारित होगा।

संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण, तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए और सरकार द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार होगा।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनसार, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्य त्रिलाभ योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। कुछ अन्य राज्य इस योजना को आंशिक रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं।

महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल दो लाभों, अर्थात पेंशन तथा भविष्य निधि / उपदान की सुविधाएं प्रदान करते हैं और आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल और तमिलनाडु केवल एक लाभ अर्थात् पेंशन की सुविधा प्रदान करते हैं; तथा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-व-काश्मीर, एक अन्य योजना, अर्थात् भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करते हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा

176. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को बाढ़ों तथा सूखे के कारण खाद्यान्नों के अत्यधिक अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या राज्य ने वर्तमान स्थिति से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बाढ़ें आयीं और कुछेक क्षेत्रों में कुछ हद तक कम वर्षा हुई थी। लेकिन इन दोनों राज्यों में खरीफ की फसल की समूची सम्भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति और राज्य सरकारों द्वारा बताई गई समूची जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की गई हैं :—

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	आवंटन		
	सितम्बर, 74	अक्तूबर, 74	नवम्बर, 74
बिहार	50.0	60.0	70.0
उत्तर प्रदेश	41.0	41.0	41.0

वनस्पति की कमी

177. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री भारतसिंह चौहान :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में वनस्पति की कमी अब भी चल रही है जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या वनस्पति उत्पादन के लिए सरकार ने सोयाबीन के आयात को बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो लोगों को इस आवश्यक वस्तु की पर्याप्त और नियमित सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) सितम्बर, 1974 के दौरान वनस्पति की कमी खासी गम्भीर थी क्योंकि आर्थिक मूल्यों पर कच्चे तेल न मिलने के कारण कम उत्पादन हुआ था। तथापि, बाजार में मूंगफली की नई फसल की उत्तरोत्तर आमद से वनस्पति के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और अक्तूबर के दौरान सप्लाई में सुधार हुआ था । नवम्बर के दौरान स्थिति में और भी नरमी आने की आशा है।

(ख) जी नहीं। देशी उत्पादन में कमी को पूरा करने और घरेलू उपभोक्ताओं और वनस्पति फैक्ट्रियों के लिए सप्लाई बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों का आयात किया जाता रहेगा।

(ग) आयातों के अलावा, देश में खाद्य तिलहनों और तेलों का उत्पादन अधिक से अधिक करने और वित्तीय प्रोत्साहन देकर बिनौले और चावल की भूसी के तेलों जैसे उपलब्ध साधनों का अधिक पूरा उपयोग करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Stoppage of Export of Oil Cake

178. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether imported oil seeds are being made available to vegetable oil factories; and

(b) if not, whether export of oil-cake would be stopped so that vegetable factories could get oil-cake ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) (a) Only rapeseed is being imported and the same is being made available to oil mills through the State Governments.

(b) Export of groundnut oilcake is already banned; although export of other oilcakes is permitted, only limited quantities are being actually exported.

पौधों के कीड़ों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

179. श्री बेकारिया :

श्री डी०पी० जदेजा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौधों के कीड़े के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है ताकि किसानों को पौधों को लगने वाले रोगों के बारे में सामयिक चेतावनी दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसा सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इस सर्वेक्षण में राज्य सरकारों को भी सम्बद्ध किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कीटों और गेहूं, धान, आलू तथा गन्ने के रोगों का सर्वेक्षण करने के लिए 9 राज्यों में 12 केन्द्रीय कीट निगरानी केन्द्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा 6 राज्यों में गत पांच वर्षों से खरीफ मौसमों में धान की फसल का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) इन राज्यों में सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है :—

(1) आंध्र प्रदेश
(2) बिहार
(3) कर्नाटक
(4) मध्य प्रदेश

(5) उड़ीसा
(6) पंजाब
(7) तमिल नाडु
(8) उत्तर प्रदेश
(9) पश्चिम बंगाल

(ग) जी हां ।

इंगलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम का खेल प्रदर्शन

180. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इंगलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम के खेल प्रदर्शन के बारे में सरकार ने जांच पूरी करा ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्रिकेट टीम के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) भारत में क्रिकेट के खेल का नियन्त्रण भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। जोकि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए टीम का चयन करने, टीम के खेल से सम्बन्धित प्रश्नों की जांच पड़ताल करने और दल में सुधार करने के लिए निवारक उपाय अपनाने में सक्षम है। इंगलैंड के 1974 के दौरे पर गए भारतीय क्रिकेट दल के खेल का अध्ययन करने के लिए उक्त बोर्ड ने सर्वश्री एम० ए० चिदम्बरम, फतेहसिंह राव गायकवाड और एस० के० बांखेडे की एक विशेष समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट अब बोर्ड से प्राप्त हो गई है। उक्त समिति के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

1. जब यह दौरा आयोजित किया गया था, उस समय इंगलैंड में ऋतु सम्बन्धी परिस्थितियां हमारे देश की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न थीं और इन परिस्थितियों के वर्ष के केवल इसी भाग में होने की सम्भावना थी। मानचेस्टर में हुए प्रथम टेस्ट को छोड़कर हमारे घटिया दर्जे के खेल के लिए ऋतु सम्बन्धी परिस्थितियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रथम टेस्ट में भी हमारे दल के खेल को जीतने अथवा कम से कम खेल को अनिर्णीत कराने के लिये अच्छा अवसर था।

2. देश में काफी समय से तेज गेंदबाजों के अभाव को महसूस किया जाता रहा है। यह एक तात्कालिक आवश्यकता है। भारतीय दल में इस कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड को तत्काल दो अथवा तीन अच्छे तेज गेंदबाजों को खोज निकालने के लिये सक्रिय कमद उठाने चाहिएं।

3. आन साईड की परिसीमा हमारे दल के लिये एक बहुत बड़ी बाधा थी। क्योंकि हमारे दल को अधिकतर अपने घुमावदार (स्पिन) आक्रमण पर निर्भर करना पड़ता था, इससे आन साईड सीमा के आक्रमण पर अंकुश लग गया तथा इसने खेल को साधारण बना दिया। इंगलैंड के बल्लेबाज सुविधापूर्वक और विश्वास के साथ खेले। बोर्ड को भावी दौरों के लिए इस प्रकार के प्रतिबन्धों से सहमत नहीं होना चाहिये।

4. स्टम्प से बाहर गेंद का पीछा करना तथा हुक शाट का प्रयास करना तथा पाली में कभी कुछ जल्दबाजी भी हमारे अनेक बल्लेबाजों के लिये अपने विकेटों को खोने के लिये उत्तरदायी रहा। हमारे बल्लेबाजों को इन प्रलोभनों पर नियन्त्रण करना चाहिए तथा अपने स्ट्रोकों में विशेषकर लम्बी अवधि वाले टेस्ट मैचों में और अधिक वर्ण शील होना चाहिए।

5. दौरे के दौरान हमारे दल के अन्त के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी बहुत निराशाजनक रही। एक अथवा दो अवसरों को छोड़ कर हमारे दल के इन बल्लेबाजों ने विना अधिक सामना किए अपने विकेट खो दिये। बहुत से अवसरों पर, हमारे माने हुए खिलाड़ियों को दूसरी ओर से पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण अपनी इन्निगस से लौटना पड़ा। यह, इंगलैंड की टीम में ओल्ड और अन्डररूट द्वारा पेश की गई कड़ी बाधा के बिल्कुल विपरीत था। हमारे गेंदबाजों को बल्लेबाजी का भी अभ्यास करना चाहिए और उस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

6. विकेट रक्षण को छोड़कर, जो कभी कभी ठीक रहा, हमारे क्षेत्र रक्षण दौरे के दौरान काफी अच्छे स्तर का रहा।

7. निस्संदेह इन टैस्टों में हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी बल्लेबाज सुनील गावस्कर रहे जिनके बाद विश्वनाथ की बारी आती है। यदि उन्हें अपने दल के अन्य अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से समर्थन मिला होता और पर्याप्त दौड़ें अर्जित की होती तो यह सम्भावना की जा सकती थी कि गेंदबाज भी अच्छा खेल दिखाते। बल्लेबाजी में पर्याप्त दौड़ें बनाने के पश्चात् टीम को गेंदबाजी का स्पष्टतया मनोवैज्ञानिक लाभ हमारे गेंदबाजों को प्राप्त नहीं हुआ।

8. यह मानना पड़ेगा कि टैस्टों में इंगलैंड की टीम ने अपने सदस्यों की अनुकूल परिस्थितियों में बहुत अच्छा खेल दिखाया और इंगलैंड के खिलाड़ियों ने कुछ बहुत ही अच्छे कैच लिये।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात

181. श्री डी०पी० जदेजा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार देश के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग की सहायता तथा विकास के लिये मैक्सिको, इटली तथा फिल्लेण्ड से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 60 नौकायें खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो नौकाओं का मूल्य क्या है; और

(ग) किस क्षेत्र में इनका उपयोग किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :—

जिन देशों से आयात किया गया	नौका की लम्बाई	प्रति नौका मूल्य अमरीकी डालर
1. इटली	24.30 मीटर	245,000
	31.95 मीटर	500,000
2. मैक्सिको		
(क) प्रशीतन होल्ड के साथ	23.16 मीटर	300,215
(ख) शीतन और बर्फ के होल्ड के साथ	23.16 मीटर	304,430
3. पोलैंड	23.25 मीटर	22.41 लाख रु०

ऊपर दिए गए पोलैंड के जलयानों के मूल्य में मुख्य इंजिन का मूल्य शामिल नहीं है, जो निर्माताओं से प्राप्त हुए बीजक के आधार पर विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाएगा।

(ग) इन नौकाओं को कलकत्ता, पारादीप, विशाखा पत्तनम, मद्रास, तुतिकोरिन, कोचीन, मंगलौर, बम्बई आदि जैसे विभिन्न बंदरगाहों से चलाए जाने की संभावना है, जो कि यंत्र-चालित और बिना यंत्र-चालित जलयानों की परिधि से परे हैं।

पश्चिम बंगाल को अनाज का नियतन और सप्लाई

182. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में केन्द्रीय पूल से पश्चिम बंगाल ने कितने अनाज का अनुरोध किया, उसे कितना अलाट किया गया और कितना वास्तव में सप्लाई किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : चालू वर्ष के दौरान, सितम्बर के अन्त तक राज्य सरकार की मांग 16.20 लाख मीटरी टन थी जबकि इसके प्रति 11.90 लाख मीटरी टन का आवंटन किया गया था। इस आवंटन के प्रति वास्तव में सप्लाई की मात्रा 11.72 लाख मीटरी टन थी। अक्तूबर और नवम्बर के लिए आवंटित मात्रा 2.88 लाख मीटरी टन है जबकि मांग 3.25 लाख मीटरी टन थी।

दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिए निर्धारित अर्हताएं

183. श्री एन० ई० होरो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने यह अर्हता निर्धारित की है कि उसके पास किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, अध्यापन डिग्री होनी चाहिए तथा 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिये ;

(ख) क्या इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वह तीन वर्ष तक प्रशासनिक पद पर कार्य कर चुका हो;

(ग) क्या टी०जी०टी० अथवा पी०जी०टी० पद पर 15 या 20 वर्ष का अध्यापन अनुभव वाला वरिष्ठतम स्थानीय शिक्षक संभवत: आपेक्षित प्रशासनिक अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस पर पुन: विचार करने और इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली के राजकीय स्कूलों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रिंसिपल के पदों के लिये, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित योग्यतायें निम्नलिखित हैं :—

अनिवार्य : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में मास्टर्स डिग्री अथवा उसके समकक्ष ।

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापन/शिक्षा में डिग्री अथवा उसके समकक्ष ।

(iii) स्कूल/इंटरमीडिएट कालेज के प्रशासकीय कार्य का लगभग 5 वर्ष का अनुभव (दो वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित) अन्य प्रकार से योग्य उम्मीदवारों के मामले में आयोग के विवेक पर योग्यताओं में छूट दी जा सकती है ।

वांछनीय : (i) डाक्ट्रेट डिग्री

(ii) पब्लिक स्कूल का अनुभव ।

(ग) जी, हां, किन्तु पदोन्नति किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये कोई प्रशासकीय अनुभव निर्धारित नहीं किया गया है ।

(घ) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

यूरोपीय साझा बाजार आदि द्वारा अनाज की सप्लाई

184. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री नाथूराम अहिरावार :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किए जा चुके प्रबंधों के अलावा भारत सरकार को 30 से 40 लाख टन अनाज की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) क्या इस कमी को देखते हुए सरकार यूरोपीय साझा बाजार समाजवादी देशों और अमरीका से अनाज की नकद खरीद करने का प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयास के क्या परिणाम रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क), (ख), (ग) और (घ) सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं, खाद्यान्नों की आन्तरिक उपलब्धता, मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयात संबंधी आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा की जाती है । खाद्यान्न उत्पादक निर्यातक देशों से आयात कर स्टाक की भरपाई करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । चालू वर्ष के दौरान विदेश से 35 लाख मीटरी टन खाद्यान्न खरीदे गये हैं ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पास पड़ी पुस्तकें

185. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य की लगभग 100 पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के गोदामों में पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या पुस्तकों का इतना बड़ा स्टाक जमा करने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है; और

(घ) प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों के टाइटल तथा प्रतियों की संख्या आदि के बारे में क्या नीति है और विभिन्न विषयों के लिये लेखकों का चयन करने का क्या ढंग है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) इस समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के स्टाक में 20,89,591.65 रुपये की 187 समूल्य पाठ्यपुस्तकें और 11,28,999.55 रुपये की 168 सामान्य पुस्तकें हैं। सारे वर्ष के दौरान इन पुस्तकों का पर्याप्त स्टाक रखना होता है। क्योंकि परिषद के पास विभिन्न क्षेत्रों से समय समय पर विभिन्न मात्राओं में इन पुस्तकों के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं।

इस बात के लिये कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी जाती क्योंकि उपरोक्त स्टाक रखा हुआ है। परिषद् के प्रकाशनों का वार्षिक विक्रय 30 से 35 लाख रुपये के दायरे में होता है। इस औसत वार्षिक विक्रय के लिये पर्याप्त स्टाक रखना होता है।

(घ) परिषद् द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले प्रकाशनों के प्रमुख प्रकार पाठ्यपुस्तकें, अनुसंधान निबन्ध, अनुपूरक रीडर और शैक्षिक पत्रिकायें हैं।

प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूल स्तर की कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे विषयों के आधार पर पाठ्य-पुस्तकों का निर्णय किया जाता है। जहां तक परिषद द्वारा तैयार की गई किसी नई पाठ्यपुस्तक को प्रकाशित की जाने वाली प्रतियों की संख्या का संबंध है, परिषद् 3000 प्रतियां प्रकाशित करती है जो पाठ्यपुस्तक निर्धारण निकायों तथा विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अन्य संबंधित सरकारी शैक्षिक अभिकरणों को, उन की सूचना तथा इनको अपनाने के लिये निशुल्क वितरित की जाती हैं। जहां तक उन पाठ्यपुस्तकों का संबंध है, जो विभिन्न स्कूल विभागों द्वारा निर्धारित की गई हैं और प्रयोग में हैं, इनकी प्रकाशित की जाने वाली प्रतियों की संख्या का अनुमान मांग के आधार पर किया जाता है। इन पुस्तकों के लेखक या तो विषय विशेषज्ञों द्वारा चुने गये व्यक्ति होते हैं या राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के स्टाफ के सदस्य होते हैं।

परिषद् द्वारा प्रकाशित किये गये अनुसंधान निबन्ध, परिषद् के अन्दर अथवा परिषद् के बाहर—अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुसंधान पर निबन्ध/शोध निबन्ध होते हैं। अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुसंधान पर आधारित निबन्धों/शोध निबन्धों के मामले में इसको प्रकाशित कराने अथवा न कराने के संबंध में निर्णय देने से पहले इस कार्य का संबंधित क्षेत्र के दो अथवा इससे अधिक अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कराया जाता है। दोनों प्रकारों के निबन्धों के संबंध में मुद्रण आदेश सामान्यतया 2,000 से 3,000 प्रतियों तक के लिये होता है।

जहां तक अनुपूरक रीडरों का संबंध है, विषय और लेखक सामान्यतया राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान क विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। तथापि, कभी कभी बाहर से अप्रार्थित पाण्डुलिपियां भी प्राप्त होती हैं। दोनों प्रकार की पाण्डुलिपियों का विशेषज्ञों से मूल्यांकन कराया जाता है और उन्हें परिषद की प्रकाशन सलाहकार समिति के समकक्ष रखा जाता है जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या विशिष्ट पुस्तक प्रकाशित कराई जानी चाहिए अथवा नहीं।

1973-74 के मौसम में तमिलनाडु में चीनी के मूल्य के बारे त्रिपक्षीय बैठक

186. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार द्वारा 10 सितम्बर, 1974 को तमिलनाडु स्थित निजी चीनी मिलों और गन्ना उत्पादकों के बीच 1973–74 मौसम के लिये चीनी के मूल्य संबंधी विवाद के बारे में त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क), (ख) और (ग) भाग (क) और (ख) से संबंधित सूचना तमिलनाडु सरकार से मांगी गई है। सूचना प्राप्त होने के बाद सभा के पटल पर पूरे प्रश्न का उत्तर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में वनस्पति घी के फुटकर लाइसेंसों का रद्द किया जाना तथा राशन कार्डों का रजिस्टर किया जाना

187. **श्री शशि भूषण :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 31 अक्तूबर, 1974 के अन्त तक गत छ: महीनों में वनस्पति घी के कुल कितने फुटकर लाइसेंस रद्द किए गए ;

(ख) इन दुकानदारों के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं और इन दुकानदारों के परमिट रद्द करने के अतिरिक्त उनके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है;

(ग) राशन कार्ड धारियों को दूसरे दुकानदारों के यहां अपने कार्ड रजिस्टर कराने के लिये क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(घ) क्या दुकानदार के लिये कार्ड रजिस्टर करने की कोई सीमा है यदि नहीं, तो ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो उन कार्डधारियों को अपने यहां रजिस्टर करने से इन्कार करते हैं जो पहले एक ऐसी दुकान पर रजिस्टर थे जो बाद में रद्द कर दी गई अथवा जो अपना कार्ड दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से एक दुकान से छोड़कर दूसरी दुकान पर रजिस्टर करना चाहते हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) पच्चीस।

(ख) इनमें ये आरोप सम्मिलित थे (1) वास्तविक और घोषित स्टाक के बीच अन्तर (2) ठीक हिसाब किताब न रखना (3) बेचने से इन्कार करना और (4) अधिक मूल्य वसूल करना।

इसके लिये की गई कार्यवाही इस प्रकार थी (1) सभी 25 व्यापारियों की प्रतिभूति जमा राशि जब्त करना (2) इनमें से 10 के विरुद्ध पुलिस में मामले दर्ज करवाना।

(ग) उन्हें अन्य किसी खुदरा व्यापारी के पास अपने कार्ड रजिस्टर करवाने की अनुमति दे दी गई थी।

(घ) जी नहीं। जब कोई कठिनाई ध्यान में आती है तब दिल्ली प्रशासन उपयुक्त वैकल्पिक प्रबन्ध करता है।

दिल्ली में रद्द की गई राशन की दुकानें

188. **श्री शशि भूषण :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 तथा 31 अक्तूबर, 1974 के दौरान विभिन्न अनियमितताओं के आरोप में दिल्ली में, राशन की कितनी दुकानें रद्द की गई;

(ख) राशन लाइसेंस रद्द करने के अतिरिक्त इन दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रभावित कार्ड धारियों को अन्य दुकानों पर अपने कार्ड दर्ज करवाने के लिए क्या सुविधायें दी गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1–1–1974 से 30–10–74 तक की अवधि के दौरान 145 उचित मूल्य की दुकानें रद्द की गई थीं। 36 उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों के विरुद्ध पुलिस में मामले दर्ज कराये गए थे और सभी मामलों में प्रतिभूति की जमा राशि जब्त कर ली गई थी और उनके कार्ड उन्हीं के क्षेत्रों में अन्य दुकानों को दे दिये गए हैं।

खाद्यान्न के आयात पर पेनल का प्रतिवेदन

189. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से संबद्ध आसूचना विभाग (इंटेलीजेंस विभाग) ने दो महीने पूर्व सरकार को रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि देश को बचे रहने के लिये "1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न" आयात करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस मंत्रालय से कोई आसूचना विंग संबद्ध नहीं है । तथापि, अर्थ तथा अंक निदेशालय है जोकि राज्यों से उत्पादन, मूल्यों, बाजार आसूचना आदि पर आंकड़े प्राप्त करता है । इस निदेशालय से आयात संबंधी जरूरतों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब सरकार द्वारा व्यापारियों से तथाकथित गुप्त सौदा

190. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 सितम्बर, 1974 को एक स्थानीय समाचार पत्र में "बैंक आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी एण्ड व्हाट यू लाइक" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) समाचार पत्रों में प्रकाशित इस प्रकार के समाचार को सरकार ने देखा है ।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा इन आरोपों का खंडन करने से संबंधित समाचारों को भी सरकार ने देखा है ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के एप्लाइड मैथेमैटिक्स विभाग का शोध अध्ययन केन्द्र के रूप में चयन

191. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोध अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिये सभी विश्वविद्यालयों में से किन कार्यों तथा उपलब्धियों की सुविधा देखते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के एप्लाइड मैथेमैटिक्स विभाग का चयन किया गया ;

(ख) गत 10 वर्षों में कलकत्ता विश्वविद्यालय के इस विभाग में किन कार्यों तथा उपलब्धियों में गिरावट आई है ;

(ग) इस समय उक्त विभाग एवं केन्द्र एप्लाइड मैथेमैटिक्स के किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं;

(घ) उक्त विभाग का चयन करने वाली विशेष समिति के सदस्य कौन कौन हैं तथा उनकी विशिष्टियां क्या हैं; और

(ङ) उक्त विभाग एवं केन्द्र द्वारा एप्लाइड मैथेमैटिक्स के जिन क्षेत्रों में योगदान किया गया है उनमें से किनका उक्त विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया है और उनके निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रयुक्त गणित विभाग को 1963–64 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ अध्ययन केन्द्रों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अस्थिर यांत्रिकी नम्यता और सुनम्यता, संख्यात्मक विश्लेषण और कमप्यूटर तकनीकों तथा भू-भौतिकी के क्षेत्रों में प्रयुक्त गणित में एक सक्रिय और व्यवहार्य अनुसंधान स्कूल के निर्माण के लिये एक उदीयमान विभाग के रूप में पता चला था । चुने हुए विभाग से आशा की जाती थी कि वह अखिल भारतीय आधार पर शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के आयोजन तथा कार्य करने के लिये एक मार्गदर्शी विभाग के रूप में कार्य करेगा ।

(ख) केन्द्र से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों तथा 1965–66 तथा 1968-69 के दौरान विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों तथा 1973–74 में मूल्यांकन समिति की अन्तिम रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि इस केन्द्र ने इसके लिये मूलतः निश्चित किए गए क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण करने, समेकन और ध्यान केन्द्रित करने और इस प्रकार अनुसंधान के व्यवहार्य वर्गों की बजाय विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य रूप से कार्य करने की पहल आरम्भ करने दी है और प्रयुक्त गणित की चुनी हुई शाखाओं में कोई विशिष्ट बल के व्यवहार्य वर्गों पर ध्यान नहीं दिया है।

(ग) इस समय केन्द्र में जिन क्षेत्रों में कार्य हो रहा है, वे इस प्रकार हैं :—

1. प्रयोगों के लिए बुनियादी गणित;
2. गणितीय विधियां;
3. सांख्यिकीय पद्धतियां तथा सूचना सिद्धांत ;
4. गणितीय भौतिकी (श्रेण्य; अपेक्षिकीय तथा गर–अपेक्षिकीय तथा मात्रा);
5. प्रौद्योगिकी तथा समाज विज्ञानों का गणित;
6. उच्च परिकलन पद्धतियां तथा साईबरनेटिक्स; और
7. जीवगणित ।

(घ) पिछले दस वर्षों के दौरान किये गये कार्य का मूल्यांकन करने के लिए 1973–74 में गठित मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित थे :—

(1) प्रो० के० जी० रामानाथन,
गणित प्रभाग के अध्यक्ष,
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बम्बई।

(2) प्रो० के० बी० अत्रेय,
प्रयुक्त गणित विभाग,
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।

प्रोफेसर के० जी० रामानाथन एक प्रख्यात तथा प्रतिष्ठित गणितशास्त्री हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं :—

(क) संख्या सिद्धांत;

(ख) आटोमार्फिक कार्यकरण;

(ग) असतत ग्रुप ।

प्रोफेसर रामानाथन, अपनी बीमारी के कारण समिति में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

प्रोफेसर के० बी० अत्रेय की विशेषज्ञता के विषय संभाविता तथा या दृष्टिक प्रक्रियायें हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपर सचिव डा० डी० शंकर नारायण ने समिति के सचिव के रूप में कार्य किया ।

(ङ) उच्च अध्ययन केन्द्रों की मूल्यांकन समितियों के कार्य के विचारार्थ सौंपे गए विषय निम्नलिखित थे :—

(1) आरम्भ किए गए विभिन्न शैक्षणिक प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन ;

(2) संगठनात्मक तथा प्रशासनिक पहलू, विशेषकर संबंधित विभाग के एक अभिन्न अंग के रूप में उच्च अध्ययन केन्द्र का पता लगाने के संबंध में, प्राप्त स्वायतता का मापदंड ;

(3) विशेष समर्थन के लिये चुने गए विशेषज्ञता के क्षेत्रों के विकास का स्तर तथा विभाग के अन्दर ही अन्य विषयों के कुल विकास पर उसका प्रभाव;

(4) सलाहकार समितियों का कार्यकरण, उनका योगदान और केन्द्र के शैक्षिक कार्यकलापों को बढ़ाने में उनकी प्रभावशालीता, जैसे :—

(क) केन्द्र में स्टाफ की भर्ती, विद्यार्थियों का दाखिला तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ अन्तर कार्रवाई के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र का कामकाज;

(ख) अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षण के अतिरिक्त उत्तर वी०एस०सी० अथवा उत्तर एम०एस० सी० स्तर पर विकसित नये पाठ्यक्रमों, पूर्व पी०एच०डी० कार्य-क्रम आदि; तथा

(ग) शैक्षिक पद्धति के विकास, वृद्धि तथा आधुनिकी करण के प्रमुख मदों के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्र द्वारा उठाये गए कदम।

समिति ने केन्द्र द्वारा शुरू किये गए अध्यापन अनुसंधान और कार्यक्रमों के सभी पहलुओं की जांच की। उसने पाठ्यचर्या, पी०एच०डी० के कुछ शोध पत्रों तथा उन विषयों के स्वरूप की भी जांच की जिन पर अनुसंधान चल रहा था। समिति के मुख्य विचार निम्नलिखित हैं :—

(1) किसी उच्च केन्द्र में पढ़ाया जाने वाला एम०एस० सी० कार्यक्रम उच्च कोटि का होना चाहिये तथा उसे अन्य विश्वविद्यालयों के एम०एस०सी० कार्यक्रम से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान एम०एस०सी० कार्यक्रम की पाठ्यचर्या तथा कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों की संख्या से ऐसा पता नहीं चलता है। पाठयचर्या कुछ परंपरागत है तथा उसमें कुछ अप्रचलित पाठ्यक्रम हैं तथा उनमें गणित में कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक विकासों की गुंजाइश नहीं हैं।

(2) पी०एच०डी० के उम्मीदवारों के लिये पूर्व पी०एच०डी० पाठ्यक्रमों के रूप में कोई व्यवस्थित अध्यापन कार्यक्रम नहीं है।

(3) केन्द्र के कर्मचारियों में अधिकतर कलकत्ता विश्वविद्यालय के उत्तर स्नातक हैं अतः उनका विकास काफी लम्बे समय से विभाग में स्थापित परंपरागत आधारों पर ही हुआ है।

(4) प्रोफेसरों को छोड़कर, अन्य संकाय सदस्य अधिकतर अध्यापन में ही लगे रहते हैं।

(5) अनुसंधान कार्य के वर्तमान स्तर को और भी बेहतर किया जा सकता है यदि छात्रों और संकाय को बेहतर प्रशिक्षण मिलता तथा उनकी भर्ती अखिल भारतीय आधार पर तथा जहां तक हो सकता यहीं के व्यक्तियों को लेकर न की गई होती।

(6) पी०एच०डी० के शोधपत्र अत्यन्त सामान्य स्तर के हैं। शोध प्रबन्ध तथा अनुसंधान पेपरों में मौलिकता, तकनीकों तथा संकल्पना की दृष्टि से बहुत कम विभिन्नता है। यह सम्भवतः आधुनिक पद्धतियों में उपयुक्त प्रशिक्षण की कमी, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अन्दर से ही अनुसंधान अध्येताओं के चयन तथा संकाय की यह अभिवृत्ति, कि फिलहाल जो भी उपलब्ध हो उससे ही संतोष किया जाये।

(7) केन्द्र, यादवपुर विश्वविद्यालय के प्रयुक्त गणित विभाग के साथ अपने कार्यक्रमों का समन्वय करने में असमर्थ रहा है; जैसी कि परिकल्पना की गई थी

(8) इस विभाग ने पहले यूनेस्को सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सहायता का उचित रूप से उपयोग नहीं किया था।

(9) स्टाफ की संख्या इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित संख्या से बहुत कम है।

(10) विभिन्न प्रयोजनों के लिये, जिसमें भवनों का विस्तार, उपस्कर, पुस्तकालय-पुस्तकें और पत्रिकायें खरीदना शामिल है, दिये गये अनुदानों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

(11) आन्तरिक प्रशासकीय और संगठनात्मक समस्याओं ने सामान्यतया केन्द्र की उन्नति को अवरुद्ध कर दिया है।

उच्च अध्ययन केन्द्रों के कार्यक्रम के लिये स्थायी समिति ने विभिन्न केन्द्रों की मूल्यांकन समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया और यह सिफारिश की कि उन केन्द्रों के मामले में जिनका कार्य प्रत्याशित स्तर का नहीं था उनको शुरू की दस वर्ष की अवधि के बाद अर्थात् 1-1-74 से आयोग द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत और कोई सहायता नहीं दी जाए। आयोग ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये केन्द्र पहले से उपलब्ध सुविधाओं और स्टाफ के आधार पर अपने कार्यक्रम जारी रख सकेंगे। और इस संबंध में खर्चे को वचनबद्ध खर्चा समझा जायेगा। तथापि, यह विभाग किसी अन्य विश्वविद्यालय के विभाग की भांति सामान्य योजना संबंधी निधियों, अनुसंधान कार्यक्रमों के लिये सहायता इत्यादि प्राप्त कर सकता है।

कलकत्ता में राशन के कोटे में कमी किया जाना

192. श्री माधुर्य हालदार : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त से अक्तूबर, 1974 के दौरान कलकत्ता तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में राशन के चावल के कोटे में कितनी बार तथा कितनी-कितनी कमी की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कलकत्ता में तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में राशन की दुकानों से राशन देने के बजाय दुकानों से कितनी बार प्राप्त स्लिपें दी गई तथा इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार से आवश्यक सामग्री भेजने के लिये कहा गया है । राज्य सरकार से जब सूचना प्राप्त होगी तब सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में नलकूप तथा नदियों से उठाऊ सिंचाई योजना के संबंध में विश्व बैंक कृषि परामर्शदाता के विचार

193. श्री माधुर्य हालदार : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के कृषि परामर्शदाता ने पश्चिम बंगाल में उथले तथा गहरे नलकूपों तथा नदियों की उठाऊ सिंचाई योजना के खिलाफ टिप्पणी की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) विश्व बैंक मिशन, जिसने आई०डी०ए० सहायता हेतु समन्वित ग्राम विकास परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, ने अन्तिम रूप से यह विचार प्रकट किया है कि इस परियोजना के अन्तर्गत उथले नलकूपों, गहरे नलकूपों और नदियों की उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिये धन देना सम्भव होगा ।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों के आवंटन तथा सप्लाई में वृद्धि करना

194. श्री माधुर्य हालदार : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त से अक्तूबर, 1974 तक पश्चिम बंगाल को प्रत्येक माह खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का आवंटन तथा सप्लाई की गई;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में गम्भीर खाद्यान्न संकट की तथा बहुत से राजनीतिक दलों तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री सहित बहुत से मंत्रियों के द्वारा इन महीनों में दिए गए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों के आवंटन तथा सप्लाई की मात्रा में कोई वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो आवंटन और सप्लाई की मात्रा में कितनी वृद्धि की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल को अगस्त से अक्तूबर, 1974 के दौरान खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्रायें आवंटित की गई थीं :—

(हजार मी० टन में)

मास	आवंटित की गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा
अगस्त, 1974	115.0	136.8
सितम्बर, 1974	115.0	131.9
अक्तूबर, 1974	143.0	सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । आशा है कि आवंटित की गई पूरी मात्रा को सप्लाई किया जाएगा ।

(ख) और (ग) जी हां। अक्तूबर, 1974 के दौरान पश्चिमी बंगाल को 28 हजार मीटरी टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई थी।

महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में कृषि-उद्योग समूह

195. प्रो० मधु दंडवते : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में बहुत से कृषि-उद्योग समूह स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन विकास परियोजनाओं के लिए इंडियन डेरी एन्टरप्रेन्यर्स एग्रीकलचर्ल लिमिटेड (आई०डी०ई०ए०एल०) को कोई सहायता दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो आरम्भ की गई परियोजनाओं के मामले में क्या प्रगति है और कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क), (ख) और (ग) आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नदी घाटी परियोजनायो में गाद जमा होना

196. प्रो० मधु दंडवते : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चल रही घाटी परियोजनाओं में गाद जमा हो जाने की समस्या के समाधान के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन योजनाओं के कार्य से किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों को संबद्ध किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना के अभिकल्पित जीवन काल के दौरान, जो सामान्यतया लगभग 100 वर्ष होता है, गादीकरण नियोजित लाभों को प्रभावित न करे, जल-संचय बांधों के अभिकल्प में गाद के एकत्रण के लिए पर्याप्त क्षमता जिसको "निष्क्रिय संचय" (डेड स्टोरेज) कहा जाता है, की व्यवस्था की जाती है। बहरहाल, नदियों द्वारा लाई गई गाद की मात्रा को कम करने और तदनन्तर संचय-बांधों के जीवनकाल को आगे बढ़ाने के लिए तृतीय योजना के प्रारम्भ से नदी घाटी परियोजनाओं के बाहक्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों का, एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम, कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दामोदर घाटी, भाखड़ा, मचकुंड, हीराकुंड, चम्बल, मयूराक्षी, कुंडाह, तुंगभदरा, रामगंगा, दन्तीवाड़ा, कंगसावती, घोड, ब्यास (पोंग), लोअर भवानी, कडाना, माताटीला, नागार्जुनसागर, पोचम्पाद, निजामसागर और उकई बांधों, तथा पोहरू नदी के वाहक्षेत्र में भू-संरक्षण उपायों को प्रारंभ किया गया है। चौथी योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम पर कुल परिव्यय 45.84 करोड़ रुपये था तथा इसके अंतर्गत 10.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित किया गया था पांचवी योजना में, नदी घाटी परियोजनाओं के वाहक्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों के केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के लिए 44 करोड़ रुपये का परिव्यय अनन्तिम रूप से प्रस्तावित किया गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खरीफ की वसूली सम्बन्धी नीति के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

197. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन मे खरीफ की वसूली के बारे में कोई नीति निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि मूल्य आयोग तथा रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर भी विचार किया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) कृषि मल्य आयोग की सिफीरिशों, मूल्यों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता, जैसाकि रिजर्व बक आफ इंडिया ने सुझाव दिया है, और 14 सितम्बर, 1974 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद भारत सरकार ने खरीफ मौसम 1974-75 के लिये मूल्य और अधिप्राप्ति नीति की घोषणा की है।

अकाल स्थिति को रोकने के लिए कार्यवाही

198. श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि देश में लगभग अकाल जैसी स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों में अत्यधिक वर्षा होने और गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ भागों, राजस्थान, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल आदि अन्य प्रदेशों में कम वर्षा होने के कारण वहां की फसलें खराब होने के कारण उन क्षेत्रों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

प्रभावित राज्यों की सरकारों ने राहत कार्य शुरू करके मुफ्त सहायता देने और वृद्ध तथा गरीब व्यक्तियों को नकद आर्थिक सहायता देने के कार्य शुरू किये हैं। जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है वहां पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिये चारा भी सप्लाई किया जा रहा है।

भारत सरकार ने फसल उगाने के संबंध में इन राज्यों को सलाह देने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों के दल नियुक्त किये हैं। सरकार ने प्रभावित राज्यों को कृषि आदान खरीदने के लिए 56.29 करोड़ रु० का एक अल्पकालीन फसल-ऋण स्वीकृत किया है। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की सप्लाई को यथासंभव बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऐच्छिक संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे सूखा ग्रस्त/बाढ़ग्रस्त राज्यों में अपनी सहायता संबंधी गतिविधियों को और तेज कर दें।

किसानों को उर्वरक तथा बिजली की सप्लाई

199. श्री महेन्द्र सिंह गिल :

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री दिनेश सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना बनाई गई है जिसके अनुसार उर्वरक और बिजली आदि की सप्लाई में उन किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी जो सरकारी एजेंसियों को खाद्यान्न सप्लाई करना अपना दायित्व समझते हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कुछेक राज्य सरकारें खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के प्रति उर्वरक और अन्य आवश्यक जिन्से सुलभ करती हैं। तथापि, उर्वरकों और अन्य आदानों को इससे जोड़ने के बारे में एक व्यापक योजना अभी विचाराधीन है।

उड़ीसा में सूखा

200. श्री डी० के० पंडा :

श्री गजाधर मांझी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में इस 'शताब्दी' का सबसे भयानक सूखा पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सहायता के लिए किए गए अनुरोध के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) राज्य सरकार के अनुरोध को केन्द्रीय सरकार ने किस सीमा तक माना है और उस का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) यह सच है कि कम तथा अनियमित मानसून के कारण इस वर्ष उड़ीसा राज्य में अपूर्व सूखा पड़ा है ।

(ख) राज्य सरकार ने विभिन्न सूखाग्रस्त राहत कार्य शुरू करने के लिए 311.50 लाख रुपये की मंजूरी दी है ।

(ग) तथा (घ) राज्य के खरीफ तथा रबी कार्यक्रमों के लिए बीजों और उर्वरकों की खरीद के लिए भारत सरकार ने 331 लाख रुपए के अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति दी है ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
Re : ADJOURNMENT MOTIONS

पटना में सत्याग्रहियों पर केन्द्रीय पुलिस के द्वारा आक्रमण को रोकने में सरकार की असफलता

अध्यक्ष महोदय : बिहार के प्रश्न पर सर्वश्री मोहम्मद इस्माइल, मधु दंडवते, कृष्ण चन्द्र हाल्दर, मधु लिमये, समर मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, दीनेन भट्टाचार्य, नुरूल हुडा, दशरथ देव, सरोज मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी, एम० के० कृष्णन, अटल बिहारी वाजपेयी, पी० एम० मेहता, श्यामनन्दन मिश्र, समर गुह, हुकम चन्द कछवाय, जनेश्वर मिश्र, पी० जी० मावलंकर, इन्द्रजीत गुप्त, झारखन्डे राय, इस्हाक सम्भली, सरजू पांडेय, एस० एम० बनर्जी, रामावतार शास्त्री, डी० के० पंडा और डा० सरदीश राय ने अपने अपने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी है । श्री श्यामनन्दन मिश्र की सूचना नियमानुसार है और इसलिए मैं उसे अनुमति देता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या बैलट किया गया है ? यह किस आधार पर चुना गया है ? यदि आपने इसे चुन ही लिया है तो अन्य प्रस्तावों को सभा में पढ़ा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर कर मैंने इसे अनुमति देने का निर्णय किया है । एक ही विषय पर विभिन्न प्रस्तावों में से एक को पेश करने की अनुमति मैंने दी है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य मैंने अस्वीकार कर दिये हैं श्री मिश्र का प्रस्ताव निम्न प्रकार है :

> "पटना में 4 नवम्बर, 1974 को सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण सहित शांन्तिपूर्ण सत्याग्रहियों पर केन्द्रीय पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल द्वारा आक्रमण को रोकने में सरकार की कथित विफलता" ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्रीमान्, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में है वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें ।

सदस्यों की संख्या अपेक्षित संख्या 50 से अधिक है । अतः प्रस्ताव को सभा की अनुमति प्राप्त हो गई है । इस पर शाम के तीन बजे विचार होगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): श्रीमान् में नियम 222 के अन्तर्गत एक मामला उठाना चाहता हूं। 8 नवम्बर 1974 के 'अमृत बाजार पत्रिका' में प्रकाशित समाचार के बारे में मैं आपको पहले ही पत्र लिख चुका हूं। उसमें संसद सदस्यों और सभा के कार्यक्रम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी थी। क्या आपने उस समाचार का खंडन किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं कल अपना स्पष्टीकरण दे चुका हूं। यदि मैंने कोई बात सार्वजनिक सभा में कहीं हो या संवाददाता सम्मेलन में कही हो, तो उसे उद्धृत किया जा सकता है। किन्तु जो कुछ मैंने एक गुप्त बैठक में कहा था और जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं क्या उसे भी विशेषाधिकार का प्रश्न बनाया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार के लिए सभा में शोरगुल और अव्यवस्था पैदा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह कहा था कि सभा से बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर यह प्रतिक्रिया है और सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों को संतुष्ट रखना पड़ता है इसमें क्या गलत है ?

मेरा विचार है कि हम पीठासीन अधिकारियों को भविष्य में कोई ऐसी बैठक उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक हमें वही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती जो संसद सदस्यों को सभा में प्राप्त है। हम वहां विभिन्न विषयों पर विचार करते हैं और यदि उसमें से कोई बात बाहर आ जाती है तो उसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है। मेरे लिए ऐसे मामलों पर विचार करना बहुत कठिन है। कृपया अपने अध्यक्ष को इतना न जकड़ें कि वह अपना कोई मत ही प्रकट न कर सके।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1974 के अध्यादेश संख्या 11, 12 और 13

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित अध्यादेशों, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 17 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 11)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश 1974 (1974 का संख्या 12)।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर 1974 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 13)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8427/74]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): **श्रीमान्, मैंने मद संख्या 3 (1) और 3 (3) के बारे में आपको लिखा था कि मैं उन पर बोलना चाहता हूं।**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। **श्री बनर्जी।**

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं सभा पटल पर रखे गये पत्र, जो मद संख्या 3 (2) पर उल्लिखित है, के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही यह अध्यादेश जारी किया गया हमने यह महसूस किया था कि कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण पर वहां के श्रमिकों को हानि उठानी पड़ेगी। इन श्रमिकों को गत 30-40 वर्ष से जो पेंशन और उपदान के लाभ प्राप्त थे वे मिलों के राष्ट्रीयकरण से पूर्णतः समाप्त हो जायेंगे।

दूसरे, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (वर्ष 1974 का संख्या 13) जिसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्टूबर 1974 को की गई थी, के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इससे संसदीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रक्रिया का महत्व समाप्त हो गया है। मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 'आंसुका' के अन्तर्गत 16,825 व्यक्ति नजरबंद हैं और आर्थिक अपराधों के आरोप में केवल 474 व्यक्ति नजरबंद हैं। मेरा निवेदन है कि इस अध्यादेश को आज सभा-पटल पर रखने की अनुमति न दी जाये। एक निर्धारित अवधि में 3829 व्यक्ति 'आसुंका' के अन्तर्गत बंद किये गये जिनमें से 3,236 व्यक्ति पश्चिम बंगाल के थे क्योंकि वहां हम राजनीतिक विरोधी हैं। विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित राजनीतिज्ञों और शासनाधिकारियों को अत्यधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। राजनीतिक कर्मचारियों पर इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के हाल निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए उद्घोषित किया गया है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि दल द्वारा निर्वाचन पर खर्च किया गया धन भी उम्मीदवार द्वारा खर्च किये धन में गिना जाएगा। प्रधान मंत्री पर निर्वाचन याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि उसने अधिकतम राशि से 35,000 रुपये अधिक खर्च किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अब निर्णयाधीन है। उस पर सभा में ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Sir, The Minister of Parliamentary Affairs Shri K. Raghau Ramaih should not be allowed to introduce a Bill replacing the ordinance. Not only the remark made by Shri Jyotirmoy Basu is *sub-judice* but the whole of the ordinance is *rule judice* as it is brought to undo the recent judgement of Supreme Court and to protect the Prime Minister.**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा और यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(माननीय जनेश्वर मिश्र ने एक पर्चा सदन में फेंका)

(Hon. Janeshwar Mishra threw a leaflet in the House).

Mr. Speaker : Shri Janeshwar Mishra has thrown this paper. (*Interruptions*) The problem cannot be solved by shouting at each other.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, you yourself had said several times inside and outside the House that Government should not misuse the power of issuing ordinances. There are three ordinances before us and none of them was necessary. If Government wanted they could have brought a Bill for the purpose in the last session itself without giving notice of the introducing of Bill as was done in case of the Sikkim Bill.

Shri K.R. Ganesh announced on 18th August that they were going to take action against smugglers and action actually was taken on 19th September. They gave sufficient time to smugglers to get their affairs right. Why action could not be taken against these people during last 10-15 years ? No action so far has been taken against the police and custom officers and political leaders who have connections with smugglers.

As regards the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance 1974, it was brought in such a haste that an amendment extending to three or four pages has been circulated today. If every matter will be settled by way of ordinances, there will be no need for joint and select committees. In this way Government is snatching away our rights.

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

With regard to the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1974, I would like to submit that it is a motivated ordinance and it is issued to safeguard the interest of the Prime Minister. She has admitted in her affidavit filed in the court that 35 jeep cars were operating in her constituency during elections. These jeeps remained in use for 25 days. If Rs. 200 were spent per day on every jeep, the total amount will come to Rs. 7000. When multiplied by 25 days the amount will be many times more than the ceiling expenditure of Rs. 35000. By issuing this ordinance Government have misused the power they have with them. I strongly oppose this ordinance.

I have already given a notice for amendment to the Rules. I want that an explanatory note should be appended to the ordinance so that we may come to know under what circumstances it was issued. There is no explanatory statement with the Representation of People (Amendment) Ordinance. You should direct Government to do this.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) **:** I do not want to go into the merits of the ordinances at this time but I want to raise a point of propriety. No doubt the constitution gives power to Government to get the ordinance issued by the President but this power also is limited. I would like to know whether it is proper to issue ordinance on each and every matter and to ignore parliament by not taking it into confidence. What is your opinion about it ?

Mr Speaker : About ordinances I have expressed my opinion on several occasions. If ordinary legislation can do, there is no necessity of ordinances.

श्री ज्योतिर्मय बसु : चुंकि अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, इसलिए यह मामला न्यायालयाधीन है, और उसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : विधान बनाने पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है । इस आशय का एक निर्णय पहले से ही विद्यमान है ।

श्री समर गुह (कन्टाई): देश में उत्पन्न स्थिति से, जिसमें सरकार को अध्यादेशों के माध्यम से चलाने की प्रवृत्ति बनती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां शासक दल न केवल राज्यों में बल्कि केन्द्र में भी 'सुरक्षित' लोकतंत्र (बैरीकेडिड डेमोक्रेस) की पद्धति चालू करना चाहती है। उदाहरण के लिए बिहार को लिया जा सकता है। वहां आज 256 अध्यादेशों के माध्यम से शासन किया जा रहा है। संसद या विधान सभा के अधिवेशन से एक या दो दिन पूर्व या पश्चात् अध्यादेश जारी कर दिये जाते हैं। 'आंसुका' सम्बन्धी अध्यादेश के बदले में विधेयक संसद का सत्र समाप्त होने से दो दिन पूर्व भी लाया जा सकता था। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य में लेवी सम्बन्धी अध्यादेश सत्र आरम्भ होने से दो दिन पूर्व जारी किया गया। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश जारी करने की ऐसी क्या जल्दी थी ? इसे तो दस दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने पर विधेयक के रूप में भी लाया जा सकता था। अतः, सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों के रक्षक और संविधान के समर्थक होने के नाते आपसे मेरा यह अनुरोध है कि आप सरकार को आदेश दें जिससे सत्रावसान के समय अध्यादेशों को शीघ्रता से जारी करने की प्रवृति सदा के लिए बंद हो जाये ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) **:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अनेक अध्यादेश जारी किये गये हैं। कुछ अध्यादेश सत्र के समाप्ति के तत्काल बाद जारी किए गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सत्र समाप्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी प्रकार कुछ अध्यादेश सत्र के आरम्भ होने से केवल कुछ दिन पहले जारी किये गये हैं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या समस्त विश्व में जहां पर लोकतंत्र है, यही प्रक्रिया है ? क्या संसद अध्यादेशों की स्वीकृति देने के लिये ही है ? इस बीच अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था । क्या उस सम्मेलन में इस महत्वपूण मामले पर विचार किया गया था·· **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) **:** मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप की अनुमति के बिना इस प्रकार प्रक्रिया सम्बन्धी मामले पर टिप्पणी की जा सकती है ? इसी अवसर का अनुचित लाभ उठा कर श्री मधु लिमये ने प्रधान मंत्री और सरकार पर झूठ और निराधार आरोप लगाये हैं । अनुमति के इस दुरुपयोग को रोका जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था का प्रश्न रोक नहीं सकता परन्तु सदस्यों को विलम्ब, तकनीकी मामलों आदि तक ही सीमित रहना चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने अध्यादेशों को सभा-पटल पर रख कर केवल संवैधानिक कर्तव्य का पालन किया है। मैं इस आरोप का खण्डन करना चाहता हूं कि एक अध्यादेश प्रधान मंत्री को बचाने के लिये जारी किया गया है, यह विरोधी दल पर भी समान रूप से लागू होता है। अध्यादेशों के बारे में, जिस नई प्रक्रिया का आप ने नियम समिति में संकेत दिया था, कुछ सुझाव दिये गये थे। मैं इन सुझावों को सरकार के सामने रखूंगा और उनकी प्रतिक्रिया का पता लगाऊंगा ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : In protest against this ordinance I walk out.

तत्पश्चात् श्री मधु लिमये सभा भवन से बाहर चले गये ।

Shri Madhu Limaye then left the house.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
Paper Laid on the Table

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं श्री टी०ए० पाई की ओर से निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत उपेक्षित है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8427/74]

गुजरात गंदी बस्तियां (सुधार, सफाई तथा पुनर्विकास) अधिनियम, 1973 के अधीन अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :

(क) गुजरात राज्य के सम्बन्ध म राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात गंदी बस्तियां (सुधार, सफाई तथा पुनर्विकास) अधिनियम 1973 की धारा 59 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) गुजरात गंदी बस्तियां (सुधार, सफाई तथा पुनर्विकास) (बोर्ड का गठन) (संशोधन) नियम, 1974 जो गुजरात सरकार के राजपत्र दिनांक 31 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या जी०एच०जे०47 74 एस०सी०बी-1073/ए-1 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना संख्या जी०एच०जे०48/74/एस०सी०बी०-1073/ए-1 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 31 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) अधिसूचना संख्या जी०एच०जे०/51/74/एस०सी०बी०-1073/ए-1 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रख जाने के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8429/74]

श्री पी० जी० मावलंकर : गुजरात गंदी बस्तियां (सुधार, सफाई तथा पुनर्विकास) अधिनियम वर्ष 1973 में पास तथा लागू किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने विलम्ब से अधिसूचनाएं सभा-पटल पर रखे जाने के क्या कारण हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन अधिसूचनाओं का हिन्दी रूपान्तर तुरन्त तैयार करने की सुविधाएं गुजरात सरकार के पास नहीं है या केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है ?

श्री मोहन धारिया : मैंने नियमों में संशोधन मात्र सभा-पटल पर रखे हैं। जहां तक हिन्दी संस्करण का सम्बन्ध है, मुझे बताया है कि यदि वह राज्य सरकार का है तो वह क्षेत्रीय भाषा में होगा और उसका हिन्दी अनुवाद सभा-पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं गृह मंत्री के साथ बातचीत करने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अनेक बार उठाया जा चुका है, मैं इस बारे में गृह मंत्री के साथ बातचीत करूंगा। यदि क्षेत्रीय भाषा में आता है तो यहां तो हिन्दी बोलने वाले भी बैठे हैं।

गन्ना (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1974

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सा० नि० 402 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8429/74]

आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 और आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा, अधिनियम, 1971, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, गुजरात विक्रय कर अधिनियम 1969 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944, और गुजरात शिक्षा उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन अधिसूचनाएं

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात जोखिम (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2484 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आपात जोखिम (माल) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 544 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2485 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 545 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8430/74]

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 954 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1958 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 734 में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

(दो) सा० सां० नि० 955 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1958 की अधिसूचना संख्या सा० मां० नि० 734 में कतिपय संशोधन किये गय हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8431/74]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1046 में प्रकशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8432/74]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 404 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सां० आ० 2486 जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां०नि० 418 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा० सां०नि० 419 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अधिसूचित माल (अवैध आयात का निवारण) संशोधन नियम 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० 420 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सा० सां० नि० 428 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 436 (ङ) और सा० सां० नि० 437 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 441 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 442 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8433/74]

गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 277) जी० एस० टी० 1074/(एस० 49) (33) टी० एच० जो गुजरात सरकार के राजपत्र दिनांक 7 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा दिनांक 29

अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 627) जी० एस० टी० 1070/(एस० 49) टी० एच० में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 278) जी० एस० टी० 1074/(एस० 49)—(34)—टी०एच० जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 8 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 627) जी० एस ०टी 1070/(एस० 49)—टी० एच० में कतिपय संशोधन किये गये थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8434/74]

गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात शिक्षा उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1974 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 11) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8435/74]

केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) सा० सां० नि० 387 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 956 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां०नि० 957 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०सां०नि० 958 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 989 जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 1074 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 415 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 1102 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौं) सा० सां० नि० 421 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 440 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8436/74]

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं, श्री प्रभुदास पटेल की ओर से, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :–

(एक) वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) निमम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 408 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्म प्रसाधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० नि० 409 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8437/74]

पंजाब नगर पालिका (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक
PUNJAB MUNICIPAL (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL

महासचिव : मैं पंजाब नगरपालिका (चन्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

2. मैं गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1974।

(2) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1974।

(3) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1974।

(4) विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 1974।

(5) ब्याज–कर विधेयक, 1974।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 11 विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के महासचिव के द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत, भी सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1974।

(2) कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक, 1974।

(3) मुख्य पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 1974।

(4) कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1974।

(5) अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974।

(6) अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) विधेयक, 1974।

(7) हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 1974।

(8) संविधान (34वां संशोधन) विधेयक, 1974।

(9) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1974।

(10) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1974।

(11) तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974।

वेतन समिति का प्रतिवेदन
REPORT OF PAY COMMITTEE

महासचिव : मैं तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों के सन्दर्भ में राज्य सभा और लोक सभा के अधिकारियों और सब वर्गों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, छुट्टी तथा पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के ढांचे में वांछनीय परिवर्तनों के बारे में परामर्श देने हेतु 16 अगस्त, 1973 को नियुक्त की गई संसदीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों के साथ) सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने अपना विमत्ति टिप्पण दिया है । उसको दोनों सदनों में परिचालित किया जाना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस प्रतिवेदन से लोक सभा तथा राज्य सभा के कर्मचारियों को बहुत निराशा हुई है । मैं चाहता हूं कि इस पर सभा में चर्चा की जाये और चर्चा के बाद इसको क्रियान्वित किया जाये ।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : हम सब इसका समर्थन करते हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा निवेदन यह है कि वेतन समिति का प्रतिवेदम तथा उससे सम्बद्ध विमत्ति-टिप्पण सहित सभी कागजात और दस्तावेज सभा-पटल पर रखे जाने चाहिये । दूसरे इस पर चर्चा करने के लिये कोई तरीका निकाला जाना चाहिये ताकि हम इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सकें । संसद के सभी कर्मचारी काफी देर तक और पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं परन्तु वे सोचते है कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया । मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि इस सभा में ही चर्चा की जाये । परन्तु चर्चा के लिये कोई अन्य व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये ।

श्री समर गुह (कंटाई) : जैसाकि सभा को विदित है संसदीय सचिवालय के कर्मचारियों की दयनीय स्थिति और उनकी समस्याओं के बारे में अनेक संसद सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी और उनकी समस्याओं पर विचार करने और सुझाव देने के लिये आपने एक वेतन समिति बनाई थी । हम जानना चाहते हैं कि उक्त समिति ने क्या सिफ़ारिशें की हैं । संसद के सचिवालयों के कर्मचारी अनुशासित हैं और कर्तव्यपरायण हैं । हम चाहते है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाये जिसमें हम वेतन समिति के प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट कर सकें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): वेतन समिति का प्रतिवेदन और उसके साथ कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए विमत्ति टिप्पण को परिचलित किया जाना चाहिए । फिर उस पर ब्योरेवार चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There is great discontent amongst the employees of Rajya Sabha and Lok Sabha Secretariats. We should encourage them so that they may be able to work with greater devotion. The Report of the committee should be circulated and discussed in detai so that justice could be done to them.

Shri Shashi Bhushan (Delhi-South) : The Chairman of the committee has worked hard to prepare this Report and done a great job. This Report should be discussed so that we may express our views on it.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We want to go through this Report and also see the note of dissent. However, it has been observed that the Report is not upto the expectations of class III and IV employees and there is great discontent amongst them. I may suggest that instead of discussing it in the House we may be summoned and the Report be discussed to find a way out to do something, if possible.

Mr. Speaker : This committee has been hearning the grievances of the employees for a long time and they also consulted Finance Ministry in the matter. I am grateful to the hon'ble Members who have expressed satisfaction over the performance of the employees. I am thankful to you for expressing sympathies

When we found that economic conditions have changed, we asked the committee to submit its report early.

I assure you that I want to solve the problems of the employees. But we have to follow the precedent in this regard. The report will be circulated to the members and they will be asked to submit their comments on it. I may assure you that I am not 'apathetic' in this matter. In case we get some funds we are prepared to pay more to our employees.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था । मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि या तो वह अपनी बात सिद्ध करें अथवा त्याग पत्र दे दें । लेकिन वह आज सदन में उपस्थित ही नहीं हैं ।

दिल्ली विक्रय-कर विधेयक
DELHI SALES TAX BILL
प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उदग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के अन्तिम दिन तक बढाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उदग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

31 अक्तूबर, 1974 को 14-डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में लगी आग के बारे में वक्तव्य
STATEMFNT RE : FIRE IN A SECOND CLASS COACH OF 14 DN UPPER INDIA EXPRESS ON 31-1-74

रेल मन्त्री श्री रामनिवास मिर्धा : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित वक्तव्य रखता हूं

वक्तव्य

मुझे संसद को सूचित करते हुए खेद है कि 31-10-74 को उत्तर रेलवे के मनोहरगंज स्टेशन के पास एक गम्भीर दुर्घटना हो गई ।

लगभग 08.00 बजे जब दिल्ली से सियालदह जाने वाली 14 डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल में कानपुर—इलाहाबाद दोहरी लाइन विद्युतीकृत खण्ड पर मनोहरगंज स्टेशन के पास पहुंच रही थी तब दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे में अचानक आग लग गई । ऐसा मालूम होता है कि आग इतनी अचानक लगी और इतनी शीघ्रता से फैली कि यात्री सवारी डिब्बे में फंस गये । यद्यपि बहुत से यात्री डिब्बे के भीतर जलकर मर गये लेकिन जो थोड़े से यात्री डिब्बे से बाहर कूद गये वे भी जान से हाथ धो बैठे । अभी तक 58 व्यक्ति मर गये हैं और 23 अस्पतालों में घायल पड़े हैं । अन्य 5 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है ।

दुर्घटना की सूचना मिलने के तुरन्त बाद सभी स्रोतों से सहायता मंगाई गई । निकटस्थ सरकारी अस्पताल से डाक्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और बाद में मैडिकल कालेज, अस्पताल मिलिट्री अस्पताल से डाक्टरी सहायता के साथ रेलवे चिकित्सा सहायता यान और रेलवे डाक्टर, इलाहाबाद से पहुंच गये । कुछ रेल अधिकारी सड़क के रास्ते घटना स्थल पर इनसे पहले ही पहुंच गये थे ।

रेलवे बोर्ड के सदस्य (यांत्रिक), अपर सदस्य (यातायात) और उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक और उनके साथ कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी हवाई जहाज से घटना स्थल पर पहुंचे ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री के साथ सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड भी गाड़ी से घटना स्थल पर पहुंचे ।

रेल उप मंत्री और मैंने अस्पतालों में घायलों को देखा और हर सम्भव सहायता और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की ।

घायलों और मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अनुग्रह सहायता देने की व्यवस्था की गई ।

विस्फोटक नियंत्रक, आगरा और गृह मंत्रालय के उप अग्नि परामर्शदाता ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया ।

रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त, उत्तर क्षेत्र, लखनऊ में 4-11-1974 को इलाहाबाद में इस दुर्घटना की सांवधिक जांच शुरू कर दी ।

14 नवम्बर, 1974 को लोकसभा की बैठक रद्द किया जाना
CANCELLATION OF SITTING OF THE HOUSE ON 14-11-74

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : अध्यक्ष के साथ हुई विपक्षी दलों की बैठक में दिये सुझाव के अनुसार 13 के साथ 14 नवम्बर को भी लोकसभा की बैठक न की जाए । यदि इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो 14 नवम्बर 1974, को सभा की बैठक नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सुझाव से सहमत हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : अतः 14 नवम्बर को सभा की बैठक नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी
Re : ACUTE POWER SHORTAGE IN UTTAR PRADESH

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बिजली की भारी कमी के कारण कानपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर हजारों औद्योगिक कर्मचारी फालतू घोषित कर दिये गये हैं । मेरी जानकारी के अनुसार यदि बिजली प्राप्त नहीं होती है तो पुनर्वेलन मिलों में काम कर रहे लगभग 1·50 लाख और कपड़ा मिलों में काम रहे लगभग 50,000 कर्मचारी एक सप्ताह में बेरोजगार हो जायेंगे । बिजली की इस कमी और कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों के लिए सरकार जिम्मेवार है । सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए । राज्य में न केवल बिजली का संकट है बल्कि कानून और व्यवस्था की स्थिति भी खराब है । बिजली की कमी के कारण राज्य में खाद्य पदार्थों का अकाल हो गया है । माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि उत्तर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई की जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की चार किस्तें बकाया हो गई हैं । इस सम्बन्ध में किये जा रहे असाधारण विलम्ब से लगभग 22 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बुरी तरह उत्तेजित हैं । सरकार को इनको स्वीकार करना चाहिये । मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिये सरकार दोषी है, कर्मचारी नहीं । इस बारे में वित्त मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए ।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास के मूल्यों में भारी कमी

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I want to raise an important issue under Rule 377. There has been a sharp decline in the Cotton prices in Punjab, Haryana and Rajasthan. It has

created a grave crisis for cotton growers. It is a matter of great surprise that Cotton Corporation of India is not providing any assistance to these farmers by way of purchasing cotton from the market. On the one hand in Maharashtra, the farmers have no right to sell the cotton to any other agency than the cotton Corporation, on the other hand in these states the Corporation is not inclined to purchase cotton from the farmers. The Cotton Corporation should be persuaded to purchase cotton at reasonable rates from the farmers.

The hon. Minister should look into this matter and should issue direction that Cotton Corporation should purchase cotton from the farmers in those States in which there has been a sharp decline in cotton prices. He should make a statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 34 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty-four minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नौसेना अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करेंगे।

नौसेना (संशोधन) विधेयक
NAVY (AMENDMENT) BILL

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"नौसेना अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये"।

यह सरल सा विधेयक है। इसमें नौसेना अधिनियम में बहुत अधिक सशोधन करने की व्यवस्था नहीं है। नौसेना अधिनियम मार्च, 1958 में लागू हुआ था। गत 16 वर्ष का अनुभव यह बताता है कि इस अधिनियम में कुछ मामलों में कुछ दोष और त्रुटियां हैं।

नौसैनिक विमान-कर्मचारियों और नौसैनिक विमानों द्वारा किये जाने वाले अपराधों की इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है। अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अधीन उन कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा में लिया जा सके जिन्होंने नौसैना के रूप में प्रशिक्षण अवधि अथवा नौसेना में सक्रिय सेवा पूरी कर ली है। अधिनियम में अपराध के दोषी पाये गये नौसेनिकों को सेवा मुक्त करने के लिए सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अल्प व्यवस्था थल सेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम में है। अतः हम इसे अल्प अधिनियम में भी शामिल करना चाहते हैं।

इस विधेयक में नौसैनिक द्वारा अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करने पर उसे सजा देने की व्यवस्था तो है पर नौसैनिक द्वारा अपना कर्त्तव्य पालन न करने पर उसे सजा देने की व्यवस्था नहीं है।

यह विधेयक अल्प कमियों को दूर करने और नौसेना के उचित कार्यसंचालन के लिए लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि नौसेना अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये"।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : I agree that is is a simple Bill. We are well aware that the importance of our Navy has increased a lot after independence.

We have to make our Navy as strong as our Army and Air Force, and only then we can save our country from any outside danger.

Our Navy had played a praiseworthy role at the time of Indo-Pak conflict and Bangla Desh struggle for its freedom.

I think that some more amendments should be made in this Bill to suit our requirements. The present amendments are not adequate.

Government should bring a comprehensive Bill in this regard so that our country may be able to face any external attack effectively.

Shri Bharat Singh Chaun (Dhor) : After studying this Bill, it appears that Government takes steps to make improvements after a long delay. There is no doubt that the suggestions given to make improvements are worth welcoming. India has a very vast Naval Coast. We cannot make our Navy as strong as we want with these small improvements.

Taking into consideration our past experiences we should make our Navy strong so that our country may hold her head with pride and no country may dare to attack us.

A comprehensive Bill regarding our Navy should be brought.

Shri Mohammad Ismil (Barrackpore) : Government should bring a more comprehensive Bill in this respect. There is no use bringing piece-meal amendments.

This Act has become an old one. Taking into consideration the changes in the Navy and the efforts of establishing the bases in the Indian Ocean by some nations, it becomes necessary for us to make amendments in our Act so that we may be able to make our Navy fit to prepare itself to face new dangers.

The services of our Navy may be utilised against the smugglers.

The Navy of the country has a great responsibility. Drastic changes in respect of the salaries, facilities and service conditions of its employees are necessary. Their service conditions should be satisfactory. Government should pay proper attention in this matter.

On the one hand U.S.A. is extending a hand for friendship, but on the other hand it is establishing bases in the Indian Ocean and thereby creating tension there. We should carefully consider these things and prepare our naval personnel to protect the country.

The present Navy Act requires a great deal of amendments.

With these words I suggest that a more comprehensive Bill should be brought immediately.

श्री जे० बी० पटनायक : इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने की मांग की गई है । माननीय सदस्यों को विदित होना चाहिये कि नौसेना अधिनियम, 1957 एक बहुत व्यापक अधिनियम था । इसमें नौसैनिकों की सेवा की शर्तों की व्यवस्था है । इसमें अधिकारियों और नाविकों के बारे में व्यापक अनुशासन की व्यवस्था है । इसमें उन पर मुकदमे चलाने की भी व्यवस्था है । वर्तमान विधेयक उक्त अधिनियम में पाई गई कुछ त्रुटियों और कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है ।

जहां तक देश के समुद्र-तट की रक्षा का प्रश्न है, सरकार अपनी जिम्मेवारी के प्रति पूरी तरह सजग है । नौसेना पर होने वाले हमारे प्रति वर्ष के व्यय में वृद्धि हो रही है । हम अब आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण कर रहे हैं और अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ा रहे हैं । गोआ नौसेना अड्डे के कार्य में और विशाखापतनम और बम्बई में नौसेना गोदी यार्ड का विस्तार करने के कार्यक्रम में बहुत प्रगति हुई है । अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूहों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । पाकिस्तान से हुए प्रति युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब कभी कोई देश हमारी तरफ बुरी निगाह से देखेगा तो उसको मुंह-तोड़ जवाब दिया जायेगा । हमारी नौसेना, हमारी थल सेना और वायु सेना की तरह पूरे तौर से तैयार है ।

जहां तक हिन्द महासागर का सम्बन्ध है इस मामले में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है । हम हिन्द महासागर को शान्ति जोन बनाये रखना चाहते है और सब तटवर्ती देश हमारे उन विचारों से सहमत हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नौसेना अधिनियम, 1957 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

पटना में सत्याग्राहियों पर केन्द्रीय पुलिस आदि द्वारा आक्रमण को रोकने में सरकार की असफलता

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगू सराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा की कार्यवाही अब स्थगित की जाये"

मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि 4 नवम्बर, 1974 भारत के इतिहास में एक स्मरणीय दिवस रहेगा। आप बिहार में जाइये और स्थिति का अनुमान लगाइये। यहां बैठकर आप स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। वहां मार्च में जो नारा उठाया गया था वह था "आइये और देखिए बिहार की जनता किसके साथ है" इससे जनता के स्पष्ट समर्थन का बोध होता है। क्या दूसरी ओर का कोई सदस्य बिहार गया और वहां किसी बैठक में भाषण दिया।

यह बहुत दु:ख की बात है और जिसके लिए हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं कि एक लोकप्रिय सरकार उस दिन बिहार में ऐसे तरीके अपना सकती है। अत: श्री जयप्रकाश नारायण को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि उन्होंने अपने 50 वर्ष के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में देश में ऐसी बर्बरता का व्यवहार नहीं देखा। श्री जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वह संतुलन खोने पर ऐसा बोलते हैं। मुझे उस दिन ऐसा प्रतीत हुआ कि महात्मा गांधी के रूप में श्री जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है **(अन्तर्बाधाएं)**

इस बात में लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि आज देश में श्री जयप्रकाश नारायण के मुकाबले का कोई एक व्यक्ति भी नहीं है।

श्री आर० एस० पाण्डे (राजनन्दगांव) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 9 नवम्बर को श्री जयप्रकाश ने एक वक्तव्य दिया था कि उनके ऊपर लाठी नहीं चलाई गई।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जहां तक श्री जयप्रकाश नारायण पर लाठी चलाने का प्रश्न है मैं इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। सत्याग्रह के दौरान लगी चोटों के बारे में शिकायत करना किसी सत्याग्रही की गरिमा के विरुद्ध है। क्या प्रधान मंत्री सहित अन्य किसी सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य को श्री जयप्रकाश नारायण से इस बात की पूछ-ताछ करने से रोका गया था कि उन्हें लाठी लगी थी अथवा नहीं ? क्या श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने इस बात की जांच की थी कि श्री जयप्रकाश नारायण को चोट लगी थी और क्या वह लाठी से लगी थी। क्या सरकार श्री जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों का जबाब दे सकती है ?

यदि आप श्री जयप्रकाश नारायण से पूछते कि वह यह आन्दोलन किस कारण कर रहे हैं और अगर उनके वक्तव्य को देश के समक्ष रखते तो इससे उल्टे आप की प्रतिष्ठा बढ़ती किन्तु आपने क्या किया ? क्या आप उस बात के लिए अपना सिर शर्म के मारे उठा सकते है ?

जब यह ऐतिहासिक आन्दोलन चल रहा था तो श्री जयप्रकाश नारायण का स्वास्थय ठीक न होने पर भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे तो उन पर लाठियों से प्रहार किया गया विमान से पर्चे गिराए गए और अश्रुगैंस के गोले छोड़े गए। वे शान्ति प्रिय आन्दोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। आन्दोलन पूर्णतया शान्तिपूर्ण था और दमनकारी उपायों के बावजूद आन्दोलनकारी अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे थे। वे ऐसी भावना से आगे बढ़ रहे थे जो डगमगा नहीं सकी और इस विश्वास से आगे बढ रहे थे जो अडिग था। बिहार के 6 करोड़ लोगों ने

यह दिखा दिया कि वे ऐसी चट्टान हैं जिसका सरकार मुकाबला नहीं कर सकती। जलूस निकालने वाले कह रहे थे कि "हमला चाहे जैसा हो हमारा हाथ नहीं उठेगा" और "सच कहना बगावत है तो हम भी बागी हैं" बिहार के मुख्यमंत्री ने उन लोगों को बधाई दी है जिन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण का साथ नहीं दिया और मैं मुख्य मंत्री को उनकी इस 'बेशर्मी' पर बधाई देता हूं। अगर लोग उनके साथ हैं तो वह अपने आरामदायक बंगले से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों नहीं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जा कर दौरा करते।

इन्दिरा ब्रिगेड ने राजभवन से लौटते हुए शान्तिप्रिय आन्दोलनकारियों पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप 21 लोग घायल हो गए। श्री फूलना सिंह, सदस्य, बिहार विधान सभा, पर अभी भी इस सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है। इससे पहले डाक बंगले में बम्ब विस्फोट किया गया जोकि बिलकुल शहर के बीचोंबीच है। मेरा निवेदन यह है कि 4 नवम्बर को जो कुछ पटना में घटित हुआ उसे ठीक तरह ब्यान नहीं किया जा सकता। यह देव-असुर संग्राम की भांति था। आप की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक निरीह लोगों पर जिनके हाथ में एक लाठी या बैत तक नहीं था मारा। यह राम-रावण के युद्ध की भांति था। मैंने आज तक ब्रिटिश-काल के दौरान भी इस प्रकार निर्दयतापूर्वक लोगों को पिटते नहीं देखा। प्रधान मंत्री इस सदन को बताएं कि क्या सत्तारूढ़ दल का कोई भी मित्र राजनीतिक पार्टी द्वारा निकाला गया जलूस बिना लाठी या हथियारों के कभी निकला है? आप लोगों के मानदण्ड दोहरे हैं श्री जयप्रकाश के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलनकारियों के लिए अलग और आपके दल के लोगों के लिए अलग।

4 नवम्बर को लाखों लोगों को पटना से दूर रखने के लिए विशाल बन्दोबस्त किए गए उन्हें पटना में आने से रोका गया यदि आप में से कोई भी इस बात को गलत सिद्ध करता है तो मैं उससे माफी मांगने को तैयार हूं बिहार से राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं को बहार निकाल देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उनमें प्रो० दण्डवते, श्री जार्ज फर्नेन्डीज और श्री राजनारायण भी हैं सर्वोदय आन्दोलन के बड़े-बड़े नेताओं को भी बिहार से निष्कासित कर दिया गया है। क्या हम प्रजातन्त्रीय देश में रह रहे जहां कि हमें कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता नहीं हैं। आप में से किसी ने भी इसके विरोध में आवाज नहीं उठाई। आखिर हम एक स्वतंत्र देश के वासी है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

युवकों और विद्यार्थियों की बड़े पमाने पर गिरफ्तारियां की गई हैं। सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि आंतरिक सुरक्षा कानून का प्रयोग जन आन्दोलन और राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा परन्तु हजारों व्यक्तियों को आंतरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल जो कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए है, का बिहार की जनता के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है। क्या सीमा सुरक्षा बल का गठन इस उद्देश्य के लिए किया गया था? बिहार में तैनात सशस्त्र सैनिकों की संख्या एक लाख के लगभग है। सारा राज्य पुलिस का कैम्प बना हुआ है। हर दो कदम चलने पर एक सशस्त्र सैनिक आपको घूरता हुआ दिखाई देगा। हम कोई मनगढ़न्त बात नहीं कर रहे हैं। यह तथ्य है। स्टीमर सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सारे राज्य में ट्रकों को चलने नहीं दिया जा रहा है।

रात के गहन अंधकार में आन्दोलनकारियों के घरों पर छापे डाले जाते हैं। उन्हे उनके बिस्तरों से उठाकर अपरिचित गन्तव्य स्थानों की ओर भेज दिया जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से श्री जयप्रकाश नारायण से उनके घर पर हो रही एक बैठक के अवसर पर 400 लड़कों को ट्रकों में ठेलते और ले जाते हुए देखा है। क्या यह एक स्वतंत्र और प्रजातंत्र देश का हाल है?

पटना से 100 मील दूर तक कच्ची मोर्चाबंदी की गई थी आने-जाने वाले लोगों की तलाशी ली गई। जब तक पुलिस द्वारा किसी भी वाहन की अच्छी तरह तलाशी न कर ली जाती तब तक उसे अन्दर आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। सारे बिहार को एक विशाल और जमाव कैम्प का रूप दे दिया गया। कई माननीय सदस्यों को बोटनिकल गार्डन में उसी तरह भेजा गया जैसे पशुओं को चिड़िया घर भेजा जाता है। वह कोई साधारण लोग नहीं हैं। क्या आप इस मामले की जांच कराएगें?

यह कहा गया है कि आन्दोलन सफल नहीं हुआ। अगर आन्दोलन सफल नहीं हुआ तो यह विशाल बन्दोबस्त किस लिए किए गए?

नए गृह मंत्री का कहना है कि बिहार में इस बार राजस्व की वसूली काफी अच्छी हुई है। इसके लिए आप श्री जयप्रकाश नारायण को क्यों नहीं बधाई देते क्योंकि उन्होंने आपके हित में इतना अच्छा कार्य किया है ?

यदि किसी व्यक्ति को बिहार में होने वाली घटनाओं की पृष्ठभूमि का न पता हो और अचानक वह राज्य में पहुंचे तो उसे ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया है। आप शायद यकीन न करेंगे कि जब आन्दोलनकारियों द्वारा शांतिप्रिय ढंग से जलूस निकाला जा रहा था तो उन पर हवाई निगरानी भी रखी गई ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन के एक कमेन्टेटर ने हाल ही में कहा था कि अगर ब्रिटिश लोग यही पद्धति अपनाते जो भारत सरकार अपना रही है तो शायद वह भारत पर और 100 वर्ष राज्य कर लेते लेकिन उनका कथन सही नहीं है। एक जागृत राष्ट्र पर आप ताकत के बल पर राज्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार नहीं रही इस प्रकार यह सरकार भी नहीं रहेगी।

कुछ पत्रकारों ने बिहार की स्थिति की वियतनाम की स्थिति से तुलना की है मैं तो यह कहूंगा कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। हो सकता है कि दोनों स्थितियों में कुछ समानता हो जिसके लिए हमें विचार करना है।

यह तो स्पष्ट है कि उस दिन शांतिपूर्ण आन्दोलनकारियों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। यहां तक लड़कियों तथा महिलाओं और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा गया। श्री जयप्रकाश नारायण की भजन मंडली को जो लड़कों और लड़कियों के बीच बैठी थी, घसीटा गया और बसों तथा ट्रकों में फैंका गया। यह काम एक प्रजातंत्रवादी द्वारा नहीं किया जा सकता था। यह एक तानाशाह का काम है जिसने बखूबी इसकी योजना बनाई। सरकार द्वारा दमन उपायों को अपनाने के परिणामस्वरूप इस आन्दोलन की सफलता और बढ़ गई है आप पैसे के बल पर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन 4 नवम्बर को हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। उस दिन देखने योग्य नजारा था।

इस आन्दोलन को असफल बनाने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा बहुत ओछे हथकंडे अपनाए गए। उन्होंने साम्प्रदायिक नारे लगाए। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि इस आन्दोलन से वे लोग भी संबद्ध हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। यही लोग देश में साम्प्रदायिकता की भावना फैला रहे है। यह आन्दोलन श्री अब्दुल गफूर के विरोध में इसलिए नहीं है क्योंकि वह मुस्लिम है। यह किसी व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध नहीं है कांग्रेस पार्टी एक अच्छी सरकार नहीं बना सकती। उसने बिहार में लोकतंत्रीय ढांचे को नष्ट किया है। गत तीन महीनों में 80 अध्यादेश जारी किए गए है अतः कौन प्रजातांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहा है ?

मैं अपने माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त से, जो कि इस आन्दोलन के उद्देश्यों से सहमत हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध है यह जानना चाहता हूं कि पिछले 9 महीनों के दौरान उन्होंने गंदे अस्तबल को साफ करने के लिए क्या किया है। बिहार में लोकपाल के संबन्ध में इतना शोर-शराबा क्यों ? अब जबकि लोकपाल ने बिहार से शिकायतें प्राप्त करना शुरू कर दिया है तो आप लोकपाल को हटाना चाहते हैं। आप इस स्थिति का किस प्रकार समाधान करोगे ? आपने चुनाव सुधारों और शिक्षा सुधारों के बारे में क्या किया है ?

प्रधानमंत्री हमेशा कहती हैं कि बिहार विधान सभा को भंग करने का अर्थ प्रजातंत्र का नाश है तो फिर 1959 में यह विनाश कार्य क्यों किया ? इस पर उनका कहना है कि परिस्थितियां समान नहीं थी।

[डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए
DR HENRY AUSTIN *in the Chair*]

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से पूछता हूं कि क्या उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में कुछ भिन्नता है तो वह भिन्नता किस प्रकार की है ? देश को इस बारे में बताना चाहिए। यह लोग अपने दल को स्थान देने के लिए विधान सभाओं को लटकाए रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अपने दल को स्थान देने के लिए उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कराया !

यह आन्दोलन लोकतंत्र को पवित्र और सुदृढ़ बनाने के लिए है। सत्ताधारी दल लोकतंत्र को चलने नहीं दे रहा है। श्री जयप्रकाश नारायण का यह आन्दोलन लोकतंत्र को सुदृढ़ और स्वच्छ बनाएगा।

अन्त में मै निवेदन करता हूं कि बिहार से सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तुरन्त हटा लिया जाए। इन दोनों संगठनों द्वारा वहां पर की गई ज्यादतियों की संसदीय जांच होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूं।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Sir, the adjournment motion under discussion is quite vague and infounded. They are trying to mislead the people of the country as well as the House. If they were honest then they should have brought this motion on the ground of the present developments in Bihar and not on the limitted incidents. (*Interruptions*) They have not expressed any concern over the conditions there leading to demons trations very often by the political parties. They are only concerned over the police atrocities on the 4th day of the month. The workers of Jan Sangh and Anand ma g started sabotage and robbery on 18th March. The Government of Bihar had to take recourse of the services of C.R.P. and B.S.F. check these anti national activities. Since 18th March they have been trying to up root the democratic system from the country. They cannot afford to repudiate the then attack over the volunteers of the Communist party. Was there any justification for this attack ? So far as the question of public support in concerned they will realise on the 16th November that in Bihar the people are with Shrimati Indira Gandhi and not with them.

They have categorically announced that then war is not against Shri Gafur in Bihar but it is against Shrimati Indira Gandhi in Delhi. Shri Jaiprakash is reportedly coming to Delhi. He is reported to have said that he will *gharao* the Parliament with 20 lakhs of people. If he is interested in improving election system, eradicating the corruption and in checking price increase, we agree with him on these points. Shrimati Indira Gandhi has discussed these matters with him. Committees of citizens Council have been set-up in this regard. We are all prepared to discuss these problems with him. But actually they are not interested in finding out solution of these problems. They are guided by the political motives and want to take undue advantage of the present situation in the state of Bihar.

We have launched campaign against smugglers and hoarders as a result of which prices have come down to a certain extent (*Interruptions*) We are also prepared to take all the democratic measures to deal with the various problems like corruption, price increase, etc. before the country. But I would also like to mention that we believe in fairness of both means and end in accordance with the Gandhian theory. We also realise that the dissolution of Bihar state Assembly as demanded by those persons is not a fair and reasonable means. We have also seen that that step proved a utter failure in Gujarat. The hon. Prime Minister has admitted that that was a wrong step. Now she has rightly referred to take such steps.

Shri Shyam Nandan Mishra has given a detailed account of the beating but he has not explained the actual situation prevailing in Bihar. They don't want that Bihar Government should function any more. I think it cannot be tolerated by the Bihar Government as well as by the Central Government. The Congress President has called Shri Jaiprakash Narain as a Towering Personality. I think that this towering personality has committed a towering mistake in demanding removal of popular Government in Bihar at the instance of Shri Shyam Nandan Mishra and the leaders of Jan Sangh. It should be noted that earlier Shri Jaiprakash Narain did not demand the dissolution of the Assembly. It has been made at the instance of the political parties.

Shri Shyam Nandan Mishra : After Gaya murder case.

Shri Bhagwat Jha Azad : Now a days Shri Shyam Babu has especialised in telling lies.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर इसी तरह दिया जाना चाहिये ? महोदय 'लाइज' शब्द को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाये।

Shri Bhagwat Jha Azad : Sir, he made several remarks on us such as "he ashamed, you have no mind" etc. But now he is feeling agitated.

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिये ।

Shri Bhagwat Jha Azad : As a matter of fact they want to conceal the basic reason for disturbances in Bihar. What is the rationale of demanding dissolution of Bihar Assembly and afterwards the Lok Sabha for eradicating certain evils like corruption from the country ?

It should also be noted that only 34 out of 319 members have tendered their resignations. Only two out of 24 M.L.As. belonging to Shri Shyam Babu's party have resigned. Similarly only 13 out of 24 Jan Sanghi M.L.As. have resigned. (*Interruptions*) Actually these defeated political parties have a great desire to defeat the congress party in the next election and these are all their frustrated moves. It is a false statement that Shri Jayaprakash Narain was attacked.

Shri Shyam Nandan Mishra : This photograph clearly indicates that the *lathi* blow is aimed at Shri Jayaprakash Narain. I would like to place it on the Table of the House.

Shri Bhagwat Jha Azad : I have seen that photograph besides several other photographs. These photographs show that policemen equipped with lathis and plain clothed policemen have made a protected cordon around Shri Jayaprakash Narain. These policemen were deployed by the Government to give protection to Shri Jayaprakash Narayan. (*Interruptions*)

श्री समर गुह : मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब लाला लाजपत राय को पीटा गया था तब भगत सिंह ने जन्म लिया था । अब यह सरकार भी वही स्थिति उत्पन्न कर रही है जिसमें अनेक भगत सिंह जन्म लेंगे । श्री जयप्रकाश नारायण को चोट तभी लगी थी जब पुलिस ने उन पर आक्रमण किया था । श्री जय प्रकाश नारायण नैतिक दृष्टि से इस समय देश के महानतम नेता हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad : If it is fact that Shri Jayaprakash Narayan was given a blow of lathi, the whole nation will apologise to him. But actually no lathi blow was given to him. No mention was made in this regard in the statements made on 4th , 5th November. After the demonstration he was examined by the eminent doctors and nothing was indicated in the medical report about the injuries of serious nature . (*Interruptions*)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं प्रदर्शन के दौरान श्री जयप्रकाश के साथ ही, रहा हूं । यदि उनकी श्री अली हैदर श्री नाना जी देश मुख और श्री लखन लाल कपूर ने उनकी रक्षा न की होती और उन पर किए हुए वारों को स्वयं न झेला होता तो श्री जयप्रकाश नारायण को घातक चोटें लगती ।

(व्यवधान)

Shri Bhagwat Jha Azad : I would like to clarify the position that the Bihar Government and the congress workers never intended to charge lathi on Shri Jayaprakash Narayan. Police Officers and policemen in plain clothes were there to protect him. There was no lathi charge and all the allegations charged against the Bihar Government are unfounded and baseless.

Secondly, the unjust demand of the hon. members regarding the dissolution of Bihar Assembly cannot be accepted and the elected members of the Assembly cannot be forced to resign. It should also be understood that the people of our country know that stable Government can be made under the leadership of Shrimati Indira Gandhi.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : बिहार में विशेषकर 4 नवम्बर की घटना भारत की जनता के लिए चकित कर देने वाली घटना है । बिहार की जनता ने यह घोषणा कर दी थी कि प्रदर्शन अन्त तक शांति पूर्ण रहेगा किन्तु सरकार ने सेना को और पुलिस को सचेत कर दिया तथा बाहर से आने वाले लोगों को बाहर ही रोक दिया गया । सरकार ने 200 मजिस्ट्रटों और 60,000 जवानों की सेवाएं प्राप्त की ।

क्या सरकार ने यह सब कुछ प्रजातन्त्र को बचाने के लिए किया ? यह कार्यवाही सरकार ने लाखों लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए की जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना चाहते थे । कांग्रसी नेता कहते हैं कि इस आन्दोलन को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है । यदि यह बात सच है तो सरकार ने पटना पर सैनिक चढ़ाई क्यों कराई ? जनता की मांगें न्यायोचित हैं तथा जनता का संघर्ष भी शांति पूर्ण हैं ।

सरकार द्वारा इतने कड़े उपाय किए जाने के बावजूद, रेलगाड़ियां, बसें, और स्टीमर सेवाएं बन्द किए जाने के बावजूद लगभग 40,000 व्यक्तियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। समाचार पत्रों के अनुसार श्री जयप्रकाश नारायण ठीक 10 बजे जीप में बैठकर सचिवालय पर धरना देने के लिए चल पड़े और उनके पीछे चलने वाले व्यक्तियों की संख्या 40,000 से कम नहीं थी। इससे क्या सिद्ध होता है ? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सरकार दमन कार्यों से देश में रही सही प्रजातन्त्र प्रणाली को भी समाप्त करने पर तुली हुई है। श्री जयप्रकाश नारायण का कहना है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा निर्दयतापूर्वक दमन कभी नहीं देखा, अंग्रेजों के समय में भी पुलिस और सेना के अतिरिक्त सरकार ने गुन्डे भी बुलाये थे। मेरे विचार से सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। केन्द्रीय सरकार भ्रष्ट सरकार को बचाने में लगी हुई है, उसे जनता और प्रजातन्त्र की कोई चिन्ता नहीं है। मधुबनी में हुए उपचुनाव के बारे में सी०पी० आई० ने कहा था कि चुनाव के दौरान अनेक प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाये गये। क्या इस प्रकार जनता में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सकता है? अब मैं भी वही प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इस प्रकार दमन कार्यों से जनता में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सकता है ? वास्तव में जन असंतोष सरकार की गलत नीतियों के कारण ही उत्पन्न हुआ है। गत 27 वर्षों से सरकार पूंजीपतियों, जमाखोरों और एकाधिकार प्राप्य व्यक्तियों की सहायता करती आ रही है तथा गरीब जनता की उपेक्षा करती आ रही है। सरकार न बढ़ती हुई कीमतों को रोक पाई और न जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा पाई। इतना ही हीं कुछ तस्करों ने जनता को बताया है कि वे कुछ मन्त्रियों और संसद सदस्यों तथा बड़े अधिकारियों को रिश्वत देते रहे हैं। इस स्थिति में इस सरकार पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ?

श्री जयप्रकाश नारायण की मांग है कि बिहार विधान सभा को भंग किया जाये। जनता भी यही चाहती है तथा इस बात पर हम भी उनका समर्थन करते हैं। किन्तु प्रधानमन्त्री भी अपनी बात पर अड़ी हुई है अतः यह सरकार इस सम्बद्ध में कुछ भी कर सकती है। श्री जयप्रकाश नारायण की यह मांग न्यायोचित है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। जब कोई सरकार जनता को दिये गए वायदों को पूरा नहीं करती तो जनता को उसे हटाने का पूरा हक होना चाहिए।

यह आन्दोलन निश्चित ही जनता का आन्दोलन है किन्तु कुछ शक्तियां इस आन्दोलन को गलत दिशा देना चाहती हैं। अतः हम चाहते हैं कि इस आन्दोलन में ग्रामीण जनता, श्रमिक वर्ग तथा शोषित वर्ग को आगे आने दिया जाये तथा इस आन्दोलन का उद्देश्य शोषक और निहित स्वार्थों को समाप्त करना रखा जाये।

कांग्रेस को ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह कहा कि उन्होंने जवाबी नीति तैयार की है और जवाबी नीति है जनमत जाग्रत करके आन्दोलन का मुकाबला करना। कांग्रेस द्वारा पश्चिम बंगाल में जनमत जाग्रत करने का हमें अनुभव है, जहां 2000 व्यक्तियों की हत्या की जा चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है, जबकि एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी की हत्या कर रहा है।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : श्रीमान् जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सदन के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 58 के अनुसार एक बैठक में एक प्रस्ताव ही लिया जाएगा और एक प्रस्ताव में एक ही मामले पर चर्चा की जायेगी। यह प्रस्ताव पटना शहर में 4 नवम्बर की घटनाओं के बारे म है। माननीय सदस्य पटना शहर ही नहीं, बल्कि बिहार के बाहर चले गये हैं और पश्चिम बंगाल की चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया बिहार के मामले तक अपने को सीमित रखें।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : माननीय सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न के बारे में मेरा यह निवेदन है कि किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करते समय माननीय सदस्यों को पृष्ठभूमि के रूप में अन्य मामलों की भी चर्चा करनी होती है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को अपने विषय तक ही अपने आपको सीमित रखना चाहिए। पूर्व वृत्तों के रूप में अन्य मामलों की चर्चा की जा सकती है। उनकी पार्टी को 7 मिनट आवंटित किये गए थे और वह 25 मिनट पहले ही ले चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : आज सदन 6 बजे स्थगित कर दिया जाये और चर्चा कल चालू रह सकती है।

श्री के० रघुरामैया : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा उसी दिन समाप्त होनी चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आज रात देर तक चर्चा की जाए ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को उचित समय देने के लिए तैयार हूं । वे अधिक समय न लें ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : 'टाइम्स आफ इण्डिया' के रिपोर्टर ने लिखा है कि हावड़ा, 24 परगना, हुगली के क्षेत्रों तथा दुर्गापुर-आसनसोल एवं बर्दवान जिले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल अपने कार्यालय पुनः नहीं खोल सका है । हाल के दो महीनों मे ज्योति वसु की कार पर उस समय हमला किया गया जब वे सोनारपुर, वारूइपुर क्षेत्र में भाषण देने जा रहे थे । दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में सी० आई० टी० यू० यूनियन को मान्यता प्राप्त होने के बावजूद सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें अपना कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना पड़ रहा है । क्या इसी का नाम प्रजातन्त्र है!

कम्युनिस्ट दल ने सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें लिखा गया है कि सरकार मुद्रा-स्फीति, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करने की बजाय उसे बढ़ावा दे रही है । कांग्रेस दल के समर्थक होते हुए भी यह दल सरकार की आलोचना कर रहा है । सरकार की जन-आन्दोलन दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसे प्रजातन्त्र के लिए चुनौती नहीं मानना चाहिए । इसलिए हमने श्री जयप्रकाश नारायण को अनुरोध किया है कि वे श्रमिकों की समस्याओं को भी अपने आन्दोलन में शामिल कर लें ताकि सभी वर्ग मिलकर संघर्ष करें और साहस के साथ देश के ढांचे को बदल दें ।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : आपको याद होगा कि वर्ष 1973 में गुजरात में छात्रों ने कुछ मागों को लेकर एक आन्दोलन शुरु किया था । अन्ततः उस आन्दोलन ने सरकार विरोधी रुख अपना लिया और गुजरात विधान सभा भंग की गई । इसी पूर्वोदाहरण का लाभ उठाते हुए बिहार में भी उसी तरह का आन्दोलन शुरु किया गया । 18 मार्च से पहले बिहार के छात्रों ने अपना मांग-पत्र सरकार को भेजा जिसमें छात्रावास, छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं की मांग की गई थी ।

[**श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishague Sambhali *in the Chair*]

गुजरात की ही भांति सरकार ने बिहार के छात्रों की मागें पूरी की । छात्तवृत्ति 10 रुपये प्रति माह बढ़ा दी गई और छात्रवृत्तियों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई । छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई । फिर 18 मार्च को छात्रों ने बिहार के राज्यपाल के समक्ष एक हिंसात्मक प्रदर्शन किया जिसकी स्वयं श्री जयप्रकाश नारायण ने भी निन्दा की । तत्पश्चात् छात्रों ने यह निर्णय किया कि वे श्री जयप्रकाश की आज्ञा का पालन करेंगें । जब श्री जयप्रकाश ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरु किया तो छात्रों ने पूरा सहयोग दिया । इसके वाद भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन सरकार विरोधी आन्दोलन में बदल गया और बिहार विधान-सभा को भंग करने की मांग की जाने लगी । मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा कि स्वतन्त्रता के 27 वर्ष बाद भी लोगों को पर्याप्त खाद्यान नहीं मिल रहा और न ही उन्हें आवास की सुविधा प्राप्त है और साथ ही सरकार अपने वायदों को पूरी तरह नहीं निभा सकी है । लेकिन साथ ही में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण ने केवल दो बातें कहीं हैं । छात्रों को उन्होंने परीक्षा न देने तथा करदाताओं को कर न देने तथा सचिवालय के कर्मचारियों को सचिवालय न जाने के लिए कहा । लेकिन हुआ क्या ? 75 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षाएं दी, बिहार में पहले से ही अधिक कर की वसूली हुई और कर्मचारी सचिवालय भी गए । ये सब तथ्य हैं । श्री जयप्रकाश एक ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं । परन्तु भारतवर्ष की परम्परा रही है कि बुरे उद्देश्य के लिए ईमानदार व्यक्तियों को चुना जाता है ।

श्री जयप्रकाश नारायण ने वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध अनेक बातें कहीं हैं । सच तो यह है कि श्री जयप्रकाश नारायण तथा प्रतिपक्ष के नेता राजनीतिक दृष्टि से निराश हो चुके हैं । यदि श्री जयप्रकाश नारायण जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाते तो जनता द्वारा उनका स्वागत किया जाता । ऐसे लोग केवल राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, जनता को लाभ पहुंचाना नहीं चाहते ।

यह सच है कि जनता वर्तमान निर्वाचन प्रणाली से संतुष्ट नहीं । लेकिन इस प्रणाली को किस प्रकार बदला जा सकता है ? प्रजातांत्रिक ढांचे को प्रजातन्त्रात्मक ढंग से ही ठीक किया जा सकता है, जलूसों तथा दंगों द्वारा उसे नहीं सुलझाया जा सकता ।

श्री जयप्रकाश नारायण जो कुछ भी कर रहे हैं, वह संसदीय प्रजातन्त्र के विरुद्ध है । श्री नारायण बिहार में लाखों लोगों के समक्ष यह प्रचार कर रहे हैं कि जब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी शासन कर रही है, जनता भूखी रहेगी । इस प्रकार के आन्दोलन चलाकर ऐसे लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं ।

जहां तक पुलिस द्वारा ज्यादतियां करने का प्रश्न है, सत्य तो यह है कि पुलिस को स्थिति का सामना करने के लिए सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और इसके परिणाम स्वरूप जनता को परेशान कराना पड़ता है । मैं पुलिस द्वारा कि गई कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहा ।

मैं यह जानता हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण के लिए बठक बुलाने हेतु कलकत्ता के आयोजकों ने भारतीय वाणिज्य मंडल से 5 करोड़ रुपये मांगे हैं । हो सकता है इस बात को सुन कर प्रो० समर गुह नाराज हो जाएं ।

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने मेरे नाम का उल्लेख किया है ।

Mr. Speaker : If you want to give some personal explanation over this, you may write to Chair afterwards.

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैंने उनका नाम नहीं लिया मैं तो केवल इतना कहना चाहता था कि विपक्षी कांग्रेस के एक नेता श्री हेमलेन्दु डे० ने श्री जयप्रकाश नारायण के लिए काफी धन इकट्ठा किया है ।

वर्तमान आन्दोलन के संदर्भ में मैं गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं । वर्तमान आन्दोलन से उत्पन्न चुनौती का सामना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा सीमा सुरक्षा दल की नियुक्ति करके नहीं किया जा सकता । मैं मानता हूं कि सरकार को पुर्वोपाय करने पड़ते हैं। परन्तु मैं अनुभव करता हूं । दक्षिण पंथियों द्वारा उत्पन्न की गई चुनौती का सामना तभी किया जा सकता है जब सरकार भमि सुधार नियमों, शहरी सम्पत्ति सीमा नियमों को क्रियान्वित करें तथा एकाधिकार गृहों पर नियन्त्रण रखें । यदि सरकार मजबूती से तस्करों का मुकाबला करे तो समाज-विरोधी तत्व हमारे सामने आ सकते हैं और जनता उनको दंड दे सकती है ।

श्री समर गुह : श्री जयप्रकाश नारायण के लिए सभा का आयोजन करने वालों में मैं भी था । माननीय सदस्य ने वह गम्भीर आरोप लगाया है कि मैंने भारतीय वाणिज्य मंडल से धन लिया था ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : माननीय सदस्य ने उक्त मंडल से 9 कारें ली थीं ।

श्री समर गुह : केवल 2 कारें ली गई थीं । एक सज्जन ने कुछ धन भी एकत्र किया था परन्तु सभा के समय श्री जयप्रकाश नारायण ने इस व्यक्ति को सभा में प्रवेश नहीं करने दिया । श्री जयप्रकाश ने स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान हमें आर्थिक सहायता दी थी । इस बार उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए लाखों रुपये एकत्र किए जाने चाहिएं । हमनें 10,000, समाजवादी दल ने 15,000 रुपये इकट्ठे किए । मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि श्री यप्रकाश नारायण भारतीय युवकों के आदर्श बन गए हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पुलिस की हिंसा के बारे में ऐसे प्रस्ताव का मैं इस समय समर्थन नहीं कर सकता जबकि आज के विराट प्रदर्शन के लिए आने वाले लोगों को गुंडों की हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है **(व्यवधान)**

मेरे दल ने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा गया था कि प्रतिक्रियावादियों तथा साम्प्रदायियों ने देश के प्रजातंत्रात्मक ढांचे को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए हिंसात्मक आन्दोलनों का सहारा लिया है तथा सरकार लोगों को आर्थिक संकट से मुक्त करने में असमर्थ रही है ।

बिहार की जनता ने कुछ विकल्प रखे हैं । पहला विकल्प तो यह हैं कि गफूर सरकार इसी रूप में चलती रहे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाये । दूसरा विकल्प यह है कि वर्तमान बिहार सरकार को हटा दिया जाए और वहां दूसरी सरकार बनाई जाए

मैं भी कुछ विकल्प रखना चाहता हूं। यदि यह विधानसभा भंग की जाती है तो यह एक इतिहास का व्यंग्य ही है कि कम्युनिस्टों की इस बात के लिए सदैव आलोचना की जाती है की वह संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वही बर्जुग्रावादी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आगे आ रहें हैं।

विभिन्न राज्यों में हर वर्ष कोई न कोई विधान सभा भंग की जाती है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। मैं राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेशों के माध्यम सरकार चलाई जाती है। बिहार में मंत्रियों का घेराव करके उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए विवश किया जा रहा है। एक समय आएगा जब लोक-सभा को भी भंग किया जाएगा। समाचार-पत्रों में यह खबर छपी है कि 4 नवम्बर को जीप से उतरते स्वयं श्री श्यामनन्दन मिश्र ने यह नारा लगाया कि 'लोक सभा को भी हम भंग करेंगे'। इस का अर्थ यह हुआ कि एक दिन माननीय सदस्य के स्वयं सेवक संसद का घेराव करके लोक सभा भंग करने की मांग करेंगे और सदस्यों को त्यागपत्र देने पर विवश करेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने अपने प्रस्ताव में सिर्फ पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों का ही उल्लेख ही किया है। ऐसा उन्होंने जानबूझ कर किया है। जब नक्सलवादियों के साथ पुलिस ने अत्याचार किया था, तब तो माननीय सदस्य ने आवाज नहीं उठाई थी। आज वह इतने चिंतित क्यों हैं? हम पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के पक्ष में नहीं है। ऐसी कार्यवाही की भर्त्सना की जानी चाहिए। परन्तु साथ ही आन्दोलन का सामना करने के लिए पुलिस को तैनात करना ही पड़ता है। यदि पुलिस जमाखोरों अथवा चोर बाजार, करने वालों के साथ सख्ती से काम आए तो मैं इसका स्वागत करुंगा। 4 नवम्बर को श्री जयप्रकाश नारायण को लगी चोट की मैं निंदा करता हूं माननीय मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह घटना आकस्मिक ढंग से हुई अथवा पुलिस को श्री जयप्रकाश नारायण को पीटने का आदेश दिया गया था यदि पुलिस को ऐसा आदेश दिया गया होता तो स्थिति और भी गम्भीर हो सकती थी।

मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां अध्यादेशों के माध्यम से सरकार चलाई जाए परन्तु साथ ही इसका विकल्प यह नहीं कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए। श्री जयप्रकाश नारायण का नारा है "कि विधानसभा भंग करो" परन्तु हमारा नारा है कि "राज्यपाल विधान-सभा का अधिवेशन बुलाए।"
(व्यवधान)

बार बार यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह आन्दोलन चलाया जा रहा है। परन्तु बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के विरुद्ध भी आन्दोलन चलाने की बात नहीं सुनी गई। लगता है कि वे जमाखोरी, चोर बाजारी के बारे में चुप रहना ही बेहतर समझते हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण दलविहीन प्रजातंत्र की बात करते हैं। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां भी दलविहीन प्रजातंत्र स्थापित किया गया, वहां क्या परिणाम निकले? सरकार चलाने के लिए कोई न कोई दल तो होना ही चाहिए। दलविहीन प्रजातंत्र के तीन ही अर्थ हो सकते हैं। पहला तो यह कि एक ही दल का शासन हो, दूसरा यह है कि किसी की तानाशाही हो और तीसरा यह कि सैनिक तानाशाही हो।

8 जनवरी, 1960 के 'इण्डियन नेशन' में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अयूब खान पाकिस्तान में दलविहीन प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते थे और श्री जयप्रकाश नारायण के विचार उनसे मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान का वह अनुभव हम देख चुके हैं।

श्री एस० एस० खेड़ा ने 'इन्डियाज डिफेंस प्राबलम्स' नामक पुस्तक में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा है :—

विदेशी समाचार-पत्रों का ही क्या, भारत के लोग भी अनुमान लगाते हैं। श्री जयप्रकाश नारायण में हाल ही में कहा बताया है कि फरवरी, 1967 के आम चुनावों के बाद उत्पन्न हुई राजनैतिक अस्थिरता को दूर करने के लिये राष्ट्र को सेना की सेवाएं लेनी चाहिए। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि आज श्री जयप्रकाश नारायण भारत में सैनिक शासन के लिये पैरवी करेंगे। उन्होंने हाल में ही दिए गए वक्तव्य में यह कहा है कि सेना की सहानुभूति सरकार के प्रति न होकर "हमारे प्रति" होनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि उनके अनुयायी क्या सोच रहें हैं। यहां तक कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) भी कहते हैं कि वे आन्दोलन के लक्ष्यों का समर्थन करतें हैं परन्तु अनेक बातों पर वे सहमत नहीं हैं। हम जानना चाहेंगें कि वे लक्ष्य क्या हैं।

निश्चय ही मुझे जरा भी विश्वास नहीं है कि इस आन्दोलन से लोगों की कठिनाइयां कम होंगी ।

कुछ समय पहले श्री जयप्रकाश नारायण ने जनसंघ और कांग्रेस( ) संघ के बारे में क्या कहा था ? यह बहुत ही रोचक बात है । इस वर्ष 26 अगस्त को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये दो दल रूढ़िवादी हैं परन्तु ज्यों ही यह आन्दोलन अधिकाधिक सुधारवादी होगा, ये दल उस प्रक्रिया के साथ-साथ स्वयं सुधारवादी हो जायेंगे ।

श्री जयप्रकाश नारायण जी इन दलों को जो रूप देना चाहते थे उसके स्थान पर ये दल उनका अपने कार्यों के लिये उपयोग कर रहे हैं ।

मैंने अपने प्रस्ताव में "स्टोर्म ट्रूपर्स" शब्द का प्रयोग जानबूझ कर किया है क्योंकि इस आन्दोलन का जिन लोगों ने समर्थन किया है वे राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ आनन्द मार्ग और शिव सेना हैं ।

इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलती की तो क्या उस गलती का अनुसरण करना उचित है । जैसा कि श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा है कि जब प्रधान मंत्री कांग्रेस की अध्यक्ष थीं तो उन्होंने 1959 में कानूनी ढंग से निर्वाचित केरल सरकार को गिराने में सक्रिय भूमिका निभाई थी—मैं समझता हूं कि वह खेदजनक बात थी --तो क्या बिहार में भी ऐसा करना उचित होगा ?

यह बहुत ही विचित्र बात है कि नक्सलवादी तक आन्दोलन के साथ हैं । मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यह है कि अधिकांश गरीब किसान, बिहार के खेतिहर मजदूर, बिहार का समस्त औद्योगिक श्रमिक वर्ग, अत्यधिक पद दलित वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय इस आन्दोलन के विरुद्ध हैं । यह बात सभी जानते हैं ।

इस आन्दोलन का लक्ष्य केवल आगामी चुनाव हैं न कि क्रांती जिसके बारे में लम्बी-चौड़ी बातें की जा रही हैं ।

वे समानान्तर सरकारों और समानान्तर विधान-सभाओं को बातें कर रहें हैं परन्तु सचाई यह है कि प्रधान मंत्री ने भी श्यामानन्दन मिश्र से समझौते के लिये कहा (स्टेट्स मैन, दिनांक 6) । पटना के विशेष संवाददाता के अनुसार श्री मिश्र ने श्री दिनेश का नाम सुझाया । श्री जयप्रकाश नारायण से बात चीत की गई और उसके बाद नौ-सूत्री फार्मूला तैयार किया गया । जब श्री नारायण श्रीमती गांधी से मिले तो इस नौ-सूत्री फार्मूले पर कोई विशिष्ट चर्चा नहीं हुई । वार्ता असफल रही ।

श्री जयप्रकाश नारायण भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों का घेराव करना चाहते हैं और चोर बाजारियों, तस्करों आदि के बारे में चुप हैं ।

अत: मेरा कहना है कि जहां तक भारतीय साम्यवादी दल का सम्बन्ध है, हमें श्री गफूर या उनके मंत्रिमंडल से कोई लगाव नहीं है । श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा यह आंदोलन आरम्भ किये जाने से पूर्व हमारे दल ने मांग की थी कि इस मंत्रिमंडल में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए और भ्रष्ट मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों को निकाल दिया जाना चाहिए । हम इस आन्दोलन का घोर-विरोध करेंगें क्योंकि इससे कोई अधिक अच्छा काम नहीं होगा अपितु निर्धन व्यक्तियों की कठनाईयां बढ़ेंगी ।

आज हमने पटना में सरकार के सामने निम्नलिखित मांगें रखी हैं :–

(1) तीन सप्ताह के अन्दर विधान-सभा बुलाई जाये और इस अध्यादेश-शासन को समाप्त किया जाये ।

(2) बड़े किसानों और व्यापारियों के विरुद्ध जमाखोरी-विरोधी आन्दोलन चलाया जाये ।

(3) सरकार और प्रशासन को सभी भ्रष्ट तत्वों से मुक्त किया जाये ।

(4) सभी बड़े शहरों, औद्योगिक केन्द्रों और कमी वाले क्षेत्रों में राशन-व्यवस्था लागू की जायें और समुचित वितरण व्यवस्था स्थापित की जाये ।

यदि ये बातें की जायें, यदि कांग्रेस दल इन उपायों और सक्रिय कार्यक्रमों के आधार पर लोगों में जागृति ला सके तभी जाकर इस विशेष आन्दोलन के विरुद्ध लोगों को तैयार किया जा सकता है ।

यदि ये बातें नहीं की गई तो स्थिति बद से बदतर हो जायेंगी । यह हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है और हम न तो सरकार का समर्थन करते हैं जो इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है और न ही हम इस आन्दोलन का समर्थन करने को तैयार हैं ।

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon) **:** For sometime past, it has become a convention to bring forward some sort of a dramatic motion on the opening day of the session and it is in consonance with taht convention that Shri Shyamnandan Mishra has tabled a motion on Bihar referring to police excesses in Bihar and Shri Jayaprakash Narayan. May I ask Shri Jayaprakash Narayan, whether the dissolution of the Assembly in Gujarat has removed all the problems of shortages, corruption and so on ? The Prime Minister always respects the opposition. Shri Jayaprakash Narayan was invited for talks with the Prime Minister. Shri Inderjit Gupta has just made a mention of nine-point formula as a basis for the talks. May I ask Shri Shyam Babu whether Shri Jayaprakash Narayan had shown any way out to the problems ?

After all, it should be decided as to what should be the process of protest. Whether it should be constitutional or extra-constitutional ? It should be decided through elections whether the Assembly should be dissolved or not ? It cannot be decided by the opinion of mob because the opinion of the people is different from the opinion of the mob which is often emotional or based on sentiments. Afterall, the Assembly has a some sort of sanctity because it is lawful and it cannot be dissolved in such a way.

A provision of Rs. 120 crores has been made in the Fifth Five Year Plan for the development of Bihar. I would like to know whether the development of Bihar can take place by organising 'Bandhs' and strikes. The need of the hour is that the opposition should discuss with the Prime Minister and suggest alternatives to the problems.

So far as I think, the Opposition is frustrated and they appreciate the person as the best leader who talks of sabotage.

It is learnt that reactionary forces finance them. Whatever has happened in Gujarat should not be repeated in Bihar. We should sit together and find out solutions to the problems.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) **:** November 4, 1974 will be remembered as a black day in the annals of India. Whatever happened at Patna on that day has already been depicted by Shri Shyam Nandan Mishra. If something had happened to Shri Jayaprakash Narayan on that day, the country would have been forced into the grip of a civil war.

According to Shri Inderjit Gupta, the formers did not support the movement. If the industrial workers and poor people and Adivasis had not supported the movement, why the authorities made war preparations to suppress the movement ? It seems from the order issued by the District Magistrate of Patna that an army was going to invade Patna. Not only this, orders were issued to arrange aircraft for observing the movement.

If Shri Jayaprakash Narayan is leading only the reactionary forces, can they not fight him on political basis ? What has necessiated the police to be called and the aircraft of the Air Force to be flown in the sky ? Powers were given to the magistrates to try the guilty persons on the spot. The whole Patna city was given shape of a garrison city.

The Prime Minister says :

"The doctrine of mass action is incompatible with the spirit of representative Government".

She also says that she will not bow before the demands raised in streets. What happened in Kerala in 1959 has already been mentioned. The congress party which has faith in the Muslim League and Nair Service Society had organsied a movement in Kerala. Will Mrs. Gandhi have one outlook to view the democracy and another for Shri Jayaprakash Narayan ?

History repeats itself. Did the Prime Minister not rely upon the voice raised in the streets in 1969 when she divided her party ? It means, that voice was the voice of the people. Will they not consider the voice being raised in Bihar as the voice of the people ? After all, what is the balance to weigh the voice of the people ? Wishes of people of Bihar in regard to dissolution of the Assembly can be ascertained through an opinion poll. It is not a new thing. Opinion poll had been conducted in Goa to ascertain the wishes of the people on the question of merger of Goa with Maharashtra.

It is improper to say that the Bihar movement is inspired by a few parties. My party's involvement has been alleged a number of time. But no single party or even a combination of all the parties can engineer the type of movement that is going on in Bihar. The wrong policies of the Government have sown the seeds of discontent among the people. Our education is not job-oriented. The number of educated unemployed is increasing every year. Govenment have not made any basic changes in the education system. The J.P.'s movement in Bihar has highli--ghted such problems and thus compelled the Government to give a serious thought to such important question. Had there been no movement in Bihar, Government would not have considered the question of amendment in election laws. The Prime Minister has also said that the Government is prepared to discuss these issues.

Bihar movement is also directed against corruption. The Prime Minister has said that if specific charges of corruption are made, those will be enquired into. Charges against two Bihar Ministers have been made but the Lokayukta is not being permitted to perform his duties. Serious charges have also been levelled against Sh. L.N. Mishra but they are not being investigated. If charges of corruption are not investigated, people of India will lose their faith in democracy.

Congress friends should not be misled by the C.P.I on the one side they are censuring the Government and on the other side they are opposing movement of Sh. Jayaprakash Narayan in Bihar. If there is a dialogue between J.P and Prime Minister, it should be welcomed by all democrats and patriots. But the communist party is not in favour of a dialogue because if the tussle continues, dependence of the congress party on the communist party would increase.

There is a need for fundamental change in the country. Unfortunately the Congres Party have a man date but no mission. We want the Government to provide land to landless people and give employment to the unemployed persons.

Law of Jungle is prevailing in Bihar. 'MISA' is being misused by the Government. I would like to know whether the Central Government have asked the Governer of Bihar to submit its report regarding situation of Bihar. President can ask for such a report under Article 356.

Congress friends should seriously understand Shri Jayaprakash Narayan and his movement. Democratic methods can be found out to solve the problem of Bihar Movement. The Prime Minister should not make the question of dissolution of Assembly a prestige issue. There is apprehension among people that Lok Sabha will be dissoloved a year before its term. If the Prime Minister has a right to dissolve the Lok Sabha, people have also full right to demand for dissolution of Legislative Assembly. If there is any doubt about the wishes of the people, opinion poll can be held.

India is passing through crisis. Government should not provoke police officials to take repressive measures. Peaceful bandh is no crime. In Delhi, a Pujari of a temple was shot dead by the police. These are his blood stained clothes.

श्री के० नारायण राव (बोबिलीं) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या एसी वस्तु सदन में पेश करने से पूर्व माननीय सदस्य को अध्यक्षपीठ की अनुमति नहीं लेनी चाहिए ? माननीय सदस्य के पास क्या सबूत है कि ये वही कपड़े हैं ? प्रक्रिया की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । यदि ये कपड़े अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना पेश किए जा रहे है, तो यह गलत है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

Mr. Chairman : I was told nothing before. There is no point of order in it ; it is a suggestion.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The country is standing on the threshold of anarchy. We should sit together to find out a solution to the Bihar problem. Meetings should be arranged between Prime Minister and Shri Jayaprakash Narayan to solve the problem of Bihar. Government will have to deal with the movement sympathetically, otherwise this movement will engulf the entire country.

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के माध्यम से सरकार द्वारा की गई कथित दमनात्मक कार्यवाही को प्रकाश में लाया है। बिहार में गत 8 महीनों से व्यापक आन्दोलन चल रहा है। न तो सरकार ही आन्दोलन दबाने में सफल हुई है और न ही श्री जयप्रकाश नारायण अपने आन्दोलन द्वारा विधान सभा भंग कराने में सफल हुए हैं। मैं श्री जयप्रकाश के विरुद्ध कोई राष्ट्र विरोधी भावना का आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं मिश्रा जी की इस बात से सहमत हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण एक लोकनायक हैं। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यदि श्री जयप्रकाश नारायण लोकनायक हैं तो श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत रत्न हैं। इसलिए प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा श्रीमती गांधी की निन्दा करना या आलोचना करना संगत नहीं है। मैं श्री बाजपेयी जी के इस सुझाव से सहमत हूं कि बिहार आन्दोलन का कोई न कोई हल अवश्य निकाला जाना चाहिए।

मैं कांग्रेसी अवश्य हूं लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल अनुरूप नहीं चल सकता। इस मास में पहले 9 दिन मैं कर्नाटक में रहा और वहां मैंने जन-सभाओं में कई भाषण दिए। जहां कहीं मैंने श्री जयप्रकाश नारायण के नाम का उल्लेख किया लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यदि मैं यह कहूं कि सुदूर दक्षिण के निवासियों में यह भावना है कि श्री जयप्रकाश नारायण लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही कदम उठा रहे हैं, तो यह अतिशयोक्ति न होगी। हमें चाहिए कि आरोपों और प्रत्यारोपों को दूर रख कर बिहार की समस्या को हल करने के लिए मस्तिष्क लड़ाएं।

भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। केवल उत्पादन बढ़ाकर ही मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है। इसलिए हमें कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिससे उत्पादन में रुकावट आए। बंद, घेराव, हड़तालें चाहे कितनी ही सफल क्यों न हों, फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि इससे उत्पादन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। किसी भी सदस्य ने श्री जयप्रकाश नारायण की बिहार विधान-सभा भंग करने की मांग का समर्थन नहीं किया है। मेरा अपना विश्वास है कि संविधान में परिवर्तन किया जाना चाहिए। परन्तु इसके लिए विचार-विमर्श का तरीका अपनाया जाना चाहिए। बिहार विधान सभा भंग कराने के लिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए। मेरा मत है कि श्री जयप्रकाश नारायण को विधान सभा तथा मंत्री-परिषद् को भंग करने का मामला कांग्रेस दल के हाथों में सौंप देना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि वह सच्चाई के साथ इस मामले पर विचार करे। केवल घेराव करने से समस्या का हल नहीं हो सकता। यह एक असंवैधानिक तरीका है।

कांग्रेस दल का कोई भी सदस्य भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोक आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। संसद में एक विधेयक भी पेश किया गया था। यह विधेयक गत साढ़े तीन वर्षों से विचाराधीन है परन्तु अभी तक इसे पारित नहीं किया गया है। श्री जयप्रकाश नारायण को ऐसे मामले लेकर आगे आना चाहिए। प्रतिपक्ष को भी चाहिए कि वह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उपायों की खोज करे।

श्री जयप्रकाश नारायण ने निर्वाचन पद्धति में सुधार करने की मांग की है। हम स्वयं सके पक्ष में हैं। वर्तमान निर्वाचन पद्धति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। एक सुझाव यह भी दिया गया है कि सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ बैठकर कोई फार्मूला ढूंढें। लेकिन ऐसा होना असम्भव है। हर एक दल की अपनी विचार-धारा है और इस विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

श्री मिश्र जी ने दो सुझाव दिए हैं—पहला तो यह कि बिहार की घटनाओं के सम्बन्ध में जांच आयोग की नियुक्ति की जाए और दूसरा यह कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को बिहार से हटा दिया जाए। हम यह दोनों सुझाव मानने को तैयार हैं बशर्ते कि श्री जयप्रकाश नारायण अपना आन्दोलन वापिस ले लें। महात्मा गांधी ने वायसराय से बातचीत शुरू करने से पूर्व आन्दोलन समाप्त कर दिया था। श्री जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी के अनुयायी हैं।

अतः उनको भी प्रधानमंत्री से बातचीत करने से पूर्व आन्दोलन को त्याग देना चाहिए । यदि वह कोई समझौता करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें बिहार में अच्छा वातावरण पैदा करना चाहिए । बिहार की जनता को दु:खों से बचाने का यही एक उपाय है । इस उपाय को अपनाकर उन्हें देशभक्ति का प्रमाण देना चाहिए । हमें इस मामले से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए बल्कि इस विषय पर सामूहिक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ।

भारत का शत्रु है--भ्रष्टाचार, जातिवाद, निष्क्रियता और बेईमानी । हमें इनका कठोरता से मुकाबला करना चाहिए । यदि हमें देश में शांति का वातावरण पैदा करना है और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । मेरा सुझाव है कि निर्वाचन-पद्धति में सुधार करने तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में दोनों नेताओं के बीच विचार-विमर्श तथा समझौता होना चाहिए ।

***श्री जे० माता० गौडर** (नीलगिरी) : श्री जयप्रकाश नारायण बिहार के जन-आन्दोलन के अग्रणी हैं। उनके आन्दोलन को कुछ राजनीतिक दलों का सहयोग मिलने से यह निष्कर्ष निकालना संगत नहीं हैं कि आन्दोलन का कार्य प्रतिक्रियावादी तत्वों के हाथ में है । यदि प्रधानमंत्री यह समझती हैं कि सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध आन्दोलन करने वाला कोई भी दल प्रतिक्रियावादी है तो इसका अर्थ यह होगा कि केवल सत्तारूढ़ दल ही प्रगतिवादी दल है । यदि वह ऐसा समझती हैं तो उनकी धारणा गलत है । वर्ष 1959 में श्रीमती गांधी ने स्वयं केरल में नम्बूदिरीपाद के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार को हटा दिया था । इस प्रकार तो श्रीमती गांधी को भी प्रतिक्रियावादी कहा जाना चाहिए । अतः प्रधानमंत्री को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिएं जो एक दिन सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध लग सकते है ।

श्री जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व सारे देश मे छाया हुआ है । जब लोगों को यह खबर मिली कि श्री जयप्रकाश नारायण को 4 नवम्बर को लाठी मारी गई, तो सारे राष्ट्र में हलचल मच गई । 5 नवम्बर को उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया गया । ऐसी घटनाओं को देखकर लोगों का प्रजातंत्र के प्रति विश्वास डिग गया है । कुछ दिन पूर्व बिहार में नाकाबंदी कर दी गई मानों कोई शत्रु हमला करने वाला हैं । एक प्रजातांत्रिक देश में इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है । यदि सरकार श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से नहीं घबराई तो उन्होंने सारे पटना शहर को मोर्चाबंदी क्यों की ? सरकार ने अवश्य ही महसूस किया कि यदि इस प्रकार मोर्चाबंदी नहीं की गई तो श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को पूरी तरह सफलता मिल जाएगी इसी भय से उन्होंने उस दिन पटना शहर की मोर्चाबंदी की थी ।

मैं यह नहीं चाहता कि निर्वाचित विधान सभा को केवल इसलिए भंग कर दिया जाए क्योंकि कुछ लोग ऐसी मांग कर रहे हैं । सरकार को ऐसी मांग पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन बिहार में यह मांग किसने शुरू की । राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचारों के कारण श्री जयप्रकाश ने यह आन्दोलन शुरू किया । यदि प्रधान मंत्री प्रारम्भ की अवस्था में उन्हे बुलाकर उनसे बातचीत कर लेतीं तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती । किन्तु प्रधानमंत्री ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया । वह केवल कांग्रेस दल की ही नेता नहीं अपितु सारे राष्ट्र की प्रधानमंत्री हैं ।

बिहार के राज्यपाल श्री आर० डी० भंडारे ने पिछले सप्ताह बम्बई में कहा था कि बिहार राज्य में बढ़ते हुए भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में उनके उल्लिखित वक्तव्यों की ओर ध्यान दिया जाता तो शायद इस दुखद स्थिति का सामना न करना पड़ता । लेकिन उनको अपने इस कथन के कारण दिल्ली में डांट खानी पड़ी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बिहार में फैले हुए भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाने की मांग से कोई व्यक्ति प्रतिक्रियावादी बन जाता है ? श्री जयप्रकाश नारायण के भाषणों को सुनने के लिए जनता लाखों की संख्या में उमड़ पड़ती है तो क्या वह सारी जनता प्रतिक्रियावादी है ? अगर इसी दर से प्रतिक्रियावादियों की संख्या बढ़ती रही तो देश में 10 प्रतिशत लोग भी प्रगतिवादी नहीं रहेंगे । देश की जनता जानती है कि कौन प्रगतिवादी है और कौन प्रतिक्रियावादी है । सरकार अपनी सारी ताकत लगाकर भी इस रवैये से स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकती । सरकार अगर यह सोचती है कि पुलिस श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को दबा लेगी तो वह दिवा-स्वप्न देख रही है । वास्तव में श्री जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेता पुलिस की इस दमनकारी नीति के आगे नहीं झुक सकते ।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री हनुमन्तैया और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने अपने भाषण में कहा है कि बिहार विधान सभा को देश के लोकतांत्रिक संस्थानों के हित में विघटित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन मैं प्रजातंत्र में एक दल के शासन और विरोधी दलों को देश के शासन में उचित अवसर न देने की भर्त्सना करता हूं। केरल में संयुक्त सरकार है। तमिलनाडु में पूरी द्रविड़ मुनेत्र कणगम सरकार है। यदि कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी हाथ मिला कर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ विरोधी दल सरकार के प्रति आन्दोलन करती है तो क्या वह प्रतिक्रियावादी शक्तियां नहीं बन जाएंगी। तमिलनाडू में हम ऐसे आन्दोलनों से नहीं घबराते हम उनका प्रजातांत्रिक ढंग से सामना करेंगे।

सत्तारूढ़ दल की प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार की नीति है। प्रधानमंत्री ने समूचे देश में सत्तारूढ़ दल का सही ढंग से मार्गदर्शन नही किया है। सत्तारूढ़ दल के नेता विवादास्पद वक्तव्य देने के लिए प्रसिद्ध है। यदि बिहार में सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन प्रतिक्रियावादी है तो फिर देश के किसी भी भाग में सत्तारूढ़ दल अथवा विरोधी दलों का आन्दोलन प्रतिक्रियावादी माना जाएगा।

जैसा कि मैंने अभी कहा प्रधानमंत्री केवल एक राजनीतिक दल की नेता ही नहीं अपितु सारे देश की प्रधानमंत्री हैं। उन्हें स्थिति को देखते हुए यथौचित कार्यवाही करनी चाहिए। प्रधान मंत्री देश का नेतृत्व करने में असफल सिद्ध हुई हैं। उन्हें शुरू में ही श्री जयप्रकाश नारायण के साथ बातचीत करने में पहल करने में इसे अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाना चाहिए था। बिहार में आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए केवल कांग्रेस दल ही जिम्मेदार है। बिहार के लोगों की कठिनाईयों के लिए हमें विरोधी दलों पर दोष नहीं लगाना चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) Although they have nothing in common, all the political parties are united against the congress.

When the constitution was being drafted Shri J.P. Narayan refused to take any part in it and after the constitution was promulgated the socialist party fought elections in the hope that they would come into power. But when he did not succeed he became a Sarvodyavadi.

He had said earlier that five of the ministers were honest but a week after that he changed his opinion. A man whose judgement wavers so easily can hardly be relied upon. It is quite possible that he might withdraw his leadership from the present movement. The dissolution of Bihar Assembly itself cannot solve the problem. Suppose Bihar Assembly is dissolved, then these people will start fighting for power. There will be rifts in Chatra Samiti also. Chatra Samiti is just a union of instigated students of different political parties.

A reference has been made to the election expanses. Opposition parties also spend a lot on elections rather they spend more than the congress party. From where do they get the money for this purpose ? I do agree that there is a need to reform the election system.

Shri Vajpayee had given a speech at Motihari. A member of his party was detained under MISA. Shri Vajpayee sought permission of the magistrate to see him in jail but the permission was later on withdrawn. He was speaking in rally at a distance of one and half miles from the district magistrate's house. When he came to know that the permission has been withdrawn he proceeded towards District Magistrate's house and the crowed followed. The district Magistrate and the Prime Minister were abused. I want Shri Baijnath Choudhry, who is a man of integrity to make an enquiry whether abuses were hurted or not ?

The District Magistrates house was ghraoed. The district magistrate apologised to save the situation.

Shri Atal Bihari was then arrested, and was sent to Hazari Bagh jail from Motihari as Hazaribagh is a first class jail.

Who says their movement is non violent. They compelled Shri Krishna Mohan Pandey and Shri D.N. Tiwari to tender their resignations.

I will quote another instance of their non-violance. A meeting of the Congress party was held at Betia. On the conclusion of the meeting a few workers were left. Those workers were beaten up by them. They burnt the Congress party flag. We do not act or speak in the manner these people

behave. They instead of helping the people are creating trouble. They instigated the railway employees to go on strike with the result that the farmer is not getting seeds and fertilisers in time.

The problems of the students and the problem of unemployment should be solved. Corruption is rampant in the courts of law but have they ever condemned it?

As regards the so called the assault on Shri Jay Prakash Narayan, I myself have made an enquiry. It was nobody's intention to have Shri J.P. Everybody had good will for him.

An hon. member has refe red to the case of Shri Phulna Rai. Although the matter is *subjudice*. I request the Prime Minister to send it to the Central Intellegence. Shri Shyam Baboo had questioned the need of deputing thousands of jawans of Central Reserve Police and Border Security Force in Bihar. I would like to tell him that they have been deputed as a precautionary measure. Suppose the police revolts, it had already happened once in the case of Bihar then who will control the situation. It is in the interest of Bihar and Government does not have to incure any extra expenditure over it.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): The resolution proposed by Shri Mishra is an ordinary one. He has demanded a parliamentary probe into whatever has happened on 4th November. The people of opposition party assert that Shri J. P. was assaulted. I don't understand why are they so scared of the parliamentary probe ?

I have gone through the speeches of the hon. Prime Minister. She has said that the Bihar Assembly will not be dissolved at any cost. She says if she is compelled to take the challenge she will not hesitate to do so. But I would like to tell you that our movement is bound to succeed no matter whether there are hundreds of Indiras.

I challenge the P. M. that with all her police-might she dare not enter Bihar and if she does succeed in entering Bihar within the next ten days. I would admit that she is the real Prime Minister of the country.

Electrorate in India elect their representatives for 4 or 5 years. But if they feel that they are not getting any relief, they can ask their representatives to resign.

Bihar Movement has two aspects. On the one side there are people of the country and on the other side the representatives of the people. This movement will go ahead with great force. You connot prevent it. (*Interruption*)

An hon. Member : This is called "Fascism".

Shri Janeshwar Mishra : We are in opposition and we can take out processions. But osewho are in power when begin themselves to take out a procession, they are called fascists.

On 4th instant baricades were put up and Border Security Force was deployed in Patna. This was a challenge to the Movement of Jai Prakash Narayan. Government says that security arrangements were made for Shri Jai Prakash Narayan. But instead of saving his life, he was assaulted. If you try to play with the life of Shri Jai Prakash Narayan, you will be playing with your own future.

In our country, people are dying of starvation. There is a sense of discontent among the unemployed youth, because they are not getting any job after completing their academic courses. Education in India is not job-oriented. Shri Jai Prakash Narayan is fighting for the welfare of the people. But Government says that he has lost his mental balance. How shameful it is ? I mention here with stress that Legislative Assembly is going to be dissolved in near future. Government will have to bow before the people.

I had gone to Hazari bagh jail to meet Shri Karporri Thakur and a few other M.L.A's who are imprisoned there. I was told by them that Shri Mritunjay Prasad, former M.P. and son of the late Shri Rajindra Prasad was charged with theft at the time of his release from Hazaribagh

jail I wonder how they dared to level such an allegation on him. Naxalities are also being tortured in Hazaribagh jail. Prisoners are served with retten food.

Government has done nothing for the welfare of the common people. Only reshuffling of the Cabinet cannot solve the problems of the people. The President has promulgated an ordinance in the wake of Supreme Court's decision just to help out the Prime Minister, to save her Chair. We want a specific reply in this regard. Why it was done ?

I demand that a commission of enquiry should be set up to go into the excesses committed by B. S. F. and Police in Bihar, if it is not possible, opinion poll should be conducted so as to ascertain whether people of Bihar are in favour of the dissolution of legislative assembly or not. There is no other way out.

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पूर्व वक्ता ने एक अपमानजनक टिप्पणी की है । उन्होंने कहा है कि अमुक शहर में लोग अपने बच्चों को उबालकर खा रहे हैं । भारत की निर्धनता के बारे में कहानियां लिखने वाले समाचारपत्र इस बात को अवश्य उद्धृत करेंगे । इस वक्तव्य से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसलिए इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए ।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : कहा गया है कि श्री जयप्रकाश नारायण की सभाओं में बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं । दिल्ली फुटबाल स्टेडियम में पांच लाख लोगों के होने की बात कही गई है । मैं बताना चाहता हूं कि फुटबाल स्टेडियम की क्षमता 25,000 लोगो की है । उनका यह कहना भी निराधार है कि प्रधानमंत्री तमिलनाडु में विपक्षी दल की सरकार को समाप्त करना चाहती है । लोगों का यह कहना भी कि सरकार श्री जयप्रकाश पर आघात करना चाहती है गलत है ।

स्थगन प्रस्ताव पुलिस की ज्यादतियों और श्री जयप्रकाश नारायण को चोट पहुंचाने से सम्बन्धित है । मुझे यह कहना बड़ा विचित्र सा लगा कि सरकार श्री जयप्रकाश नारायण के साथ मारपीट कराना चाहती है । जयप्रकाश जी ने यह नहीं कहा कि उन्हें लाठी से मारा गया । यह स्थिति किसने पैदा की ? क्या 4 नवम्बर को पुलिस पटना पर आक्रमण कर रही थी ? क्या श्री जयप्रकाश अपने सहयोगियों के साथ पटना पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं कर रहे थे ? सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार ने पटना में लोगों के लिए बाधायें खड़ी की हैं । पिछली बार जब पटना में लूटमार हुई थी तब सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि सरकार ने संरक्षण प्रदान नहीं किया । सरकार सावधानी नहीं बरतती तब भी दोषारोपण किया जाता है । जब सरकार सावधानी बरतती है तब भी आरोप लगाए जाते हैं । प्रस्ताव के अनुसार इतने सुरक्षा प्रबन्ध के बावजूद मैदान में 40,000 लोग इकट्ठा हुए और यह आन्दोलन के बल का प्रमाण है । साम्यवादी दल का कहना है कि उनके यहां 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, कांग्रेस का कहना है कि उनके प्रदर्शन में 16 तारीख को 10 लाख लोग भाग लेंगे । क्या हम इस प्रकार लोगों के इकट्ठा होने से आन्दोलन की शक्ति का अन्दाजा लगाएं । श्री बाजपेयी ने जनमत लेने की बात की है क्या इससे एक उदाहरण स्थापित नहीं होगा ? जनमत किस लिए निर्वाचन दूर नहीं हैं । लोक सभा के लिए निर्वाचन होने में एक वर्ष का समय शेष है । फिर इतनी उतावली क्यों ? इस आन्दोलन में क्या नहीं किया जा रहा ? रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है ।

श्री जयप्रकाश नारायण समानान्तर विधान सभा निर्वाचन आयोग आदि बनाने की बात करते हैं । क्या किसी जनतंत्र में किसी नेता ने ऐसी बात कही है और क्या किसी सरकार ने इतने सब्र से काम लिया है । अन्य देशों में इसे देश द्रोह कहा जाता है । परन्तु हमारी प्रधान मंत्री अत्यधिक सहनशीलता का परिचय दे रही हैं ।

छात्र संघ के आधान के बावजूद दिल्ली में निगम कार्यालयों सहित सभी सरकारी कार्यालय खुले, सभी बसें, स्कूटर रिक्शा आदि चले । अतः बन्द की बात कहना बड़ा ही हास्यप्रद है ।

वे दिल्ली का जन-जीवन अस्त-व्यस्त करने में असफल रहे हैं । उनका असंतोष स्वाभाविक है । यह प्रस्ताव केवल आन्दोलन की ओर ध्यानाकर्षित करने के लिए लाया गया है । भारत के लोग उनकी धमकी से झुकने वाले नहीं हैं ।

Shri S.A. Shamim (Srinagar) : What is happening in Bihar cannot be overlooked. Shri Jai Prakash Narayan and the people of Bihar have proved that Government cannot ignore the feelings and the problems of these people any longer by calling J. P. a C I A agent or some such thing. There can be absolutely no doubt about the patriotism of Shri Jai Prakash Narayan. If J. P. has adopted the course which he has adopted after waiting for 27 long years, the responsibility lies squacly on those who have all along refused to listen to the words of wisdom and rationality. Otherwise why should J.P. have taken upon himself this heavy burden at this old age.

Casting any doubt on his patriotism is highly improper. There is a certain element which wanted to mislead the people deliberately by saying that J. P. is against a Muslim being the Chief Minister of the State. This kind of propaganda is most undesirable and objectionable. There is no bigger supporter of Secularism in India than Shri Jai Prakash Narayan. Let the opponents of J.P. oppose him in any manner they like, but they should not try to communalize the movement in Bihar.

The present Government have destroyed the country. This Government alone is responsible for the ills in the country. Since this Government draws its authority from Parliament, this Parliament should be dissloved. There is no meaning in voicing the demand for the dissolution of Bihar Assembly alone.

Though, I have full faith in Secularism of J.P. I would like to tell him that the associaion with Jan Sangh and R. S. S. with the movement has created suspicion, especially amongst the minorities. It is common knowledge that the Jan Sangh has openly opposed J. P. when he talked of Justice to be done to the people of Kashmir or when he talked about friendship with Pakistan. Therefore, J. P. should be aware of this kind of dangerous policy which the communal forces are adopting. He enjoys a good political reputation, but he must keep away from bad company.

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur) : It has been alleged that the whole of Patna City was barsicaded on 4th November in order to hold back the demonstrators. Had it not been done, there would have been a repetition of the 18th March incidents. What has happened on that day ? There has been large-scale violence and arson and a large number of shops and establishments were gutted. The police has been accused of not being able to maintain law and order. Therefore, this has not been allowed to be done this time on 4th November.

It is also wrong to allege that there has been an assault on Shri Jai Prakash Narayan. The police have tken necessary measures for the safety and protection of J. P. But it is quite possible that he might have sustained some bruises when demonstrators were lathi charged.

The example of Gujarat Assembly is given as paralled to Bihar situation. The situation in Bihar is entirely different from that of Gujarat. Gujarat Assembly has been dissolved after a majority of the Members of the Assembly, including the Members from the Congress Party, had tendered their resignations. While in Bihar out of 319 Members, only 34 have tendered their resignations so far. So how can the Assembly be dissolved at the instance of these 34 Members, which constitute an insignificant minority.

It is also wrong to call the Bihar agitation as non-violent. I have reliable reports to reveal that there has been istances of violence at 285 places in Bihar, rails have been removed, Government property has been destroyed and public servants have been assaulted. How then, this movement can be called non-violent ?

As regards the objectives which have been propounded by Shri Jai Prakash Narayan, there can be no two opinions. But, I would like to remind the House that there have been charges of grave misappropriation in Bihar Relief Committee which has been headed by Shri Jai Prakash Narayan during 1967-68. J.P. has also criticized the present system of education, but at the same time, he has not suggested any alternative system.

If the demand for dissolution of Bihar Assembly is met, it will create a bad precedent and this will be a death-knell for democracy in our country.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Whenever the question of dissolution of Bihar Assembly is taken up, the Prime Minister and the former Home Minister Shri Dixit say that since Bihar Assembly is duly elected Assembly, it should be allowed to function for a full term of five years and since Gafoor Ministry enjoys the support of the majority, it should also allowed to work uninterrupted and the question of dismissal of the Ministry should not be raised. But the fact cannot be overlooked tl at the Prime Minister herself, when she was Congress President in 1959, had supported the move of civil disobedience against the Government of Keiala and got the Kerala Assembly dissolves by pressurising the then Parliamentary Board.

The popular resentment in Bihar today is several times more acute than what it was in Kerala at that time. Today 34 Members of the opposition in Bihar Assembly have already resigned. The majority of the people in Bihar have declared that Gafoor Cabinet no more represents the people in Bihar in real sense. I have raised this issue several times that Bihar Assembly should be dissloved simply on the ground that it has failed to fulfil its normal function of passing Legislation. There are 180 ordinances in force at present in the state. The Assembly session is always so scheduled as not to exceed the period of more than six weeks so as to avoid the laps of those ordinances.

In fact the Central Government are limiting at the roots of Parliamentary democracy in the country and the Prime Minister who over threw the communist regime in Kerala by taking recourse to civil disobedience, 'dharanas' and 'gheraos' is making double talk about Parliamentary democracy and supporting an Assembly which have failed even to fulfil its primary function of enacting legislation.

Everybody realises today that the Assembly and the Government in Bihar are quite worthless. The public distribution system has come to a stand still and the people are not getting even the necessities of life at controlled prices. I would like to know as to what is the amount of overdraft drawn by Bihar Government ? Therefore, from all view points it is essential to dissolve the Assembly and dismiss the Government in Bihar immediately.

A reference has been made to the incidents of 4th November. It has been said that how the talks of a parallel Government can be tolerated. Does it mean that the ruling party supported the manhandling of Shri Jai Prakash Narayan ? The demand for a Parliamentary Probe should be accepted and every thing will come out. The fact is that there is no rule of law in Bihar and police attacks even the silent and peaceful demonstrations. According to the Home Ministers' version, about 60,000 policemen have been deployed in Bihar. This clearly indicates that Government of the day is ruling there only by force. Under these conditions, the Central Government should give up their obestinacy and respect the wishes of the people. Gafoor Government therefore, should be dismissed and the Assembly should be dissolved immediately and steps should be taken to hold free and fair democratic elections in Bihar.

श्री मोइतुल हक चौधरी : यह चर्चा कब तक चलेगी ?

Shri R.P. Yadav (Chepre) : How long we are going to sit here ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : We are sitting here since 10.30 a.m. and now it is 9.15 p.m. The House should be adjourned.

Mr Speaker : I agree with you. But my difficulty is that no body speaks within the allotted time. There are still more members to speak. They should either forego their right to speak so that I may call the Minister to reply to the Debate or Shri Raghuramaiah should agree to postpone the Debate to tomorrow.

श्री ज्योतिर्मय बसु: सभा को स्थगित किया जाए और मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर कल दें। आपको केवल सरकारी सुविधा का ही ध्यान नहीं रखना चाहिये। यदि सरकार हमारा सहयोग चाहती है तो उसे हमारी बातों पर भी ध्यान देना चाहिये। हम सुबह 10.30 बजे से यहां पर बैठे हैं।

Mr. Speaker : I would be guided by the unanimous view of the House.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : स्थगन प्रस्ताव को नियमानुसार स्थगित नहीं किया जा सकता। चर्चा में केवल हमारी ओर के सदस्यों ने ही नहीं विपक्ष के सदस्यों ने भी अधिक समय लिया है। अब जिन लोगों को बोलना है, वह कम समय लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रकार हमें आधी रात के बाद तक बैठना होगा। वह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। अतः सदन को स्थगित किया जाये। ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव की चर्चा को कल तक स्थगित नहीं किया जा सकता।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chapra) : I represent the constituency which gave birth to great personalities like Dr. Rajendra Parshad, Dr. Sayyad Mahmood, Maulana Mazrool Haq and Jai Prakash Narayan. But I also want to point out that this District has given a set back to Shri Jai Prakash Narayan, in his programme. He called a public meeting in Chapra on 22nd October. His supporters could not unanimously agree to select a man to preside over the meeting. Ultimately the meeting had to be held without a Chairman. Shri Jai Prakash had himself to remark that if you cannot select a Chairman how can you run the Government of the country as well as State.

It is claimed by Shri Jai Prakash Narayan that his movement is non-violent. But bringing people forcibly out of their homes, stopping their movement, showing disrespect to legislators belonging to weaker sections etc. is not non-violence. (*Interruption*) Atmosphere of invoilence is being created in the country. (*Interruption*). Shri Jai Prakash Narayan has not succeeded in his programmes. He advised the students not to appear in examinations but they did not heeded his advice. Similarly programmes about non-payment of taxes, asking legislators to resign from Assembly also did not succeed. Only 34 members, out of a total of 318 have submitted their resignations.

Though I differ with Shri Jai Prakash Narayan about his programmes, yet I respect him and I condemn this lathi charge on him.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस चर्चा से न केवल 4 नवम्बर की घटनाएं व महान नेता, श्री जय प्रकाश नारायण एवं उनके समर्थकों पर लोक तन्त्र-विरोधी आक्रमण की बातें सामने आई हैं, अपितु देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली अन्य अनेक बातें भी सामने आई हैं।

बिहार में जो कुछ हो रहा है, वह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। देश में लोक तन्त्र तथा सामाजिक जीवन के मूल्यों को सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है। जय प्रकाश नारायण और सरकार के बीच टक्कर की यही बात है। पिछले कई महीनों से बिहार में जो कुछ हो रहा है और उससे पहले गुजरात में जो कुछ हुआ उससे सरकार की शक्ति नग्न हो कर सामने आ रही है। लोगों को तंग करने, मारने व उन पर आतंक फैलाने के लिए, सरकार द्वारा हिंसात्मक शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है। लोगों की अशांति के मूल ये हैं अभाव व भ्रष्टाचार की स्थिति। परन्तु सरकार के पास इस समस्या का कोई हल नहीं है।

सरकार कल्याणकारी राज्य की बातें करते तो थकती नहीं। परन्तु बिहार में और देश के अन्य भागों में आज जो कुछ हो रहा है वह कल्याणकारी राज्य की बातें नहीं हैं। परलोलुप व अधिकार केन्द्रित लोगों का लाखों भारतीय लोगों से जो आज जागरूक हुए है और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं युद्ध है। जनता आज इस बात को नहीं देख रही कि उनमें कुछ की मृत्यु होगी परन्तु यह देखा जा रहा है कि इससे लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा होगी। अतः इस चर्चा में भी हमें बिहार की बातें छोड़ कर उससे ऊपर के स्तर की बातें करनी चाहिए।

परन्तु सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि बिहार के 3–4–5 अक्तूबर 1974 के बन्द को बिहार की सम्पूर्ण जनता का समर्थन था। इसी कारण वह सफल रहा। वह समर्थन पटना सरकार और केन्द्र सरकार के बुरे व भ्रष्ट शासन के प्रति जनता का विद्रोह था।

मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार का आन्दोलन अब अपने अन्तिम चरण में है। प्रधान मन्त्री व उनके समर्थकों में आज भय व्याप्त है और दूसरी ओर श्री जय प्रकाश नारायण व उनके समर्थक और दृढ़ प्रतिज्ञ हो रहे

हैं। प्रधान मन्त्री को इस बात को नहीं भूलना चाहिए। सरकार आज बौखला गई है और उसी बौखलाहट में बिहार में सभी प्रकार के पुलिस बल नियुक्त किये गऐ हैं।

मूल प्रश्न यह है कि क्या देश में लोक तन्त्र को बचाए रखना है। यदि बचाए रखना है, तो शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना होगा। आज देश में शक्तियों का केन्द्रीकरण हो रहा है। इसी कारण यह संघर्ष है। लोक तन्त्र का अर्थ शक्तियों के बटवारे के साथ साथ राजनैतिक कार्यकरण में शिष्टता और नैतिकता भी है। एक ओर संसदीय लोकतन्त्र की बात की जाती है और दूसरी ओर अध्यादेशों के जरिए शासन चलाया जाता है। बिहार में आज सैंकड़ों अध्यादेश लागू हैं, जिससे स्पष्ट है कि राज्य का सामान्य संवैधानिक तन्त्र टूट गया है।

बिहार में दमन का राज्य है और सरकार द्वारा प्रचार के साधनों का प्रयोग करके देश में शासन पर नियन्त्रण रखा जा रहा है। परन्तु भाग्य से देश में अभी ऐसे लोग हैं जो सरकारी प्रचार पर विश्वास नहीं करते। आज कुशासन और भ्रष्टाचार के विरूद्ध जो आन्दोलन चल रहा है, वह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उससे जनता को सफलता नहीं मिल जाती।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : चर्चा में भाग लेने वाले अनेक सदस्यों ने कुछ गलत बातों का वर्णन किया है। श्री शमीम ने श्री गफूर का उल्लेख करते हुए कहा कि वे दुर्घटना से मुसलमान पैदा हुए हैं। मुझे केवल यही कहना हैं कि कोई भी इस प्रकार की बात सोच कर पैदा नहीं होता।

श्री शमीम अहमद शमीम : मेरा तात्पर्य भी यही था कि यह अवसर की बात है श्री गफूर मुसलमान हैं। वस्तुतः यह बात पूरी तरह से असम्बद्ध है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : सदस्यों को इस प्रकार की बातें करके दूसरों की भावनाओं पर चोट नहीं करनी चाहिए।

श्री शमीम अहमद शमीम : आपने मेरी बात को गलत समझा है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इसी प्रकार श्री जनेश्वर मिश्र ने भी ऊट पटांग बातें की हैं। जिनका कोई भी उत्तर आवश्यक नहीं। श्री श्याम नन्दन मिश्र ने अपने प्रस्ताव में तीन बातों का उल्लेख किया है। सबसे पहले उन्होंने जय प्रकाश की तुलना महात्मा गांधी, राम, कृष्ण, व महात्मा बुद्ध से की। इस पर मुझे कोई आपति नहीं। यह तो अपना-अपना व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। दूसरे उन्होंने सदन में यह प्रभाव फैलाना चाहा कि 4 नवम्बर का आन्दोलन पूर्णतया शान्तिपूर्ण आन्दोलन था और जय प्रकाश जी को घेरे में लेकर चलने वाले लोग नारे लगा रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि वे लोग क्या गा रहे थे? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि 18-20 मार्च 1974 का आन्दोलन शान्तिपूर्ण नहीं था। उसमें 27 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। क्या आप जानते हैं कि 3-5 के प्रदर्शन में कितनी हिंसा हुई। अनेक स्थानों पर गाड़ियों के चलने में रुकावटें डाली गई। रेल लाइनें तोड़ी गई, संचार व्यवस्था में बाधाएं उपस्थित की गई। विद्यार्थियों में आतंक फैलाने के लिए परीक्षाओं के समय एक विद्यार्थी को गोली मार दी गई। क्या साम्यवादी दल के कार्यकर्त्ताओं पर आक्रमण अहिंसा है? इस स्थति में दावा किया जाता है कि आन्दोलन शांतिपूर्ण है और पुलिस बलों द्वारा लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि यदि किसी दुर्घटना से भी पुलिस की कोई लाठी श्री जयप्रकाश को छू गई होती तो मैं सबसे प्रथम उनसे क्षमा मांगता। मैंने अपने प्रिय नेता प्रधान मन्त्री को भी उनसे क्षमा मांगने को कहा होता। परन्तु जो हुआ ही नहीं उसके लिए यह बातें नहीं हो सकती।

श्री समर गुह : इस बारे में मैं आपका ध्यान श्री जयप्रकाश नारायण के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे विचार से उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि उन पर लाठी प्रहार हुआ। यदि ऐसा है तो मुझे बताएं और मैं सबसे पहले उनसे क्षमा मांगूगा। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री जय प्रकाश नारायण के व्यक्तित्व व देश के स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान के बारे में भावनाओं में बहने की बात नहीं है। उससे कोई इन्कार नहीं कर रहा। हम उनकी सेवाओं व उनके व्यक्तित्व सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे। यदि श्री जय प्रकाश ने कुछ बातें उठाई हैं तो हमें इस सदन में इस बात पर विचार करना है कि वे बातें कहां तक सम्बद्ध एवं उचित तथा लोक तन्त्रीय हैं। मेरी इस बात से सबको सहमत होना चाहिए। यदि

कोई भी मामला उठाया जाता है तो हमें निष्पक्ष रूप से देखना है कि उसके पीछे क्या दृष्टिकोण है। जब भी कोई व्यक्ति भावनाओं में बह रहा हो व गुस्से में हो तो वह जब बोलता हैं तो उससे मन के विचार प्रकट होते हैं। 4 नवम्बर की घटनाओं के बारे में श्री जय प्रकाश के वक्तव्य यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि उनके मन में क्या है। 'सर्च लाइट' समाचारपत्र के अनुसार श्री जय प्रकाश ने कहा है कि यह संघर्ष बिहार के लोगों और गफूर मन्त्रालय के बीच नहीं अपितु यह संघर्ष तो भारत की जनता का प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध हैं। (**व्यवधान**)

यह आन्दोलन 1974 के प्रारम्भ में विद्यार्थियों की मांगों के साथ प्रारम्भ हुआ। उन्होंने पढ़ाई से सम्बद्ध छोटे-छोटे मामले उठाए: होस्टलों में मंहगे खाने, छात्रवृतियों की संख्या बढ़ाने आदि अन्य सुविधाओं की बातें कीं। जब वह मुख्य मन्त्री से मिले तो उन्होंने वह मांगें स्वीकार कर लीं। बाद में उन्होंने उस पर आदेश भी जारी कर दिये। छात्रवृतियों की संख्या के साथ राशि भी बढ़ाई गई कम दर पर खाद्यान्न की सप्लाई की गई तब इस प्रकार के आन्दोलन का क्या औचित्य रहा? यदि कोई बात रह गई थी तो नेताओं व श्री जय प्रकाश को बतानी चाहिए थी। छात्र मुख्य मन्त्री के आश्वासन से आश्वस्त थे। परन्तु राजनैतिक दलों को इससे क्षोभ हुआ। इसी कारण से 18 से 20 मार्च के आन्दोलन में हिंसा हुई। राजनैतिक नेताओं को उससे संतोष नहीं हुआ और उन्होंने मामले उठाये। उसी अवसर पर श्री जय प्रकाश क्षेत्र में उतरे। राजनैतिक दलों के नेताओं का विचार था कि उनके सभी सदस्य विधान सभा से त्याग पत्र दे देंगे और विधान सभा अपने आप ही भंग हो जाएगी। परन्तु वास्तव में हुआ यह कि विधान सभा के विपक्ष के 77 सदस्यों में से केवल 34 सदस्यों ने ही त्याग-पत्र दिया है। इन लोगों पर दबाव डाला गया, डराया गया व उनके विरुद्ध गन्दी भाषा का प्रयोग किया गया परन्तु तब भी उन पर असर नहीं हुआ। यदि इस प्रकार के व्यवहार को लोकतन्त्र व शांतिपूर्ण उपायों का नाम दिया जाए तो समझा जा सकता है कि लोकतन्त्र क्या है। जनता के चुने हुए लोगों को काम करने से रोकना लोकतन्त्र कदापि नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु के साथ जब कुछ लोगों ने इसी प्रकार की बातें कीं तो उन्होंने सब जगह पर उसके बारे में लिख कर कहा है कि उनके काम में बाधाएं उपस्थित की जा रही हैं। समाचार-पत्रों में भी इस प्रकार की बातें उन्होंने प्रकाशित कराई हैं। वास्तव में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्भीकता पूर्वक काम करने की छूट होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु घातक प्रहार और गाली गलौज में जो अन्तर है वह माननीय मन्त्री महोदय को समझना चाहिए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : उस मामले की जांच हो रही है और न्यायालय द्वारा निर्णय हो जाएगा। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को डराने के लिए अपनाए गए तरीकों को लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता। न ही इन तरीकों को शांतिपूर्ण कहा जा सकता है। यदि आप लोकतन्त्र चाहते हैं तो लोकतन्त्रीय प्रक्रियाओं का पालन भी करना होगा।

इस आन्दोलन के पीछे कुछ गहरे उद्देश्य हैं। केवल इतना ही नहीं है कि कुछ राजनैतिक दल इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ मांग कर रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि श्री जय प्रकाश जैसे नेता राजनैतिक दलों के जाल में आ फंसे हैं। अच्छा होता कि इस प्रकार का प्रस्ताव लाने के स्थान पर वे हमारी समस्याओं का कोई हल प्रस्तुत करते। वह देश की बहुत बड़ी सेवा होती।

गुजरात और बिहार में कोई समानता नहीं है। बिहार में 319 सदस्यों में से केवल 36 ने ही त्याग-पत्र दिया है। इसी बात को देख कर प्रधान मन्त्री ने कहा है कि निर्वाचित सदन को किसी की इच्छा के अनुसार भंग नहीं किया जा सकता। बिहार में प्रशासन अस्त-व्यस्त नहीं हुआ है।

मैं कह रहा था कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में राजस्व, विक्रय कर तथा उत्पादन शुल्क की कितनी राशि एकत्र की गई। बहुत से अच्छे से अच्छे काम हुए हैं। क्या विपक्ष की किसी सरकार ने कोई ऐसे कार्य किए हैं?

Shri Janeshwer Mishra (Allahabad) : You are not aware of the geography of Bihar. You knows nothing about Bihar.

प्रधान मन्त्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री(श्रीमती इन्दिरा गांधी): यह बात संगत नहीं है कि बिहार कौन गया और कौन नहीं गया, मंत्री महोदय सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : केन्द्रीय आरक्षित पुलिस सीमा सुरक्षा बल हिंसा का सामना करने के लिए तैनात किये गये हैं । जब लाखों लोग विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पटना जा रहे थे, तो उस स्थिति में राज्य सरकार का कर्त्तव्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना था ।

यहां भी गुजरात जैसी स्थिति पैदा की जा रही है । वहां के मुख्य मन्त्री ने त्याग पत्र दिया और सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 356 के आधीन कार्यवाही की जाये । विधान सभा 15 मार्च को भंग हुई जबकि 140 विधायकों में से 95 विधायकों ने त्याग पत्र दे दिये थे । बिहार में 319 सदस्यों में से मुश्किल से 36 विधायकों ने त्याग पत्र दिये हैं । अतः यह ठीक तुलना नहीं है ।

यद्यपि केरल राज्य में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी फिर भी राज्य सरकार स्थिति का मुकाबला नहीं करना चाहती थी । अतः इस संदर्भ में ऐसी समानता स्थापित करना उचित नहीं है ।

वहां अभी विधान सभा भंग करने के लिए आवश्यक स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं । जब वहां सरकार का बहुमत है, तो वहां प्रशासन असफल नहीं है ।

भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ कर दी है । यदि सदस्यगण भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों पर वस्तुतः चर्चा करना चाहते हैं, तो उनका सहर्ष स्वागत है । यदि ऐसा अनुभव होता है कि हमारे समाज में कुछ बुराई आ गई है, और उसे समाप्त करना है, तो लोकतन्त्र में कार्य कर रहे नेताओं को आपस में बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए ।

चुनाव सुधार एक बड़ा प्रश्न है । इस देश में जो चुनाव प्रणाली प्रचलित है, यदि इसमें कुछ सुधार किया जाना है तो इस पर भी चर्चा की जा सकती है । राष्ट्रीय मामलों पर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से विचार करने की आवश्यकता है । हम किसी मामले पर केवल इसलिए निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि उसे किसी बड़े नेता ने कहा है ।

जहां तक जनमत का प्रश्न है, गोआ में लिया गया जनमत चुनाव का मामला नहीं था । वह इससे भिन्न मामला था । अतः इस सम्बन्ध में जनमत लेने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व को इस मामले में लाना अनावश्यक हैं । इन मामलों पर गुण-दोषों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए । बिहार विधान सभा को भंग करना संवैधानिक दृष्टि से अनुचित है ।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : Sir, I presume that the Home Minister wants to assess the Bihar movement on the lines on which agitations in Andhra were evaluated but he should not live in his own glass house or talk like a District Lawyer. It is quite evident that the entire opposition lent its full support to the present movement in Bihar. The entire country except the CPI has been against the Government on this issue. The Home Minister has not given satisfactory reply to any of the points that have been raised here. He contradicted that the movement on the 4th November was peaceful but he could not cite a single incident to substantiate his views. Further he supported the police arrangements keeping in view the incidents on March, 18th. But who were in fact, responsible for those incidents ? It is really shameful that Ministers were beaten and shots were fired in the lobby of the Assembly. But was there any single student, an opposition partyman or an anti-social element behind the whole show? Who were the persons who set fire to 'Searchlight' and 'Pradeep' establishments ? The Home Minister had no courage to mention the name of the CPI Assembly Members who was found setting fire on that day ? It is said that class IV employees beat the Ministers in the Bihar Assembly Lobby but they were no other than CPI members. The students and the peaceful demonstrators were never responsible for such incidents.

There was also reference to several incidents in Patna and other cities on the occasion of 'Bandh' between 3rd to 5th October. Ammunition and weapons were recovered from the residence of CPI Paper's Assistant Editor. When there was not a single incident of violence on the 4th November, the blatant attack on the peaceful demonstrators in Bihar by CRP, BSF was a slur on the name of Government. It is strange that section 144 was lifted when the pro-

cession led by CPI was organised at Patna. We cannot accept any sermans from those who allied with the CPI, who once called Mahatma Gandhi and Jawahar Lal Nehru as "running dogs of imperialism".

The Home Minister said that students were satisfied because their demands have been accepted. But it seems that they proposed to divide the students on the basis of caste but he should note that movements can not be disrupted on the basis of caste or sect.

It is also said that 34 out of 77 opposition members have resigned. It is not known as to why Government is not bringing forth Defection Bill. It is most immoral to win over person with the help of money. Government is still encouraging defections.

The Home Minister has not even cared to reply my letter written about the attack on the House of Shri Bosu.

श्री के ब्रह्मानंद रेड्डी : आपके तथा श्री बसु के पत्र का उतर में सलाहकार समिति के बैठक में दे चुका हूं

Shri Shyamnandan Mishra : The Home Minister has not clearly spelt out the differene between the present situation in Bihar and that in Kerala. He said that Bihar Assembly is functioning properly but he could not substantiate that. Issuing of 180 ordinances within ten months is not the way to function for the Assembly ? It is also said that the move for setting up a parallel Assembly is not less than a freason. But the people have the right to set up a peaceful parallel Assembly. The situation in the country has so developed that a serious thought should be given to all the basic issues. Therefore, I appeal to the House to adopt this adjournment motion.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि सभा अब स्थगित होती हैं" ।

जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें ।

अनेक माननीय सदस्य: हां ।

सभापति महोदय : जो विपक्ष में है वे 'नहीं' कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में यह 'हां' वालों के पक्ष में हैं ।...

(व्यवधान)

श्रीमति इन्दिरा गांधी : नहीं, यह 'नहीं' वालों के पक्ष में हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे खेद है । यह 'नहीं' वालों के पक्ष में हैं ।

(व्यवधान)

मैं इसे पुनः सभा के समक्ष रखूंगा । प्रश्न यह है "कि सभा अब स्थगित होती है" जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें ।

(व्यवधान)

जो इसके विरुद्ध हैं वे 'नहीं' कहें ।

(व्यवधान)

क्या आप मत विभाजन चाहते हैं ? दीर्घायें खाली की जायें ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. It cannot happen.

(व्यवधान)

You have given your ruling about division which was not challenged at that time.

(व्यवधान)

Mr. Chnirman : It was challenged.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) **:** You have given the ruling which is being denied by you. We shall have to walk out as a protest.

Mr. Chairman : It was challenged.

(व्यवधान)

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली की जायें ।

(तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये
(Some hon. Members then left the House)

(व्यवधान)

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में	0	विपक्ष में	119
Ayes	0	Noes	119

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was negatived,

नौसेना (संशोधन) विधेयक—जारी

Navy (Amendment) Bill—*contd.*

सभापति महोदय : अब हम नौसेना (संशोधन) विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे । इस पर कोई संशोधन नहीं है ।

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं इन खंडों के बारे में पहले बतला चुका हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गए ।
Clauses 2 to 19 were added to the Bill.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 12 नवम्बर, 1974/21 कार्तिक, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 12th November, 1974/ Kartika 21, 1896 (Saka)

MGIPNLK—8/Lok Sabha/74—25-1-75—490 Copies.